राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] **पन्द्रहवीं विधान सभा के छठे सत्र का दो सौ सत्रहवां दिवस** **[संख्या: 23**

मंगलवार,

14 सितम्बर 2021

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री अभिनेश महर्षि।

भर्तियों में ई.डब्ल्यू.एस. अभ्यर्थियों को आयु सीमा व परीक्षा शुल्क में छूट

426. श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा व परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान की जाती रही है? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य आरक्षित वर्ग की तर्ज पर ई.डब्ल्यू.एस. के अभ्यर्थियों को भी आयु सीमा व परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. लागू करने के पश्चात् से अब तक की गयी भर्तियों में उक्त वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा व परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान की गई है? यदि हां, तो कौन-कौनसी भर्तियों में? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में सरकार द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक व रीट भर्ती परीक्षा में ई.डब्ल्यू.एस. कोटे के अभ्यर्थियों को आयु सीमा व परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त भर्तियों में ई.डब्ल्यू.एस. कोटे के अभ्यर्थियों को आयु सीमा व परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु संशोधित विज्ञप्ति निकालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): (1) जी हां। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.04.2021 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को भी अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु में छूट प्रदान किये जाने का विभिन्न सेवा नियमों में प्रावधान किया गया है (संलग्न परिशिष्ट-क)। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2021 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों से किसी भर्ती/परीक्षा/चयन हेतु आवेदन करने के लिये नोन क्रीमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के समान ही आवेदन शुल्क लिये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं (संलग्न परिशिष्ट-ख)।

(2) राज्य में दिनांक 19.02.2019 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तत्समय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा एवं परीक्षा शुल्क में छूट का प्रावधान नहीं था।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.04.2021 एवं परिपत्र दिनांक 19.04.2021 जारी होने के समय ऐसी भर्तियां, जिनमें मात्र विज्ञापन ही जारी किया गया था तथा उक्त अधिसूचना/परिपत्र जारी होने के पश्चात् विज्ञापित होने वाली सभी भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अधिकतम आयु सीमा एवं परीक्षा शुल्क में छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके क्रम में विभिन्न भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अधिकतम आयु सीमा एवं परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान की गयी है, जिनकी सूची परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त ऐसी सभी भर्तियां, जिनमें विज्ञापन जारी होने के उपरांत परीक्षा/साक्षात्कार कार्मिक विभाग की अधिसूचना/परिपत्र दिनांक क्रमश: 16.04.2021 एवं 19.04.2021 जारी करने से पूर्व आयोजित की जा चुकी हैं, उन भर्तियों में संबंधित सेवा नियमों में प्रावधान नहीं होने के कारण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आयु सीमा व परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान नहीं की गयी है।

रीट, भर्ती परीक्षा न होकर एक पात्रता परीक्षा है। इसमें किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के लिये अधिकतम/न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गयी है जबकि परीक्षा शुल्क सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये समान रखा गया है। परन्तु राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) की अधिसूचना दिनांक 26.04.2021 द्वारा पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 265 में किये गये संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए रीट 2021 हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के समय अध्यापक तृतीय श्रेणी (लेवल-1 एवं लेवल-2) के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु हो जाने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) वर्ग के आवेदन न करने वाले अभ्यर्थियों को दिनांक 21.06.2021 से 05.07.2021 तक पूर्व में निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने का पुन: अवसर प्रदान किया गया।

(3) पुलिस उप निरीक्षक भर्ती, 2021 में ई.डब्ल्यू.एस. के अभ्यर्थियों को आयु सीमा व परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के शुद्धि पत्र संख्या 02/2021 क्रमांक एफ.7(8)परीक्षा/एसआई-पीसी/ईपी-1/2019-20/17, दिनांक 07.06.2021 द्वारा संशोधित विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।

(4) रीट परीक्षा के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या 3 के अनुसार।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय मंत्री महोदय, क्रम संख्या-2 के पैरा नंबर 3 में दिया है - इसके अतिरिक्त ऐसी सभी भर्तियां, जिनमें विज्ञापन जारी होने के उपरांत वाला जो पैरा है, इसमें मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि ऐसी कितनी भर्ती के विज्ञापन जारी हो गये थे, चूंकि भर्तियां डिले होती गयीं और भर्तियां डिले होने के कारण भारी असंतोष भी पनप गया था, तो क्या सरकार ऐसी भर्तियां, जिनके विज्ञापन पहले जारी हो गये थे और जिनके बारे में आपने कहा है कि उनमें छूट प्रदान नहीं की गयी थी, ऐसे अभ्यर्थियों को भी चिन्हित करके, कि कितने ऐसे अभ्यर्थी थे, कितने ऐसे विज्ञापन थे, उनके बारे में भी सरकार कोई फैसला लेने की मंशा रखती है क्या?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दिनांक 16.04.2021 से पूर्व विज्ञापित ऐसी भर्तियां, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अधिकतम आयु सीमा एवं परीक्षा शुल्क में छूट देने हेतु

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

संशोधित विज्ञापन जारी किया गया। सहायक आचार्य, कालेज शिक्षा विभाग भर्ती, 2020; वनपाल एवं वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा, 2020; कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021; पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2021; पुलिस उप निरीक्षक (एस.आई/प्लाटून कमांडर) भर्ती परीक्षा 2021; राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड (आर.सी.डी.एफ.) में विभिन्न पदों पर भर्तियां; सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति में विभिन्न पदों पर भर्तियां; राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में विभिन्न पदों पर भर्तियां; आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2020; कम्पाउंडर/नर्स जूनियर ग्रेड (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा विभाग) भर्ती, 2021.

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय मंत्री महोदय, सिर्फ एक निवेदन है कि 19.02.2019 को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ई.डब्ल्यू.एस. हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन 16.04.2021 को कार्मिक विभाग की अधिसूचना जारी हुई और 19.04.2021 को परिपत्र जारी हुआ तो यह 19.02.2019 से लेकर 19.04.2021 के बीच में जितने भी अभ्यर्थी थे, जो इस लाभ को लेने से वंचित रह गये, उनके बारे में सरकार की क्या मंशा है? सरकार उनको अलग से चिन्हित करके उनको यह लाभ दिये जाने की मंशा रखती है क्या? यह स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भर्तियां हो चुकीं और उस समय जो प्रावधान नहीं थे, उनको कौन, कैसे कर सकता है? नई भर्तियां हो रही थीं, विज्ञापन जारी हो गये थे। साक्षात्कार नहीं हुए थे, उनके मैंने नाम बता दिये, उनमें हमने दुबारा विज्ञप्तियां जारी कर दीं, लेकिन जो काम हो चुका है, एक साल बाद तो वैसे भी इसमें बैकलाग का प्रावधान नहीं है। इसलिए जितनी भी भर्तियां हो चुकी हैं, उनको वापस खोलना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती जाहिदा खान।

कामां में विद्युत तारों एवं खम्भों को बदलने की कार्ययोजना

427. श्रीमती जाहिदा खान (कामां): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती जाहिदा खान)

(1) क्या सरकार की विधान सभा क्षेत्र कामां में ढीले एवं जर्जर हुए विद्युत तारों एवं खम्भों को बदलने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कामां के शहरी क्षेत्र में विद्युत तारों को अण्डरग्राउण्ड करने की योजना है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय कल्ला साहब।

ऊर्जा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र कामां में जुलाई, 2021 तक चिन्हित सभी 231 टूटे/झुके/जर्जर पोलों को बदल दिया/ठीक कर दिया गया है एवं 320 स्थानों पर ढीले एवं जर्जर विद्युत तारों को बदला/कसा गया है। क्षतिग्रस्त विद्युत तंत्र को समय-समय पर चिन्हित कर ठीक किया जाता है।

(2) विद्युत तारों को भूमिगत करने के कार्य में वित्तीय लागत अत्यधिक आती है। विद्युत लाइनों का निर्माण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनियमों के तहत किया जाता है/किया गया है। कामां शहरी क्षेत्र में वर्तमान में ओवर-हैड विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि जो सूचना उनको अधिकारियों ने दी है, वह बिलकुल गलत है, क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में इसके बाद भी कई हादसे हुए हैं। दूसरा, मैं यह पूछना चाहूंगी कि आज दिन तक ढीले व जर्जर तारों से कितनी मौतें हुई हैं व कितने लोगों को मुआवजा दे दिया गया है और मुआवजे की राशि क्या है? दूसरा, मैं अभी इसके साथ ही पूछ लेती हूं बिजली के बिलों में आयी हुई अनियमितता को..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, यह इससे रिलेवेंट प्रश्न नहीं है, यह अलग है। अगला प्रश्न।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): माननीय अध्यक्षजी, पहले वाला तो रिलेवेंट था कि कितनी मौतें हुई हैं?

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें।

जयपुर में परकोटे से अतिक्रमण हटाने की कार्ययोजना

428. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जयपुर शहर परकोटा राजस्थान स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष अधिनियम, 1961 के तहत संरक्षित स्मारक है? यदि हां, तो जयपुर में अन्य किन-किन स्मारकों को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या परकोटे से 15 फीट की दूरी तक अतिक्रमणों को हटाने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो जनहित में उक्त अतिक्रमणों को कब तक हटा दिया जायेगा?

(3) क्या सरकार द्वारा परकोटे पर किये गये अतिक्रमणों की कोई सूची बनवायी गयी है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। जयपुर शहर में संरक्षित स्मारकों की सूची परिशिष्ट -"अ" पर संलग्न है।

(2) प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है तथा इसमें वर्तमान में यथास्थिति के आदेश प्रभावी हैं।

(3) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में अतिक्रमणों को चिन्हित कर नगर निगम, जयपुर द्वारा नोटिस जारी किये गये थे, जिनकी जोनवार सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि यूनेस्को द्वारा जब जयपुर शहर के परकोटे को विश्व विरासत में शामिल किया गया था तो राज्य सरकार ने वहां पर कुछ वादे किये थे तो वो वादे क्या थे और आपने उन पर क्या कार्यवाही की?

मेरा दूसरा प्रश्न है कि परकोटे पर अतिक्रमण के लिए न्यायालय ने जो स्थगन आदेश दिया है इसको हटवाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? इसके बारे में बताएं और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि परकोटा 15

(श्री कालीचरण सराफ)

किलोमीटर था अब उसमें से 9 किलोमीटर गायब हो गया, तो इसके बारे में सरकार क्या कर रही है? और चौथा प्रश्न है कि परकोटा क्षेत्र ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, चार प्रश्न अलाउ ही नहीं हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अच्छा तीन ही अलाउ हैं, ठीक है।

श्री अध्यक्ष: तीन पर आ गये तो चार पर चले गये। तीन पर ही रोक दिया मैंने तो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अच्छा साहब, ठीक है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जिन स्मारकों को पुरातत्व और संग्रहालय के द्वारा संरक्षित किया गया है, उसकी सूची मैंने आपको दे दी। इसमें आपका जो यह तीसरा प्रश्न है कि साहब, 15 किलोमीटर था और 9 किलोमीटर रह गया, उसमें यह सब-कुछ आ गया। एक बात।

दूसरी बात यह है कि मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह दो बार संरक्षित हुए, 1905 में एंशिएंट मोन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, 1994 के तहत में किये गये और उसके बाद में फिर यह राजस्थान मोन्यूमेंट्स आर्कियोलोजिकल साइट्स एण्ड इंटिक्यूटीस एक्ट, 1961 के अन्तर्गत संरक्षित स्मारक भी घोषित किये गये।

सवाल यह आता है कि माननीय उच्च न्यायालय के पास में एक लक्ष्मीकान्त बजाज पहुंच गये और लक्ष्मीकान्त बजाज ने अपनी रिट में यह कह दिया कि साहब, इस पर निर्णय करो कि यह जितना भी 15 फीट के अन्दर-अन्दर जो अतिक्रमण है या जो कुछ भी है, इसको सबको हटाओ। उस पर उसकी पालना नहीं हुई है। पालना नहीं होने पर एक बृजमोहन जांगिड़ के द्वारा फिर दोबारा अवमानना की एक रिट उच्च न्यायालय में लगा दी गयी। उसमें दो बातें थीं, एक तो चौमूं हाउस के आस-पास का जो अतिक्रमण था, एक तो उन्होंने उसके लिए लिखा और दूसरा परकोटे के लिए लिखा। उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने 28.10.2010 को यह पारित किया कि कलेक्टर और आयुक्त, नगर निगम के निर्देश में यह एक कमेटी बना दी जाती है। उस कमेटी में उच्च न्यायालय ने डिविजनल कमिश्नर को रखा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

सुपरिन्टेंडेंट आफ पुलिस (नोर्थ) सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस (ट्रैफिक) चीफ एग्जिक्यूटिव आफिसर, म्यूनिसिपल कारपोरेशन, डायरेक्टर आर्कियोलोजिकल एण्ड म्यूजियम, जयपुर, कन्विनर आफ इन्टेक, विमल चौधरी, एडवोकेट और विरेन्द्र डांगी और ऐसे करते-करते उन्होंने 11.02.2015 को एक जजमेंट पेश किया और उन्होंने जजमेंट में लिखा कि इसमें इसी के अलावा उन्होंने जजमेंट में सात-आठ पाइंट लिखे कि आपको यह-यह काम करने पड़ेंगे। उसमें परकोटे के पुनर्निर्माण में दो वाल्यूम इस कमेटी के द्वारा जो वहां पर पेश किये गये, उसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कह दिया कि अधिवक्ताओं के विचार भी इसमें शामिल कर लिये जाएं, नम्बर एक।

नम्बर दो, उन्होंने कह दिया कि परकोटे के पांच किलोमीटर की परिधि पर सभी प्रकार के निर्माणों पर रोक लगा दी जाए। निर्माण का मतलब, नये निर्माण पर।

तीसरा, उन्होंने दे दिया कि पांच किलोमीटर के अन्दर-अन्दर निर्माण अनुमति प्रदान नहीं करेगा। परिधि में कर दी जाए और दूसरा यह लिख दिया कि टोटल ही कर दिये जाएं और चौथे में लिख दिया कि परकोटे व उसके दोनों तरफ पांच किलोमीटर के अतिक्रमण की पहचान कर चार सप्ताह में यह रिपोर्ट करें। उन्होंने चार सप्ताह में रिपोर्ट मांग ली कि कौन-कौनसे अतिक्रमण हैं।

नगर निगम न्यायालय को चिन्हित अतिक्रमणों को नोटिस देगा और नोटिस की सूचना वो सारा का सारा उच्च न्यायालय को देगा तो उसमें करीब 1868 जो अतिक्रमण थे, उनकी सूची माननीय न्यायालय में पेश कर दी गयी।

छठा पाइंट था कि परकोटे की सुरक्षा व संरक्षण के लिए स्पेशल सेल गठित किया जाए, तो जो स्पेशल सेल गठित हुआ उसके लिए उन्होंने कह दिया कि यह स्पेशल सेल जो कुछ करेगा उसकी भी सूचना उच्च न्यायालय को दे दी जाए।

अब उसके बाद में आता यह आखिरी पाइंट, जिसमें उन्होंने लिखा कि जयपुर के नागरिक, सारे नागरिक, परकोटे के पांच किलोमीटर की परिधि में अतिक्रमण व अवैध निर्माण की सूचना परकोटे का जो सेल बना है, उसको देंगे और इसका निरीक्षण कर न्यायालय और अभियोजन, न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ताकि इन लोगों को दंडित किया जा सके, अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जा सके।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

इसके बाद 2015 में उन्होंने फाइनल आर्डर दे दिया। 2010 के बाद यह फाइनल आर्डर दे दिया। फाइनल आदेश यह दे दिया कि 11.02.2015 को दिया, इसकी पालना की जाए और 15.05.2015 से अवैध निर्माण को ध्वस्त करने और पूर्ण रूप से ध्वस्त किये जाने की अनुपालना जारी रखने के निर्देश दे दिये गये। उन्होंने फाइनल आर्डर यह कर दिया।

इसके बाद 11.02.2015 और 21.04.2015 में नगर निगम, जयपुर के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक एसएलपी दायर कर दी। एसएलपी दायर कर दी, वो एसएलपी की सुनवाई हो गयी। सुनवाई होकर के वो एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। खारिज करते वक्त अटार्नी जनरल आफ गवर्नमेंट आफ इंडिया, उन्होंने यह निवेदन किया कि हुजूर, आप यह तो देखो, इसमें तो नगर निगम के द्वारा जो सक्षम अधिकारी थे उन्होंने जमीनें बेच दीं 15 फीट के अन्दर-अन्दर, यह किस तरीके से होगा? तो उसके सारे आर्ग्यूमेंट सुन करके सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि ठीक है फिर आप इस बात को उच्च न्यायालय में ले जाओ। उच्च न्यायालय में चले गये और उच्च न्यायालय के द्वारा फिर 22.02.2016 को यह पारित कर दिया, नगर निगम ने इसी बीच में उसको रेगुलराइज करने के लिए, 15 फीट के अन्दर-अन्दर जो निर्माण हुए और जो अतिक्रमण हुए उनको रेगुलराइज करने के लिए एक प्रस्ताव बना लिया। वो प्रस्ताव उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया। उच्च न्यायालय उस पर नाराज हो गया, कहा कि तुम प्रस्ताव बनाने वाले कौन होते हो, तुम रोकने वाले कौन होते हो? कुछ नहीं, यह बात मानी नहीं जाएगी और इस तरीके से कुल मिलाकर के 22.09.2016 को उन्होंने फाइनल आर्डर कर दिया कि इस-इस तरीके से सारे अतिक्रमण हटेंगे। तुम्हारा प्रस्ताव खारिज किया जाता है। उस बात को लेकर के नगर निगम राज्य सरकार के पास गया। राज्य सरकार और नगर निगम ने दोनों ने आपस में तय कर लिया कि दोनों एसएलपी कर दो उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में एसएलपी कर दी। उच्च न्यायालय ने सुन करके स्टेट्स-को का स्टे दे दिया, जो आज तक विद्यमान है। कुल-मिलाकर बात यह है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अब आप इससे ज्यादा नहीं। अगला प्रश्न। श्री नारायण बेनीवाल। (व्यवधान) माननीय सदस्य, हो गया। कोर्ट में स्टे है, अब क्या आदेश करेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, नहीं वो सही है।

श्री अध्यक्ष: Please, I'll not allow it. अगला प्रश्न। श्री नारायण बेनीवाल। I'll not allow it....(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मंशा नहीं है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंशा नहीं है, please, don't put this word in your mouth. I'll not allow it. सीनियर आदमी हो और बैठे-बैठे कमेंट कर रहे हो ...(व्यवधान) कटारिया जी, I'll not allow it. यह इस तरह की परम्परा को मैं सहन नहीं करूंगा। एक सीनियर लीडर अध्यक्ष को बैठा-बैठा कमेंट करे, I'll not allow it.

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: I'll not allow it. I'll name you. I'll not give this privilege to you.

नागौर में फसल बीमा योजना से वंचित कृषकों के प्रकरण

429. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या फसल बीमा योजना में वर्ष 2019-20 व 2020-21 में किसानों के भू-अभिलेख निरीक्षक सर्किल व पटवार सर्किल बीमा पोर्टल पर गलत दर्ज होने से वंचित कृषकों के निस्तारण के सम्बन्ध में कोई कमेटी गठित की गई है? यदि हां, तो जिला नागौर के कितने प्रकरणों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं उनमें से कितनों का निस्तारण कर दिया व कितने प्रकरण शेष हैं? शेष प्रकरणों की कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त शेष प्रकरणों में हुए विलम्ब के लिए दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध क्या -क्या? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) भारत सरकार द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत समस्या/त्रुटि/गलतियों/चूक हो जाने के

(कृषि मंत्री)

कारण अतिरिक्त बीमा दावों के सृजन के निस्तारण हेतु समिति गठित की गई है। ऐसे प्रकरणों को उक्त कमेटी के समक्ष रखे जाने हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिये विभाग द्वारा दिनांक 17.09.2020, 05.02.2021, 06.04.2021, 19.05.2021 एवं 03.08.2021 को पत्र लिखे गए एवं एसएलबीसी द्वारा दिनांक 03.03.2021 एवं 15.06.2021 को कृषि से संबंधित योजनाओं की उप समिति की आयोजित बैठक में भी विभाग द्वारा प्रकरण रखा गया। उपरोक्त पत्राचार की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं। परन्तु एसएलबीसी द्वारा संबंधित वित्तीय संस्थान की टिप्पणी सहित ठोस प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से नागौर जिले के लिये खरीफ 2019 में 136 तथा खरीफ 2020 में 142 प्रकरण बाबत दिनांक 08.09.2021 को सूचित किया गया है। इस प्रकार कुल 278 प्रकरण लम्बित हैं, जिसकी विस्तृत सूचना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से अपेक्षित है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से ठोस प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत उनका परीक्षण कर प्रस्ताव राज्य सरकार की टिप्पणी सहित भारत सरकार को समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखे जायेंगे।

(2) चूंकि प्रकरण विभाग में निर्धारित प्रपत्र में एवं अभिशंषा सहित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः विभागीय स्तर पर किसी का दोष नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर विभाग की तरफ से दिया है, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि पोर्टल पर जो गलत प्रविष्ठियों का अंकन हो गया, उसमें संशोधन का राज्य स्तर पर कोई प्रावधान है? क्या किसी उप समिति का गठन किया गया है? यदि किया गया है तो इसकी बैठकें कब-कब हुईं और उस उप समिति ने क्या-क्या सिफारिशें कीं? मेरा पहला प्रश्न यह है।

दूसरा प्रश्न यह है कि आपने जवाब दिया कि पोर्टल पर राज्य स्तर पर कोई संशोधन कर ही नहीं सकते। यह 17.06.2021 को आयुक्त, कृषि ने मैंने जो पत्र लिखा था उसके प्रत्युत्तर में लिखा कि अधिसूचित फसलों के लिए 7 दिवस में बीमा क्लेम संबंधित कृषकों के खाते में हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित करें। यह इन्होंने आदेश दिया। जब हम इसके अन्दर कुछ कर ही

(श्री नारायण बेनीवाल)

नहीं सकते तो अभी कल ही संगोष्ठी इतनी बड़ी हुई कि जन आकांक्षाएं, जन आकांक्षाएं तो ऐसी ही बढ़ गईं। यह अख़बार में छप गया। अब लोग मेरे घर पर आकर के बैठ गए कि इसका मतलब आप नहीं कर रहे हो। हमारे इसके अन्दर लीगल इश्यु क्या हैं? इसके अन्दर हम ठोस क्या कर सकते हैं?

तीसरा प्रश्न इसमें मेरा यह है कि उपभोक्ता न्यायालयों के अन्दर किसान जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? यदि इनको उचित मुआवजा नहीं मिल पाया तो यह न्यायालय में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि माननीय सदस्य ने जिस पत्र का हवाला दिया है, वह मेरे पास भी है। यह बात भी सही है कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पोर्टल को हम नहीं खोल सकते। यह गलतियां पूरे प्रदेश में हो रही हैं। यह केवल यहीं की नहीं है। कई बार हमारे पास पूरे राजस्थान से शिकायतें आती हैं। पोर्टल पर जो बैंक डाटा एंट्री करता है, उसमें कहीं खसरा गलत है, कहीं किसान का नाम गलत है, कहीं गांव का नाम गलत है। यह समस्याएं जब पेमेंट किसान को होता है तब आती हैं। गांवों से लगातार यह शिकायतें मिलती आ रही हैं। हमने भारत सरकार को लगातार पत्र भी लिखे हैं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैठते हैं, वह उस बात को देखते भी हैं और सुनते भी हैं। हजारों प्रकरणों का निस्तारण भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किया भी गया है। नागौर का जो यह प्रकरण है, इसको मैंने गम्भीरता से लेकर के दिखाया है। इसमें विभिन्न बैंक जो नागौर के हैं, यह खरीफ 2019 में एचडीएफसी बैंक वहां कार्य कर रही थी और 2020 में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने काम किया। इनकी जो डाटा एंट्री हैं, उसमें विसंगतियां हैं। जब माननीय सदस्य ने सम्पर्क किया, पत्राचार किया तो हमने उनको पत्र लिखा। उन्होंने एक लिस्ट हमें भेजी जो मेरे कार्यालय में मौजूद है। उसको हमने चैक कराया तो वह डाटा एंट्री भी ठीक नहीं थी। उसमें केवल एक कोड नंबर दे रखा है। उसमें न गांव का पता है, न किसान का पता है और न उम्र का पता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मैंने एक कमेटी बनाई

(श्री लालचन्द कटारिया)

है। उसमें हमारे विभाग के 3 सदस्य हैं। 15 दिन के अन्दर वह नागौर का तो करेगी ही करेगी, उसके बाद आने वाले समय में पूरे राजस्थान के जिलों की जो शिकायते हैं, उसका निस्तारण वह कमेटी करेगी। यह जो डाटा गलत इंद्राज हो रहे हैं, बैंकों से सम्पर्क करके, कंपनियों से सम्पर्क करके जो इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही हैं, उन सबके साथ बैठकर, मीटिंग करके लगातार हम इसको ठीक करवा रहे हैं। नागौर का जो प्रकरण आपने लिया है, उसका 15 दिन में निस्तारण करके भारत सरकार को भेजेंगे। पोर्टल पर जो कमियां रही हैं उनको निश्चित रूप से भारत सरकार दूर करेगी। यह मैं आपको कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती इन्दिरा देवी।

मेड़ता में बालिका महाविद्‌यालय की स्थापना

430. श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की राजकीय व निजी स्कूलों से विगत तीन वर्षों में कितनी छात्राओं द्‌वारा सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण की गई है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में राजकीय बालिका महाविद्‌यालय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेड़ता में राजकीय बालिका महाविद्‌यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में पिछले तीन वर्षों में राजकीय एवं गैर राजकीय विद्‌यालयों में कक्षा 12 में उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	**उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं की संख्या**
2018-19	1649
2019-20	1813
2020-21	1922

(2) वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा संख्या 48 की अनुपालना में विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में राजकीय कन्या महाविद्‌यालय खोले जाने हेतु

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

दिनांक 09.06.2021 को स्वीकृति जारी कर दी गयी है, जिसकी प्रति परिशिष्ट -1 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कालेज खुल गया। अब क्या है?

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): मंत्री जी को और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। जल्दी ही उनका निर्माण होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न। श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

अभयारण्यों में कार्यरत कर्मचारियों को देय विशेष पैकेज

431. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग के अभयारण्य व टाइगर रिजर्व में जो कर्मचारी व रेंजर कार्यरत हैं उनको प्राप्त वेतन व सुविधा वही है जो अन्य वन कर्मचारियों व रेंजर को प्राप्त होती है?

(2) क्या यह भी सही है कि अभयारण्यों व टाइगर रिजर्व में कार्य करना व रहना कठिन होने के कारण कोई भी वनकर्मी अपनी इच्छा से वहां रहना नहीं चाहता है व नई भर्ती होने पर भी मुकन्दरा टाइगर रिजर्व से 2 साल पूरे होने पर गार्डों ने अपने स्थानान्तरण अन्य स्थान पर करवा लिए हैं? यदि हां, तो कितने गार्ड की भर्ती हुई थी व वहां अब कितने गार्ड कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) मुकन्दरा टाइगर रिजर्व व अन्य अभयारण्यों में कुल कितने पद रिक्त हैं व वन्यजीव अभयारण्यों के रिक्त पद भरने के लिए कोई विशेष पैकेज देने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जी हां। अभयारण्य व टाइगर रिजर्व में जो कर्मचारी व रेंजर कार्यरत हैं, उनको वहीं सुविधा प्राप्त है, जो अन्य वन कर्मचारियों व रेंजर को प्राप्त होती है। बाघ परियोजनाओं के अधीन अधिकारी/कर्मचारियों को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार उनके द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना में परियोजना भत्ता मद में स्वीकृत राशि से परियोजना भत्ते का भुगतान प्रति

(राज्य मंत्री, वन)

माह किया जाता है। बाघ परियोजनाओं में कार्यरत फ्रन्ट लाइन फील्ड में तैनात स्टाफ यथा वनपाल/सहायक वनपाल/वाहन चालक/वनरक्षक कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 06.06.2014 के अनुरूप राशि रुपये 860/- प्रति माह की दर से राशन भत्ते का भुगतान किया जाता है।

(2). विगत अनुभवों से यह सही है कि अभयारण्यों व टाइगर रिजर्व में दूर दराज के नाकों में अति अल्प संसाधनों में रहना व कार्य करना कठिन होने के कारण कोई भी वन कर्मी अपनी इच्छा से वहां रहना नहीं चाहता है। नई भर्ती होने पर भी 2 साल पूरे होने पर गार्डों ने अपने स्थानान्तरण अन्य स्थान पर करवा लिये हैं। वर्ष 2013-14 में कुल 22 वनकर्मियों की भर्ती हुई जिनमें से 9 वर्तमान में कार्यरत हैं तथा वर्ष 2015-16 में 62 वनकर्मियों की भर्ती हुई जिनमें से वर्तमान में 40 वनकर्मी ही कार्यरत हैं। अत: वर्तमान में मुकन्दरा टाइगर रिजर्व में कुल 49 वनकर्मी कार्यरत हैं।

(3). मुकन्दरा टाइगर रिजर्व व वन्यजीव सम्भाग में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर प्रदान किया है, उसमें खण्ड 2 में इन्होंने उस बात को स्वीकारा है जो मैंने इनसे प्रश्न किया था। मैं आपके माध्यम से इनसे यह जानना चाहूंगा कि जब आप यह मानते हैं कि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज में काम करना कठिन होता है और इनको वेतन वही दिया जाता है जो अन्य वन्य कर्मियों को मिलता है तो मुकुन्दरा टाइगर रिजर्व में आपने 84 वन कर्मी भर्ती करे और गत 2 साल में 35 वन कर्मियों ने अपना ट्रांसफर करवा लिया। इस प्रकार 89 स्वीकृत पद वहां रिक्त हैं। क्या इसे रोकने हेतु वाइल्ड लाइफ के कर्मचारियों को पुलिस के एसीबी विभाग में जैसे 30 परसेंट हार्ड ड्यूटी अलाउंस देने की व्यवस्था है, क्या विभाग उस प्रकार का विचार करेगा?

जो हम वन विभाग में भर्ती करते हैं, उसमें जो 2 साल का समय आपने निर्धारित किया है, उसके बाद वह ट्रांसफर करवा लेते हैं और फिर वही की वही स्थिति हो जाती है। क्या आप उसको 2 साल से बढ़ाकर के 7 साल का समय करेंगे ताकि वन कर्मी वहीं रहें। अगर वह ट्रांसफर कराते हैं तो उनको वह सीनियोरिटी नहीं मिले। इसके बारे में आपका क्या कहना है?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, बाघ परियोजना में 2 तरह के भत्ते दिए जाते हैं। एक परियोजना भत्ता है। जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनको 400 रुपये हैं, सीनियर वेटेरिनरी आफिसर को 1300 रुपये हैं। वन रक्षक को 700 रुपये हैं। वनपाल को 900 रुपये हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी को 1000 हैं। सहायक वन संरक्षक को 1300 रुपये हैं। उप वन संरक्षक व उप वन क्षेत्रीय निदेशक को 1500 रुपये हैं और मुख्य वन संरक्षक को व क्षेत्रीय वन निदेशक को 2000 रुपये हैं। साथ ही जो हमारे फ्रंट लाइन में तैनात कर्मचारी हैं उनको 860 रुपये प्रति माह राशन भत्ता भी मिलता है। इस तरह 2 तरह के भत्ते मिलते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह है कि वाइल्ड लाइफ में जितने भी कर्मचारी तैनात हैं पिछले 2 साल से किसी की बदली नहीं की। अब सरकार ने फोरेस्ट में भर्ती के लिए करीब 87 वनपाल, 104 वन रक्षक और 99 सहायक वनपाल और 105 रेंजर प्रथम, इनका तो एग्जाम हो चुका है रेंजर प्रथम का और इनका जनवरी के अन्दर। जल्दी ही कर्मचारी चयन आयोग से इनकी भर्ती करने के बाद में पाबंद करेंगे कि 2 साल तक वह वहीं रहेंगे। उसके बाद में जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं 7 साल का, 7 साल का नहीं कर सकते हैं। दो साल के बाद में और कोई व्यवस्था करेंगे क्योंकि अभी भी जो होम गार्ड के लोग तैनात हैं निश्चित रूप से इस वर्ष में उनकी पूरी भर्ती हो जाएगी।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वन मंत्री से जानना चाहूंगा कि सरकार ने टाइगर रिजर्व बनाए हैं, टाइगर रिजर्व में इन्होंने खुद प्रश्न का उत्तर दिया है कि 90 पद रिक्त हैं तो इन टाइगर रिजर्व में आप कैसे टाइगर छोड़ने की कल्पना भी कर सकते हैं क्योंकि अभी उस टाइगर रिजर्व में एक टाइगर लापता है, अवैध शिकार हो रहे हैं, इस दृष्टि से जो आप भर्ती करेंगे तो उनको स्थायी रखने के लिए समय की, हार्ड अलाउंस देने की योजना है? जैसे एसीबी में हार्ड अलाउंस दिया जाता है पुलिस में, उस प्रकार की व्यवस्था करेंगे क्या? नहीं करेंगे तो फिर टाइगर रिजर्व में कैसे टाइगर रखेंगे आप?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीनों सैंक्चुरियों में पिछले दो साल से कोई शिकार की घटना घटित नहीं हुई है और जहां तक रिक्त पदों का सवाल है इनकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है 1041 कर्मचारियों की।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उनका सीधा प्रश्न यह है कि हार्ड ड्यूटी अलाउंस के सम्बन्ध में आप विचार कर रहे हैं या नहीं?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): विचार करेंगे उस पर। दो तरह के अलाउंस दिए जा रहे हैं। उस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बाबु लाल।

सूचना सहायकों के पद पर अनुसूचित जनजाति के बैकलाग

432. श्री बाबु लाल (झाडोल): क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2013 में सूचना सहायक के पदों हेतु भर्ती की गई थी? यदि हां, तो कितने पदों हेतु विज्ञप्ति जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2013 में सूचना सहायक के पदों की भर्ती हेतु अनुसूचित जनजाति के 184 पद आरक्षित थे? यदि हां, तो कितने अभ्यर्थी पात्र पाये गये और कितने अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अनुसूचित जनजाति के बैकलाग पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर उन्हें नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): (1) जी हां। विभाग द्वारा वर्ष 2013 में सूचना सहायक के कुल 4829 पदों हेतु भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई थी।

(2) सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2013 में अनुसूचित जनजाति (ST) के कुल 741 पद थे, जिनमें से 185 पद अनुसूचित क्षेत्र (TSP) के एवं 556 पद गैर-अनुसूचित क्षेत्र (NTSP) के थे। अनुसूचित क्षेत्र (TSP) में 28 पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई एवं गैर-अनुसूचित क्षेत्र (NTSP) के 258 पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई।

(3) कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 07.06.2010, 01.07.2015 एव 24.02.2020 द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में विभाग की आगामी भर्तियों में अनुसूचित जनजाति के बैकलाग को शामिल कर भर्ती प्रक्रिया संपादित की जावेगी।

श्री बाबु लाल (झाडोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैं जानना चाहूंगा कि कुल भर्ती आपने निकाली 4829 पदों के लिए, उसमें से एसटी के कुल थे 741 और टीएसपी के थे 185, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन 4839 में से कितने व्यक्ति टीएसपी के पात्र पाये गये? दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि जिस प्रकार से टीएसपी क्षेत्र के लिए 45 प्रतिशत आरक्षण है जनजाति क्षेत्र का तो इसमें जो 741 पद थे उसमें से गणना की प्रक्रिया क्या अपनाई गई? तीसरा सवाल यह है कि उस भर्ती प्रक्रिया में जो आये थे उनमें केवल 28 ही थे या और भी थे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): ऐसा है कि जो पात्रता रखी हुई थी उसमें 28 आदमियों को ही नियुक्ति दी गई है। नोन टीएसपी में 258 व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई और बाकी जो बैकलाग था उसमें टीएसपी क्षेत्र में 157 और नोन टीएसपी में 298 का बैकलाग था, जब नई भर्ती करेंगे तो जो रिक्तियां हैं उनमें इस बैकलाग को जोड़कर भर्ती किया जाएगा।

श्री बाबु लाल (झाडोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह नहीं था। मेरा यह था कि यह जो भर्ती निकाली थी उसमें जनजाति क्षेत्र के कितने पात्र व्यक्ति थे? वह बताओ तो पता लगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): पात्र का ही तो बताया है मैंने।

श्री बाबु लाल (झाडोल): नहीं, पात्र कितने थे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उनके कहने का मतलब यह है कि 4829 की आपने भर्ती निकाली, उसमें 741 आदमी पात्र थे, जगह थी, उसमें से कितने पात्र व्यक्ति आपके पास एप्लीकेंट थे? यह पूछ रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि एससी क्षेत्र में 185 वेकेंसी थीं और नोन टीएसपी में 556 वेकेंसी थीं, उसमें पात्र केवल 28 ही थे।

श्री अध्यक्ष: 28 के अलावा कोई पात्र नहीं था?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): हां, उसमें कोई पात्र नहीं था तभी तो सलेक्ट नहीं हुए। पात्र व्यक्ति 28 थे और नोन टीएसपी में 258 पात्र थे। जो बैकलाग है, आप जानते हैं कि बैकलाग कभी खतम नहीं होता है इनका, वह आगे नई भर्ती करेंगे तब देखेंगे।

श्री अध्यक्ष: 2013 के बाद सूचना सहायक की भर्ती हुई नहीं?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): हां।

श्री अध्यक्ष: यह मतलब हुआ सीधा-सा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): बिलकुल।

श्री अध्यक्ष: बाबु लालजी। (व्यवधान) कटारिया साहब, एक मिनट, बाबु लालजी बोल रहे हैं।

श्री बाबु लाल (झाडोल): मैं यह जानना चाह रहा था कि ये जो 741 पदों में से केवल जनजाति के लिए पात्र व्यक्ति थे 185 तो मैंने आपसे यह पूछा था कि ये जो 45 प्रतिशत का आरक्षण था, उसमें गणना की प्रक्रिया क्या रखी थी, यह बतायें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): गणना की प्रक्रिया तो जैसे न्यूनतम क्वालीफिकेशन जो थी।

श्री बाबु लाल (झाडोल): नहीं।

श्री अध्यक्ष: नम्बर जो 741 पर आप पहुंचे, उसका क्या आधार था, यह पूछ रहे हैं। (व्यवधान) 4829 पदों में से टीएसपी के आपने 741 पद चिन्हित किए, उसका क्या क्राइटेरिया था?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): 4829 पद हमने विज्ञापित किए थे, उसमें जनरल कैटेगरी के 2384 थे। इसमें एससी के नोन टीएसपी क्षेत्र के 717 आदमी थे, टीएसपी के 21 आदमी...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, यह नहीं पूछ रहे हैं। उनका कहने का है कि 4829 टोटल पद थे, उसमें टीएसपी के आप कह रहे हो कि 741 पद थे और 185 पद थे इनमें से इनके, यह 741 की गणना की, उसका आधार क्या था?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आधार तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें टीएसपी क्षेत्र में 50 प्रतिशत जनरल कैटेगरी के लोगों का रिजर्वेशन होता है। 45 परसेंट एसटी और 5 परसेंट एससी के लोगों का रिजर्वेशन होता है।

श्री अध्यक्ष: 4829 का 45 परसेंट 741 है? मतलब प्रश्न यह है कि जब टीएसपी इलाके में 45 परसेंट सीट रिजर्व है एसटी के लिए तो यह जो 4829 का 45 परसेंट है क्या 741?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): टोटल पोस्टें 4829 थी। उसमें आप जानते हैं कि पूरे राजस्थान की थीं उसमें 16-12-21 परसेंट, 16 परसेंट

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

होती हैं एससी की और 12 परसेंट होती हैं एसटी की, 21 परसेंट ओबीसी की और उसमें भी खास तौर से रिजर्वेशन है उसमें फिर एसटी एरिया आता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, टीएसपी एरिया है और सिरोही और उदयपुर का कुछ हिस्सा, तो उसके अनुपात में जो पोस्टें आई थीं, पोस्टें तो खूब थीं, पात्र व्यक्ति बहुत कम थे। जिलेवार पदों की संख्या स्वीकृत होती है उसके अनुसार ही टीएसपी के पदों की संख्या तय की गई थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, एक तो तरीका यह है कि हमने पूरे स्टेट का 16 परसेंट रखा, एक तो यह पार्ट है। दो तरीके हैं और टीएसपी का उसके अन्दर 45 परसेंट रिजर्व है। सरकार का जो नियम है, वह यह है कि टोटल पापुलेशन जो आप बता रहे हो, 16 परसेंट एससी की है, 16 परसेंट है तो 4829 का 16 परसेंट होना चाहिए, फिर उस 16 परसेंट के अन्दर 45 परसेंट एसटी का होना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार का जो नियम है वह यह है। क्या इसकी पालना हुई? दैट्सआल।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): बिलकुल पालना हुई है। उसमें जिलेवाइज जितनी संख्या थी टीएसपी एरिया की, उसके अनुसार बल्कि जो पद थे उसमें भी लोग नहीं आए। कमती-बेशी पदों का कोई प्रश्न नहीं है माननीय सदस्य, यहां तो पात्र व्यक्ति ही कम थे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, पात्र और अपात्र का सवाल नहीं है, यह अलग इश्यु है। आपने जो आइडेंटीफिकेशन किया वह पूछ रहे हैं। पात्र थे या नहीं थे, वह अलग बात है। जो 4829 पद थे उन पदों में सरकार ने नियम बना रखा है कि स्टेट की जो पापुलेशन है एसटी की, उतने पद रिजर्व करेंगे। उतने पद रिजर्व करने के बाद टीएसपी इलाके में 45 परसेंट उनके लिए रिजर्व करेंगे। इसकी पालना हुई कि नहीं हुई? बता दो, दैट्सआल।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): उसकी पूरी पालना हुई है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि इसको थोड़ासा आप गहराई से समझें। टीएसपी एरिया के लिए 741 पद जो भी है आपने जिस गणना से किया हो, कर दिया। यह जो टीएसपी के 741 पद हैं उसमें से 45 परसेंट यहां ट्राइबल का आरक्षण है और अगर 45 परसेंट से इसको निकालेंगे तो लगभग 350 के आसपास यह पद बनते हैं, उसकी जगह आपने 185 पद कैसे बनाये, इतना जानना चाहते हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): मैंने आपको बताया कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और उदयपुर का कुछ हिस्सा, ट्राइबल सब प्लान एरिया में आता है। उनमें एक तरह से पद बनते हैं, उन पदों के आधार पर ये पद निर्धारित किये गये थे। इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि आदमी पात्र पाये ही नहीं गये क्योंकि आईटी सैक्टर में अभी ट्राइबल एरिया के लोगों को आगे आना है। उनके बैकलाग रख लिये गये हैं। उनके हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी और जब भी नैक्स्ट भर्ती होगी, उस समय उन्हें लिया जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा इससे विरोध नहीं है। मैं तो केवल जो कैलकुलेशन होनी चाहिए, उसकी बात कर रहा हूं। पात्र मिले, नहीं मिले, यह बाद की स्थिति है, लेकिन जब आपने 741 पद शिड्यूल्ड एरिया के लिए, ट्राइबल एरिया के लिए जब मुकर्रर कर दिये तो ट्राइबल एरिया में से 45 परसेंट आरक्षण होता है ट्राइबल का, 5 परसेंट होता है शिड्यूल्ड कास्ट का तो यह जो 185 की गिनती आपने की, इसका आधार क्या था?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): देखिए, जो टीएसपी क्षेत्र में 185 पद बनते थे, उसमें से 50 परसेंट तो जनरल को चले गये...

श्री अध्यक्ष: कल्ला साहब, ये पूछ रहे हैं, 185 कैसे बन रहे हैं, वह क्राइटेरिया पूछ रहे हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वे तो जो पद रिक्त थे, उसके अनुसार लिये गये थे।

श्री अध्यक्ष: चलिए, अगला प्रश्न। श्री फूल सिंह मीणा।

जावला ग्राम पंचायत (उदयपुर) में पेयजल समस्या

433. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में ग्राम पंचायत जावला में पडलीवाला नाका में मवेशियों के पीने हेतु पानी व पेयजल की भारी समस्या है? यदि हां तो उक्त क्षेत्र में एनीकट निर्माण की क्या कोई योजना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायत जावला में सम्मिलित 2 ग्राम क्रमश:

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जावला एवं नला हैण्डपम्प जल योजना से वर्तमान में लाभान्वित हैं तथा इन ग्रामों की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या क्रमश: 2591 एवं 523 है।

ग्राम जावला एवं नला में पर्याप्त रूप से स्थापित एवं क्रियाशील क्रमश: 90 एवं 22 हैण्डपम्पों से वर्तमान में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्राम जावला स्थित बड़लीवाला नाका स्थल पर जल संसाधन विभाग द्वारा एनीकट निर्माण की कोई योजना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, जावला एक ऐसी पंचायत है, पहाड़ी एरिया है और वहां पर हैण्डपम्प भी फरवरी महीने के बाद में सांसें गिनने लग जाता है और मार्च-अप्रैल में पानी बिलकुल सूख जाता है। यह जो एनीकट की मांग है, वहां पर जंगली जानवर भी हैं और मवेशियों के लिए मैंने पूछा, मवेशियों का आपने कोई ब्यौरा नहीं दिया। मवेशियों को पानी पिलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्या आने वाले वर्ष में यह एनीकट बनवाने की सरकार की इच्छा है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जावला की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 2196 है, पशुओं की संख्या 4106 है और नला की जनसंख्या जो है, वह 2593 है। एनीकट पीएचईडी नहीं बनाता, जल संसाधन विभाग बनाता है। उनसे हमने जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने कहा, वर्तमान में कोई प्रस्ताव वहां पर एनीकट बनाने का नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कल्ला साहब, आप इनकी भावना को समझें। कलेक्टर को निर्देश दें, नरेगा के अन्दर यह बन सकता है। नरेगा में 40 परसेंट मैटेरियल कम्पोनेंट का पैसा होता है, नरेगा में पूरे डिस्ट्रिक्ट का 40 परसेंट मैटेरियल कम्पोनेंट से एनीकट बन सकता है, इसलिए आपका विभाग कलेक्टर महोदय को निर्देश करे कि वहां पर एक एनीकट का निर्माण करे। इससे दोनों समस्याओं का निदान हो जाएगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपके दिये गये निर्देशानुसार मैं सम्बन्धित कलेक्टर से यह कहूंगा कि यदि एनीकट बन सकता है तो बनाने का प्रयास करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: काम की बात हो गयी है, आप बैठें। अगला प्रश्न। डा. राजकुमार शर्मा।

जयपुर में सचिवालय नगर विस्तार योजना का नियमन

434. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति की सचिवालय नगर व सचिवालय नगर विस्तार योजना का नियमन प्रकरण विचाराधीन है? यदि हां तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में सरकार ने उक्त योजना के नियमन हेतु क्या प्रयास किये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना के नियमन के लिए भूखण्डधारियों से कागजात आदि भी जमा किये गये हैं? यदि हां तो कागजात जमा करने के पश्चात् क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त योजना के नियमन का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों?

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सचिवालय नगर का वर्ष 2003 में नियमन शिविर आयोजित किया जा चुका है। सचिवालय नगर विस्तार योजना का नियमन वर्ष 2005 से विभिन्न कारणों से विचाराधीन है।

(2) उक्त सचिवालय नगर विस्तार योजना की भूमि के नियमन के सम्बन्ध में विभिन्न कारणों से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

(3) मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर की योजना सचिवालय नगर विस्तार के सम्बन्ध में सोसाइटी द्वारा कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया, अपितु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26.07.2010 को और 02.08.2010 को शिविर आयोजित कर भूखण्डधारियों से व्यक्तिशः दस्तावेज प्राप्त किये गये हैं। उक्त के पश्चात् नियमन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(4) जी हां। योजना से सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयों में लम्बित न्यायिक प्रकरणों के निर्णयों का अध्ययन कर योजना के नियमन के सम्बन्ध में विचार कर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने विभिन्न कारण बताये हैं। एक तो कृपा करके उन्हें स्पष्ट करें। दूसरा, सैक्टर रोड जेडीए ने वहां डाल दी और जब सैक्टर रोड डाल दी तो 2000 के लगभग जो भूखण्डधारी हैं, वे दर-दर भटक रहे हैं। उनमें किसान भी हैं। सोसाइटी वाले तो काटकर वहां से रवाना हो गये। मेरा सीधा-सा सवाल है कि जो सैक्टर रोड्स निकाल दीं, उनका मुआवजा उन्हें कब तक मिलेगा और ये जो विभिन्न कारण हैं, उन्हें समाप्त करके जो 2000 से प्लस भूखण्डधारी हैं, कृपा करके उन्हें मुख्य मंत्री जी का, अपनी सरकार का जो अभियान है, उसमें शामिल किया जाए। यह मेरी प्रार्थना है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह काफी लम्बी स्टोरी है। पांच ग्रामों की 92.236 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अब इसमें सचिवालय नगर 17.06.1999 से पूर्व प्रस्तुत 1722 जो सोसाइटीज ने अपने दस्तावेज जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा कराये थे, उनमें यह भी एक है। 1999 में सचिवालय नगर विस्तार का रिकार्ड भी प्राप्त हो गया और मुद्रित भी हो गयी वह किताब बन गयी बाकायदा कि इस सोसाइटी में किन-किन आदमियों के नाम हैं। इसके बाद 1999 के बाद में 25.83 हैक्टेयर में, मतलब 92.236 हैक्टेयर में से 25.83 हैक्टेयर की कुल जो सम्परिवर्तन में 90-बी के निर्णय के अनुसार 2003 से किया जा करके सचिवालय नगर का अनुमोदन शिविर वर्ष 2003 में आयोजित हो चुका है। 740 इसके सदस्य थे, जिसमें से 663 आदमियों को पट्टे दिये जा चुके हैं, बाकी इन्एलीजिबल थे।

इसके साथ-साथ 90-बी के बाद में फिर जो है आगे बढ़ती है यह बात और बढ़ने के बाद में जो है यह बीपीसी में भी जाती है, नगर विस्तार में जाती है। यह तो हुआ सचिवालय नगर विस्तार का, इसका तो नियमन हो चुका। कोई बकाया नहीं है। जिनको नहीं मिले पट्टे, उनको पट्टे नहीं मिल सकते थे, इस वजह से नहीं हुआ। अब आपने जो पूछा है कि 2 अक्टूबर के बाद में क्या होगा, वह बाद में जवाब दे दूंगा मैं आपको।

दूसरी बात यह है कि सचिवालय नगर विस्तार के लिए जो आप कह रहे हैं कि सचिवालय नगर विस्तार की योजना के नाम से कोई योजना का रिकार्ड ही नहीं मिला, फिर भी उसके बाद 26.07.2010 को और 02.08.2010 को शिविर आयोजित किये गये जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा, जिसमें

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

सचिवालय नगर विस्तार योजना के तहत नहीं, व्यक्तिश: आ करके भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज दिये गये। उन दस्तावेजों की जांच के बाद में भी काम रुक गया।

आपने पूछा कि नियमन न होने के क्या कारण हैं। मौके की स्थिति के अनुसार 40 प्रतिशत भूमि पर कश्तकारों का कब्जा है और बाकी जो 60 प्रतिशत रहता है, उसमें से 50 प्रतिशत रिक्त पड़ी हुई है। बाकी सिर्फ 10 परसेंट पर वहां आज मकान बने हुए हैं। इसी प्रकार से न तो उसका डिमार्केशन हुआ और बल्कि एचटी की लाइन और ऊपर से निकल रही है। सैक्टर रोड के लिए आपने कहा कि सैक्टर रोड से प्रभावित हुई है, निश्चित तौर पर प्रभावित हुई है, क्योंकि योजना आपकी स्वीकृत ही नहीं हुई। उस योजना में जो है, अगर जयपुर विकास प्राधिकरण कुछ सैक्टर प्लान बनाता है, जोनल प्लान बनाता है तो उसे आप किस प्रकार से रोक सकते हैं? 20 मुकदमे इसी मामले में हैं। 20 मुकदमे काश्तकारों, भूखण्डधारियों और सोसाइटी के मध्य विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं। एक मुकदमा तो उच्च न्यायालय में भी लम्बित है। ये तो वे कारण रहे जिनकी वजह से इसका नियमन नहीं हो सका। अब सवाल यह उठता है कि इसका आगे क्या होगा तो आगे का तो मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लीजिए भूखण्ड अगर जयपुर विकास प्राधिकरण का नहीं है, सरकार का नहीं है, वह भूखण्ड किसी का भी हो, अगर उस पर निर्माण कार्य हो चुका है और रिहायश हो चुकी है तो व्यक्तिगत रूप से उसको पट्टा दे दिया जाएगा।

प्रश्न संख्या 435

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री हाकम अली खां।

राजकीय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती

436 श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में साफ-सफाई हेतु सफाईकर्मियों की कमी है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के शिक्षा विभाग में विगत वर्षों से

(श्री हाकम अली खां)

सफाईकर्मियों की भर्ती नहीं हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) प्रदेश में संचालित राजकीय विद्यालयों में साफ-सफाई हेतु सफाईकर्मियों के नाम से कोई पद सृजित नहीं है, अपितु राजकीय विद्यालयों में साफ-सफाई कार्य हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पद स्वीकृत है।

(2) जी हां। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती पर वर्तमान में वित्त विभाग द्वारा सहमति नहीं दिये जाने के कारण भर्ती किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सफाईकर्मियों के पद सृजित नहीं हैं तो स्कूलों के अन्दर जो टायलेट्स हैं उनकी सफाई कौन करेगा? स्कूलों के टायलेट्स में बहुत ज्यादा गन्दगी रहती है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उन टायलेट की सफाई नहीं करते हैं। आपने स्कूलें बहुत सारी खोल दीं और बहुत सारी स्कूलें क्रमोन्नत भी कर दीं लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती नहीं की गई है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी की वजह से भी स्कूल में जो स्टाफ है, उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो क्या सरकार इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती और सफाईकर्मियों के पद सृजित करने का विचार रखती है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि विभाग में 25859 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वीकृत हैं, लेकिन काफी समय से 18381 पद खाली हैं। विभिन्न समय में, चाहे सरकार पूर्व में भाजपा रही हो, चाहे हमारी रही हो, वित्त विभाग को बार-बार इन्होंने भी लिखा, हमने भी लिखा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के काफी पद रिक्त हैं इसलिए उनकी भर्ती की जाए। 1999 के रूल्स के मुताबिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पांचवीं पास होना चाहिए। जब यह क्वेश्चन लगा, उससे पहले भी बात की थी और कल मैंने वित्त विभाग के सचिव अखिल अरोड़ा से बात की कि जब 18 हजार पद रिक्त हैं तो हमको ये पद भरने चाहिए, ये काफी समय से मेरे विभाग की भी डिमांड है और लोगों की भी मन्शा है। उन्होंने मुझे

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आश्वस्त किया है कि इसके नियमों में कुछ संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि जो मौजूदा नियम हैं उनमें केवल साक्षात्कार है और पांचवीं क्लास पास इतने लड़के मिल जाएंगे तथा साक्षात्कार का कोई ऐसा मापदण्ड होता नहीं है कि किसको लें, किसको नहीं लें तो एलिगेशन लगने के पूरे चांसेज होते हैं। मैं समझता हूं कि इसीलिए पूर्व वाली सरकारें भी 5 साल में, 10 साल में नहीं कर पाईं। 1995-1999 के बाद में कोई भर्ती नियमों में संशोधन के बाद में नहीं हो पाई। मैं समझता हूं कि उन्होंने मुझे जो कहा है वह सदन को बताना चाहता हूं कि शीघ्र ही हम लोग, हमारा जो प्रस्ताव भेजा हुआ है, उसके ऊपर विचार करेंगे, नियमों में आवश्यक संशोधन करेंगे और उसके बाद में इनकी भर्ती करेंगे। निश्चित रूप से 2018 में यह परिपत्र निकाल रखा है कि जो सेवानिवृत्त है उसको हम ले सकते हैं, 312 के लगभग हमने लिये भी हैं लेकिन यह संख्या पर्याप्त नहीं है और शिक्षा विभाग को और सुचारु रूप से चलाने के लिए इन पदों की हमें आवश्यकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इन नियमों में जो भी यथासम्भव संशोधन हो, वह कर इनकी भर्ती की जाए। बाकी जो ये टायलेट्स की साफ-सफाई के लिए कह रहे हैं तो सफाई के लिए कम्पोजिट ग्रांट हमारे द्वारा समय-समय के ऊपर दी जाती है। माध्यमिक विद्यालय हों, चाहे प्रारम्भिक विद्यालय हों, उनमें जो कम्पोजिट ग्रांट की राशि होती है उसमें 10 प्रतिशत राशि साफ-सफाई के लिए यूज़ की जा सकती है। प्रदेश के समस्त विद्यालयों के पास में कम्पोजिट ग्रांट की पूरी की पूरी राशि है और उसमें से साफ-सफाई के लिए 10 प्रतिशत राशि की स्वीकृति का जो प्रावधान है, उसके तहत वहां पर साफ-सफाई हो रही है। यह पूरी चीज है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गणेश घोघरा।

डूंगरपुर में अभयारण्य बनाने की कार्ययोजना

437. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में विभाग के अधीन कितना क्षेत्रफल है?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में विभाग की खाली जमीन व पहाड़ियों पर वृक्षारोपण कर बाउंड्री वाल बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गणेश घोघरा)

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में जंगली जीव-जन्तुओं के लिए सैंक्चुरी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार वन क्षेत्र में कोई पट्टे जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री सुखराम विश्नोई): (1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में कार्यालय उप वन संरक्षक, डूंगरपुर अधीनस्थ 26945.88 हैक्टेयर वन भूमि है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में कार्यालय उप वन संरक्षक, डूंगरपुर द्वारा विगत 10 वर्षों में विभिन्न योजनाओं में कराये गये वृक्षारोपणों की सूची संलग्न परिशिष्ट-ए अनुसार है। भविष्य में भी बजट उपलब्धता के अनुसार क्षेत्र में नवीन वृक्षारोपण कार्य तथा खनन एवं अतिक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में दीवार निर्माण कार्य करवाये जायेंगे।

(3) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में कार्यालय उप वन संरक्षक, डूंगरपुर अधीनस्थ क्षेत्र में जंगली जीव जन्तुओं के लिए सैंक्चुरी बनाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) जी नहीं। वन क्षेत्र की भूमि पर पट्टे जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अपितु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी एवं (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम 2012 के अनुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को वनाधिकार पत्र दिये जाने के प्रावधान हैं। डूंगरपुर जिले में अब तक 4924 वनाधिकार पत्र दिये गये हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। अगला प्रश्न। श्री प्रताप सिंह।

गांवों में ग्राम रक्षक चयन की प्रक्रिया

438. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग द्वारा प्रदेश के गांवों में ग्राम रक्षक नियुक्त किये गये हैं? यदि हां, तो इनके चयन के लिए विभाग द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रताप सिंह)

(2) क्या ग्राम रक्षकों के चयन के लिए सरकार ने कोई मापदण्ड निर्धारित किये हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के कौन-कौन से थाने में किस-किस गांव में ग्राम रक्षक बनाए गए हैं? नाम व पूर्ण पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) जी हां। पुलिस विभाग द्वारा प्रदेश के गांवों में ग्राम रक्षक सूचीबद्ध किये गये हैं। इस हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कर आवेदन मांगने के पश्चात् चयन समिति की अभिशंसा पर ग्राम रक्षकों को सूचीबद्ध किया गया है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। ग्राम रक्षकों को सूचीबद्ध किये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) छबड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले थानों में सूचीबद्ध ग्राम रक्षकों की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण तथा सूची पुस्तकालय में रखे गये)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ग्राम रक्षक चयन समिति में कौन-कौन अधिकारी व जन-प्रतिनिधियों को रखा जाना प्रस्तावित था? चयन समिति की कौन-कौनसी मीटिंग में कौन-कौन सदस्य उपस्थित हुए? चयन सूची में चयन किये गये ग्राम रक्षकों के ऊपर गम्भीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं तो क्या सरकार जिन पर मुकदमे दर्ज हैं उनको हटाने का इरादा रखती है? नम्बर एक।

श्री अध्यक्ष: तीन मिलाकर नम्बर एक है तो फिर कितने हो गये? तीन प्रश्न पूछ लिये और नम्बर एक ही हुआ तो फिर कितने होंगे? अब आप विराजें। माननीय मंत्री जी।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): आप पूछने ही नहीं देते हो तो।

श्री अध्यक्ष: नहीं, डोंट ब्रेक द रूल्स। प्लीज हो गया, बैठें आप। माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पूछा गया कि चयन समिति में सदस्य कौन-कौन हैं तो उसमें एक तो पुलिस अधीक्षक है, एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

है और एक वहां का सी.ओ. है। यह तो चयन समिति का है। अब सवाल यह आता है और आपने कहा कि साहब ऐरे-गैरे आदमियों को ले लिया या क्रिमिनल्स को ले लिया, यह कर लिया, वह कर लिया तो बाकायदा उनकी पूरी जांच होने के बाद में ही जाकर लिया जाता है। मेरी बात सुनिये, पूरी बात खतम हो जाने दीजिये। उसके चरित्र और उसके निवास को पुलिस थाने से सत्यापित किया जाता है। नम्बर दो, आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी के द्वारा सत्यापित किया जाता है। उसके बाद भी यदि इस प्रकार का कोई केस पाया गया और आपके द्वारा कोई शिकायत की गई तो निश्चित तौर पर उस पर जांच करके कार्यवाही कर ली जाएगी। मोटे तौर पर ये सिर्फ दो साल के लिए ही नियुक्त होते हैं और 40 साल की उम्र से लेकर 55 साल तक की उम्र तक का ही आदमी इसमें शामिल हो सकता है। सारी जांच करने के बाद में इसकी नियुक्ति होती है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि किसी के खिलाफ क्रिमिनल केस है, रामलाल के खिलाफ है या श्यामलाल के खिलाफ है तो आप शिकायत कर सकते हैं, उसको हटा दिया जाएगा, हटाने का प्रोविजन है।

श्री अध्यक्ष: वह एमएलए नहीं है, एमएलए थोड़े ही बोला है उन्होंने।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मैं माननीय मंत्री महोदय को नाम तक बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कह दिया कि आप दे दें, नाम कट जाएगा। आपको कह दिया न।

प्रश्न संख्या 439

अगला प्रश्न। श्री संदीप शर्मा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री छगनसिंह।

आहोर को नगरपालिका बनाने की योजना

440. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगरपालिका के लिए क्या मापदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री छगनसिंह)

(2) क्या यह सही है कि आहोर नगरपालिका के सभी मापदण्ड पूर्ण करता है? यदि हां, तो आहोर ग्राम पंचायत को कब तक नगरपालिका बना दिया जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आहोर में आहोर, बागरा, सियाणा ग्राम पंचायतें नगरपालिका बनाने के योग्य हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र आहोर में एक भी नगरपालिका नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नगरपालिका बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय धारीवाल साहब, प्रश्न संख्या 440 है।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (Q) के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित किये जाने के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 19.02.2021 के द्वारा मानक निर्धारित किये गये हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। आहोर नगरपालिका बनाये जाने के सभी मापदण्ड पूर्ण करता है। वर्तमान में आहोर ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र आहोर में केवल आहोर नगरपालिका बनाये जाने के मापदण्ड पूर्ण करता है। बागरा और सियाणा मापदण्ड पूर्ण नहीं करने के कारण नगरपालिका बनाने के योग्य नहीं है।

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र आहोर में एक भी नगरपालिका नहीं है। वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र से कोई भी नगरपालिका बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं 02 अन्य सदस्यों की ओर से गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में धान की खरीद हेतु सरकारी खरीद नहीं किये जाने से किसानों को हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं 05 अन्य सदस्यों की ओर से कोटा सम्भाग में आई बाढ़ व अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में बरसात की कमी से किसानों की खरीफ की फसल नष्ट हो जाने से पश्चिमी राजस्थान में भयंकर अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री छगनसिंह एवं अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश के युवा बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिये जाने एवं बेरोजगारी भत्ता नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में संचालित 04 बड़े सीमेंट उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिये जाने से बेरोजगारों में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री अभिनेश महर्षि एवं 04 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार/नौकरियां नहीं दिये जाने तथा बेरोजगारी भत्ता नहीं दिये जाने से युवा बेरोजगारों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या एवं 07 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में बेरोजगारों को किसी प्रकार का रोजगार अथवा सहायता प्रदान नहीं किये जाने से युवा बेरोजगारों की बढ़ती समस्या के निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से प्रदेश में बेरोजगारों को किसी प्रकार का रोजगार अथवा सहायता प्रदान नहीं किये जाने से युवा

(श्री अध्यक्ष)

बेरोजगारों द्वारा आत्महत्या करने के प्रकरणों में बढ़ोतरी होने की संभावना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में शहीदों के नामकरण वाले सरकारी विद्यालयों में शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से कोरोना महामारी के पश्चात् प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(12) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में हुई घटना के नामजद आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने एवं मुआवज़े से वंचित पीड़ितों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं कराये जाने तथा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री वासुदेव देवनानी एवं 04 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश के युवा बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिये जाने एवं बेरोजगारी भत्ता नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षाएं निर्धारित समयावधि में आयोजित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार/नौकरियां नहीं दिये जाने तथा बेरोजगारी भत्ता नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में बेरोजगारों को किसी प्रकार का रोजगार उपलब्ध नहीं करवाये जाने एवं

(श्री अध्यक्ष)

बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिये जाने से बेरोजगारों को हो रही समस्या के सबंध में।

(18) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से आर.पी.एस.सी. एवं राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा की जा रही भर्तियों में अधिकारियों की लापरवाही से बेरोजगार युवाओं के साथ हो रहे अन्याय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री प्रताप सिंह, श्री सतीश पूनियां, श्री वासुदेव देवनानी, श्री रामलाल शर्मा, श्री अशोक लाहोटी, श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी एवं श्री बलजीत यादव को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से 8 लेन एक्सप्रेस-वे के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री परिवहन करने वाले ओवरलोड ट्रकों के गुजरने से हुई क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भादरा में अन्तरराज्यीय जल समझौते के अनुसार जीरो हैड पर भादरा-नोहर और राजगढ़ के हिस्से का पूरा पानी नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के नहरी किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिलने से बर्बाद हुई फसलों का उचित मुआवजा दिलवाने तथा सिंचाई के पानी का रेग्युलेशन जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से अनूपगढ़ शाखा में सिंचाई के पानी का रेग्युलेशन नहीं किये जाने से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से मारवाड़ की जीवन रेखा जवाई बांध के पुनर्भरण हेतु पानी लाने की बड़ी योजना बनाकर पेयजल समस्या का स्थायी समाधान किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर के कवराड़ा गांव के समीप क्षतिग्रस्त पुलिया का बजट स्वीकृत होने के बावजूद कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से शिक्षक संघों द्वारा की जा रही मांगों पर सरकार सकारात्मक विचार कर प्रदेश के शिक्षकों की वर्षों से लम्बित समस्या का समाधान किये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से रामगंज मण्डी के सुकेत कस्बा के खसरा नं. 38 की 0.61 हैक्टेयर श्मशान भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से मेडिकल कालेज, जोधपुर से संबद्ध चिकित्सालय मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर में एम.आर.ई. ठेका फर्म सत्यम डाइग्नोस्टिक द्वारा गम्भीर भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामनारायण मीना, सदस्य की ओर से रोझ नामक जंगली पशु से फसलों की सुरक्षा किये जाने हेतु इनको भारत सरकार से (वर्मिन) पीड़क जन्तु घोषित करवाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री प्रताप लाल भील (गमेती), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज-।।। में स्वीकृत विभिन्न सड़कों का कार्य प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में सेम नाले की सिल्ट सफाई एवं पम्प हाउस के नियमित संचालन के लिए बजट आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री प्रताप सिंह।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

छबड़ा में हुई घटना के नामजद अपराधियों की गिरफ्तारी एवं मुआवजा

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 अप्रैल को करीब शाम को 5 बजे कमल सिंह पुत्र हजारी लाल गुर्जर, निवासी नजीबपुरा, तहसील छबड़ा, एक ठेले से अंगूर खरीद रहा था। पास में ही उसकी मोटर साइकिल खड़ी थी, मोटर साइकिल को लेकर असलम तोता और उसके साथियों ने उससे झगड़ा शुरू कर दिया कि यहां पर मोटर साइकिल क्यों खड़ी कर रखी है और उसको बुरी तरह पीटा। उसके करीब 24 टांके आये। उसके बाद उसको बचाने के लिए वहीं खड़ा राकेश नागर, जो ग्राम कोठडी का रहने वाला है, वह उसको बचाने आया तो उसके ऊपर भी सिर पर, मुंह पर करीब 18 टांके आये, 6 टांके उसके मुंह पर आये, 7 टांके पीठ पर आये और 6 टांके सिर पर आये, इसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया।

दूसरे दिन गुर्जर समाज के लोग और अन्य समाजों के लोग इस घटना को लेकर एसडीओ को ज्ञापन देने जा रहे थे। इस बीच में पुलिस ने इन ज्ञापन देने वालों को तो रोका और उधर अलीगंज में जो अन्य समुदाय के लोग इकट्ठे हो रहे थे, मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठे हो रहे थे, उनको नहीं रोका और उन्होंने वहां पर आगजनी शुरू कर दी, पेट्रोल बम चलाए, गंडासे चलाए, लठ चलाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, घटना के सम्बन्ध में, आप टू दी पाइन्ट, जो आपका गिरफ्तारी का है, घटना का वर्णन करोगे, कोई अंत नहीं है। बी स्पेसिफिक। आपने जो मांग रखी है, उसी पर आ जाइए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): तो इसमें जो नामजद मुल्जिम है, सीआई ने इसकी रिपोर्ट भी, किसी सिविलियन ने नहीं की है, जो वहां के थानाधिकारी हैं, उसने ही रिपोर्ट दर्ज की है और उसने ही रिपोर्ट में नामजद मुल्जिमों को किया है और उसने ही रिपोर्ट में मुलजिमों को नामजद किया है। यही नहीं यहां से उच्च अधिकारी भी पहुंचे हैं और उन्होंने उन सब के घर पर नोटिस भी चस्पा करवाए हैं। उनको ढूंढने पर नहीं मिलने के बाद नोटिस चस्पा कराने के बावजूद भी उनको उन मुकदमों में से निकाल दिया है। आज वे खुले छबड़ा में घूम रहे हैं। दहशत का माहौल है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से

(श्री प्रताप सिंह)

निवेदन है कि उनको तुरन्त गिरफ्तार करवाएं। साथ ही जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है उन लोगों को भी मुआवजा दिलवाएं। यह बहुत बड़ी घटना है और इसके साथ-साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और बताना चाहूंगा कि गुर्जर समाज के लड़के के साथ मारपीट हुई थी तो उन ज्ञापन देने जाने वाले लोगों में गुर्जर समाज के लोग भी थोड़ा ज्यादा थे। पुलिस ने उनको तो रोका, दूसरी तरफ छूट दे दी। तुरन्त कर्फ्यू लगा दिया।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, हो गया।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): एक मिनट, साहब। कर्फ्यू लगाने के बाद गुर्जरों के गांव में गुर्जरों को बेरहमी से पीटा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): न औरत देखी, न आदमी देखा, न बुड्ढा देखा, न जवान देखा, उन गुर्जरों के साथ इतना बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। अब आप पाइंट से साइड ट्रैक कर रहे हो। गिरफ्तार होने चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए, बाकी घटना की चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। श्री सतीश पूनियां।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें। आपसे ज्यादा गम्भीर नहीं हैं। बैठें आप। अंकित नहीं होगा। आप बैठें। अंकित नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं, I'll deprive you to speak. आप इस तरह से बोलेंगे तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। You can't impose yourself in the House. सीनियर आदमी हैं आप। आपने लिखकर दिया इसमें? प्लीज बैठें आप। अलाउ नहीं है। श्री सतीश पूनियां।

रोजगार की स्थिति एवं बेरोजगारी भत्ता

श्री सतीश पूनियां (आमेर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन राजस्थान में रोजगार की स्थिति को लेकर है। कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार बुनियादी सुविधाओं का और वैचारिक मुद्दों के समाधान का आश्वासन देती है। इस सरकार को 35 महीने हो गए और कांग्रेस पार्टी ने 2018 में एक जन घोषणा पत्र जारी किया था। उस जन घोषणा पत्र में राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों को यह भरोसा दिलाया था कि यदि हम सत्ता में आएंगे

(श्री सतीश पूनियां)

तो रोजगार भी देंगे और रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। नौजवानों को 3,000 रुपये और महिलाओं को 3,500 रुपये। भारत की एक निजी संस्था है जिसका उल्लेख माननीय मुख्य मंत्री ने ट्विटर के जरिए किया। देश की बेरोजगारी का उल्लेख तो जरूर उन्होंने किया लेकिन शायद वह पढ़ना भूल गए सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकोनामी (सीएमआईई) संस्था ने उद्धृत किया है कि इस समय देश में सर्वाधिक बेरोजगारी किसी प्रदेश में है 27.6 प्रतिशत तो वह प्रदेश राजस्थान है। पिछले दिनों प्रदेश के नौजवानों ने ट्विटर पर एक हैशटैग चलाया 'नो जाब नो वोट'। राजस्थान के ट्विटर से जुड़ने वाले 6 लाख नौजवानों ने इस सरकार को साफ-साफ चेताया था। मुख्य मंत्री जी ने 24 फरवरी, 2021 को बजट भाषण दिया उसमें भी इसका उल्लेख किया। राज्यपाल महोदय का जब अभिभाषण हुआ, उस अभिभाषण के दौरान भी 24 जनवरी, 2020 को उनके बिंदु संख्या-86 में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उनके मुख से ही कहलाया कि राज्य सरकार ने सरकारी क्षेत्र में 31,513 पदों पर नौजवानों को नियुक्तियां दी हैं, 28,601 पदों के परिणाम जारी हो चुके हैं। कुल मिलाकर 60,114 पदों की नियुक्ति दी गई है जबकि यह सारी भर्तियां पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय निकाली गई थीं और उसी समय इन नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हुई थी। महामहिम राज्यपाल महोदय ने 10 फरवरी, 2021 को हुए अभिभाषण के बिंदु संख्या-93 पर कहा कि विगत 2 वर्षों में 81,893 नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है तो कुल मिलाकर इन 2 वर्षों में 21,779 पदों पर ही नियुक्ति दी गई है, बाकी जो सारी पोस्टिंग दी गई है वह बीजेपी के शासनकाल में दी गई है। मेरा निवेदन यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि एक तो राजस्थान की सरकार यह व्हाइट पेपर लेकर आए कि उन्होंने कितनी भर्तियों का वादा किया था और कितनी भर्ती की, कितनी कोर्ट में लम्बित हैं। दूसरा, अभी तक बेरोजगारों के बारे में राजस्थान सरकार कोई अधिकृत आंकड़ा नहीं दे पाई है।

(12.15 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

जब-जब भी प्रश्न पूछा गया है तो उसमें अलग-अलग आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन जब बेरोजगारी भत्ते का एक सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में यह बताया कि 4,56,000 ऐसे रजिस्टर्ड बेरोजगारी भत्ते के लिए योग्य पाए

(श्री सतीश पूनियां)

गए लेकिन भत्ता दिया गया सिर्फ 2 लाख लोगों को। इसका जवाब सरकार के पास नहीं है कि बाकी जो 2,56,000 लोग हैं उनको भत्ता कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उनको वंचित क्यों किया गया? यह तीन बजट में कुल मिलाकर 1,78,181 भर्तियों की बात की गई है और इसका पूरा संकलन करें तो 40,000 भर्तियां ही अभी तक प्रारम्भ हो पाई हैं। आपने खुद ने जन घोषणा पत्र में कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो ढाई लाख संविदाकर्मियों का कैडर बनाएंगे और उसके बाद उनको नियमित करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, लेकिन आज तक इस बारे में अभी तक उन संविदाकर्मियों को कोई ठोस जवाब मिला नहीं है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपने जो रजिस्टर्ड बेरोजगार बताए उसमें 15 लाख 3 हजार 834 बेरोजगारों की संख्या राजस्थान की सरकार ने बताई है। आवेदन किया 8,50,000 ने और अभी तक 2,51,000 को आपने भत्ता दिया है। आपने कोरोना के काल खण्ड में बड़े-बड़े सब्जबाग दिखाए और यह कहा कि राजस्थान की सरकार प्रबंधन भी अच्छा कर रही है जो प्रवासी मजदूर लौट आएंगे, उन 15 लाख प्रवासी मजदूरों को हम रोजगार देंगे। एक पोर्टल बनाया। आपने उस पोर्टल पर 45,00,000 लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया और उस पोर्टल की स्थिति यह है कि रोजगार किसी को मिला तो सिर्फ 5,000 लोगों को। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अलग-अलग इस सदन में मुख्य मंत्री जी के भाषण में और उस पर नेता प्रतिपक्ष के भी भाषण हुए कुल मिलाकर उसका लब्बोलुआब यह है कि आपने कहा बहुत कुछ लेकिन दिया कुछ नहीं और इसलिए राजस्थान की जितनी तमाम भर्तियां हैं और राजस्थान में मुझे लगता है कि इस समय जो स्थिति बनी है, पर्चे लीक यदि देश में कहीं सर्वाधिक होते हैं तो वह राजस्थान की धरती है। इस तरीके का खिलवाड़ राजस्थान के बेरोजगारों के साथ आज तक नहीं हुआ है। किस तरीके से यह काम हुआ है यह राजस्थान की सरकार के इकबाल खतम होने का है। जिस तरीके से नकल माफिया पनपे हैं, जिस तरीके से पूरा संगठित गिरोह काम करता है नकल करवाने का, मुझे लगता है कि इस बात के लिए भी राजस्थान की सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए। यह केवल एक राजनीतिक आरोप नहीं है, सत्यता है। राजस्थान के बेरोजगारों के साथ इससे बड़ा कुठाराघात नहीं हो सकता।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में पिछले 35 महीनों से चाहे किसी भी वर्ग का कोई हो, कृषि से संबंधित भर्तियां, सहायक कर्मचारियों की भर्ती, पुलिस की भर्ती, पशुपालन की भर्ती, मंत्रालयिक

(श्री सतीश पूनियां)

वर्ग की भर्तियां, शिक्षकों की भर्ती ऐसे-ऐसे उदाहरण सामने आएंगे कि जिसमें किसी गरीब परिवार ने 5 लाख का कर्जा लिया और खेत बिक गया। यह राजस्थान के नागौर के मेड़ता सिटी के हरिराम हैं जिनकी पीड़ा है। रिजल्ट के इंतजार में पति की मौत हो गई। पत्नी रिजल्ट का इंतजार करती रही और हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में बेरोजगार अपने रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान की सरकार में अगर गैरत और ईमान हो, क्योंकि पिछले ढाई वर्षों का आकलन राजस्थान की जनता भी कर रही है और विपक्ष भी कर रहा है और राजस्थान का बेरोजगार भी कर रहा है। जिस तरीके से आपने किसानों को कर्जा माफी का असत्य बोला, जिस तरीके से कानून-व्यवस्था ध्वस्त हुई और कोई एक शब्द में कहेगा कि राजस्थान की सरकार कौनसे एक मुद्दे पर विफल है तो राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों के साथ जो ठगी राजस्थान की सरकार ने की है वह ट्विटर का हैशटैग एक आईना है, लेकिन 2023 में इसी कांग्रेस पार्टी को राजस्थान का बेरोजगार नौजवान सत्ता से भी बेरोजगार कर देगा और दुबारा वापसी कभी कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में नहीं होगी। धन्यवाद।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैंने छबड़ा के मामले को लेकर, छबड़ा में जो साम्प्रदायिक दंगा हुआ, उस मामले को लेकर यहां स्थगन प्रस्ताव दिया था और मुझे आशा थी कि यह गम्भीर मामला है सरकार इस मामले में कोई न कोई जवाब निश्चित रूप से इस सदन में हम सब को देगी, पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि छबड़ा में जो साम्प्रदायिक दंगा हुआ है और बेकसूरों को तो जेल में बंद किया जा रहा है और जो कसूरवार हैं उनको खुला छोड़ा जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए छबड़ा में फिर इस प्रकार की घटना नहीं घटे, इस मामले को देखते हुए आप सरकार से अभी तुरन्त ही जवाब दिलाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं आपसे चाहूंगा कि सरकार को डाइरेक्शन दें कि वह इस बात का जवाब दे।

श्री सभापति: माननीय श्री वासुदेव देवनानी जी।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, आप इस सरकार

(श्री प्रताप सिंह)

से जवाब नहीं दिलवाना चाहते हो और सरकार जवाब नहीं देना चाहती है तो मैं इस सदन से बहिर्गमन करता हूं।

बहिर्गमन

(माननीय सदस्य श्री प्रताप सिंह द्वारा सदन से बहिर्गमन)

रोजगार की स्थिति एवं बेरोजगारी भत्ता

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, इस समय राजस्थान में बेरोजगारी अपना विकराल स्वरूप बनाये हुए है। राज्य में कांग्रेस ने युवाओं के साथ धोखा किया है। चुनावों में युवाओं का भरपूर उपयोग किया। रोजगार के सपने दिखाये लेकिन परिणाम वही ढाक के तीन पात रहे। युवा अपने आपको ठगा-सा महसूस कर रहा है। युवाओं के लिये चुनाव में 5 लाख नौकरियों का वादा किया। तीसरे बजट में दो साल की जो घोषणा की, इस तरह मिलाकर कुल 1 लाख 78 हजार की घोषणा की लेकिन अब तक 35 महीने में जाकर नियुक्तियां केवल 42000 को दे पाये हैं। बेरोजगारी का आंकड़ा मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन सीएमआईई के आंकड़ें बहुत चौंकाने वाले हैं। राजस्थान देश में बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर है जो कि केन्द्र से तीन गुणा आज बेरोजगार राजस्थान में हैं। केन्द्र में जनवरी में 5.81 परसेंट थी, राजस्थान में 17.7 थी। अप्रैल में यह बढ़कर केन्द्र में 7.13 है तो राजस्थान में 28 परसेंट आज है जबकि यूपी, राजस्थान से तीन गुणा है, उसमें बेरोजगारी केवल 6.9 परसेंट है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार केवल केन्द्र, मोदी और राष्ट्र भक्त संगठन संघ को कोसने में लगी है। मुख्य मंत्री को किसी की प्रकार की चिंता नहीं है। सरकार ने वादा किया था कि यदि हम रोजगार नहीं दे पायेंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। घोषणा पत्र के पेज नंबर 15 बिन्दु संख्या 10 में 3000-3500 भत्ता देने का वादा किया लेकिन आज विभागीय पोर्टल पर 14,29,886 लोग रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 12 लाख स्नातक हैं और भत्ता केवल पहले 1.6 लाख को देते थे, अब 2 लाख को आपने देने की घोषणा की। इस तरह से सबका नंबर आने में 12 वर्ष बीतेंगे और लगभग दो सरकारें बदल जायेंगी। इससे 30 परसेंट लोग ओवर एज हो जायेंगे लेकिन सरकार ने बेरोजगारी भत्ता सबको देने का जो वादा किया, उसको पूरा करने में असमर्थ है।

माननीय सभापति महोदय, यूपीएससी में कोई विवाद नहीं होता। वह भी कई प्रकार के एग्जाम कराती है लेकिन आरपीएससी सदैव विवादों में घिरी

(श्री वासुदेव देवनानी)

रहती है। आरएएस, 2008 की जो परीक्षा हुई, उसमें आपको ध्यान होगा कि हमारी उम्मीद है कि आरपीएससी में पारदर्शिता, निष्पक्षता होगी लेकिन आज वह भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी है। यदि मैं कहूं कि उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञों को प्रदत्त करने का यह चरागाह बना हुआ है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज राजस्थान लोक सेवा आयोग को यदि मैं कांग्रेस लोक सेवा आयोग कहूं तो भी शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहले कहते थे कि दाल में कुछ काला होता है लेकिन यहां तो कांग्रेस में पूरी दाल ही काली दिखाई दे रही है। मुझे आश्चर्य है कि कहते हैं हमारे मुख्य मंत्री जादूगर हैं, लेकिन यह जादूगर और उसकी टीम का ही जादू है कि एक ही परिवार के तीन सदस्यों के साक्षात्कार में अंक 80-80 आये। यह आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि किसी के इस तरह के हो। यानी पुत्रवधू, पुत्रवधू का भाई, पुत्रवधू की बहन, तीनों के लिखित परीक्षा में तो 45 परसेंट अंक और यहां पर 80 परसेंट अंक और ओबीसी का गलत सर्टिफ़िकेट देकर जिस प्रकार की प्रक्रिया की है, मुझे लगता है यह पूरा कांग्रेस लोक सेवा आयोग बना दिया गया है। इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी तरह सवालों में है। यहां तक कि सीकर में एक कलाम कोचिंग सेंटर है। उसकी एक ब्रांच जयपुर में भी है। क्या कारण है कि अलग-अलग परीक्षाओं का ठेका वहां देकर 70 अभ्यर्थी एक ही सेंटर से सलेक्ट हुए हैं। शेखावाटी में आज बेरोजगार आरपीएससी में चयन के लिये नाथी के बाड़े की तलाश में हैं। कहां है नाथी का बाड़ा जहां जाकर बेरोजगार आरपीएससी में लग जाये। 87 परीक्षा के केन्द्र थे, 7 केन्द्रों में ही 200 में से 77 चयनित हुए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

केवल एक मिनट और लूंगा। उत्तर पुस्तिकाएं एक वर्ष तो बिना जांचे रखीं। जब 14 फरवरी को जांची गईं तो वह भी कहां जांची, विक्रमादित्य भवन में जहां के वीसी आर.पी. सिंह रिश्वत लेते हुए रेड हैंडेड पकड़े गये और यह वही वीसी हैं जिन्होंने जोधपुर में 32 लोगों को अनियमित नियुक्ति कराई थी। ऐसे लोगों के नीचे आज कापियों की जांच भी संदेह के घेरे में है। माडल आंसर - की नहीं बनाई जाती है, जो देशभर में बनाई जाती है। आन स्क्रीनिंग मार्किंग पद्धति में निश्चित रूप से कम्प्यूटर में छेड़छाड़ होती है, उसकी संभावना रहती है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। यहां तक कि डीओपी ने रूल 15 में हमेशा 15 गुणा करते हैं लेकिन इसमें 30 गुणा दिये गये ताकि राजनीतिज्ञों के सम्बन्धी भी आ सकें। इसी प्रकार आरएसएलडीसी में घूसकांड हुआ जिसमें मैनेजर और

(श्री वासुदेव देवनानी)

को-आर्डिनेटर गिरफ्तार हुए हैं। दो आईएएस के दफ्तर सील हुए हैं। इस प्रकार की जो आज स्थिति बनी है, पेपर आउट हो रहे हैं, लाइब्रेरियन की परीक्षा, पटवारी की परीक्षा, लैब टेक्निशियन की परीक्षा, रेडियोग्राफर की परीक्षा...

श्री सभापति: माननीय, समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आखिर में एक बिन्दु और कहूंगा कि सरकार ने घोषणा की थी कि परीक्षा शुल्क हम लौटायेंगे। आज 19 लाख बेरोजगारों के 46 करोड़ रुपये अटके हुए हैं। 10 हजार भर्तियां अटकी हुई हैं। बेरोजगारों से आपने वादा किया था कि जैसे-जैसे रिक्त पद होते जायेंगे, भरेंगे। लेकिन आज तक नहीं भरे गये। लाखों पद आज सरकार में खाली पड़े हैं।

श्री सभापति: माननीय, समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात हुई, आज तक नहीं किया गया। इस तरह आज कोरोना के कारण जो निजी कंपनियां हैं, उसमें भी बुरी तरह छंटनी हुई है। सरकार आज केवल आंख मूंदे हुए बैठी है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि वह इन बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराये नहीं तो यह बेरोजगार नहीं छोड़ेगा और आरपीएससी में चयन प्रक्रिया में बदलाव किया जाये। साक्षात्कार को बंद किया जाये और वहां पर राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो और वहां पर यूपीएससी की तरह नियुक्तियां होंगी तो पारदर्शिता आयेगी और इसकी तुरन्त जांच भी करवाई जानी चाहिये ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री रामलाल जी शर्मा।

विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षाओं का आयोजन

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे स्थगन पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। सभापति महोदय, बेरोजगारों की स्थिति राजस्थान में किसी से छिपी हुई नहीं है। सभापति महोदय, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार में संविदाकर्मी, एनआरएचएम, एनयूएचएम, पैराटीचर्स, उर्दू पैराटीचर्स, लोक जुम्बिश कर्मी, आंगनबाड़ी कर्मी, शिक्षा कर्मी, विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायकों सहित अन्य विभागों के अन्तर्गत काम करने वाले कर्मचारियों की समस्या का यथोचित समाधान कर नियमित किया जायेगा। सभापति महोदय, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में एक कमिटमेंट इस बात का किया था कि राजस्थान में

(श्री रामलाल शर्मा)

ढाई लाख संविदाकर्मी हैं, उनको रेगुलराइज करने का काम करेंगे। सभापति महोदय, अभी कोविड के दौरान नर्सिंग क्षेत्र में काम करने वाले अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे, 6000 रुपये से लेकर 8000 रुपये के मानदेय के आधार पर यह काम करते रहे और राजस्थान में कोविड के दौरान अगर किसी ने बेहतरीन काम किया है तो वह नर्सिंग कर्मियों ने किया है अपनी जान को जोखिम में डालकर, उसके उपरांत भी अपना मानव धर्म निभाने का काम किया है। माननीय कल्ला साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है, आज पौने तीन साल के बाद भी क्या कारण है कि इन संविदा कर्मियों को नियमित क्यों नहीं कर रहे? आप करोगे या नहीं करोगे, यह तो स्पष्ट कर दो ताकि वह अपना कोई दूसरा रास्ता देखने का काम करे।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है बहुत से आरोप आरपीएससी पर भी लगे, अधीनस्थ बोर्ड पर भी लगे। अनेकों एग्जामों में एक गरीब व्यक्ति अपने गांव में हजारों रुपये इकट्ठा करके अपना यह सपना संजोता है कि मेरा बेटा जयपुर में जाकर परीक्षा की तैयारी करेगा। अपना मकान किराये पर लेकर किराये का भुगतान करके अपने परिवार को छोड़कर कई महीनों तक मेहनत और परिश्रम करता है और जब एग्जाम का समय निकट आता है, उस समय एग्जाम स्थगित किया जाता है। उसके सपने टूटते हुए नजर आते हैं। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि एक नहीं अनेकों भर्तियां ऐसी हैं, सरकार पहले तो विज्ञप्ति निकालती नहीं, विज्ञप्ति निकालती है तो एग्जाम की तारीख तय करती है। एग्जाम की तारीख तय करती है उससे पहले उसको स्थगित करने का काम करती है। एग्जाम कराने का समय आता है तो चाहे पुलिस की भर्ती देख लो, चाहे पटवारी की भर्ती देख लो, चाहे अन्य भर्तियां देख लो, पेपर लीक करने के लिये मुन्ना भाई हर जगह तैयार है। इस तरीके के संगीन आरोप सरकार की हर भर्ती पर लगे हुए हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं अधीनस्थ बोर्ड में एनटीटी की भर्ती की गई। चार साल बीत जाने के बाद भी आज भी उनको पदस्थापन नहीं दिया गया। एक हजार की भर्ती में अभी तक सिर्फ 400 लोगों को पदस्थापन किया गया है, 600 लोग अभी भी इस इंतजार में हैं कि हमारा नंबर कब आयेगा। सभापति महोदय, एग्जाम की जैसे ही तिथि निर्धारित होती है, राजस्थान में कहां से फर्जी डिग्रियां निकल

(श्री रामलाल शर्मा)

कर आती हैं। राजस्थान में अनेकों ऐसे इंस्टीट्यूट संचालित हैं, राजस्थान के बाहर के प्रदेशों के अन्दर भी संचालित हैं कि पैसे देकर डिग्रियां लेकर आते हैं, राजस्थान की भर्तियों में उन डिग्रियों को सम्मिलित करते हैं और उसके बाद जो मेहनत और परिश्रम करने वाले युवा हैं वह तो देखते रह जाते हैं और फर्जी डिग्रियों के आधार पर नौकरी पाने में ऐसे लोग सफल हो जाते हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, राजस्थान के युवाओं को भी अन्य प्रदेश में जो भर्तियां हो रही हैं उन पर अंकुश लगाने का काम किया है। उन्होंने एक निर्धारित प्रतिशत कर दिया कि इससे ज्यादा प्रतिशत हम अन्य प्रदेशों के युवाओं को मौका नहीं देंगे। मैं चाहूंगा कि राजस्थान के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखते हुए राजस्थान में भी राजस्थान के युवाओं को ही प्रत्येक एग्जाम में मौका मिले। प्रक्रिया इस प्रकार की बने कि सिर्फ राजस्थान के युवा ही सलेक्ट हो पायें।

उनके अधिकारों के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है, उसके लिए भी मैं सदन से मांग करूंगा कि उनके भविष्य को सुरक्षित रखने का काम करें। सभापति महोदय, आरपीएससी की बातें अनेकों लोगों ने कीं। अनेक माननीय सदस्य इस बात के लिए चिंतित हैं कि एक ऐसी संस्था, जिस पर सभी को विश्वास था। आखिरकार क्या कारण है कि विगत वर्षों से इस संस्था की साख गिरती हुई आ रही है। आपने साक्षात्कार के जो अंक निर्धारित कर रखे हैं, आप साक्षात्कार के अंकों को कम से कम करने का काम करें, ताकि जो मेन एग्जाम के अंक हैं, वे साक्षात्कार के अंकों से प्रभावित होने का काम बंद हो जाए। जिस तरह के संगीन आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों से भी बचा जा सकता है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया, उस बजट के अन्दर भी अनेकों विभागों के अन्दर वैकेंसी निकालने का काम किया था। राजस्थान के अन्दर एग्रीकल्चर में 1674 पद, एनिमल हजबैंड्री में 836 पद, आयुर्वेद में 890 पद, एजुकेशन में 19 हजार पद, फोरेस्ट में 1700, होम में 8438, मेडिकल एजुकेशन में 336, मेडिकल हैल्थ में 5 हजार, पीएचईडी में 3838, पीडब्ल्यूडी में 1538, रेवेन्यू में 1100 और अन्य डिपार्टमेंट के अन्दर 8 हजार की वैकेंसी निकाली। सभापति महोदय, कई साल बीत जाने के बाद भी इन विभागों में एक भी भर्ती नहीं की गयी। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपा करके उन युवाओं के साथ या उनके

(श्री रामलाल शर्मा)

सपनों के साथ खेलना बंद करें और सरकार अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आने वाले निकट भविष्य में इन तमाम भर्तियों को एक नियमित तिथि के तहत पूरी करने का काम करे, ताकि उन युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके। आपने अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री अशोक लाहोटी जी।

रोजगार की स्थिति एवं बेरोजगारी भत्ता

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, धन्यवाद। बहुत ही सेंसिटिव इश्यु के स्थगन पर चर्चा हो रही है। राजस्थान में रोजगार का संकट दिन-प्रतिदिन विकराल और भयावह रूप धारण कर चुका है। सभापति महोदय, राजस्थान के 56.17 प्रतिशत नौजवान लगभग 2 करोड़ 66 लाख युवा, जो 18 से 35 वर्ष के हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा-पत्र में घोषणा की कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। केवल इतना ही लिखा था कि तीन हजार रुपये और साढ़े तीन हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपने ये 2 करोड़ 66 लाख वोट प्राप्त किये। इन युवाओं के वोट के दम पर आपकी सरकार बनी और आज यह सरकार उन युवाओं को ठेंगा दिखा रही है। सभापति महादेय, सरकार ने कहां लिखा कि हम केवल 1 लाख 60 हजार युवाओं को ही बेरोजगारी भत्ता देंगे। कौनसा पैरामीटर तय किया कि आप केवल 1 लाख 60 हजार युवाओं को देंगे। या तो यह सरकार घोषणा करे कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारा खजाना खाली है, हमारी सरकार दिवालियेपन की तरफ जा रही है। इसलिए हम केवल 1 लाख 60 हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, बाकी 2 करोड़ 66 लाख युवाओं के साथ हम धोखा करेंगे या फिर यह सरकार कहे कि हम देने की स्थिति में नहीं हैं। सभापति महोदय, इसका बहाना बनाकर कभी आप कहते हैं कि फार्म भरें, कभी कहते हैं कि रिवाइज फार्म भरें, कभी कहते हैं कि इसका रिनुअल करें। मैं सीधा-सीधा सरकार को जानकारी देना चाहता हूं कि यदि आपके पास आंकड़ें नहीं हैं तो हम राजस्थान के युवा विधायक सरकार को 15 दिन के अन्दर जिस फोरमेट में चाहिए कि राजस्थान में कितने बेरोजगार हैं, वह पूरी सूची आपको यहां पर टेबल करवाने के लिए तैयार हैं। यह मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।

सभापति महोदय, आज राजस्थान में बेरोजगारी दर की बात की। लोक नीति और सीएसडीएस ने एक सर्वे में यह भी कहा है कि आज का 62

(श्री अशोक लाहोटी)

प्रतिशत युवा बेरोजगारी की गम्भीर समस्याओं से ग्रस्त है। यह राजस्थान के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। सदन में जो सत्तापक्ष के लोग हंस रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इनके क्षेत्र में लोग जब इनका चेहरा देखेंगे कि किस प्रकार से ये लोग उनके रोजगार पर एक तरह से कुठाराघात करके हंस रहे हैं। सभापति महोदय, 42 लाख युवाओं ने अलग-अलग परीक्षाओं में फार्म भरे हैं, वे सीधे-सीधे पात्र हैं। यदि आपकी देने की मंशा हो तो यह 42 लाख का आंकड़ा तो आपके खुद के पास है। राजस्थान के 42 लाख बेरोजगार युवाओं ने फार्म भरा है। जिनकी नौकरी लगी है, उनको हटाकर, ये लगभग जो 40 लाख लोग हैं, ये सब के सब बेरोजगार हैं, इनको भत्ता दिया जा सकता है, पर सरकार भत्ता नहीं देना चाहती है, केवल बातें करना चाहती है।

सभापति महोदय, 2019 के बजट में अलग-अलग 19 सैक्टर में 74 हजार 594, 2020 के 7 सैक्टरों में 53 हजार 181, 2021 में 12 सैक्टर में 52 हजार 350 पदों की भर्तियां इसी पवित्र सदन में सत्ता पक्ष ने बजट की घोषणा में की थी। मैंने साल इसलिए इंगित किये हैं कि बजट एक साल का होता है, उसमें लिखा होता है, 2019-20, 2021-22, यानी वे घोषणाएं उसी साल में पूरी करनी हैं। ये 1 लाख 80 हजार 125 नियुक्तियां, आज राजस्थान का नौजवान इंतजार कर रहा है। आप भत्ता नहीं दे रहे हैं। ये घोषणाएं तो आपने की हैं, मुख्य मंत्री जी ने की हैं, टेबल बजायी है और आज तक बजा रहे हो। कम से कम सरकार इतनी तो शर्म करे कि बजट की घोषणा को तो पूरा करे। आपने कहा कि हमारा जो घोषणा-पत्र है, वह हमारी बाइबल है, हमारी कुरआन है, आपको मुबारक हो बाइबल और कुरआन। आप उसकी तो पालना करें, उसकी पवित्रता की सैंक्टिटी तो रखें।

सभापति महोदय, 2019 के बजट में 133 बिंदु पर बहुत ही बड़ी घोषणा की - हुनर का हर हाथ, हर रोजगार के साथ। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना की घोषणा करता हूं, यह मुख्य मंत्री जी ने कहा। एक लाख रुपये तक का बिना ब्याज का ऋण रीको, आरएफसी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनोरिटी, फाइनेंस कारपोरेशन के माध्यम से 5 वर्षों में एक हजार करोड़ रुपये देंगे और 25 हजार युवाओं को लाभ देंगे। मैं आज मंत्री जी से चाहूंगा कि इसका जवाब दें कि ढाई साल से ज्यादा समय निकल गया, एक हजार करोड़ में से 5 सौ करोड़ रुपये तो बंट ही गये होंगे। 25 हजार में साढ़े 12 हजार युवाओं को यह ऋण वितरित किया होगा तो इसकी सूची इस सदन में जरूर टेबल करें कि

(श्री अशोक लाहोटी)

आपने कहां पर यह ऋण बांटा है। यह 2019 के बजट की घोषणा है और अब तो 2022 का बजट आने वाला है। सभापति महोदय, यह यहीं नहीं रुकता है। इसके अलावा आपने घोषणा की जिन भर्तियों में जो फीस हम ले रहे हैं, वह हम लौटायेंगे। सरकार करोड़ों रुपये हजम कर गयी और डकार भी नहीं ले रही है। पहले कर्मचारी चयन बोर्ड में धांधली हुई, फिर आरपीएससी को नाथी का बाड़ा बनाया। फिर आरएसएलडीसी में भ्रष्टाचार हुआ। आखिर सरकार कहां जा रही है? युवा कहां जाए? सभापति महोदय, मैं तो केवल यही कहूंगा कि माननीय कल्ला जी सामने विराजमान हैं। आपके अण्डर में एक कल्ला कमेटी बनी थी। उसमें कई मंत्री थे। उस कमेटी की घोषणा के लिए संविदाकर्मी इंतजार कर रहे हैं कि उनका क्या हुआ? आज युवा ढूंढ रहे हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, मेरे साथी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य की अध्यक्षता में पांच वर्ष तक कमेटी बनी, निर्णय नहीं किया। पौने तीन साल हुए हैं। सीएस ने आदेश दिये थे कि दस हजार संविदाकर्मियों का नियमन हैल्थ डिपार्टमेंट में हो चुका है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आप ढाई साल से बैठे हो, आप अपनी बात करें। सभापति जी, मैंने चार पंक्तियां लिखी हैं, वह बोलकर अपनी बात पूरी कर रहा हूं।

'आज राजस्थान का युवा जवाब मांग रहा है,
घोषणा हो तो भर्ती नहीं, भर्ती निकले इम्तिहान नहीं,
परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले ज्वाइनिंग नहीं,
आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं,
बस करो मजाक अब, युवा मांगे हिसाब अब,
बात करो, संवाद करो, दो हमारे प्रश्नों को जवाब,
जागो सरकार जागो, बस यही कहना है'

युवाओं की तरफ से मैं आपको कह रहा हूं कि:-

'अब और नहीं सहना है, बुलंद अपनी आवाज करेंगे,
आज कुछ ऐसी हुंकार भरो, आ जाए चाहे सैलाब नहीं,
रूकना नहीं, झुकना नहीं, अपने हकों का हिसाब करो।

(श्री अशोक लाहोटी)

राजस्थान की नौकरियां राजस्थान के युवाओं को मिलें, यही मेरी सदन से मांग है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(12.37 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

रोजगार की स्थिति एवं बेरोजगारी भत्ता

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन पर बोलने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। आज राजस्थान में बेरोजगारी की गम्भीर स्थिति है। अप्रैल, 2021 में बेरोजगारी के आंकड़े डराने वाले हैं। राजस्थान में बेरोजगारी की दर बढ़कर 28 प्रतिशत हो गयी है जबकि हमारी राष्ट्रीय औसत दर मात्र 7 परसेंट है। बेरोजगारी के मामले में राजस्थान भारत के दूसरे स्थान पर है। मुख्य मंत्री जी ने यह तो कह दिया कि सभी बेरोजगारों को सरकार नौकरी नहीं दे सकती है, किन्तु राजस्थान में नये उद्योग-धंधे भी नहीं आ रहे हैं। औद्योगिक निवेश में आज राजस्थान बहुत पिछड़ गया है। सरकार नौकरी नहीं दे रही है। प्रदेश में नये उद्योग और व्यवसाय नहीं आने से निजी क्षेत्र में रोजगार नहीं बन पा रहा है तो बेरोजगार युवा कहां जाएगा? माननीय सचिन पायलट जी, पूर्व अध्यक्ष जी ने कहा था कि जन घोषणा-पत्र कोई दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारी प्रतिबद्धता है। इसमें बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा की गयी थी। इस बारे में उन्होंने कोई शर्त नहीं लगायी, लेकिन जब बेरोजगारी भत्ता देने का समय आया तो यह कहा गया कि सिर्फ ग्रेजुएट्स को यह भत्ता मिलेगा। क्या ग्रेजुएट से कम पढ़े-लिखे बेरोजगारों को भत्ते का अधिकार नहीं है। आज गांव में अधिकांश युवा ग्रेजुएट नहीं हैं। इस कारण से गांव के युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। सरकारी पोर्टल की बात करें तो आज राजस्थान में करीबन 30 से 35 लाख बेरोजगार हैं और पोर्टल पर 15 लाख 3 हजार 884 बेरोजगार पंजीकृत हैं। उनमें 13 लाख ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं लेकिन सरकार द्वारा अधिकतम 1 लाख 60 हजार को ही भत्ता देने का प्रावधान किया गया है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। नई-नई शर्तें तो आती ही रहती हैं। अब नई शर्तों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

जरिये स्किल कोर्स करना होगा उसके पश्चात् ही इसका लाभ देय होगा। कुछ भी स्पष्ट नहीं है। परन्तु प्रत्येक बेरोजगार सरकारी भत्ते की आशा एवं शीघ्र नौकरी की उम्मीद में है। बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए अधिकतम आय सीमा भी तीन लाख रुपये कर रखी है। इस कारण से कितने ही निम्न व मध्यम वर्ग के युवा बेरोजगारी भत्ते से वंचित हो रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता देने के लिए अधिकतम अवधि दो वर्ष कर दी गयी है। यदि दो वर्ष तक युवा को रोजगार नहीं मिला तो उसके परिवार का क्या होगा?

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आज करीबन 8 लाख 50 हजार राजकीय पद स्वीकृत हैं। दो लाख सरकारी पद सभी विभागों में खाली हैं। एक लाख सरकारी पदों की भर्तियां विचाराधीन हैं। 40 हजार पदों पर भर्तियों की विज्ञप्तियों का इंतजार है। एक अक्टूबर से प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम चालू होने वाला है। अगर मैं सिर्फ राजसमन्द जिले की बात करूं तो यहां पर 120 पटवारी की पोस्ट हैं जिसमें से 20 लगे हुए हैं। इन रिक्त पदों के कारण हमारे गांवों के किसानों को, लोगों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या राज्य सरकार इतने रिक्त पद होने के बावजूद भी यह आश्वस्त करा सकती है कि वे बिना किसी प्राब्लम के 20 पटवारी के साथ ये कार्यक्रम पूर्ण कर लेगी? मैं कार्मिक विभाग से वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा सीधी भर्ती से जिन-जिन विभागों में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां दी जाती हैं, उन समस्त विभागों की सूची सदन के पटल पर रखने की मांग करती हूं। उन विभागों में 1 जुलाई, 2019 तक स्वीकृत, भरे एवं खाली पदों की स्थिति विभागानुसार सदन के पटल पर रखें।

माननीय अध्यक्ष साहब, आज मैं आपके समक्ष एक बात और कहना चाहूंगी कि गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर बेरोजगारों द्वारा विशाल प्रदर्शन कर अपनी मांगों को पूरी करने की मांग की थी। उन मांगों में, पेंडिंग या विचाराधीन भर्तियों को पूरा कीजिए, रिक्त पदों पर नई भर्तियां निकाली जाएं, भर्ती में इंटरव्यू समाप्त किये जाएं, परीक्षा में फर्जीवाड़ा, पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी, परीक्षा केन्द्रों पर गड़बड़ी एवं फर्जी डिग्रियों एवं इंटरव्यू के पश्चात् इंटरव्यू में पर्सनल बायस पर कठोर कानूनी कार्यवाही की मैं मांग करती हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहूंगी कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण फैक्ट्रियों से कई मजदूरों को निकाला गया।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

इसी प्रकार हिन्दुस्तान जिंक के दरीबा संयंत्र और माइंस में से कोरोना संक्रमण के समय लगभग 300 कर्मचारियों को निकाल दिया गया था। इनमें से अभी तक लगभग 80 मजदूरों को काम पर भी नहीं लिया गया है। कंपनी का प्रोडक्शन दिन-पर-दिन बढ़ता जा रहा है, जो कि अब बढ़कर 5 लाख से 25 लाख टन हो गया है किन्तु मजदूरों की संख्या अभी तक नहीं बढ़ाई है। कंपनी में लगभग 2 हजार मजदूर ठेकेदारी का काम करते हैं। स्थायी मजदूरों की संख्या लगातार घटाते जा रहे हैं। हिन्दुस्तान जिंक के जहरीले अपशिष्ट के कारण रेलमगरा दरीबा क्षेत्र का भूजल प्रदूषित हो गया है। इस कारण यहां पर खेतीबाड़ी भी नहीं हो पा रही है। खेतीबाड़ी में लगे युवा बेरोजगार हो गये हैं। मजदूरों की भर्ती में प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को प्राथमिकता देने की नीति बनानी चाहिए। कम से कम 75 प्रतिशत रोजगार प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को देना चाहिए। नियमित उत्पादन का काम ठेके के मजदूरों से करवाना एक गलत परम्परा है। नियमित काम के लिए कंपनी को मजदूरों की सीधी भर्ती करनी चाहिए। प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता के लिए राज्य सरकार को एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। कोई कंपनी एक क्षेत्र के वातावरण को प्रदूषित करे, जल को दूषित करे, वहां की कृषि भूमि की उपजाऊ शक्ति को समाप्त कर दे और प्रभावित स्थानीय युवाओं को रोजगार भी नहीं दे, इसे सहन नहीं किया जा सकता है।

मैं आपके माध्यम से इस स्थगन प्रस्ताव के जरिये सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि जिन बेरोजगार युवाओं ने आपके झूठे वादों पर यकीन कर बहुत उम्मीद से आपकी सरकार बनाई थी, उनके भविष्य से मत खेलिये।

श्री अध्यक्ष: श्री बलजीत यादव।

विभिन्न भर्तियों में अधिकारियों की लापरवाही से अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा कि कोरोना काल में काफी बेरोजगारों को रोजगार दिया। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान का बेरोजगार युवा काफी दुःखी और निराश है। पहले से ही 22 राज्य ऐसे हैं, जिसमें तरह-तरह के कानून और शर्तें लगाकर राजस्थान के युवा को वहां रोजगार पाने से रोका जा रहा है। 22 राज्यों में राजस्थान के युवाओं की सलेक्शन रेट जीरो है। मैंने पहले भी मांग की थी कि राजस्थान की सरकार भी ऐसा कानून बनाए

(श्री बलजीत यादव)

जिससे सरकारी और गैर-सरकारी जो भी नौकरियां हैं, उसमें राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के हक की रक्षा हो सके।

अध्यक्ष महोदय, चाहे कार्मिक विभाग हो, आरपीएससी हो, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, इनके अधिकारियों की लापरवाही के चलते कितने ही बेरोजगार युवाओं का भविष्य अंधकार में रहता है। कितने ही बेरोजगार युवा हैं, वह दुःखी रहते हैं। उनके मां-बाप जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो यहां पर कोचिंग महंगी-महंगी देने के लिए उनको भेजते हैं। किराये पर मकान लेते हैं। वह सब भी दुःखी हैं। छोटी-छोटी गलतियां कर-करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। अभी आरपीएससी ने एक विज्ञापन निकाला, जिसमें तरह-तरह से, क्योंकि सरकार ने अलग-अलग वर्ग के लिए जो आरक्षण निर्धारित किया है, उसका निर्धारण किया जाता है, उसके अन्दर त्रुटि रहती है। जैसे अभी राजकीय पुलिस सेवा के लिए ओबीसी का निकाला तो 77 पद जो जारी किये उसमें उनको जीरो दिखाया गया। बाद में जब लोगों ने शिकायत की तो 12 पद आ गये। ऐसे ही कभी एससी में, कभी एसटी में, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उनमें, इनकी गणना के अन्दर लापरवाही की जाती है। फिर लोग कोर्ट चले जाते हैं और वह भर्ती फंस जाती है। इसलिए इस प्रकार से जो त्रुटियां होती रहती हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा समय लूंगा। सबको बहुत मिला है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, अपनी बात कीजिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मैं यह कहना चाहता हूं कि जो दूसरे राज्य अगर यहां के युवा को नहीं ले रहे हैं तो हमारी और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे राजस्थान का युवा है, बेरोजगार है, उसका भविष्य कैसे सुरक्षित हो? उसके अधिकारों की कैसे रक्षा हो? इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जो लापरवाह अधिकारी हैं, उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। जो नकल का धंधा चल रहा है, दूसरे राज्यों के गिरोह आ गये हैं और वह पेपर आउट करा देते हैं। पेपर महंगे-महंगे पैसों में बिकता है और वह जेल जाते हैं और तुरन्त जमानत पर छूट जाते हैं। फिर वापस से उस धंधे में लग जाते हैं। इस प्रकार से लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। पहले ही रोजगार नहीं है, जो है उसको भी वह पैसों में बेच देते हैं तो सरकार ऐसा कानून बनाए जिससे कठोर से कठोर उनको सज़ा मिले। उनकी जमानत

(श्री बलजीत यादव)

न हो, वे रुके, तभी इन पर रोक लगेगी वरना रोक नहीं लगेगी। जिन राज्यों में हमें नहीं जाने दे रहे, उन्हीं दूसरे राज्यों के गिरोह यहां पर पकड़े जा रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब हो गया।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सरकार चाहे किसी की भी हो। कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं। लेकिन लगाम लगाई जानी चाहिए। ये बार-बार पुनरावृति होती है कि एक बार आउट हुआ, फिर आउट हुआ।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, वाइंडअप।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अब तो ऐसा लगने लग गया कि एग्जाम हो गया, पता नहीं रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 295, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत 8 लेन एक्सप्रेस-वे के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री परिवहन करने वाले ओवरलोड ट्रकों के गुजरने से सम्पर्क सड़कों के क्षतिग्रस्त होने पर दुरुस्त करने हेतु राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग में जमा कराने हेतु विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारतमाला प्रोजेक्ट, नई दिल्ली-मुम्बई के अन्तर्गत 8 लेन एक्सप्रेस-वे (148-एन) के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री परिवहन करने वाले ओवरलोड ट्रकों के गुजरने से संवेदक कंपनी के कोटा, बूंदी जिले की ग्रामीण इलाके की अनेक सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। क्षतिग्रस्त करने वाली निर्माण कंपनी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक कराया जाना अतिआवश्यक है क्योंकि संवेदकों द्वारा मनमाने तरीके से मिट्टी का खनन किया जा रहा है। गांव, ढाणियों, निजी खातेदारों, चरागाह एवं सिवायचक, नदी, नाला, वन भूमि, गांवों में स्थित बांधों, तालाबों व तलाइयों की जमीन से खोदकर मिट्टी ले जाने की निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। मिट्टी की खुदाई हेतु स्थानीय ग्राम पंचायतों/नगरपालिकाओं से अनुमति नहीं ली गयी है। अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त बूंदी द्वारा दिनांक 28/06/2021 को

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड लाखेरी को पत्र लिखकर पुलिस एफआईआर दर्ज कराने के आदेश भी दिये गये थे किन्तु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

निर्माण में कोटा की लगभग 200 किलोमीटर, रामगंजमंडी की 100 किलोमीटर व लाखेरी सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड की लगभग 150 किलोमीटर क्षेत्र के गांवों की प्रधानमंत्री सड़क योजना, राज्य सरकार, कृषि उपज मंडी, डीएमएफटी व ग्राम पंचायतों से बनाई गई सड़कें, किसानों के खेत, अनेक स्थानों पर विद्युत विभाग की हाइटेंशन लाइन के पास की पूरी चरागाह की भूमि, तालाब आदि को खोदकर मिट्टी निर्माण कार्यों में काम ली जा रही है। इसलिए ऐसे संवेदकों के विरुद्ध कार्यवाही कर रोका जाना अतिआवश्यक हो गया है।

अत: उक्त सम्पर्क सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने, संवेदकों द्वारा नष्ट की गई समस्त सड़कों को पुन: बनवाने हेतु राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग में जमा कराने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बलवान पूनियां।

भादरा में अन्तरराज्यीय जल समझौते के अनुसार पानी की आपूर्ति

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि भादरा-नोहर के हिस्से का पानी वाया पंजाब-हरियाणा से आता है। भादरा-नोहर के हिस्से के पानी में पिछले काफी समय से कटौती हो रही है। शेयर के मुताबिक पानी नहीं मिल रहा है, जिस कारण सिंचाई पानी ही नहीं बल्कि पेयजल की समस्या नोहर-भादरा क्षेत्र में बनी हुई है।

अध्यक्ष जी, भादरा-नोहर हिस्से का कुल पानी 28.08.2021 को 600 क्यूसेक था, जिसमें से 259 क्यूसेक सिद्धमुख नहर व 44 क्यूसेक पानी नोहर फीडर में मिल रहा था। इसी तरह अमरसिंह ब्रांच में लगातार 355 क्यूसेक पानी के बजाय 250 क्यूसेक से लेकर 355 क्यूसेक के बीच उतार चढ़ाव रहता है। हरियाणा और पंजाब क्षेत्र में पानी में आ रहे उतार चढ़ाव के वजह से राजस्थान के वाया हरियाणा भादरा, नोहर और राजगढ़ तहसील के किसान प्रभावित होते हैं। इस क्षेत्र की तीनों नहरों अमरसिंह ब्रांच, सिद्धमुख व नोहर फीडर की वितरिकाएं पिट जाती हैं जिस कारण टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है।

(श्री बलवान पूनियां)

अध्यक्ष जी, निवेदन है कि अन्तरराज्यीय जल समझौते के अनुसार जीरो हैड पर भादरा-नोहर और राजगढ़ के हिस्से का पूरा पानी दिया जाए, ताकि हमारी नहर में पूरा पानी आ सके, प्रत्येक माइनर में टेल तक पूर्ण पानी पहुंच सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बलवीर सिंह लूथरा।

रायसिंहनगर के नहरी किसानों को सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के नहरी किसानों को इस क्षेत्र में चलने वाली नहरें जो कि गंग कैनाल, अनूपगढ़ शाखा, सूरतगढ़ शाखा में सिंचाई पानी नहीं मिलने के कारण किसानों की फ़सलें बर्बाद हो चुकी हैं। हमारे क्षेत्र की गंग कैनाल शाखा में जब-जब भी पानी छोड़ा जाता है, नहर क्षतिग्रस्त होने के कारण बार-बार टूट जाती है जिससे किसानों की खड़ी फ़सलें बर्बाद हो जाती है एवं किसानों की पानी की बारी भी पूरी नहीं लगती। गंगनहर की तुरन्त सफाई व मरम्मत का कार्य शीघ्र करवाया जाए।

आईजीएनपी नहरों का आज तक रेगुलेशन जारी नहीं किया गया है। किसानों को आज भी पता नहीं है कि उनके खेत में कब तक पानी आएगा।

हाल ही में अनूपगढ़ शाखा में 6 तारीख को सुबह 9 बजे 2450 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कि 7 तारीख की रात 12 बजे पानी पूर्णतया: बंद कर दिया गया जबकि यह नहर साढ़े आठ दिन चलाई जानी थी। मात्र डेढ़ दिन पानी चलाया गया जिससे किसानों को पानी नहीं मिला। नहरें मात्र गीली करके छोड़ दी गईं तथा इससे पानी की बर्बादी हुई और किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी नहीं मिला।

यही हाल सूरतगढ़ शाखा का है। सूरतगढ़ शाखा में पानी समय पर नहीं छोड़ा जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के किसानों की फ़सलें भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं।

राजस्थान सरकार के 33 माह पूरे होने के बाद भी इस सम्पूर्ण कार्यकाल में आईजीएनपी मंत्री द्वारा न तो दौरा किया गया और न ही किसानों की सुध ली गई। राजस्थान के किसानों को आज भी पता नहीं है कि राजस्थान का सिंचाई मंत्री कौन है। हमारे क्षेत्र में बरसात नहीं होने के कारण

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

एवं उक्त क्षेत्र की नहरों में सिंचाई पानी नहीं छोड़े जाने के कारण फ़सलें बर्बाद हो चुकी हैं। पूरे क्षेत्र में अकाल की स्थिति बनी हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि खराब हुई फ़सलों की तुरन्त गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और तुरन्त प्रभाव से रेगुलेशन जारी कर आईजीएनपी की नहरों में समय पर पानी छोड़ा जाए।

बीकानेर सम्भाग, श्रीगंगानगर ज़िले को अकालग्रस्त घोषित किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: कुछ बातें आगे जोड़ दीं आपने। श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ शाखा में सिंचाई के पानी का रेगुलेशन नहीं होने से किसानों को परेशानी

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के माध्यम से निवेदन है कि अनूपगढ़ शाखा में सिंचाई पानी छोड़ने व रेगुलेशन नहीं होने के कारण किसानों को आ रही परेशानी के सम्बन्ध में सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रही हूं।

अनूपगढ़ शाखा में सिंचाई पानी के लिए उपखण्ड कार्यालय घड़साना में 03.09.2021 को धरना दिया और हमें मजबूर होकर बिरधवाल हैड पर 05.09.2021 को धरना देना पड़ा, फिर 06.09.2021 को छोड़ा गया था और 07.09.2021 को बंद कर दिया गया और अभी राजनीतिक के भेंट चढ़ा हुआ है। पता नहीं पानी कब छोड़ा जाएगा। नहर बंदी के कारण पूरे क्षेत्र में किसान ख़रीफ़ फसल की बुवाई से भी वंचित रह गया है। इंदिरा गांधी नहर में सिंचाई पानी को लेकर विभिन्न जन प्रतिनिधियों व किसान संगठनों ने भी लगातार मांग उठाई लेकिन इसका कोई भी समाधान नहीं हुआ। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की बैठक भी नहर बंदी के बाद कई बार हो चुकी है लेकिन किसानों को सिंचाई पानी देने का रेगुलेशन तय नहीं हुआ है। वर्तमान में पौंग डैम जल संग्रहण क्षेत्र में बरसात होने के कारण आज दिनांक तक पौंग डैम का लेवल 1348 फीट हो गया है। इसके बावजूद भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में किसानों को सिंचाई पानी का रेगुलेशन तय नहीं करना चिन्ता का विषय है। अनूपगढ़ शाखा में सिंचाई पानी जल्दी छोड़ा जाए व रेगुलेशन तय किया जाए, नहीं तो जन प्रतिनिधि व किसान भाइयों को मजबूर होकर आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरना होगा।

(श्रीमती संतोष)

मेरी मांग है कि अतिशीघ्र अनूपगढ़ शाखा में सिंचाई पानी छोड़ा जाए व बीबीएमबी चेयरमैन को निर्देशित कर जल परामर्शदात्री की बैठक बुलाकर किसानों के लिए सिंचाई पानी का रेगुलेशन तय किया जाए, जिससे आगामी फसल की बुवाई के बारे में सोच सके और किसानों का हित हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: जोराराम कुमावत।

जवाई बांध के पुनर्भरण हेतु योजना बनाकर पेयजल का स्थाई समाधान

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मारवाड़ की जीवन रेखा कहे जाने वाला जवाई बाँध निर्माण के बाद अब तक मात्र आठ बार पूर्ण रूप से भरा है। जवाई बांध से पाली ज़िले के गांवों को पेयजल हेतु जवाई क्लस्टर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चार चरणों में योजनाएं बनीं। एक योजना सिरोही के 72 गांवों को पेयजल देने हेतु बनाई गई। इन योजनाओं से ज़िले के 811 गांवों को पेयजल उपलबध करवाया जा रहा है और ये सभी योजनाएं पूर्ण होने पर 1100 गाँवों को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। जवाई से कमाण्ड क्षेत्र में वर्तमान में मुख्य नहर 23 किलोमीटर 21 अन्य माइनर तथा 238 किलोमीटर वितरिकाओं द्वारा पाली ज़िले के 33 गांवों में 25825.40 हैक्टेयर व जालौर ज़िले के 24 गांवों की 12845.60 हैक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होती है। जवाई बांध से बार-बार पानी ले जाने की योजनाएं सरकार बनाती है लेकिन जवाई बांध में पानी लाने की कोई बड़ी योजना आज तक नहीं बनी है।

जवाई बांध वर्षा आधारित बांध है। इस बांध के कैचमेंट क्षेत्र में कम बरसात होने से ज्यादातर यह बांध खाली ही रहता है। उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सेई बांध का पानी 6 किमी. लंबी सुरंग के माध्यम से जवाई बांध में आता है। जवाई बांध के सहायक बांध सेई व कालीबोर की भराव क्षमता कम होने से वर्षा का 10 गुना पानी गुजरात बहकर चला जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में बार-बार अकाल की स्थिति होने से पाली ज़िले की ग्यारह लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने व किसानों को कृषि हेतु पानी देने में प्रशासन को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी की कमी से कई बार पेयजल के लिए ट्रेनों से पानी लाना पड़ता है व सिंचाई के लिए

(श्री जोराराम कुमावत)

प्रशासन व किसानों के बीच संघर्ष की स्थिति बन जाती है। पिछली सरकार ने 2017 में जवाई पुनर्भरण की डीपीआर बनाने हेतु 12.10 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी जिसमें उदयपुर ज़िले की कोटड़ा तहसील में साबरमती बेसिन पर विभिन्न नदियों पर तीन बांध निर्माण कर गुजरात बहकर जाने वाले अधिशेष जल में से 7 टीएमसी पानी को पाइपलाइन व सुरंग के माध्यम से पाली ज़िले के नाना गांव के पास जवाई नदी में छोड़ना प्रस्तावित था। डीपीआर बनाने के लिए मैसर्स वास्कोप लिमिटेड गुड़गांव का टेंडर हुआ था, जिसमें 6521.84 करोड़ की राशि प्रस्तावित थी। पूर्ववर्ती सरकार ने 2018 के बजट घोषणा में भी जवाई पुनर्भरण हेतु 6000 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया था, लेकिन चार वर्ष बीत जाने के बाद भी यह योजना ठंडे बस्ते में पड़ी है। योजना की डीपीआर पूर्ण करवाने व जवाई पुनर्भरण योजना को स्वीकृत कराने की आवश्यकता है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय भी मारवाड़ से आते हैं। जवाई बांध मारवाड़ की जीवन रेखा है। जवाई बांध ने करीबन 40 वर्षों तक जोधपुर को पानी पिलाया है। अब पाली सहित मारवाड़ में भयंकर अकाल की स्थिति है। जवाई बांध में मात्र एक महीने का पीने का पानी शेष है। 96 घंटे से पेयजल सप्लाई दी जा रही है। यदि जवाई में पानी लाने की बड़ी योजना शीघ्र लागू नहीं की तो ज़िले के 1100 गांवों तक बिछाई गई पाइपलाइन जमीन में ही सड़ जाएगी। वर्तमान में पाली जैतारण, सोजत, मारवाड़ जंक्शन व सुमेरपुर व बाली के गांवों को जोधपुर से पाइपलाइन द्वारा पानी लाकर देने की जरूरत है। वही स्थायी समाधान हेतु जवाई पुनर्भरण योजना को शीघ्र स्वीकृत कर पूरे मारवाड़ क्षेत्र को पेयजल व सिंचाई हेतु सौगात दिलाने का श्रम कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।

(13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: श्री छगनसिंह।

आहोर में सड़कों व पुलियाओं के स्वीकृत कार्यों में विलम्ब

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि जालौर जिले के बागरा नारणावास धवला लेटा मार्ग,

(श्री छगनसिंह)

जो बजट घोषणा, 2020 में था, पिछले 2 वर्ष होने के बावजूद अभी तक इस काम को शुरू नहीं किया गया है। दो बार वहां पर रॉ-मैटेरियल ठेकेदार ने डलवाया था, लेकिन पुन: वहां से रॉ-मैटेरियल को उठवा लिया गया। इस सड़क की हालत दयनीय है, जगह-जगह पर बड़े-बड़े खड्डे हो रखे हैं। घोषणा के बावजूद भी वहां पर अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है जिससे उस रास्ते पर आना-जाना बिलकुल अवरुद्ध है। उक्त रास्ते से कई गांवों का सम्पर्क है, इसलिये इस कार्य को तुरन्त प्रभाव से शुरू करवाकर वहां के आमजन को राहत प्रदान कराई जाए।

आहोर विधान सभा क्षेत्र के कवराड़ा गांव के समीप क्षतिग्रस्त पुलिया का बजट स्वीकृत होने के बावजूद भी काम प्रारम्भ नहीं हुआ है। इस पुलिया से सभी गांवों का आना-जाना बंद है और उक्त कार्य के लिये तीस लाख रुपये का बजट स्वीकृत है। इसके उपरांत भी सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी और विधान सभा में भी इस विषय को लेकर पहले भी नियम 295 के अन्तर्गत एवं याचिका लगाई थी, लेकिन मात्र तीस लाख रुपये के लिये भी बजट की उपलब्धता पर काम होने का आश्वासन दिया गया। उक्त कार्य का वर्क आर्डर भी दिया हुआ है, फिर भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। अत: इसे संज्ञान में लिया जाकर अविलम्ब कार्य शुरू कराया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश।

शिक्षकों व प्रबोधकों की लम्बित मांगों का समाधान

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि राजस्थान प्रदेश में विभिन्न शिक्षक संघों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार को मांग पत्र दिया जा रहा है। इसी सम्बन्ध में हाल ही में मुझे राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय), पंचायती राज शिक्षक संघ व प्रबोधक संघ, राजस्थान उप शाखा जैतारण/रायपुर, जिला पाली के समस्त पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। उक्त ज्ञापन में प्रमुख रूप से वर्ष 2004 के पश्चात् नियुक्त शिक्षकों के लिये पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना, वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में पूर्व में गठित सामंत कमेटी की रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक करना, 2007 से 2009-10 तक के शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करना, शिक्षकों को बी.एल.ओ. कार्य से मुक्त करना, विद्यालयों में समुचित संसाधनों की व्यवस्था

(श्री अविनाश)

नहीं हो, तब तक ऑनलाइन उपस्थिति से वेतन आहरण की अनिवार्यता स्थगित करना, 27.07.2021 को सरकार द्वारा नवीन सेवा नियमों को लेकर जारी की गई अधिसूचना में शिक्षा व शिक्षक विरोधी प्रावधानों को संशोधित करना तथा वर्ष 2008 में नियुक्त प्रबोधकों के छठे वेतनमान के तहत किये गये फिक्सेशन में तत्कालीन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण शिक्षकों को प्रतिमाह 3000 से 4000 रुपये का नुकसान हो रहा है। इन प्रबोधकों के मूल वेतन में त्रुटि लेखाकर्मियों व विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई है, जिसे संशोधित करने के आदेश पारित करवाकर प्रबोधकों को राहत प्रदान कराना जैसी महत्वपूर्ण मांगें हैं।

अत: आपसे निवेदन है कि विभिन्न शिक्षक संघों द्वारा की जा रही मांगों पर सकारात्मक विचार कर इन्हें राज्य सरकार द्वारा पूरा करवाएं, जिससे सम्पूर्ण राजस्थान के शिक्षकों की वर्षों से लम्बित समस्या का समाधान हो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

सुकेत कस्बे की श्मशान भूमि पर अतिक्रमण

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख कर निवेदन है कि कोटा जिले की रामगंज मण्डी तहसील क्षेत्र के सुकेत कस्बे के खसरा नम्बर 38 की 0.61 हैक्टेयर श्मशान भूमि में से अधिकांश भूमि पर लोगों ने मकान बनाकर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके कारण से वहां के लोगों को मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार करने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा इसी विधान सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से पूछा गया था तो सरकार ने स्वीकार किया था कि हां, अतिक्रमण है और उसको हटाने के आदेश भी दिये हुए हैं परन्तु शांतिभंग होने की सम्भावना व कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा सकेगी। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार व प्रशासन गुंडों व दबंगों से डरता है या फिर एक विशेष समुदाय के होने के कारण हिन्दुओं के श्मशान घाटों पर अतिक्रमण करने वालों को प्रश्रय देकर हिन्दुओं को कमजोर समझा जा रहा है।

महोदय, सुकेत वह कस्बा है जहां की एक दलित नाबालिग बालिका

(श्री मदन दिलावर)

के साथ एक समुदाय विशेष के लगभग 40 लोगों ने सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है, इसलिये वहां के लोग डरे व सहमे हुए हैं। अब उनका गुस्सा कब फूट पड़े कोई पता नहीं है। अतिक्रमणकारियों के प्रति लोगों में काफी गुस्सा है और समय रहते सरकार व प्रशासन के द्वारा यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो कभी भी कोई बड़ी अनहोनी घटना घटित होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है क्योंकि दबंगों व अतिक्रमणकारियों ने श्मशान घाट की भूमि पर ही नहीं, बल्कि स्कूल परिसर व खेल के मैदान पर भी अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया है और सरकार व प्रशासन मूक दर्शक बने बैठे हैं। अत: सरकार से मेरा आग्रह है कि तत्काल श्मशान घाट से अतिक्रमण हटवाकर कस्बेवासियों को राहत प्रदान कराए।

यह काफी लोक महत्व का मामला है, इसलिए विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं इस ओर सरकार से कार्यवाही हेतु निवेदन कर रहा हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

जोधपुर के मथुरादास माथुर चिकित्सालय में एम.आर.आई. ठेका फर्म की मिलीभगत से कारित भ्रष्टाचार

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान मेडिकल कालेज, जोधपुर से सम्बद्ध मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर में एम.आर.आई. ठेका फर्म मैसर्स सत्यम डाइग्नोस्टिक, जोधपुर द्वारा अपने हितबद्ध तत्कालीन प्राचार्य मेडिकल कालेज, जोधपुर एवं मेडिकल सुपरिन्डेन्टेन्ट, एम.डी.एम. अस्पताल, जोधपुर से मिलीभगत कर गम्भीर भ्रष्टाचार कारित करने की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। मेरा निवेदन है कि-

1. मैसर्स सत्यम डाइग्नोस्टिक फर्म को दिनांक 04.02.2009 को मेडिकल रिलीफ सोसायटी के साथ हुए करार के तहत मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर में एम.आर.आई. इंस्टालेशन और आपरेशन का ठेका दिया गया।
2. उक्त फर्म के जिन पार्टनर्स के साथ करार किया गया, उनमें से दो पार्टनर ने बाद में फर्म से स्वयं को अलग कर दिया और

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

मेडिकल रिलीफ सोसायटी को इस सम्बन्ध में सूचित भी किया और फर्म के तीसरे पार्टनर के द्वारा की जा रही अनियमितताओं की शिकायत भी प्रस्तुत की।

3. उक्त ठेका फर्म द्वारा बिजली के बिल, पानी के बिल के लगभग पचास लाख रुपये बकाया हैं, जिस पर लगातार पैनल्टी और ब्याज एम.डी.एम. अस्पताल मेडिकल रिलीफ सोसायटी, जोधपुर भुगत रही है। इसी प्रकार फर्म पर किराये के भी लाखों रुपये बाकी हैं।
4. साथ ही, उक्त करार की शर्तों के अनुसार प्रतिमाह 20 प्रतिशत नि:शुल्क एम.आर.आई., जिसका अवशेष सदैव अग्रेतर जोड़ा जाता है, उसमें भी बहुत लम्बा हिसाब बकाया है।
5. इन सभी बकायों के लम्बे-चौड़े हिसाब के बावजूद, फर्म के मूल पार्टनर्स की शिकायतों के बावजूद और अलग हुए पार्टनर्स द्वारा फर्म डिजोल्व करने के बावजूद, शेष बचे एक मात्र पार्टनर श्री करणीसिंह के साथ तत्कालीन प्राचार्य डा. गुलजारी लाल मीणा एवं तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेन्डेट, एम.डी.एम. अस्पताल, जोधपुर, डा. महेन्द्र आसेरी से मिलीभगत कर मैसर्स सत्यम डाइग्नोस्टिक को पुराने ठेके का नवीनीकरण कर दिया जबकि पूर्व करार में ठेके का नवीनीकरण करने का प्रावधान ही नहीं था। इस नवीनीकरण हेतु मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की अनुमति लेना तो दूर रहा, सूचना तक नहीं दी गई। इस प्रकार व्यक्तिगत हितबद्धता के चलते गम्भीर भ्रष्टाचार किया गया है। मेरी मांग है कि अविलम्ब उक्त प्रकरण के समस्त दस्तावेजों को सील कर ए.सी.बी. से जांच करवाई जाए और दौरान जांच उक्त दोनों अधिकारियों को निलम्बित रखा जाए और ठेका फर्म से पुरानी वसूलियां मय ब्याज और पैनल्टी सहित कर ठेका निरस्त कर ठेके की नवीन प्रक्रिया, खुली निविदा प्रक्रिया से की जाए। सादर।

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण मीना।

रोझ (जंगली पशु) से फसलों को कारित नुकसान

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों एवं जंगलों में लाखों (अनगिनत) की संख्या में

(श्री रामनारायण मीना)

रहने वाले (विचरण करने वाले) जंगली पशु रोझ की प्रजनन क्षमता सर्वाधिक होने से इनकी संख्या में निरंतर बेतहाशा हो रही बढ़ोतरी के कारण इनके द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाये जाने की वजह से किसानों को कृषि कार्य में नुकसान बढ़ता जा रहा है। तीव्र गति से बढ़ रही रोझ नामक पशु की संख्या को रोकने तथा इनसे कृषि की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास नाकाफी हैं। वन्य जीव द्वारा मनुष्य एवं पालतू पशुओं को नुकसान पहुंचाने पर मुआवजा देने का प्रावधान है किंतु सरकार द्वारा संरक्षित घोषित जंगली जानवरों द्वारा जंगल से निकलकर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने पर मुआवजा स्वीकृत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं होने से किसान भारी परेशान हैं तथा फसलों को बरबाद किये जाने से स्वयं किसान बरबादी के कगार पर हैं।

वर्षों से मांग के बावजूद भी इस जन्तु को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के शिड्यूल-III से शिड्यूल-V (वर्मिन-पीड़क जंतु) में स्थानांतरित नहीं किया गया है। वन्य जीवों से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए जिलों में पदस्थापित जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं थानाधिकारी द्वारा रोझ को मारने की अनुमति के लिए आवेदन करने पर किसानों को अनुमति नहीं दी जा रही है बल्कि उन्हें हतोत्साहित किया जाता है। रोझ सहित वन्य जीवों द्वारा पालतू पशुओं एवं मानवों को होने वाले नुकसान पर उचित मुआवजा भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। रोझों की ऊंची तथा लंबी छलांग लगाने की क्षमता के कारण किसानों की फसलों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। यह भी अत्यन्त चिंताजनक है।

आम जन एवं किसानों के हितों की दृष्टि से यह अत्यन्त ज्वलंत एवं महत्वपूर्ण मुद्दा है। रोझों से निजात पाने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, राजस्थान के पत्रांक प.3(9)वन/2014, दिनांक 30.07.2015 को रोझड़ों को पीड़क जंतु घोषित करवाने के सम्बन्ध में जिला कलेक्टरों से चाहे गये वांछित प्रस्ताव 6 वर्ष बाद भी प्राप्त नहीं हुए हैं। अधिकांश जिला कलेक्टर सरकारी आदेश की समय पर पालना करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, राजस्थान के पत्र क्रमांक 2128 दिनांक 15.02.2020 का भी जिला कलेक्टरों ने जवाब प्रेषित नहीं किया है। रोझ किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है।

(श्री रामनारायण मीना)

अत: विनम्र अनुरोध है कि रोझ नामक जंगली पशु से फसलों की सुरक्षा के लिए इनको भारत सरकार से वर्मिन पीड़क जंतु घोषित करवाने तथा रोझों के द्वारा फसलों के किये जा रहे नुकसान का मुआवजा भी दिलाने के लिए कानून में संशोधन करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप लाल भील।

गोगुन्दा में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज-III की विभिन्न सड़कें स्वीकृत की गईं, जिसमें ईसवाल से लोसिंग, कविता से लखावली, थूर से बड़ी, उखलियात से भाडेर, तेजा का वास से बांकावास शामिल है। इन सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने निविदा प्रक्रिया कर संबंधित ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने के आदेश दिये एवं तत्पश्चात् ठेकेदार द्वारा उक्त सड़कों को प्रारम्भ किया गया, जिसमें पूर्व की जो सड़क बनी थी, उसको उखाड़ दिया व नया मैटेरियल डालकर सड़क निर्माण चालू किया। सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जिस पर ग्रामीणों ने शिकायत की। शिकायत पर विभाग ने जांच की, जिसमें ठेकेदार दोषी पाया गया। उसके बाद से लगभग एक साल से यह सभी सड़कें उखड़ी पड़ी हैं। कई बार अधिकारियों से कार्य प्रारम्भ करने हेतु सम्पर्क किया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मेरा आग्रह है कि उक्त सड़कों का कार्य शीघ्र चालू किया जाए व जिन अधिकारियों ने लापरवाही की उन पर सख्त कार्यवाही की जाए। साथ ही, ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्यवाही कराते हुए जन हित में उक्त सड़कों का कार्य शीघ्र चालू कराने की कार्यवाही कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मेन्द्र कुमार।

पीलीबंगा में सेम नाले की सिल्ट सफाई एवं पम्प हाउस के नियमित संचालन के लिए बजट आबंटन

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सेम नाले की सिल्ट सफाई एवं पम्प हाउस के नियमित संचालन के लिए बजट आबंटन किये जाने की मांग करता हूं।

विधान सभा क्षेत्र में सेम समस्या एक प्रमुख समस्या बनती जा रही है। गांव भौरूंसरी से बडोपल पम्प हाउस तक 32 किलोमीटर में सेम नाला सिल्ट से पूर्णतया भरा पड़ा है जिसमें चक 68 एम.एम., 13 एस.पी.डी., 18 एस.पी.डी. चक भूरिया वाला एवं चक ढाकरू वाला तक नाला पूर्णतया अवरुद्ध है। इसके साथ-साथ, कस्बा रावतसर से चक 15-16 के.डब्ल्यू.डी. खेतावाली ढाणी, 99 आर.डी. कुल 10 किलोमीटर सिल्ट से भरा है। ऐसी स्थिति में, नाला बंद होने से सिल्ट की सफाई नहीं होने पर भर जाता है। सेम का प्रभाव पुन: होने पर हजारों किसानों की खड़ी फसलें बरबाद होती जा रही हैं, जैसे कि थाली में रोटी डालकर छीन ली जाती है।

मैं विधान सभा में लगातार ढाई वर्षों से सेम समस्या का निदान करवाने के लिए मांग कर रहा हूं लेकिन न तो सिंचाई विभाग और न ही सरकार कोई ध्यान दे रही है। अत: आपके माध्यम से पुन: सरकार का ध्यान इस ओर दिलवाना चाहूंगा कि पम्प हाउस के नियमित संचालन के लिए विद्युत व्यय/सेम नाला सफाई के लिए सरकार शीघ्र ही बजट जारी करे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 131- ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री संयम लोढ़ा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जोधपुर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए राजस्थान के छात्रों को आरक्षण

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अन्य राज्यों के विधि विश्वविद्यालयों की भांति राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर में प्रवेश के लिए राजस्थान के छात्रों को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम-131 के अन्तर्गत माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों की स्थापना अखिल भारतीय

(श्री भंवर सिंह भाटी)

स्वरूप में की गई थी तथा इसमें राज्य के निवासी विद्यार्थियों हेतु पृथक से आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर की स्थापना 1999 में किये जाने के समय भी इसका अखिल भारतीय स्वरूप ही रखा गया था।

पश्चातवर्ती अवधि में कई राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में राज्य के निवासियों हेतु आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। वर्तमान में क्लेट के माध्यम से जिन विधि विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया जा रहा है उनमें से तीन चौथाई से अधिक में स्टेट कोटा या राज्य के निवासी विद्यार्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान हो गया है। समय के साथ-साथ अन्य राज्यों के विधि विश्वविद्यालयों में स्टेट कोटा लागू होने के कारण राजस्थान के आवेदकों के लिए अवसर कम होते चले गये जिसके चलते विगत वर्षों से राज्य सरकार को लगातार राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर में राजस्थान के निवासी विद्यार्थियों के लिए स्टेट कोटा लागू करने के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में विधि एवं कार्मिक विभाग से राय प्राप्त करके राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर यह नीतिगत निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर में राजस्थान के निवासी विद्यार्थियों, स्टेट डोमिसाइल के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाए।

राज्य सरकार के इस निर्णय से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर को पत्र दिनांक 14.03.2018 द्वारा अवगत कराते हुए विश्वविद्यालय में राजस्थान के निवासी विद्यार्थियों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर ने विभाग को अवगत कराया कि आरक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव पर निर्णय लेने हेतु अकादमिक समिति की बैठक दिनांक 10 जुलाई, 2018 को माननीय जस्टिस मिस मंजू गोयल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत कर अनुशंसा की कि तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि राजस्थान स्टेट डोमिसाइल स्टूडेंट्स देश के बाकी छात्रों की तुलना में मेधावी हैं। विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर में प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए सीटों का आरक्षण कमजोर वर्गों या कम प्रतिनिधित्व के लिए पर्याप्त समानता प्रदान करने की सकारात्मक कार्यवाही की अवधारणा के खिलाफ है।

(श्री भंवर सिंह भाटी)

तदनुसार पिछड़ेपन के आधार पर राज्य के आरक्षण को उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि राजस्थान के छात्र न तो कमजोर हैं, न ही कम प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्य आरक्षण के लिये अन्य आधार राज्य के हित भी यहां उल्लेखनीय नहीं होते हैं। अत: समिति यह दृढ़ता से महसूस करती है कि राजस्थान स्टेट डोमिसाइल स्टूडेंट्स को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर में प्रवेश करने के लिये किसी भी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। समिति द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी प्रेषित किये गये।

अध्यक्ष महोदय, इस समिति की रिपोर्ट विश्वविद्यालय ने पत्र दिनांक 22.01.2021 द्वारा विभाग को प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि प्रकरण को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद्, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अंतिम निर्णय हेतु रखा गया एवं कार्यकारी परिषद् के सदस्यों की राय थी कि कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिये समय दिया जाना चाहिए। विभाग द्वारा समिति की रिपोर्ट को पत्र दिनांक 29.01.2021 के द्वारा श्री एम.एस. सिंघवी, महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर को प्रेषित कर राजस्थान राज्य के मूल विद्यार्थियों के लिये राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर में 25 प्रतिशत स्टेट रिजर्वेशन कोटा निर्धारित करने के सम्बन्ध में विधिक राय चाही गयी।

अध्यक्ष महोदय, महाधिवक्ता ने अपने पत्र दिनांक 21.06.2021 द्वारा राय प्रदान की कि राजस्थान सरकार को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में राजस्थान के निवासियों को आरक्षण प्रदान करने के लिये कानून में प्रावधान करने का अधिकार है। इस प्रयोजन के लिये राज्य को विश्वविद्यालय के स्टेट्यूट संख्या 12 संशोधन करने की आवश्यकता है, जोकि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 का हिस्सा है। विधान सभा के माध्यम से कानून को पारित करने की आवश्यकता है। यदि चालू वर्ष के लिये इस तरह के आरक्षण को लागू किया जाना है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत इस तरह के प्रावधान के लिये एक अध्यादेश लाया जाना है। महाधिवक्ता द्वारा प्रदत्त उक्त विधिक राय के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है अध्यक्ष महोदय, कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 की धारा 15 स्टेट्यूट्स की उप-धारा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि विश्वविद्यालय के स्टेट्यूट्स में किसी भी प्रकार के संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय की

(श्री भंवर सिंह भाटी)

एग्जीक्यूटिव काउंसिल को है। विधि विभाग द्वारा प्रदत्त की गयी राय में भी यह अवगत कराया गया है कि अधिनियम के संलग्न स्टेट्यूट्स के क्रम संख्या-12 में आरक्षण का प्रावधान है, जिसके अनुसार विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् को ही आरक्षण के सम्बन्ध में विनियम बनाने की शक्तियां हैं। अत: विभाग के पत्र दिनांक 29.06.2021 द्वारा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर को लिखा गया कि विश्वविद्यालय में प्रदेश के मूल निवासी विद्यार्थियों के लिये स्टेट कोटा निर्धारित करने तथा आरक्षण प्रावधान लागू करने हेतु विश्वविद्यालय के स्टेट्यूट संख्या-12 में आवश्यक संशोधन अपेक्षित हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15(3) व (4) के प्रावधानानुसार स्टेट्यूट्स में संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को है। अत: प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सम्पादित करने हेतु निवेदन किया गया था तथा दिनांक 10.09.2021 को पुन: स्मरण पत्र प्रेषित किया गया। अत: राजस्थान के निवासी विद्यार्थियों के लिये 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के स्टेट्यूट संख्या-12 में संशोधन विश्वविद्यालय के स्तर पर किया जाना है।

यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में वर्ष 2004 में विश्वविद्यालय ने अपने स्टेट्यूट संख्या-12 में संशोधन कर एस.सी. एवं एस.टी. के विद्यार्थियों के लिये यू.जी. एवं पी.जी. कोर्सेस में प्रवेश हेतु सीटें आरक्षित करने का अधिकार विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दिया था। तद्नुरूप विश्वविद्यालय द्वारा एस.सी., एस.टी. को क्रमश: 15 एवं 7.5 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर रखी हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर में यू.जी. एवं पी.जी. में कुल 664 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनमें प्रवेश क्लेट के माध्यम से होता है। विगत सत्र 2020-21 में लगभग 25 प्रतिशत सीटों पर राजस्थान के मूल निवासी विद्यार्थियों का चयन हुआ है। विश्वविद्यालय ने अपने पत्र दिनांक 13.09.2021 के द्वारा अपनी सहमति प्रदान कर दी है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार राजस्थान के निवासी विद्यार्थियों के लिये स्टेट कोटा निर्धारित करने के निर्णय की पालना करने हेतु प्रतिबद्ध है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, लॉ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में पांचवें नम्बर पर है और

(श्री संयम लोढ़ा)

उनसे ऊपर बैंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, भोपाल, जो रैंकिंग में जोधपुर से हायर हैं, उन सभी ने अपने-अपने स्टेट के बच्चों को 25 प्रतिशत सीटें रिजर्व करके दी हैं और राजस्थान में जब लॉ डिपार्टमेंट ने आपको एडवाइज कर दिया, एडवोकेट जनरल ने आपको एडवाइज कर दिया, राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय ले लिया और कल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने खुद ने अपनी सहमति इस पर प्रदान कर दी, तो मैं बहुत स्पष्ट रूप में मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि 2022-23 का जो सत्र होगा एल.एल.बी. का पंचवर्षीय, उसमें राजस्थान के छात्रों को 25 फीसदी कोटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के द्वारा पूर्व में भी राजस्थान के स्थानीय विद्यार्थियों के लिये 25 प्रतिशत कोटा दिये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर विश्वविद्यालय को निर्देशित भी किया है और इस सम्बन्ध में जो अमेंडमेंट्स होने हैं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सैंक्शन... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भाटी साहब, यह बिलकुल सिम्पल बात है, कोई इश्यू नहीं है। यूनिवर्सिटी कह रही है 13.09.2021 को, कि हम प्रतिबद्ध हैं। इनका प्रश्न है कि अगले सैशन से सरकार इसको लागू करेगी या नहीं करेगी, यह सिम्पल प्रश्न है। बाकी डिटेल की इसमें कोई जरूरत नहीं है।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 13.09.2021 के क्रम में पुन: राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान के मूल निवासी छात्रों को 25 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने हेतु निर्णय के निर्देश राज्य सरकार के द्वारा पुन: जारी कर दिये जाएंगे और जो रूल्स में अमेंडमेंट है, वह विश्वविद्यालय के स्तर पर किया जाना है। राज्य सरकार के द्वारा दुबारा उसके लिये निर्देश जारी कर दिये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप खुद जवाब दे रहे हैं कि विश्वविद्यालय ने अपने पत्र दिनांक 13.09.2021 द्वारा अपनी सहमति प्रदान कर दी है। यह राज्य सरकार के निर्णयानुसार राजस्थान के निवासी विद्यार्थियों के लिये स्टेट कोटा निर्धारित करने के लिये, निर्णय के लिये, पालना के लिये प्रतिबद्ध है। जब यूनिवर्सिटी ने लिखकर भेज दिया है, आपको तो खाली यह करना है कि उसमें अमेंडमेंट करके 2022-23 से लागू करें। दैट्स आल।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): मेरा इसमें यही निवेदन है, सर, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का एक्ट है, उसकी धारा 15 के स्टेट्यूट्स हैं, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि स्टेट्यूट्स में आरक्षण का जो निर्धारण होता है, वह स्टेट्यूट्स में संशोधन की जो बात है तो विश्वविद्यालय की जो कमेटी है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप प्लीज। वह खुद लिखकर दे रहे हैं। आपका खुद का जवाब है, मेरा जवाब नहीं है, आपका ही जवाब है। यह लिख रखा है कि विश्वविद्यालय ने अपने पत्र दिनांक 13.09.2021 द्वारा सहमति प्रदान कर दी है। जब विश्वविद्यालय ने सहमति प्रदान कर दी है तो आपको खाली एश्योर करना है कि सिंडिकेट की मीटिंग बुला लें और अमेंडमेंट कर दें, बात खतम होती है। क्या यह सरकार यह एश्योर करने की स्थिति में है? दैट्स आल।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह निवेदन था कि विश्वविद्यालय के द्वारा यह कहा जा रहा है कि विधान सभा में एक्ट में अमेंडमेंट करके भेजा जाए तब हम करेंगे जबकि जो हमारा एक्ट बना हुआ है, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि विश्वविद्यालय की जो काउंसिल है, वह उसमें तय कर ले। सरकार के द्वारा बार-बार लिखा जा रहा है। दुबारा आज ही आपने जैसा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप बैठें। स्टेट्यूट में अमेंडमेंट करने का अधिकार सिंडिकेट को है, आप मान रहे हैं? विश्वविद्यालय कह रहा है हम कमिटेड हैं करने के लिये, तो आपको तो खाली यह एश्योर करना है, विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो जाए और अमेंडमेंट हो जाए, बात खतम होती है। इसमें असेम्बली कहां आ रही है? मान्यवर, आपके खुद के उत्तर में लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही स्टेट्यूट में अमेंडमेंट कर सकती है। असेम्बली में आने की जरूरत नहीं है। यह खुद आपके जवाब में है। 13 तारीख को उन्होंने हां भी कर ली कि हम करने की स्थिति में हैं। आपको तो खाली वाइस चांसलर को कहना है कि आपने 13 तारीख को यह कहा है। आप स्टेट्यूट में अमेंडमेंट करके 2022-23 में लागू करें, दैट्स आल।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): जी सरकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने फरमाया है और विश्वविद्यालय ने जो पत्र हमें लिखा है तो आज ही उसके लिये निर्देशित कर दिये जाएंगे कि विश्वविद्यालय अपनी 25 प्रतिशत के आरक्षण की जो भी प्रक्रिया होती है इंटरनल, वह अपनाकर अतिशीघ्र राजस्थान के विद्यार्थियों के लिये 25 प्रतिशत आरक्षण लागू करें।

श्री अध्यक्ष: 131, श्री ज्ञानचंद पारख।

पाली शहर एवं रोहट उपखण्ड के गांवों में पेयजल संकट

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा पाली जिले के प्रमुख पेयजल स्रोत जवाई बांध में उपलब्ध पानी के बंटवारे में अदूरदर्शितापूर्वक लिये गये निर्णय के कारण एवं इस मानसून काल में नाममात्र की बारिश के कारण पाली शहर एवं रोहट उपखण्ड के गांवों में उत्पन्न भीषण पेयजल संकट पर माननीय जलदाय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली जिले स्थित जवाई बांध में माह अक्टूबर, 2020 में उपलब्ध 6192 एमसीएफटी जल में से सिंचाई हेतु 4000 एमसीएफटी जल आरक्षित करते हुए पेयजल के लिए कुल 2192 एमसीएफटी जल आरक्षित किया गया था। मानसून 2021 में दिनांक 10.09.2021 से 13.09.2021 की अवधि में वर्षा से हुई जल आवक सम्मिलित करते हुए दिनांक 13.09.2021 तक मात्र 946 एमसीएफटी जल ही शेष रहा था, लेकिन वर्तमान में जवाई बांध में 961.10 एमसीएफटी जल उपलब्ध है। इसमें से 600 एमसीएफटी डैड स्टोरेज है।

इस वर्ष क्षेत्र में अत्यन्त अल्प वर्षा होने के कारण जवाई बांध में जल आवक उपरोक्तानुसार नगण्य रही है एवं इस कारणवश जवाई बांध पर आधारित 9 कस्बों एवं 550 गांवों में इस उपलब्ध जल से वर्ष पर्यन्त पेयजल आपूर्ति वर्तमान में किए जाने हेतु अपर्याप्त है। पाली जिले के समस्त समस्याग्रस्त कस्बों एवं ग्रामों में वैकल्पिक पेयजल आपूर्ति व्यवस्था हेतु रेल एवं सड़क परिवहन मार्ग से पेयजल परिवहन, नवीन भू-जल स्रोतों का निर्माण, विभिन्न बांधों में उपलब्ध जल का इन क्षेत्रों में परिवहन अथवा पाइप लाइन द्वारा वितरण इत्यादि कार्यों की स्वीकृति एवं इनका क्रियान्वयन वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। जवाई बांध के 600 एमसीएफटी डैड स्टोरेज को उपयोग में लिए जाने के लिए डैड स्टोरेज पंपिंग किए जाने की कार्यवाही भी वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार सम्पूर्ण जिले में सामान्य पेयजल आपूर्ति बनाए रखने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न वैकल्पिक उपाय किये जा रहे हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में माननीय सदस्यों द्वारा उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में तथ्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

1. वर्ष 2002 में पाली जिले में अकाल की स्थिति में, आपातकालीन परिस्थिति में कुड़ी हौद, जोधपुर से रोहट के मध्य पुराने एमएस पाइप लाकर के बिछाये गये थे। उनके माध्यम से रोहट क्षेत्र में आंशिक जलापूर्ति बहाल की गई थी। इस वर्ष भी अत्यन्त अल्प वर्षा होने के कारणवश जवाई बांध में सीमित मात्रा में जल की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त पाइप लाइन की मरम्मत हेतु 97 लाख रुपयों की योजना की स्वीकृति जारी कर निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा दिनांक 16.09.2021 को प्राप्त की जानी है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुए कार्यादेश जारी किया जाकर इसका क्रियान्वयन शीघ्र प्रारंभ करना प्रस्तावित है।
2. राजीव गांधी लिफ्ट नहर, फेज तृतीय परियोजना की आवश्यक स्वीकृति एवं क्रियान्वयन पश्चात् ही जोधपुर, पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल कोरिडोर हेतु पाइप लाइन बाबत आवश्यक कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।
3. भांखली बांध में वर्तमान में 3.56 एमसीएफटी जल उपलब्ध है और उक्त बाँध के समीप विभाग के 2 खुले कुए स्थित हैं तथा इसके अतिरिक्त 3 निजी कुए भी विभाग द्वारा चिह्नित कर लिए गए हैं। इन कुओं के माध्यम से समीपस्थ स्थित ग्राम वायद एवं अन्य ग्रामों हेतु कार्य योजना बनाई जा रही है। तकनीकी परीक्षण अन्तर्गत उपयुक्त पाई जाने पर भाखली बाँध से पेयजल हेतु योजना के प्रस्ताव बनाने की कार्यवाही की जा सकेगी।
4. पानियावास एवं जोगड़ावास बाँध में वर्तमान में क्रमश: 83.31 एवं 44.83 एमसीएफटी जल की उपलब्धता है। इस जल को पेयजल हेतु उपयोग में लेने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर परियोजना की स्वीकृति जारी कर क्रियान्वयन पश्चात् इन बांधों में उपलब्ध जल को पेयजल हेतु उपयोग में लिया जा सकेगा।
5. खारड़ा बांध में मात्र 21.18 एमसीएफटी जल ही उपलब्ध है। इस जल को जल परिवहन हेतु उपयोग में लेने हेतु तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।
6. पाली शहर के परम्परागत जल स्रोतों की सफाई नगर परिषद्,

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

पाली द्वारा कराई जाने के लिए भी विभाग द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं तथा इन जल स्रोतों से उपलब्ध जल की विभागीय प्रयोगशाला में आवश्यक जांच पश्चात् उक्त जल के पेयजल हेतु उपयुक्त पाए जाने पर, उपयोग में लिए जाने पर विचार किया जा सकेगा।

7. जोधपुर से पाली और पुनः जोधपुर तक आने में लगने वाले समय तथा रेल को भरने एवं खाली करने में लगने वाले समय के आकलन अनुसार रेल के 2 रैक्स द्वारा अधिकतम कुल 4 फेरे ही तकनीकी रूप से सम्भव हैं।
8. भू-जल विभाग के भू-जल वैज्ञानिकों द्वारा पाली जिले में सर्वेक्षण पश्चात् की जाने वाली फिजिबिलिटी के आधार पर नवीन नलकूप एवं हैंड पंप इत्यादि जल स्रोतों के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की जाएगी।
9. रोहट, पाली शहर एवं पाली जिले के अन्य क्षेत्रों में भी आवश्यकतानुसार जल परिवहन द्वारा पेयजल आपूर्ति किए जाने हेतु प्रस्तावों की स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली जिले के जवाई बांध आधारित शहरी एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं में वर्तमान में 96 घंटे के अंतराल पर जलापूर्ति की जा रही है। आज दिनांक 14.09.2021 को भी वर्तमान में जो बरसात हुई उससे 961.10 एमसीएफटी जल उपलब्ध है। इसके सहायक सेही बांध में भी 511.06 एमसीएफटी जल उपलब्ध है। लगभग 200 एमसीएफटी जल जवाई बांध से प्राप्त होना संभावित है।

इस प्रकार प्रारम्भिक आकलन अनुसार जवाई बांध में उपलब्ध जल वर्तमान पेयजल आपूर्ति दर के अनुसार माह दिसम्बर, 2021 तक पर्याप्त रहेगा। इसके पश्चात् जवाई बांध में डैड स्टोरेज पंपिंग के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ की जाएगी। इसी प्रकार माह नवम्बर, 2021 के अंत में उपलब्ध जल के आकलन के अनुसार रेल के माध्यम से पाली शहर हेतु जल परिवहन हेतु निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग को हमने पर्याप्त स्वीकृति हेतु पत्रावली प्रस्तुत कर दी है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, यह जो सारे सोर्सेज हैं, जिनका जिक्र आपने अभी किया, क्या उनके माध्यम से पाली या पाली के आसपास के गांव या रोहट के क्षेत्र में आवश्यक जल आपूर्ति हो जाएगी? एक

(श्री ज्ञानचंद पारख)

तो आप यह बता दें। चाहे आपकी कुड़ी की पाइपलाइन हो, चाहे आपका ट्रेन द्वारा पाली या रोहट तक पानी लाने का प्रावधान हो। 10 महीने बाकी हैं माननीय मंत्री महोदय, आपके ये सारे सोर्सेज छोटे पड़ जाएंगे। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि यह जो जोधपुर, पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल कोरिडोर है न, जो पाली और जोधपुर की सीमा पर निर्माणाधीन है, उसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से कमिटमेंट किया है कि इस इंडस्ट्रियल कोरिडोर को पेयजल या रॉ वाटर राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। यह आपका कमिटमेंट है। तभी आपको यहां मंजूरी मिली है। अब यह काम आपका लेट हो गया। अगर यह काम समय पर हो जाता तो अब तक आपको पाइपलाइन वहां तक बिछानी पड़ती और वहां से रोहट मात्र 7 किलोमीटर दूर है। काम लेट हुआ, उसके लिए आपको भारत सरकार की एक बार नहीं, अनेक बार डांट पड़ी है। बाकी स्टेट ने काम कर दिया। अगर यह इंडस्ट्रियल कोरिडोर हो जाता तब तो आपको पानी देना पड़ता। इस कोरिडोर से मात्र 7 किलोमीटर दूर रोहट है। रोहट के बाद में आपका जो पाइप का सिस्टम है पेयजल का, वह पाली शहर तक भी है, जैतपुर के गांवों तक भी है। अगर आप इस काम को डेढ़ या 2 साल बाद करने ही वाले हो, आपको करना ही पड़ेगा। वह काम आप यदि इस आपात समय में कर देंगे न, बाद में जब जवाई में पानी आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जवाई में पानी आए तो आप जवाई से पानी देना। जब तक आपका राजीव गांधी कैनाल का जो तीसरा चरण है, उसमें भी आपको ढाई, 3 साल लगेंगे। कम से कम ढाई, 3 साल लगेंगे। उसके बाद पानी छोड़ देना।

(13.38 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, यह फ्रेट कोरिडोर वाला जो मैटर है इसको आप चाहो तो प्राथमिकता से कर सकते हो। इसमें आपकी राशि बिलकुल नहीं लगेगी। माननीय मंत्री महोदय, भारत सरकार पूरा का पूरा पैसा इसके डवलपमेंट में देगी। आपका पैसा मात्र 7 किलोमीटर की पाइपलाइन का लगेगा, उसका भी आपके खाते से पैसा जाने वाला नहीं है। दांतीवाड़ा में आपके पाइप पड़े हैं। जो बेकार हो रहे हैं। वह पाइप आप रोहट तक ला दोगे इस कोरिडोर से तो काफी समाधान हो जाएगा।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय मंत्री महोदय, यह जो जवाई बांध पुनर्भरण है न, यह भी आवश्यक हो गया है। यह बार-बार का ट्रेन से लाना, आपका करोड़ों रुपया खर्च होता है। आपके अधिकारी तत्परता से काम कर रहे हैं। मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। लगातार एक के बाद एक योजना, कहां से पानी ला सकते हैं, कहां तक पहुंचा सकते हैं, सारा प्रयास कर रहे हैं लेकिन जब तक पानी नहीं होगा, आपके अधिकारी कुछ नहीं कर पाएंगे। यह जो योजना कोरिडोर वाली है, एक तो इसको तत्काल और एक जवाई बांध पुनर्भरण की जो योजना है, जो हमारी सरकार ने चालू की थी, आपने उसको ठंडे बस्ते में डाल दी। मेहरबानी करके उस योजना को वापस पुनर्जीवित कर दो पुनर्भरण की योजना को और अब तो गुजरात सरकार ने भी आपको पानी देने की सहमति दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं वह झंझट भी नहीं रहा आपका कि गुजरात सरकार सहमति देगी कि नहीं देगी। गुजरात सरकार ने भी जो पानी गुजरात जा रहा है उसको रोककर जवाई बांध को भरने के लिए आपको अनुमति दे दी, आपको स्वीकृति दे दी। इन दोनों के बारे में आप थोड़ा क्लियर जवाब दे दो ताकि कम से कम पाली शहर या आसपास के गांवों की जनता को लग सके कि वाकई में यह सरकार पेयजल संकट को लेकर गम्भीर है और आने वाले दिनों में हमको पानी के संकट से यह सरकार निजात दिलायेगी। एक मेहरबानी करके आप यह बता दें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, जैसा मैंने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के मूल उत्तर में बताया कि कुड़ी से लेकर और रोहट तक हमने पाइप लाइन डालकर पानी पहुंचाया था, उसके लिए हमने 97 लाख रुपये स्वीकृत कर दिए। यह तो एक तरह से आप यह समझिये कि आपातकालीन प्लान है, उसमें आपके पास पानी पहुंचेगा।

जहां तक आपने यह कहा कि रेल के जो फेरे होते हैं उसमें एक फेरे में 50 डिब्बे आते हैं और एक डिब्बे में 50 हजार लीटर पानी आता है, तो करीब-करीब यह समझिये कि 25 लाख लीटर पानी एक फेरे में आ जाता है, इसके 4 फेरे होंगे, तो एक करोड़ लीटर पानी वहां पर एक साथ आ जाएगा। एक करोड़ लीटर जो आपकी वर्तमान जलापूर्ति है उसके अनुसार पर्याप्त रहेगा, उपयुक्त रहेगा।

अब आपने जो इश्यूज उठाये हैं कि राजीव गांधी लिफ्ट का जो तीसरा चरण है, एक मिनट, मैं आपका पूरा कर दूं, वह जायका के चक्कर में

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

लेट हो गया। हमने उसको स्टेट फंड में कन्वर्ट कराया है और बहुत जल्दी ही इसकी डीपीआर वगैरह बन करके जैसे ही स्वीकृत होगी हम इसको तेजी से शुरू करके इस काम को करेंगे।

जहां तक आपने कोरिडोर का और इनका कहा है, इसके बारे में मैं इसका परीक्षण करवा लूंगा और जो भी उचित होगा, उसका करने का प्रयास करूंगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, बस मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि जो मेरा रोहट क्षेत्र है वहां जल जीवन मिशन के लिए एक योजना अभी बनी, जिसको आपने खुद ने मंजूर किया 121 करोड़ की। इस जल जीवन मिशन की योजना में आपने पहले इस इंडस्ट्रियल कोरिडोर को भी या आपके अधिकारियों ने जोड़ा था और बाद में जब यह योजना बनकर चीफ इंजीनियर, जोधपुर फिर जयपुर गयी न तो वहां इस क्षेत्र को काट दिया यह कहकर कि हम इस इंडस्ट्रियल कोरिडोर को जोधपुर से पानी देंगे, पाली से पानी देने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब आपके पास जोधपुर में पानी की उपलब्धता थी तभी आपने इसको जवाई बांध से काटकर जोधपुर से जोड़ा। अब यह काम आसानी से हो सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूं, माननीय मंत्री महोदय, मैं आग्रह नहीं करता, मुझे पता है कि आपके तृतीय चरण में देरी होगी, यह काम आसानी से इसलिए होगा यदि यह इंडस्ट्रियल कोरिडोर समय पर हो जाता, जो एक साल पहले पूर्ण होना था तो आपको एक साल पहले इसको पानी देना पड़ता। मैं वही पानी मांग रहा हूं, मैं दूसरा पानी नहीं मांग रहा हूं, मैं कोई नया पानी आपसे नहीं मांग रहा हूं।

माननीय मंत्री महोदय, जहां तक आप ट्रेनों की बात कर रहे हो तो ट्रेनों का पिछला 2002 का अनुभव है, 70-80 लाख लीटर से ज्यादा पानी पहुंचता नहीं है, वेस्टेज भी होता है और कई बार किसी न किसी कारण से एकाध ट्रेन नहीं भी आती है। देखो 10 महीने बाकी हैं, 10 महीने निकालने बहुत भारी हैं, आपके सामने भी एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है तो यह जो इंडस्ट्रियल कोरिडोर वाला प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत सरकार पैसे देने वाली है, माननीय मंत्री महोदय, आपका पैसा नहीं लगने वाला, आपका तो

(श्री ज्ञानचंद पारख)

मात्र इंडस्ट्रियल कोरिडोर से रोहट जो मात्र सात किलोमीटर दूर है वहां तक की पाइप लाइन और वह पाइप लाइन भी आपकी दांतीवाड़ा पड़ी है, आप अधिकारियों से पूछ लें, तो आपके खाते से या वित्त विभाग से आपको परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेहरबानी करके आप इस इंडस्ट्रियल कोरिडोर वाले मैटर को थोड़ा प्राथमिकता से करवा दें।

एक जवाई पुनर्भरण योजना पर भी आप थोड़ा-सा माननीय मुख्य मंत्री जी से कह करके इस योजना को जल्दी क्रियान्वित करा दें ताकि हमारे किसानों को भी वहां जवाई बांध का पर्याप्त पानी मिल जाए और पाली जिले की जनता को भी इस बांध का पीने का पानी मिल जाए। यह मेरा आपसे आग्रह रहेगा। आप मुझे यह बता दें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, जोधपुर रीजन के चीफ इंजीनियर यहां आए हुए हैं, आज का सदन खतम होने के बाद मैं पाली से आने वाले माननीय सदस्य, तीनों बैठ लेंगे और बैठकर क्या हो सकता है, इसके बारे में विचार कर लेंगे।

जहां तक जवाई बांध को पानी मिलने का सवाल है, माही में जो रिवर बैक वाटर है उसके मिलने की मंजूरी आप कह रहे हैं, आ गयी है, मैं क्योंकि वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को देखता नहीं हूं, यदि वह पानी उपलब्ध होता है तो उसकी योजना भी, मतलब वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो है पानी मिलने पर जवाई बांध को भरने में क्या दिक्कत है, हम डिपार्टमेंट से कहेंगे कि उस काम को आगे बढ़ाएं।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, विराजिए, विराजिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): सभापति महोदय, पाइप लाइन का मामला है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। प्लीज सहयोग करें, विराजिए आप। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): पूरा जिला इससे जुड़ा हुआ है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री अविनाश (जैतारण): मेरे जैतारण में भी जवाई की स्कीम से

(श्री अविनाश)

लाभान्वित है लेकिन चूंकि जवाई में पानी नहीं होने के कारण जैतारण में भी पानी नहीं आ रहा है, माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति: ज्ञानचंद जी पारख साहब बोलेंगे। विराजिए आप। किसी का भी अंकित नहीं होगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। इन्होंने अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। आप उनको बोलने नहीं देंगे, आप सिस्टम को हाईजैक कर लेंगे।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री सभापति: तो आपको मौका मिलता, आप दे देते यह। जो प्रश्न इन्होंने रखा है वो आप भी रखते। आपके पास गम्भीरता नहीं है। जिस व्यक्ति के पास गम्भीरता है वह अपनी बात पूछना चाह रहा है और आप पूछने नहीं दे रहे हो।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री सभापति: मैं अलाउ नहीं करूंगा। अंकित नहीं होगा। विराजिए आप, विराजिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। प्लीज सहयोग करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा। विराजिए। प्लीज, विराजिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष महोदय, मैं दूसरा क्वेश्चन बुलाऊं?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री सभापति: विराजिए। प्लीज, प्लीज। चर्चा समाप्त। श्री बुलाकी दास कल्ला बिजली पर अपना वक्तव्य देंगे। (व्यवधान)

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): 000

श्री सभापति: चर्चा समाप्त। बिजली पर अपना वक्तव्य देंगे। (व्यवधान) प्लीज, माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री महोदय ने आपको आग्रह किया है कि इनके उच्च अधिकारी पधारे हुए हैं, उनके साथ बैठ करके शाम को चर्चा करेंगे और आप अपने साथियों को भी साथ ले जाना ताकि इनकी भी समस्या का समाधान हो जाए।

माननीय ऊर्जा मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

शासकीय वक्तव्य

अघोषित बिजली कटौती और बिल में अधिक राशि की वसूली

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, कल प्रतिपक्ष के नेता महोदय और प्रतिपक्ष के उपनेता महोदय, विधायक जालौर, विधायक केशोरायपाटन, माननीय विधायक जैतारण, माननीय विधायक भादरा, माननीय विधायक सलूम्बर, माननीय विधायक रामगंज मण्डी द्वारा विद्युत क्षेत्र के बारे में सदन में राज्य सरकार से स्थगन के माध्यम से विभिन्न मुद्दे उठाए थे। मैंने कल सदन में आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त किया था कि इन सभी मुद्दों पर मैं जवाब दूंगा। मैं अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों पर जवाब देने के लिए आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

सभापति महोदय, मैं विस्तारपूर्वक माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विभिन्न मुद्दों पर जवाब से पूर्व सदन का ध्यान इस कोरोना काल में विद्युत विभाग की पूरी टीम द्वारा दी गयी सेवाओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। विद्युत विभाग द्वारा पूरे कोरोना काल में अस्पतालों में आक्सीजन प्लांट, आइसोलेशन केन्द्रों एवं सभी इमरजेंसी सेवाओं को दुरुस्त रखा, 24 घंटे बिजली दी। विभाग ने इस दौरान अपने 120 से अधिक साथियों को खोया, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं लेकिन यह सुनिश्चित किया कि हमारे घरों एवं संस्थानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। मुझे विश्वास था कि माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता महोदय विभिन्न मुद्दे उठाते समय विभाग के इस योगदान को जरूर याद करेंगे किंतु नेता प्रतिपक्ष एवं उनकी

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

पार्टी के किसी सदस्य ने भी उनको याद नहीं किया, उनको तरजीह देना उचित नहीं समझा।

मैं अब विभिन्न मुद्दों पर आना चाहूंगा। विद्युत क्षेत्र, जैसा कि कल माननीय सदस्यों ने भी जिक्र किया था, हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। हम सबकी जिंदगी के बहुत सारे कार्य बिना विद्युत के सम्भव होना मुश्किल है। आगे आने वाले दिनों में ई-मोबिलिटी आने के पश्चात् हमारी निर्भरता विद्युत क्षेत्र में और अधिक बढ़ेगी। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति अन्य राज्यों से अलग है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): राजस्थान में पानी की उपलब्धता कम होने के कारण अधिकतर बिजली संयंत्र हाइडल आधारित न होकर थर्मल आधारित हैं। थर्मल संयंत्र कोयला आधारित होते हैं। राजस्थान में कोयले की उपलब्धता नहीं होने के कारण अन्य राज्यों में स्थित कोयले की खदानों से कोयले की आपूर्ति होती है, इसमें परिवहन में भी अधिक राशि का भुगतान भारतीय रेलवे को करना पड़ता है।

थर्मल संयंत्रों से प्राप्त होने वाली बिजली का क्रय मूल्य अपेक्षाकृत अधिक है। राजस्थान में बिजली की क्रय लागत अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। अत: राजस्थान में बिजली की दरें अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत कुछ राज्यों से अधिक हैं। बिजली की खरीद लागत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत वितरण निगमों के राजस्व आकलन के समय निर्धारित की जाती है जो क्वासी जुडीशियल है। उत्पादन कम्पनियों द्वारा ईंधन मूल्य में वृद्धि होने पर अतिरिक्त ईंधन भार का बिल वितरण निगमों से वसूला जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2014 से 2021 में कोयले की कीमत एवं भारतीय रेल के मालभाड़े में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। विद्युत क्षेत्र में जीएसटी नहीं है लेकिन कोयले पर रुपये 400 प्रति टन की दर से कम्पनसेशन सेस लगाया गया है। यह सेस तभी देय होता है जब कोई राज्य अन्य राज्य से कोयला लेकर आता है। केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण कोयले के दाम बढ़े हैं और इसका बोझ उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। वर्ष 2014 में कोयले की कीमत लगभग रुपये 2800 प्रति टन थी जो वर्तमान में बढ़कर 2021 में लगभग रुपये 3700 प्रति टन हो गई

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

है अर्थात् 900 रुपये प्रति टन कोयले की कीमत में वृद्धि हुई है। माननीय विद्युत विनियामक द्वारा जारी टैरिफ रैगुलेशन की अनुपालना में विद्युत खरीद की निर्धारित दर एवं वास्तविक खरीद मूल्य में अन्तर की राशि को फ्यूल सरचार्ज के रूप में लिए जाने का प्रावधान है। फ्यूल सरचार्ज का निर्धारण त्रैमासिक आधार पर किया जाता है। आपकी सरकार के समय में भी अक्टूबर, 2018 से दिसम्बर, 2018 की तिमाही में 37 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज वसूला गया था जबकि वर्तमान में अक्टूबर, 2020 से दिसम्बर, 2020 की तिमाही में मात्र 7 पैसे प्रति यूनिट एवं जनवरी से मार्च, 2021 के लिए मात्र 16 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज ही लगाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों द्वारा सरचार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का मुद्दा भी उठाया गया। मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट, 1962 में संशोधन द्वारा धारा 3(ग) के अधीन नगरीय उप कर विद्युत उपभोक्ताओं से संग्रहित कर राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा इसका उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा रोड लाइट के रखरखाव एवं बिल भुगतान में किया जाता है। नगरीय उप कर की दर 10 पैसे प्रति यूनिट थी इसको बाद में बढ़ाकर 15 पैसे प्रति यूनिट कर दी गई जो वर्तमान में प्रभावित है। नगरीय उप कर कृषि श्रेणी, नगरीय क्षेत्र के बाहरी सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं से एवं नगरीय क्षेत्र में 100 यूनिट प्रति माह उपभोग करने वाले गरीब उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाता है।

राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट, 1962 की धारा 3(ब) के अधीन जल संरक्षण उप कर 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से संग्रहित कर राशि राज्य सरकार को हस्तांतरित की जाती है। जल संरक्षण उपकर कृषि एवं घरेलू श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं से लिए जाने का प्रावधान है। बिजली के बिल में लगने वाला विद्युत कर राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट, 1962 के प्रावधानानुसार उपभोक्ताओं से संग्रहित किया जाता है। वर्तमान में कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु विद्युत शुल्क 4 पैसे प्रति यूनिट एवं अन्य श्रेणियों से 40 पैसे प्रति यूनिट लिया जाता है जो आपकी सरकार के वक्त में भी लिया जाता था। विद्युत बिल के साथ-साथ लगने वाले ये सभी सेस और ड्यूटी बिजली के बिल के साथ कलेक्ट किये जाते हैं लेकिन इसकी आय विद्युत कम्पनियों की नहीं होती है। विद्युत बिलों पर लगने वाले स्थायी

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

शुल्क का मुद्दा भी माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया। विद्युत बिल में लगने वाले स्थायी शुल्क का निर्धारण माननीय राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार किया जाता है। विद्युत बिल में लगने वाला स्थायी शुल्क पिछले वित्तीय वर्ष के औसत मासिक उपभोग के आधार पर लिए जाने का प्रावधान है। घरेलू श्रेणी में लोड के आधार पर स्थायी शुल्क लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

कई माननीय सदस्यों ने घरेलू श्रेणी में रुपये 800 का स्थायी शुल्क लेने की बात उठाई थी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसा कोई स्थायी शुल्क वर्तमान में नहीं लिया जा रहा है। विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली टैरिफ की दरें विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानकों एवं डिस्काम्स द्वारा अंकेक्षित लेखों के आधार पर तय की जाती है। राज्य सरकार का इस प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं है। जहां तक ऊर्जा कम्पनियों की आडिट का प्रश्न है, यहां यह उल्लेखनीय है कि ये सभी कम्पनियां कम्पनीज एक्ट के तहत पंजीकृत हैं एवं उनके वार्षिक लेखों का सर्वप्रथम वैधानिक अंकेक्षण महालेखाकार कार्यालय द्वारा सूचीबद्ध एवं अधिकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स द्वारा एवं तत्पश्चात् महालेखाकार द्वारा स्वयं अपने स्तर पर पूरक अंकेक्षण/ प्रमाणित कर अंकेक्षण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसके बाद ही वार्षिक अंकेक्षित लेखे पब्लिक डोमेन में प्रकाशित किये जाते हैं।

किसानों को 833 रुपये प्रति माह देने की बात कई माननीय सदस्यों ने उठाई। मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से जानना चाहता हूं कि पांच साल सरकार में रहने के बाद, जिस दिन चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करता है, उसी दिन कुछ घंटे पूर्व 833 रुपये प्रति माह देने की घोषणा आपकी सरकार ने की। पहले क्यों नहीं की? उसके लिए क्या कोई बजट का प्रावधान किया गया था? माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इसको स्पष्ट नहीं किया। मैं बताता हूं कि आपने 833 रुपये प्रति माह देने की घोषणा तो कर दी लेकिन आपको मालूम था कि इस बार आप चुनाव लूज कर रहे हैं और 833 रुपये आपको देने नहीं पड़ेंगे क्योंकि आपने अपने बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं रखा था। हमने इस 833 रुपये को बढ़ाकर 12,000 रुपये वार्षिक अनुदान दिया तो आपको परेशानी हो गई कि किसानों को यह सरकार मदद क्यों कर रही है जबकि केन्द्र सरकार किसानों पर ...(व्यवधान) 3 काले कानूनों को लागू करके उनको बड़े उद्योगपतियों के हवाले करने का काम कर रही है। माननीय सभापति

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

महोदय, हमारी सरकार जो कहती है वह करती है। केवल विज्ञापन और ट्विट के आधार पर नहीं, धरातल पर जाकर काम करती है। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोकजी गहलोत, जब पहली बार मुख्य मंत्री बने थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि खेती की बिजली के दाम, कृषि बिजली के दाम नहीं बढेंगे। हम तब से 90 पैसे प्रति यूनिट बराबर किसानों को दे रहे हैं और लगभग 16 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है। डीबीटी स्कीम अभी लागू की है, उसके अन्दर 1450 करोड़ रुपये का अनुदान प्रतिवर्ष दिया जाएगा।

सरकार ने यह घोषणा की थी कि 5 वर्ष तक किसानों की विद्युत दर में वृद्धि का भार स्वयं वहन करेगी। इसके अनुरूप विद्युत विनियामक आयोग दिनांक 06.02.2020 के आदेश के द्वारा किसानों के लिए बढ़ाई गई दरों का भार राज्य सरकार वहन कर रही है। साथ ही विद्युत उपभोक्ताओं को एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में अनुदान दिया जा रहा है। छोटे घरेलू उपभोक्ताओं के स्थायी शुल्क में की गई वृद्धि का भार भी राज्य सरकार वहन कर रही है। इस प्रकार विद्युत दरों में वृद्धि से 20 लाख बीपीएल, 42 लाख छोटे घरेलू उपभोक्ताओं, 14 लाख किसानों सहित 76 लाख उपभोक्ताओं पर विद्युत दरों में कोई प्रभावी वृद्धि नहीं की गई है।

कृषि विद्युत कनेक्शन की बात भी की गई। मैं बताना चाहूंगा कि गत सरकार के समय में 5 साल में 2,68,522 कृषि कनेक्शन आप लोगों ने दिये। हमने ढाई साल में 2,19,789 कनेक्शन अब तक दे दिये। बजट घोषणा के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य में 50 हजार कृषि कनेक्शन दिया जाना लक्षित है। दिनांक 12.09.2021 तक 33,240 कृषि कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। शेष कृषि कनेक्शनों को जारी किये जाने हेतु आवश्यक संसाधन एवं सामान की समुचित व्यवस्था की गई है।

माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य में कोयले की कमी के कारण विद्युत उत्पादन में कमी का मुद्दा भी उठाया। यह सही है कि विद्युत उत्पादन निगम की इकाइयों से कोयले की कमी के कारण विद्युत उत्पादन अगस्त माह में बाधित हुआ। काली सिंध की 600 मेगावाट की इकाई से 11 अगस्त एवं 600 मेगावाट की दूसरी इकाई से 15 अगस्त को उत्पादन बंद हुआ। सूरतगढ़ की 6 इकाइयों से भी 2528 मेगावाट का उत्पादन बंद हुआ। विद्युत उत्पादन निगम की कोटा, सूरतगढ़ एवं छबड़ा, कुल 3240 मेगावाट की

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

इकाइयों हेतु कोल इंडिया लिमिटेड से कोयले की आपूर्ति होती है। कोयले का आप जानते हैं राष्ट्रीयकरण किया हुआ है और उसकी आपूर्ति का नियंत्रण भारत सरकार के हाथ में है।

(14.00 बजे)

अन्य विद्युत गृहों छबड़ा, कालीसिंध एवं सूरतगढ़ से कुल 3620 मेगावाट हेतु कोयला आपूर्ति उत्पादन निगम की स्वयं की खदान पारसा ईस्ट-कांता बेसिन से होती है। ऐसा नहीं है कि उत्पादन निगम की इकाइयों में ही कोयले की कमी हुई है। देश के उत्तरी भाग में 41780 मेगावाट क्षमता की 33 परियोजनाओं, जिनको कोयले की आपूर्ति कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा होती है, अगस्त माह में कोयले की कमी हुई एवं इसके चलते एनटीपीसी के दादरी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन भारत सरकार का है, उसके दादरी, ऊंचाहार, तांडा के साथ ही हरियाणा राज्य की इकाइयों से विद्युत उत्पादन ठप हो गया।

साथ ही कवाई स्थित अडाणी विद्युत गृह की 660 मेगावाट की इकाई भी इस दौरान बंद रही। कोयले की आपूर्ति में सुधार होने के पश्चात् कालीसिंध विद्युत गृह की एक इकाई से 19 अगस्त से, दूसरी इकाई से 8 सितम्बर से, सूरतगढ़ की दो इकाइयों से दिनांक 8 सितम्बर से विद्युत उत्पादन पुन: प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्षा ऋतु के कारण कोयले की खदानों में पानी भरने से कोयले के उत्खनन एवं आपूर्ति में बाधा आयी। उत्पादन निगम को प्रतिदिन 2-3 कोल रैक ही मिल पा रही थीं, जबकि हमारा कोटा अधिक था। हमने दिल्ली जाकर इस हेतु चर्चा की तथा हमने लोक सभा अध्यक्ष एवं कोयला मंत्री से चर्चा कर उनके सहयोग से कोयले की आपूर्ति में सुधार करने का प्रयास किया। वर्तमान में उत्पादन निगम को कोल इण्डिया की कम्पनियों एनएसीएल एवं एसईसीएल से प्रतिदिन 8 से 9 कोल रैक की आपूर्ति हो रही है।

माननीय सदस्यों से आग्रह है कि केन्द्र में आपकी ही सरकार है, लिहाजा प्रतिपक्ष के नेता महोदय और उप-नेता महोदय, आपका दायित्व बनता है कि केन्द्र सरकार पर आप दबाव बनाएं। आपके 25 संसद सदस्य हैं। वे कहें कि कोल इण्डिया राजस्थान के विद्युत गृहों को कोयले की पूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करें ताकि ऐसी स्थिति भविष्य में न आये। मैं यह बताना चाहूंगा

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

कि कोयले की कमी को देखते हुए भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री ने 3 सितम्बर को एक बैठक की एवं कोयले की निगरानी हेतु एक कोर मैनेजमेंट टीम गठित की गयी एवं निर्देश जारी किये गये।

सचिव (ऊर्जा), भारत सरकार द्वारा भी बैठकें कर तापीय विद्युतघर में उपलब्ध कोयले की समीक्षा की गयी एवं निर्देशित किया गया कि जिन प्लांटों का प्लांट लोड फैक्टर 40 प्रतिशत से कम है एवं दस दिन से अधिक का कोयला उपलब्ध है, उन प्लांटों की कोयला आपूर्ति को 100 प्रतिशत विनियमित करने, जिन प्लांटों में 18 दिन से अधिक के कोयले की उपलब्धता है, उनमें भी 100 प्रतिशत विनियमित करने एवं जिन प्लांटों में कोयले की उपलब्धता 11 से 18 दिन है तथा प्लांट लोड फैक्टर 40 प्रतिशत से अधिक है, उनकी कोयला आपूर्ति 50 प्रतिशत तक विनियमित करने का निर्णय लिया गया। इस विनियमित कोयले को कोयला संकट से जूझ रहे विद्युत गृहों को आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया। हम कोल इण्डिया की कम्पनियों को नियमित भुगतान कर रहे हैं, लेकिन देश में अभी कोयले की कमी है और कोविड के कम होने के कारण अर्थव्यवस्था में आने वाली गति के लिए आवश्यक कोयले की उपलब्धता देश में नहीं है। जरूरी विद्युत आपूर्ति राजस्थान विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत मांग की पूर्ति हेतु दीर्घावधि के लिए विद्युत क्रय के लिए केन्द्रीय राजकीय निजी विद्युत उत्पादनकर्ताओं के साथ करार किये हुए हैं। दैनिक विद्युत मांग की पूर्ति हेतु इन विद्युत संयंत्रों से विद्युत क्रय/संचालन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी आईईजीसी (इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी ग्रिड) को 2010 के तहत की जाती है।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी राज्य ग्रिड को 2008 के तहत राजस्थान लोड डिस्पैच सैन्टर को राज्य में सस्ती एवं उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गयी है। प्रदेश की वर्तमान में कुल उत्पादन क्षमता 22,368.90 मेगावाट है, जिसमें से राज्य के खुद के स्रोतों की क्षमता 7,939.35 मेगावाट है, जबकि केन्द्र सरकार के उपक्रमों से 3321.96 मेगावाट, साझेदारी परियोजनाओं से 853 मेगावाट

क्षमता आबंटित है। इसके अलावा निजी क्षेत्र से 3742 मेगावाट, अपारम्परिक स्रोतों से 6145, सौर ऊर्जा से इनमें 2678.10 मेगावाट, पवन ऊर्जा से 3742 मेगावाट तथा बायोमास ऊर्जा से 101.95 मेगावाट क्षमता आबंटित है। प्राय: 8 से 10 हजार मेगावाट बिजली कोल आधारित संयंत्रों से हमेशा उपलब्ध रहती है। अपारम्परिक स्रोतों से बिजली की उपलब्धता सतत् रूप से नहीं रहती है।

विभिन्न विद्युत उत्पादन संयंत्रों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी में तापीय विद्युत संयंत्र हैं, जिनका संचालन/विद्युत क्रय मैरिट आर्डर के आधार पर होता है। मैरिट आर्डर विद्युत की परिवर्तित दर के क्रम में सस्ती बिजली को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाता है। दूसरी श्रेणी में सौर, पवन व पन बिजलीघर हैं, जिनका संचालन मैरिट आर्डर के आधार पर नहीं होता है। ये संयंत्र Must run की श्रेणी में आते हैं अर्थात् इनसे बिजली को खरीदना अनिवार्य होता है। तापीय विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन की दर क्रमश: स्थायी शुल्क व परिवर्तित दर के रूप में होती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैंने तो इतना बड़ा वक्तव्य किसी मंत्री का आज तक सुना ही नहीं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आप दो घण्टे बोले हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, नहीं, हम भी प्रश्न पूछेंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आपका पाइण्ट-वाइज जवाब दे रहा हूं।

श्री सभापति: भविष्य में आप इस तरह की डिमाण्ड नहीं करें, पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी आज आपकी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): स्थायी शुल्क में उत्पादन कम्पनी के कर्मचारियों का भुगतान, ऋण का पुनर्भुगतान व ऋण का ब्याज आदि शामिल होते हैं। स्थायी शुल्क का भुगतान विद्युत संयंत्र द्वारा घोषित उपलब्धता के आधार पर देना ही होता है। इसका बिजली क्रय से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। परिवर्तित दर में प्रयुक्त ईंधन व आयल की कीमत होती है, जिसका भुगतान संयंत्र द्वारा बिजली देने पर ही किया जाता है। अत: मैरिट आर्डर का निर्धारण परिवर्तित दर के क्रम में ही किया जाता है, जिससे कि मांग के अनुसार महंगी बिजली कम खरीदनी पड़े।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

प्रत्येक दिन, समस्त विद्युत संयंत्र आगामी दिन के लिए विद्युत उत्पादन के लिए अपनी उपलब्धता घोषित करते हैं। ऊर्जा विकास निगम, विद्युत संयंत्रों द्वारा घोषित उपलब्धता व विद्युत मांग को ध्यान में रखते हुए संयंत्रों से आगामी दिन के लिए विद्युत उत्पादन शिड्यूल तैयार करता है। शिड्यूल तैयार करते समय विद्युत संयंत्रों का चयन, उनसे उत्पादित विद्युत की परिवर्तित दर के क्रम में मैरिट आर्डर के आधार पर किया जाता है। इस शिड्यूल के आधार पर Day Ahead Market में सस्ती बिजली की उपलब्धता को तलाश किया जाता है।

गत दिनों बाजार में बिजली दरों के आधार पर अतिरिक्त बिजली को अच्छी विक्रय दर पर बेचने की कोशिश की जाती है। वास्तविक समय में भी विद्युत की मांग व Real Time Market में प्रचलित विद्युत दर के आधार पर शिड्यूल में परिवर्तन किया जाता है। इण्डियन एनर्जी एक्सचेंज केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा पावर ट्रेडिंग इलैक्ट्रोनिक प्लेटफार्म है जो कि विद्युत मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत कार्य करता है। इण्डियन एनर्जी एक्सचेंज में पारदर्शिता से बिजली क्रय-विक्रय की जाती है। इसमें किसी प्रकार का घोटाला होने की कोई गुंजाइश नहीं है।

ये एक्सचेंज हमें पावर ट्रेडिंग के लिए Day Ahead Market एवं Real Time Market जैसे प्लेटफार्म उपलब्ध कराते हैं। Day Ahead Market के माध्यम से हम आने वाले दिन के लिए विद्युत ट्रेडिंग कर पाते हैं। Real Time Market के माध्यम से हम वास्तविक समय में ट्रेडिंग कर पाते हैं। एक्सचेंज की खरीद में सभी राज्य भाग लेते हैं, जिसमें कोई एक व्यक्ति या एक राज्य एक्सचेंज की विद्युत दर को प्रभावित नहीं कर सकता। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिजली की खरीद में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): भ्रष्टाचार हुआ है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): यदि हुआ है तो आप प्रस्ताव ले आएं, कहां, किसमें हुआ है। बैठे-बैठे बोल रहे हैं। इतने पुराने मंत्री रहे हुए हैं। 20 रुपये की बिजली पर बहुत चर्चा हुई और यह बात हुई कि हमने अपने प्लांट को बन्द रखा और ऊंची दर पर बिजली बाहर से एक्सचेंज से खरीदी। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि माह अगस्त में 89.50 प्रतिशत विद्युत हमने अपने प्लांट, जिन उत्पादन कम्पनियों के साथ हमारे पीपीए है, उनसे खरीदी

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

है। जब हमारे उत्पादन प्लांट कोयले की कमी के कारण बन्द हो रहे थे, तब हमारे पास दो विकल्प थे- या तो हम बड़े स्तर पर बिजली कटौती करते, जैसा कि आपकी सरकार ने 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, 2017 में किया था, जब पूरे राजस्थान के गांव/शहरों में 6 से 8 घण्टे की कटौती की गयी थी या दूसरा विकल्प था कि एक्सचेंज से बिजली खरीदें। अगस्त के महीने में हमने एक्सचेंज से जो बिजली खरीदी, उसकी औसत दर 6.23 रुपये प्रति यूनिट थी एवं इसमें से 20 रुपये की कुल दी गयी बिजली केवल 0.114 प्रतिशत थी, यानी 90 लाख यूनिट। आप कल कह रहे थे 4 करोड़ यूनिट। कम्पेरिजन के लिए मैं बताना चाहूंगा कि गुजरात ने अगस्त माह में एक्सचेंज से 94.40 लाख यूनिट बिजली 20 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदी।

राज्य सरकार द्वारा बिजली दर अधिक होते हुए भी एक्सचेंज से जितनी सम्भव हो सके उतनी बिजली खरीदी गई ताकि राज्य के किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जा सके जिससे उनकी फसलें खराब न हों।

उपभोक्ताओं से विद्युत उपभोग के बाबत प्राप्त राशि का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा बिजली उत्पादन कम्पनियों को क्रय की गई बिजली के पेटे भुगतान किया जाता है। सभापति महोदय, आपकी पिछली सरकार के कार्यकाल में 770 मेगावाट सौर एवं 1189 मेगावाट पवन ऊर्जा खरीद हेतु करार निजी कम्पनी से किये जिनकी दर क्रमश: 4.35 से लेकर 5.50 रुपये प्रति यूनिट एवं 5.12 से 6.02 रुपये प्रति यूनिट थी जबकि हमने इस सरकार के कार्यकाल में 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा और 1200 मेगावाट पवन ऊर्जा खरीद हेतु करार किये जिनकी दर मात्र 2 रुपये से 2.50 रुपये है तथा प्रति यूनिट 2.77 से 2.78 रुपये प्रति यूनिट है। कहां 5 रुपये, 6 रुपये और कहां 2 रुपये और 2 रुपये 77 पैसे। सौर एवं पवन ऊर्जा जब कम दर पर उपलब्ध हो रही थी तब आपकी सरकार ने दोगुनी दर पर 25 साल के लिए महंगी बिजली लेने के लिए करार क्यों किया था, इसका जवाब आपको देना है।

बिजली खरीद की दर को कम करने के लिए ऊर्जा विकास निगम द्वारा केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों से आबंटित 252 मेगावाट क्षमता (जिनसे औसत विद्युत दर वर्ष 2020-21 में करीब 9.51 रुपया प्रति यूनिट है) को समर्पित किया जा रहा है। इस क्षमता के समर्पण से पिछले वर्ष बाजार में प्रचलित खरीद दर के सापेक्ष 205 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की बचत सम्भावित है।

श्री सभापति: आप संतुष्ट हो गये तो बन्द करा दूं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): हमने गत वर्ष Day Ahead Market एवं Real Time Market का उपयोग करके अपनी विद्‍युत दर लागत में 22 पैसे प्रति यूनिट की, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, कमी की है।

केशवरायपाटन से आने वाली माननीय सदस्या ने कल स्मार्ट मीटर एवं डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाइजी के बारे में भी सदन का ध्यान आकृष्ट किया था। मैं बताना चाहूंगा कि आपकी सरकार द्‍वारा ही स्मार्ट मीटरिंग की योजना को लागू किया था एवं पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के समय जयपुर डिस्काम के जयपुर शहर के 7 सब-डिवीजन एवं टोंक वृत्त के एक सब-डिवीजन में 2 लाख 82 हजार मीटर लगाने के कार्य का वर्क आर्डर 20 अगस्त, 2018 को जारी किया गया था। इसके अलावा भरतपुर, धौलपुर, करौली, बारां, झालावाड़ एवं बूंदी जिलों के 20 खण्डों में 1 लाख 49 हजार मीटर लगाने का कार्य 24 अगस्त, 2018 को दिया गया। इसी तरह अजमेर एवं जोधपुर डिस्काम में 2 लाख 92 हजार मीटर लगाने का कार्य भी संवेदकों को आबंटित किया गया। मैं यहां बताना चाहूंगा कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने को केन्द्र सरकार द्‍वारा अपनी अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त, 2021 के द्‍वारा अनिवार्य कर दिया गया है। आप भारत सरकार को कहें कि स्मार्ट मीटर नहीं लगायें एवं सभी वितरण कम्पनियों को समयबद्ध रूप से मार्च, 2025 तक कृषि के अतिरिक्त समस्त उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से विद्‍युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। भारत सरकार की समस्त उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के समयबद्ध रूप से लगाने की शर्त भारत सरकार की नवीन योजना का भी अभिन्न अंग है।

मैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाइजी के बारे में भी बताना चाहूंगा। राज्य में कोटा, बीकानेर, भरतपुर एवं अजमेर में गत सरकार के समय इन सभी शहरों में डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाइजी की नियुक्ति की गई थी एवं डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाइजी की नियुक्ति के उपरांत 20 वर्षों के लिए सीईएससी एवं टाटा पावर कम्पनियों के साथ अनुबंध पूर्व सरकार के समय ही किये जा चुके थे। मैं बताना चाहता हूं कि अजमेर, कोटा जैसे शहरों में फ्रेन्चाइजी लगाने के पहले ही छीजत बहुत कम थी। यदि फ्रेन्चाइजी की नियुक्ति करनी थी तो अधिक हानि के शहरों और गांवों में करते, लेकिन आप लोगों का आत्मनिर्भर बनने का मतलब राज्य के अच्छी उत्पादकता वाली परिसम्पत्तियों को निजी हाथों में सौंपने से है। गत ढाई वर्षों में इन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाइजी के साथ समय-समय पर कुछ शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं जिसको

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

राज्य सरकार ने कार्य प्रणाली को सुधारने हेतु व्यवस्थाएं की हैं। माननीय सदस्यों ने भी इस सदन का ध्यान उन समस्याओं पर आकृष्ट किया है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित डिस्काम द्वारा किये गये अनुबंध के प्रावधान के उल्लंघन पर नियमानुसार इन फ्रेन्चाइजी पर कार्यवाही की जायेगी।

माननीय विधायक महोदया, केशवरायपाटन द्वारा जले ट्रांसफार्मर बदलने का मुद्दा उठाया है। बूंदी जिले की केशवरायपाटन में ग्राम करवाला में सिंगल फेज के 10 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। इनसे से एक 16 केवीए का ट्रांसफार्मर दिनांक 11 सितम्बर, 2021 को जल गया था जिस पर मात्र 15 उपभोक्ता थे। इसे दिनांक 12.09.2021 को बदल दिया गया। कहां दो महीने लगे या समय लगा? जले हुए ट्रांसफार्मर को समय पर बदला जा रहा है। केवल बकाया राशि वाले ट्रांसफार्मर बदलने लम्बित हैं। यह आपके समय में भी था। पूर्व ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। किसी का अंकित नहीं होगा। विराजिये, प्लीज। कुछ सीखिये आप। विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): वर्तमान में 11 केवी करवाला फीडर पर औसतन 23 घंटे सिंगल फेज आपूर्ति एवं 6-7 घंटे थ्री फेज विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

श्री सभापति: प्लीज, विराजिये आप। (व्यवधान) विराजिये। उन्हें अपना समाप्त करने दीजिये। विराजिये आप। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: विराजिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय विधायक महोदय, जालौर द्वारा उनके क्षेत्र से सम्बन्धित कई मुद्दे उठाये गये हैं जिनके सन्दर्भ में कहना चाहूंगा कि वर्तमान में राज्य में थ्री फेज ट्रांसफार्मर पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं। जालौर जिले में कृषि श्रेणी में खराब/जले हुए विद्युत ट्रांसफार्मर को जलने अथवा खराब होने की सूचना प्राप्त होने के 72 घंटे की समयावधि में बदला जा रहा है।

सलूम्बर के माननीय विधायक महोदय द्वारा अत्यधिक राशि के जारी विद्युत बिल के सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि अघरेलू विद्युत उपभोक्ता श्री

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

पेमाराम/माना डांगी, निवासी-गींगला के माह अगस्त, 2020 के विद्युत बिल में मानवीय भूल के कारण अव्यावहारिक उपभोग का बिल राशि रुपये 6,414/- के स्थान पर ज्यादा राशि का जारी हो गया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें, विराजिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आप बोले तब तो मैं कुछ नहीं बोला। आपसे भी कम बोला हूं।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): 000

श्री सभापति: विराजिये। प्लीज, सहयोग करें। विराजिये आप। माननीय सदस्य, किसी का अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): प्रकरण के प्रकाश में आने पर तुरन्त ही उपभोक्ता का बिल सुधार कर वास्तविक उपभोग का बिल राशि रुपये 6,414/- का जारी कर दिया गया एवं उपभोक्ता द्वारा संतुष्ट होकर सम्बन्धित बिल जमा करवा दिया गया। उपरोक्त प्रकरण में सम्बन्धित सहायक राजस्व अधिकारी को जिम्मेदार माना गया था एवं उसको दिनांक 15.09.2020 को आरोप पत्र जारी किया गया है।

विद्युत क्षेत्र चूंकि इतना महत्वपूर्ण है अत: इसका वित्तीय प्रबन्धन अत्यन्त आवश्यक है। आपने अपने सरकार के कार्यकाल में वित्तीय कुप्रबन्धन करके विद्युत कम्पनियों को उधार एवं बकाया की गर्त में पहुंचा दिया। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 में डिस्काम्स का आपरेशनल घाटा क्रमश: 9,827 एवं 9,393 करोड़ रुपये था, जो कि वर्तमान सरकार के कार्यभार संभालने के बाद.... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): 000

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): वित्तीय वर्ष 2019-20 में 6,740 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में...

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय। मैं सदन से यह अपेक्षा करता हूं कि बिजली जैसे गम्भीर विषय पर आप लोगों ने अपनी बात रखी। कृपया

(श्री सभापति)

शांत रहें। माननीय मंत्री महोदय अपना रिप्लाई दे रहे हैं, जिस धैर्य के साथ माननीय मंत्री महोदय ने आपका उद्बोधन सुना, आप भी कृपया उन्हें सुनें। यदि आप गम्भीर हैं तो और यदि आप गम्भीर नहीं हैं और चर्चा समाप्त करना चाहते हैं तो मैं नैक्स्ट नाम पुकारूंगा। कृपया शांत रहें, प्लीज।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3900 करोड़ रुपया अनुमानित है। इस तरह सरकार डिस्काम्स के वित्तीय घाटे को कम करने के लिए काम कर रही है। कहां आप लगभग 10 हजार करोड़ का घाटा कर रहे थे, हम उसको 3900 करोड़ पर ले आये। आपको मालूम है कि घाटा कम होगा तो डिस्काम्स को लोन कम लेना पड़ेगा एवं उपभोक्ताओं के बिलों में वृद्धि नहीं होगी। आपने घाटा कम करने के लिए कुछ नहीं किया, आपकी सरकार के पांच सालों में 22 हजार 374 करोड़ रुपये खर्च कर दिये, हम व्यर्थ के खर्चों पर लगाम लगाना चाहते हैं। इससे आपको परेशानी हो रही है।

हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल के समय डिस्काम्स का 31 मार्च, 2014 को कुल संकलित वित्तीय घाटा 68 हजार 938 करोड़ रुपये छोड़ा था, जो कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 31 मार्च, 2019, 89 हजार 854 करोड़ रुपये हो गया। यह घाटा वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2020 को घटकर 86 हजार 868 करोड़ रुपये रह गया।

यहां यह भी कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकार द्वारा उदय योजना के तहत डिस्काम्स का 62 हजार 422 करोड़ रुपये का बकाया ऋण राज्य सरकार ने लिया था। योजना की मूल भावना के अनुसार सरकार द्वारा इन ऋणों को लिये जाने तक इन पर ब्याज का पूर्ण भार स्वयं उठाना था, अन्य राज्य उठा रहे हैं, परन्तु राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 2018 में उपरोक्त ब्याज की वसूली डिस्काम्स से करने का निर्णय लिया गया। उदय योजना का कोई लाभ नहीं मिला। इन ऋणों पर ब्याज की कुल वसूली रुपया 10 हजार 860 करोड़ रुपये की गई। अगर यह वसूली नहीं की जाती तो 31 मार्च, 2020 को कुल संकलित घाटा मात्र 76 हजार 8 करोड़ रुपये ही होता, जो कि 31 मार्च, 2019 को पिछली सरकार द्वारा छोड़े गये कुल संकलित घाटे 89 हजार 854 करोड़ रुपये से काफी कम होता।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

मैं आपको उत्पादन निगम की वित्तीय स्थिति के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। पिछली पांच सालों में उत्पादन निगम ने डिस्काम्स को बिजली तो दी, लेकिन आपने उत्पादन निगम को उस बिजली के बदले जो भुगतान करना था, वह नहीं किया। मैं बताना चाहूंगा कि जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2018 तक उत्पादन निगम के 56 हजार 46 करोड़ रुपये का बिजली बिल राजस्थान डिस्काम्स को दिया, लेकिन राजस्थान डिस्काम्स द्वारा केवल 40 हजार 413 करोड़ रुपये का ही भुगतान उत्पादन निगम को किया गया। मैं बताना चाहता हूं कि आपके समय में डिस्काम्स ने यह भुगतान क्यों नहीं किया, क्योंकि डिस्काम्स ने आपके समय में 22 हजार करोड़ रुपये का कैपिटल व्यय जरूरत न होने पर भी किया, यह अनावश्यक व्यय क्यों किया? माननीय नेता प्रतिपक्ष को इसका जवाब सदन को देना चाहिए। आपके समय में एक तरफ तो डिस्काम्स के द्वारा उत्पादन निगमों को भुगतान नहीं किया, जिसके कारण ये डिस्काम्स की बकाया राशि 642 करोड़ रुपये से बढ़कर 16 हजार 5 करोड़ रुपये हुई, लेकिन उस समय राजस्थान राज्य उत्पादन निगम ने इस कमी को पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन, जो कि दिसम्बर, 2013 में 790 करोड़ रुपये का था, वह बढ़कर दिसम्बर, 2018 में 18 हजार 588 करोड़ रुपये हो गया।

जब नेता प्रतिपक्ष ये बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो आपको यह भी समानान्तर रूप से देखना चाहिए कि आपकी सरकार के समय में ऐसा क्या हो गया था कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अनाप-शनाप व्यय किया गया। विद्युत वितरण कम्पनियों के द्वारा अत्यधिक लोन लिया गया और पूरे विद्युत क्षेत्र को आपके वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया।

आपने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि मैसर्स अडानी से मुकदमा हारने के कारण 47 सौ करोड़ रुपये विद्युत कम्पनियों को देना पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गत पांच सालों में आपकी सरकार थी तो इस केस की पैरवी पुख्ता रूप से क्यों नहीं हुई? इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार थे? उनके विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की थी? माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 को आया और आपने दिन रात एक करके दिनांक 17.12.2018 तक 1674.60 करोड़ रुपये मैसर्स अडानी का भुगतान कर दिया, आपकी सरकार ने किया। इतनी क्या जल्दी थी

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

भुगतान करने की? माननीय नेता प्रतिपक्ष को इसका जवाब तत्समय ऊर्जा मंत्री से लेकर इस सदन को बताना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, किसी का भी अंकित नहीं होगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): ऊर्जा क्षेत्र से मुझे यह भी ध्यान में आता है कि कल नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय सदस्यों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बढ़ते दामों एवं केन्द्र सरकार द्वारा जनता पर अनाप-शनाप टैक्स के भार का लेखा-जोखा भी प्रस्तुत करना था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने ऐसा नहीं किया। इसका जवाब जनता को देना चाहिए।

अन्त में, मैं माननीय सभापति महोदय एवं सभी सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बिजली से संबंधित समस्याओं को उठाया। हमारी सरकार माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में लोगों के हित के कार्य कर रही है, जो काम धरातल पर दिख रहे हैं। हम ट्विट, पोस्टर से सरकार नहीं चलाते, हम कलकता के ब्रिज को लखनऊ में नहीं दिखाते, जनता को भ्रमित नहीं करते। हमारी सरकार ने जो फैसले लिये हैं, वे अब जमीन पर हकीकत के रूप में उतर रहे हैं। इससे आपको परेशानी है, होती रहे। हम जन सामान्य के हित में फैसले लेते रहेंगे, उनको लागू करते रहेंगे।

कोविड-19 उपरान्त लगाये गये लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न वित्तीय तरलता संकट से डिस्कॉम्स को राहत प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा लिक्विडिटी इनफ्यूजन स्कीम-आत्मनिर्भर भारत के तहत 90 हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की गई किन्तु, इस योजना के तहत केन्द्रीय सरकार के उपक्रम इंडिपेन्डेंट पावर प्रोड्यूसर एवं विन्ड एवं सोलर पावर प्रोड्यूसर के बकाया बिलों को ही लोन हेतु क्वालीफाई किया गया। हमारी उत्पादन कम्पनियों को लोन नहीं दिया, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम एवं राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम की डिस्काम्स के विरुद्ध बकाया राशि को केन्द्र सरकार से बार-बार आग्रह करने के उपरान्त भी शामिल नहीं किया गया है। आप इसमें हमारी मदद करें। एनटीपीसी भारत सरकार की है तो राजस्थान की जो थर्मल पावर की इकाइयां हैं, उनको भी आत्मनिर्भर भारत के अन्तर्गत ऋण देना चाहिए। इसके कारण डिस्काम्स की राज्य की उपरोक्त दोनों इकाइयों को देय बकाया राशि का भुगतान, अन्य केन्द्रीय सरकार के उपक्रम,

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

इंडिपेन्डेंट पावर प्रोड्यूसर एवं विन्ड एवं सोलर पावर प्रोड्यूसर्स की तर्ज पर नहीं किया जा सकता। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त योजना के तहत राजस्थान डिस्काम्स को कुल 6 हजार 574 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से केवल 2 हजार 787 करोड़ रुपये ही अब तक जारी किये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैंने प्राय:-प्राय: जो माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाये थे, उनका क्रमवार जवाब दे दिया है। कुल मिलाकर के लगभग 18 से 20 हजार करोड़ का उत्पादन निगम का पैसा डिस्काम्स नहीं दे, उदय योजना का ब्याज दूसरे राज्य दे रहे हैं, आप 10-10 हजार करोड़ का ब्याज डिस्काम्स पर छोड़ जाएं तो डिस्काम्स घाटे से उभरेगी कैसे? इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, वास्तव में मैंने भी 40 साल में ऐसा बुद्धिपूर्ण वक्तव्य पहली बार सुना है, पहली बार। मतलब, मैं सोचता हूं कि जो लिख करके दिया, वह पहले इन्होंने भी नहीं पढ़ा, वह सारा का सारा यही पढ़ना पड़ा।

श्री सभापति: प्लीज शांत रहें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी है वह सारा का सारा दण्ड उपभोक्ता को ही करना है, आपके डिपार्टमेंट में तो सुधार का एक कौड़ी का काम नहीं करना है। आपका डिपार्टमेंट जो चूना लगा रहा है, इस राजस्थान की जनता को और जिस तरह से इन कम्पनियों को डुबो रहा है, उसके बारे में आप एक शब्द नहीं कह सकते। आप जो लीकेज हैं, उस लीकेज को रोकने के बारे में एक शब्द नहीं कह सकते। केवल और केवल आपने अपनी सब बातों का बखान करने के लिए, उस उपभोक्ता का कौन जिम्मेदार होगा, उस उपभोक्ता के लिए इन सारे बड़े-बड़े हाथियों को कसने की जरूरत है कि नहीं? इसके बारे में एक शब्द नहीं लिखा इसमें। आपने पढ़ा इसको, पढ़कर के कम से कम इनसे यह तो पूछते कि आपने अपना खर्चा कहां-कहां कम किया? आप जिस प्रकार से लूट रहे हो इस संस्था को और जिस प्रकार से डुबो रहे हो, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, सारी जिम्मेदारी जनता की है? केवल और केवल इस सरकार ने यह किया, इस सरकार में यह हुआ, ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं आज की तारीख में राजस्थान का उपभोक्ता चाहे आप स्वयं हों, चाहे मैं स्वयं हूं, आपके 2

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बिलों को, दिसम्बर 2018 के बिल को अभी के इस महीने के बिल से जोड़कर आंख से एक बार देखो तो आपको चक्कर आ जाते हैं। ये है स्थिति। क्या कहना चाहते हो, केवल और केवल इनको बचाने के लिए, इन्होंने जो लिखकर के दे दिया, उसको मंत्री ने पढ़ दिया। इनसे सवाल क्यों नहीं किये तुमने कि तुम इस घाटे को कम क्यों नहीं करते हो, तुम्हारा ये खर्चा क्यों बढ़ रहा है? पहले जब हमने आपको सरकार दी, आपने भाषण दे दिया बहुत, 15 हजार करोड़ रुपये के घाटे में हमने सुपुर्द किया या नहीं किया।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सर, ये प्रश्न पूछ सकते हैं, भाषण नहीं दे सकते हैं। इन्होंने यह किया, हमने 2.75 प्रतिशत छीजत कम की है, आपकी सरकार की तुलना में 1 प्रतिशत छीजत कम करने पर 450 करोड़ रुपये की बचत होती है। हमने लगभग साढ़े बारह सौ, तेरह सौ करोड़ की बचत की है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कृपा करके विराज जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): देखो, मैं तो आपको माननीय सदस्य कहता हूं, आप तुमने, ये भाषा कहां से आ गई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कृपा करके विराज जाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं कि सब चीजों का जो दण्ड है वो उपभोक्ता के ऊपर ही जाएगा या आप इन अधिकारियों के सिस्टम को भी ठीक करोगे कि नहीं करोगे? एक शब्द इसमें लिखा?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट। पूरा सदन इस बात से सहमत है कि बिजली का उपभोक्ता चाहे आपका हो, चाहे इधर का हो, वह हमारा अपना उपभोक्ता है और हम उसकी सुविधा के लिए सब कुछ करना चाहते हैं और ये जो गम्भीर चर्चा आपके उधर से खड़ी हुई और माननीय मंत्री महोदय ने जो रिप्लाई दिया, हम सब का एक ही उद्देश्य है तो मैं यह चाहूंगा कि आपकी तरफ से कुछ अच्छे सुझाव इस मामले में आएं और मंत्री महोदय भी अपनी रचनात्मक बात रखें ताकि आम उपभोक्ता को लाभ मिले, तब तो आज की चर्चा का कोई सार्थक उपयोग निकल पाएगा तो मैं अपेक्षा इधर से भी करता हूं और अपेक्षा इधर से भी करता हूं कि ऐसी कोई गम्भीर हम चर्चा करें कि इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, कैसे कमी की जा सकती है

(श्री सभापति)

ताकि एक रचनात्मक चर्चा होकर हम आम उपभोक्ता तक राहत पहुंचाने की कोशिश कर सकें। प्लीज।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, शब्दों का चयन तो ठीक कराओ।

श्री सभापति: वो अण्डरस्टुड है। ऐसा कोई शब्द नहीं होगा जो असंसदीय हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ये जो उपभोक्ता पर जिस प्रकार का भार पड़ रहा है...

श्री सभापति: कृपया शांत रहें। गम्भीर चर्चा है। कृपया सहयोग करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इस भार को कम करने के लिए क्या आप अपनी इस मशीनरी को या आपके डिपार्टमेंट को या आपके सिस्टम को भी ठीक करने का कोई विचार आपका है कि नहीं है? दूसरा यह है कि जब आपको बिजली सस्ती मिल रही है, आप कह रहे हो कि हमको इससे 2.65 रुपये मिल रहे हैं तो ये जो अधिक यानी 13 रुपये से लेकर के जो बिजली खरीदने का काम चल रहा है, इसको सुधारने के लिए आप क्या प्रयत्न करने वाले हैं जिसके कारण से जब सस्ती बिजली मिलेगी तो कंज्यूमर को भी सस्ती मिलेगी और जहां तक कोयले का सवाल है तो पैसे दोगे तो ही कोयला मिलेगा कि कोई फोकट में मिलेगा? अगर आपने पैसे जमा करा दिये हों और उन्होंने कोयला नहीं दिया हो तो उसके लिए तो उनको दोषी मानने को तैयार हूं। कृपा करके यह बता दो कि उस समय तक आपका ड्यूज कितना था और उस ड्यूज को आप देने की स्थिति में कब आए और जिसके कारण से आपको कोयला उन्होंने बंद कर दिया, जो गलती की तो वह बता दें। मैं सोचता हूं कि सिस्टम को सुधारने का प्रयत्न करो। ये ही कंपनियां थीं न जिनको आपने और हम सब ने बनाया यह सोच करके कि इससे उपभोक्ता का भला होगा लेकिन इन बड़े हाथियों से, पांच बड़े हाथियों से राजस्थान की जनता बेरहमी से लूटी जा रही है, क्या उसको कम करने के लिए कोई आपका मन है कि नहीं है या केवल उपभोक्ता की जेब काटने का मन है? यह बता दो।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, एक-एक का जवाब दे दूं तो ठीक रहेगा।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, एक साथ जवाब दे देना आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बस पाइंटेड। मैं मंत्री महोदय, आपसे इतना जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि राजस्थान के अन्दर जो उपभोक्ता डोमेस्टिक उपभोक्ता हैं वो आज देश की सबसे ज्यादा महंगी बिजली दर 8.13 रुपये की बिजली खरीदने के लिए मजबूर हैं या नहीं? नंबर-1 बात। नंबर-2 - मंत्री महोदय, आपके यहां जो आपने कहा कि 24,959 मेगावाट आपके खुद के पास आपका ओन शेयरिंग और सारा मिलकर आपके पास 24,959 मेगावाट बिजली है तो पीक आवर्स में 13,172 मेगवाट रही तो फिर आपको बिजली इलेक्ट्रिक एक्सचेंज से और इससे खरीदने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तीसरा, यह जो कोयले की बात आपने कही, क्या यह सही नहीं है कि आज भी एनएसीएल, एसीसीएल और पीकेसीएल की लगभग-लगभग 900 करोड़ रुपये की राशि आपके पास बकाया है? क्या यह सही नहीं है कि आपने यह सिद्ध कर दिया कि आपका फ्यूल चार्ज, आपका शहरी सैस, जल संरक्षण, अडानी टैक्स ये सारे के सारे उपभोक्ता पर जाएंगे? आपने यह भी अपने उत्तर में कह दिया कि आपने महंगा कोयला खरीदा और वैरिएबल कोस्ट के आधार पर आप और बिजली महंगी करने जा रहे हो। मैं समझता हूं और साथ में आपने खुद ने कह दिया कि हमारे डिस्काम आज 79 हजार करोड़ के घाटे पर हैं और आप इसमें आपके सारे डिस्काम को जोड़कर देख लोगे, इसमें आप इस उत्पादन निगम को भी जोड़ लोगे तो यह घाटा पहुंच जाएगा आपका 1 लाख 37 हजार। ऐसी स्थिति में आपके पास क्या उपाय है? बतायें आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह तीन दिन पहले भी भाषण दिया। आज भी दे दिया। कल भी दे दिया। क्या रिकार्ड पर लाना चाह रहे हैं ये? वह बीस पन्नों वाला दुबारा पढ़ो आप।

श्री सभापति: प्लीज मंत्री महोदय, विराजिये। माननीय कल्ला साहब कंपीटेंट हैं। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप उपभोक्ताओं की जेब काट रहे हो, यह लाना चाह रहे हैं हम। आप उपभोक्ताओं के साथ अन्याय कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कोयले के दाम भारत सरकार बढ़ा रही है। भारत सरकार कोयले के दाम बढ़ा रही है। पैट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। शर्म तो नहीं आती आप लोगों को। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह क्या तरीका है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): ...(व्यवधान) ये सब बायकाट करके जाएंगे, डिसाइडेड है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपको जाना है, जाइये। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): ...(व्यवधान) अनावश्यक खर्चों में कमी की है।

श्री सभापति: माननीय कल्ला जी, विराजिये। चर्चा समाप्त। श्री शान्ती कुमार धारीवाल। चर्चा समाप्त।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, अब इनकी बातों का जवाब जब मिलने लगा और मिलेगा तो ये इस कोशिश में हैं कि कैसे न कैसे वाक आउट कर जाएं। भागेंगे ये, भागेंगे यहां से।

श्री सभापति: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जो लिखकर दिया वह पढ़ दिया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बहिर्गमन करोगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जवाब से असंतुष्ट होकर हम बहिर्गमन करते हैं।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री सभापति: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

गृह विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से गृह विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 17.10.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना जीएसआर 113 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन कर विनियम 9 में नवीन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 17.10.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना दिनांक 03.05.2020, 12.05.2020, 21.05.2020 और 27.05.2020 की निरन्तरता में उक्त अधिनियम की धारा 4 के विनियम 9 के अधीन कारित अपराधों का निर्धारित शमन राशि पर शमन किये जाने हेतु कतिपय अधिकारियों को अधिकृत किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 03.11.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना जीएसआर 113 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन कर वर्तमान में विनियम 13 के बाद विनियम 14 व 15 जोड़ा गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 03.11.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना दिनांक 03.05.2020, 12.05.2020, 21.05.2020, 27.05.2020 और 17.10.2020 की निरन्तरता में उक्त अधिनियम की धारा 4 के विनियम 14 एवं 15 के अधीन कारित अपराधों का निर्धारित शमन राशि पर शमन किये जाने हेतु कतिपय अधिकारियों को अधिकृत किया गया है;

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 05.11.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना जीएसआर 113 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा-संशोधित) के विनियम 9 की मौजूदा अभिव्यक्ति में संशोधन किया गया है;

(6) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 05.11.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना दिनांक 17.10.2020 में संशोधन कर नया क्रम संख्या 2 व उसकी प्रविष्टि जोड़ी गई है;

(7) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 22.11.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना जीएसआर 113 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन कर विनियम 7 की नवीन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(8) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 22.11.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना एसओ 234 दिनांक 03.05.2020 में संशोधन कर अनुसूची के क्रम संख्या 7 और 8 में नवीन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है;

(9) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 22.11.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना एसओ 304 दिनांक 27.07.2020 में संशोधन कर अनुसूची के क्रम संख्या 6 और 7 में नवीन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है;

(10) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 22.11.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना दिनांक 03.05.2020, 12.05.2020, 21.05.2020 और 27.07.2020 में संशोधन कर अनुसूची के क्रम संख्या 1 में नवीन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है;

(11) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 22.11.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना एसओ 302 दिनांक 27.07.2020 में संशोधन कर अनुसूची के क्रम संख्या 1 में नवीन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है;

(12) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 24.11.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना एसओ 415 दिनांक 22.11.2020 की मौजूदा अभिव्यक्ति में संशोधन किया गया है;

(13) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 04.02.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन कर विनियम 14 और 15 व उसकी प्रविष्टि को विलोपित किया गया है;

(14) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 04.02.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना एसओ 402 दिनांक 03.11.2020 को रद्द किया गया है;

(15) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 20.04.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना जीएसआर 113 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन कर विनियम 7 व 9 में नवीन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(16) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 20.04.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना एसओ 414 दिनांक 22.11.2020 में संशोधन कर अनुसूची के क्रम संख्या 6 और 7 में नवीन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है;

(17) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 20.04.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना एसओ 415 दिनांक 22.11.2020 एवं एसओ 417 दिनांक 24.11.2020 में संशोधन कर अनुसूची के क्रम संख्या 7 और 8 में नवीन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है;

(18) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 03.05.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना जीएसआर 113 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन कर विनियम 7 में नवीन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है तथा नवीन विनियम 7ए जोड़ा गया है;

(19) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 03.05.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना एसओ 391 दिनांक 17.10.2020 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन कर अनुसूची के क्रम संख्या 1 में नवीन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है;

(20) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 03.05.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना एसओ 414 दिनांक 20.04.2021 में संशोधन कर अनुसूची के क्रम संख्या 6 और 7 में नवीन प्रविष्ट प्रतिस्थापित की गई है तथा नयी अनुसूची 6ए व उसकी प्रविष्टि जोड़ी गई है;

(21) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 03.05.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना एसओ 415-417 दिनांक 20.04.2021 में संशोधन कर अनुसूची के क्रम संख्या 7 और 8 में नवीन प्रविष्ट प्रतिस्थापित की गई है तथा नयी अनुसूची 7ए व उसकी प्रविष्टि जोड़ी गई है;

(22) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 03.05.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना एसओ 234 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन कर अनुसूची के क्रम संख्या 7, 7ए और 8 में नवीन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(23) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 03.05.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना एसओ 234 दिनांक 03.05.2020 और एसओ 304 दिनांक 27.07.2020 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन कर अनुसूची के क्रम संख्या 6, 6ए और 7 में नवीन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है;

(24) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 10.05.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना जीएसआर 113 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन कर विनियम 7 व 7ए में नवीन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है;

(25) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 10.05.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना एसओ 234 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन कर अनुसूची के क्रम संख्या 7, 7ए और 8 में नवीन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है;

(26) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 10.05.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना एसओ 234 दिनांक 03.05.2020 और एसओ 304 दिनांक 27.07.2020 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन कर अनुसूची के क्रम संख्या 6, 6ए और 7 में नवीन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है;

(27) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 24.05.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना जीएसआर 113 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन कर विनियम 2 में नवीन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है;

(28) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 24.05.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना दिनांक 03.05.2020, 12.05.2020, 21.05.2020 और 27.07.2020 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन कर अनुसूची के क्रम संख्या 1 और 3 में नवीन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है;

(29) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 01.06.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना जीएसआर 113 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन कर विनियम 7 और 7ए में नवीन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(30) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 01.06.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना एसओ 234 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन कर अनुसूची के क्रम संख्या 7, 7ए और 8 में नवीन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है;

(31) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 01.06.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना एसओ 234 दिनांक 03.05.2020 और एसओ 304 दिनांक 27.07.2020 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन कर अनुसूची के क्रम संख्या 6, 6ए और 7 में नवीन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है;

(32) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 09.06.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना एसओ 302 दिनांक 27.07.2020 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन कर अनुसूची के क्रम संख्या 1 में नवीन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है;

(33) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 14.07.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना जीएसआर 113 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन कर विनियम 7 और 7ए में नवीन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है;

(34) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 14.07.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना एसओ 234 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन कर अनुसूची के क्रम संख्या 7, 7ए और 8 में नवीन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है; एवं

(35) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 14.07.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना एसओ 234 दिनांक 03.05.2020 और एसओ 304 27.07.2020 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन कर अनुसूची के क्रम संख्या 6, 6ए और 7 में नवीन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है।

श्री सभापति: श्री परसादी लाल।

राजस्व विभाग

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्व विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री परसादी लाल)

(1) अधिसूचना संख्या: प.6(3)राज-6/2020/26 दिनांक 17.03.2021 जिसके द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि के क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से लवणीय क्षेत्र से वापस लिया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: प.6(26)राज-6/2014पार्ट/30 दिनांक 30.03.2021 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टीग्रेटेड टाउनशिप विकसित किये जाने के प्रयोजनार्थ नियमों में संशोधन कर प्रावधान किये गये हैं;

(3) अधिसूचना संख्या: प.6(3)राज-6/2020/36 दिनांक 07.04.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.6(3)राज-6/20 दिनांक 17.03.2021 को अतिक्रमित कर अनुसूची में वर्णित भूमि को तत्काल प्रभाव से लवणीय क्षेत्र से वापस लिया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: प.4(1)राज-6/06पार्ट/46 दिनांक 18.06.2021 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (लैण्ड रिकार्डस, भू-प्रबंध एवं उपनिवेशन) अधिनस्थ सेवा नियम, 2019 के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की गयी है;

(5) अधिसूचना संख्या: प.6(26)राज-6/14/50 दिनांक 29.06.2021 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने हेतु खातेदारी भूमि का उपयोग 10 हैक्टेयर तक करने हेतु खातेदार को संपरिवर्तन की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है; एवं

(6) अधिसूचना संख्या: प.6(14)राज-6/95/74 दिनांक 31.08.2021, जिसके द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.6(14)राज-6/95/18 दिनांक 20.02.2019 को अतिष्ठित करते हुए तहसीलदार की समस्त शक्तियों का प्रयोग व पालन अधिसूचना में वर्णित सहायक वन संरक्षक के पदों पर पूर्णकालिक रूप से पदस्थापित राजपत्रित अधिकारियों द्वारा किया जाना है।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिह डोटासरा।

पर्यटन विभाग

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से पर्यटन विभाग की निम्नांकित अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं:-

अधिसूचना संख्या: एफ8(428)/ट्रेड/डीटी/19/998 दिनांक 22.04.2021 जिसके द्वारा राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) नियम, 2021 विरचित किये गये हैं।

श्री सभापति: श्री सुखराम विश्नोई।

उपभोक्ता मामले विभाग

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से उपभोक्ता मामले विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ89(9)/सीए/सीपी/2020/III दिनांक 25.08.2021 जिसके द्वारा राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021 विरचित किये गये हैं; एवं

(2) अधिसूचना संख्या: एफ89(9)/सीए/सीपी/2020/IV दिनांक 07.09.2021 जिसके द्वारा राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 2021 विरचित किये गये हैं।

श्री सभापति: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का अनुपालन
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन; एवं

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राजस्थान में उच्च शिक्षा के परिणामों की निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन (वर्ष 2021)

(3) राजस्थान में उच्च शिक्षा के परिणामों की निष्पादन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 2021।

श्री सभापति: प्लीज शांत रहें। माननीय मंत्री महोदय बोल रहे हैं। श्री टीकाराम जूली।

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2015-16 एवं 2016-17)

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-27(5) के अन्तर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: वित्तीय कार्य। अनुपूरक अनुदान की मांगें, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, 2016-17 का वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22 में आये, कम से कम इनको प्रताड़ित तो करो।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): आप रखकर जाते तो दुबारा नहीं रखना पड़ता।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आपने 2018 में नहीं रखा इसलिए हमको रखना पड़ा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपकी बात का समर्थन भी करता हूं कि वाकई देर से आया है और मैं उसके लिए खेद भी प्रकट करूंगा और मैंने मुख्य सचिव को लिखा भी है कि जिस अधिकारी की यह गलती हुई है उसको आइडेंटीफाई करके उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री सभापति: यह गम्भीर मामला है। यह कई बार पहले भी संज्ञान में आया है। माननीय मंत्री महोदय, इस पर विशेष रूप से आप निर्देश फरमायें। श्री शान्ती कुमार धारीवाल। वित्तीय कार्य। अनुपूरक अनुदान की मांगें।

अनुपूरक अनुदान की मांग

अनुपूरक अनुदान की मांगें (वर्ष 2021-22) का उपस्थापन

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मेरा एक थोड़ा-सा निवेदन है, दो लाइन बोलना चाहता हूं। सभापति महोदय, इस राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 पर करीब-करीब 14 सदस्यों ने, किसी ने तो इसे जनमत जानने के लिये कहा और किसी ने इसको प्रवर समिति को भेजने को कहा। यह वो संशोधन है जो लोक सभा के द्वारा पारित किया गया है और लोक सभा के द्वारा पारित करने के बाद केन्द्र सरकार के द्वारा हमें डाइरेक्शन दिये गये कि आप अपने यहां पर भी यह संशोधन करें। एक शब्द भी नहीं जोड़ते हुए हमने हूबहू यह संशोधन आपके सामने पेश किये हैं। अब उसके लिये आप जनमत जानना चाहते हो, प्रवर समिति के पास में भेजना चाहते हो तो उसका अर्थ यह माना जायेगा कि प्रधान मंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने जो बिल पास करवाया, आप उसका विरोध कर रहे हो तो मेरे पास दो ही रास्ते हैं। एक तो यह कि मैं प्रधान मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को लिखूं कि आपके द्वारा जो दिये गये डाइरेक्शन हैं, आप ही की पार्टी के लोग

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

उसका विरोध कर रहे हैं। आप ही की पार्टी के विरोध कर रहे हैं और या आपको इसको विथड्रा करके इसको हूबहू पास करवाना चाहिये। अब आप देख लो, जैसा चाहो। अगर आपने इसको जनमत जानने के लिये या प्रवर समिति के लिये बहस की तो निश्चित तौर पर मेरे पास और कोई विकल्प नहीं रहेगा कि मैं केन्द्र सरकार को लिखूं कि आपके ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, प्रभारी मंत्री जी ने जो बात अभी सदन में कही कि यह जो राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2017 के मूल एक्ट में संशोधन लेकर यह आये हैं, यह वो ही संशोधन हैं जो भारत की संसद ने पारित किये। यह वे ही संशोधन हैं जिस जीएसटी काउंसिल का प्रतिनिधित्व आप हमेशा करते रहे हो, उस जीएसटी काउंसिल में पारित हुए।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 के उद्देश्यों और कारणों के कथन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री महोदय, अगर आप इस बिल को सदन में प्रस्तुत करने से पहले पढ़ लेते और उद्देश्यों और कारणों के कथन में जो बात आपने अपने श्रीमुख से यहां फरमाई, उसको उद्धृत कर देते तो शायद मेरे जैसे कुछ लोग इसके बारे में अपने मन को बदलने की कोशिश करते। सभापति महोदय, मैं समझता हूं जितना इलड्राफ्टेड यह विधेयक इस सदन में रखा गया है, कोई नहीं रखा गया। उद्देश्यों और कारणों का कथन, यानी किस उद्देश्य से रखा गया, किन कारणों से रखा गया, इसका राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर, उद्योग पर, व्यवहारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह क्यों लाया गया? जीएसटी काउंसिल की कौनसी बैठक में इसका पारण किया गया? एक शब्द भी आपने इसमें उल्लेख किया है तो मुझे बता दें। मैं समझता हूं निश्चित तौर पर आप पर कार्यभार ज्यादा है, पर सामने वालों को यह नहीं समझना चाहिये कि वह बिलकुल ही अनभिज्ञ है। अगर आज सर्वसम्मत पारित होने वाले इस विधेयक को जनमत जानने के लिये मैंने प्रस्ताव दिया है, इसीलिए दिया है कि आप जैसे लोग जो इस सदन में उद्देश्यों और कारणों के कथन को स्पष्ट नहीं कर पाये, हमारी यह मजबूरी हो जाती है कि हम अपनी बात कहें। मैं समझता हूं कि आपने...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं एक-एक बात का जवाब दे दूं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, क्यों दे दो आप जवाब? फ्लोर मेरे पजेशन में है। फ्लोर मेरे पजेशन में है। यह बीच में ही, यह कहां से आ गये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक-एक बात का जवाब आ जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं। मुझे आपने अनुमति दी है और फ्लोर मेरे पजेशन में है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह आपके लिये भी सुविधाजनक होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह कोई कोटा की धान मंडी है क्या? यह कोटा की धान मंडी है?

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, विराजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह इनके लिये भी सुविधाजनक होगा कि मैं इनकी एक-एक बात का जवाब देता जाऊं।

श्री सभापति: एक मिनट। माननीय मंत्री महोदय ने पूरे सदन को इस बात से अवगत कराया कि आज के जो भी संशोधन हैं वह पार्लियामेंट से पास है और उसी को उसी रूप में आज यहां पर रखा गया है। हो सकता है कि पहले आपके संज्ञान में जो आप फरमा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन अब आपके संज्ञान में आ गया। संज्ञान में आने के बाद में फिर वो ही गलती करना आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति के लिये मैं समझता हूं उचित नहीं है। यदि आप इसको वास्तव में मान रहे हैं कि जो भी कुछ पार्लियामेंट से संशोधित होकर आया है, उसी रूप में हम कर रहे हैं तो एक मिसाल पेश करें कि हम सर्वसम्मति से इसे पास करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जीएसटी काउंसिल में माननीय मंत्री महोदय, मैं देख रहा था अभी 17 सितम्बर को 45वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में आपको आमंत्रित किया गया है। इससे पहले मैं देख रहा था आप 14 बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुके हो। मैं समझता हूं कि या तो 14 बार आप जीएसटी काउंसिल में गये तो आप अपना वह वादा भूल गये, आप उस जन घोषणा पत्र की निर्माता कंपनी में भी थे, उसमें आप भी एक किरदार थे। आपने उस जन घोषणा पत्र में जब यह वादा किया था कि हम जीएसटी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

काउंसिल में जायेंगे, राजस्थान की तरफ से जायेंगे, हुकूमत हमारी बना दो, हम पहली ही काउंसिल में जाकर कहेंगे कि पैट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाकर जीएसटी के दायरे में ले आए। मेरा आरोप है, यह सोने की आदत को आप बदलो। जीएसटी काउंसिल की किसी भी बैठक में देख लो, मंत्री जी ऊंघते नजर आयेंगे और शायद इसीलिए आज तक आपने यह प्रस्ताव नहीं रखा।

मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जब आपने जन घोषणा पत्र में यह प्रस्ताव रखा कि हम पैट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लायेंगे, तब वैट कितना था? बीजेपी शासन में डीजल पर 18 परसेंट और पैट्रोल पर 26 परसेंट। मतलब आपका मकसद था राजस्थान की अवाम को यह बताना कि यह जो 18 और 26 परसेंट वैट है, यह ज्यादा है, इसको कम करने के लिये हम जीएसटी में लेकर जायेंगे। मंत्री महोदय, अब जब बात चली तो आपके 2019-20 के आंकड़े यह कहते हैं कि राजस्थान में पैट्रोल और डीजल पर आपने 10,705 करोड़ का वैट लिया और आपने चार बार 12 परसेंट पैट्रोल पर और 10 परसेंट डीजल पर वैट बढ़ाया। 18 परसेंट से 26 परसेंट वैट हुआ और पैट्रोल पर 26 परसेंट से 36 परसेंट हुआ। मैं समझता हूं इसका परिणाम क्या निकला? एक लीटर पैट्रोल पर राजस्थान की सरकार 26 रुपये 45 पैसे ले रही है। 1 रुपया 75 पैसा सैस था, उसको वैट के दायरे में आप लेकर आये और डीजल पर 19 रुपये 32 पैसे आप ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बातें आपने कीं। कभी आपने साइकिल चलाई, कभी गांधी जी के स्टेच्यू पर गये। राजस्थान के लोगों को बताने की कोशिश की कि केन्द्र सरकार की कमियों के कारण पैट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं। आप अपना वादा तो देखो। आपने कहा था कि हम इसको जीएसटी के दायरे में लाकर इसको कम करेंगे। मेरा आरोप है कि आपने वोट की फसल काटने के लिये जो काम किया, आज उससे मुकरने का काम आप इसलिए कर रहे हो कि आप जीएसटी काउंसिल की बैठक में जाकर कभी गम्भीरता से बैठे नहीं। अगर आप जीएसटी काउंसिल की बैठक में जाकर जिन प्रावधानों को आपने पारित किया है, उनकी जानकारी आपके पास होती तो आफिसर दीर्घा में बैठे लोगों को कहते कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में इसको स्पष्ट करो।

सभापति महोदय, जिस जीएसटी के बिल पर हम डिस्कशन कर रहे हैं मैं समझता हूं दो दशक तक इस देश में 'एक देश और एक कर' की बहस चली थी। देश में प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी थे, वो भी इसको लागू नहीं कर पाये। यह तो हिम्मत थी 56 इंच के सीने वाले मोदी जी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और स्वर्गीय अरुण जेटली जी की, उन्होंने इसको लागू करके इस देश में वित्तीय संघवाद, फिजिकल फैडरिज्म का एक जमाना किया वरना आज हम इस पर बहस नहीं करते।

सभापति महोदय, आज सैल्स टैक्स पर चर्चा होती, आज वैल्थ टैक्स पर चर्चा होती, आज सेंट्रल टैक्स पर चर्चा होती, आज सैस पर, सरचार्ज पर चर्चा करते, जीएसटी पर चर्चा नहीं करते। मंत्री महोदय, आप जो संशोधन लेकर आये हैं, आपके 2017 के जीएसटी के बिल के सैक्शन 50 के सब सैक्शन (2) में, 75 के सब सैक्शन (2) में, सैक्शन 74 में, सैक्शन 83 के सब सैक्शन (1) में, सैक्शन 107 के सब सैक्शन (6) में और 129 के सब सैक्शन (1) में निश्चित तौर पर दंडात्मक प्रावधान किये। जीएसटी की चोरी पर अंकुश कैसे लगे, इस मंशा के साथ यह प्रावधान किये गये हैं और सैक्शन 7, 16, 35 और 44 में ईज आफ डूइंग बिजनस, व्यवहारी पर विश्वास करके वह अपनी रिटर्न दाखिल करता है तो सी.ए. के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। वह खुद अटेस्टेड करके अपनी रिटर्न दाखिल कर सकता है। यह डिजीटल इंडिया के कन्सेप्ट के आधार पर ये लेकर आये हैं। मंत्री महोदय जब जीएसटी की बात चल रही है। सभापति महोदय, इन्होंने मेरी बात कभी नहीं सुनी। क्या जाने मेरे तो इनके साथ क्या गण नहीं मिलते, मैं जब भी बोलता हूं, कभी सुना नहीं। फिर कहते हैं कि ईर्रेलेंवेट बोल गये। कहेंगे कि आपने अपना भाषण लम्बा करने के लिए इस एक्ट में जो सारे के सारे प्रोविजन थे, उनको कोट कर दिया।

मंत्री महोदय, जीएसटी पर चर्चा कर रहे हो। जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों पर चर्चा कर रहे हो। आप जीएसटी में वह सिफारिश कब करेंगे, जो डीजल और पैट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात उस समय आपने कही। आपने पैट्रोल और डीजल पर चार बार में 10 और 12 परसेंट बढ़ाकर राजस्थान के कंज्यूमर की कमर तोड़ दी है, उस पर आप फैसला कब करेंगे, यह बता दें।

मैं यह कह रहा था। मंत्री महोदय, आप मुलाहिजा फरमायें। यह जो एसजीएसटी है। इसमें 2020-21 में आपके बजट एस्टिमेट 28 हजार 250 करोड़ के थे और जब आप आर.ई. में आये, उसमें 2400 करोड़ अभी आये ही नहीं हैं, मतलब आपके बजट एस्टिमेट 24 हजार करोड़ रह गये। 2021-22 में आप फिर बी.ई. लेकर आये हैं। ट्रांसपोर्ट मंत्री महोदय को पता होगा, 37662 करोड़। मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने बजट एस्टिमेट को पूरा नहीं कर पाए, यह लक्ष्य कैसे पूरा करेंगे?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, राजस्थान बदहाली की ओर जा रहा है। राजस्थान के अन्दर औद्योगिक व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होते जा रहे हैं। मंत्री महोदय, यह मैं यों ही नहीं कह रहा हूं। आप अपनी खुद की किताब उठाकर देख लें। एफआरबीएम एक्ट के पृष्ठ 15 पर आपने राजस्थान की जीएसटी के आंकड़े दे रखे हैं। वे आंकड़े चीख-चीखकर यह कह रहे हैं कि 2019-20 की तुलना में 2020-21 के अन्दर राजस्थान की जीएसडीपी 1 लाख 76 हजार करोड़ कम हुई है, मुख्य सचेतक महोदय आप आंकड़े लिख लें। यानी राजस्थान बदहाली की तरफ जा रहा है। आप कह रहे हो कि हम राजस्थान को खुशहाली की ओर लेकर जा रहे हैं। आपकी पुस्तिकाएं, आपके आंकड़े कह रहे हैं कि राजस्थान अब उस दिशा की ओर चल पड़ा है जहां एक ओर राजस्थान में बिजली की कमी के कारण अंधेरा है, पीने के पानी के लिए त्राहिमाम-त्राहिमाम है। लॉ आर्डर का यही हाल है। इन सब के बीच में आपकी खुशहाली का प्रतीक जीएसटी भी कम हो जाए। यह छोटी बात नहीं है। सभापति महोदय, एक तरह ये जीएसटी के टारगेट पूरा नहीं कर रहे हैं। आप रेवेन्यू कलेक्शन में तो फिसड्डी रहे। आपने कमाल किया है। इन्हीं चार महीनों में, जो वर्ष भर के निर्धारित कर सीमा थी, उसका 39 परसेंट कर्जा आपने चार महीनों में ले लिया 12 महीनों की जगह। आपने 18 हजार 481 करोड़ रुपये ले लिये। मैं समझता हूं कि आपने जीएसटी के बारे में जितनी आलोचना की होगी। सदन के नेता ने की होगी, हिन्दुस्तान में किसी मुख्य मंत्री ने नहीं की। जीएसटी कम्पनसेशन को लेकर सदन के नेता ने मुख्य मंत्रियों का एक समूह बनाने की कोशिश की। यह जो जीएसटी कम्पनसेशन था, वह पिछले साल का 2 लाख 59 हजार करोड़ था। आपने कहा कि सारे के सारे की भरपाई केन्द्र सरकार करे और उसके बाद आप सहमत हुए। जीएसटी कम्पनसेशन के लिए भारत सरकार ने एक जो स्कीम आपको दी कि आपको ब्याज रहित ऋण रिजर्व बैंक दे। राजस्थान ने भी लिया। क्या यह सही नहीं है कि 4 हजार 604 करोड़ की फर्स्ट किस्त आपको मिली? दूसरी तरफ आपके ऋण की सीमा को जीएसटी के 3 परसेंट से बढ़ाकर 3.5 परसेंट किया। 5 हजार 462 करोड़ के ऋण लेने के लिए आपको अधिकृत किया।

सभापति महोदय, मैं जिस जीएसटी की बात कर रहा था, जो खुशहाली का प्रतीक है। उसके ऋण का अनुपात अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के काल में 33.12 परसेंट था। आज आपका 42 परसेंट हो गया है। यानी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान को किस दिशा में ले जा रहे हो। बिल तो पारित करवा रहे हो और यह कहकर करवा रहे हो कि भारत सरकार का है, पर जब आपके अन्दर झांककर कोई देखता है तो मैं समझता हूं कि आपकी जो ऋण ग्रस्तता है, राजस्थान में इतना बड़ा ऋण किसी ने नहीं लिया होगा। 2 वर्षों में 1 लाख 16 हजार करोड़ का ऋण ले लिया और आज राजस्थान के हर व्यक्ति पर 66 हजार 285 का है। मैं इसके लिए तो आपको बधाई दूंगा कि अभी देश की इकोनामी 'वी' आकार में ऊपर उठ रही है। इस बार अगस्त में आपका जीएसटी का कलेक्शन 3490 करोड़ का है। पिछले वर्ष के अगस्त से 18 परसेंट ज्यादा है। इसमें कोई बात नहीं है।

मैं एक बात कहूंगा, मैं लंबी बात नहीं कहूंगा। मंत्री महोदय, कबूतर आंख बंद करके कब तक बैठा रहेगा? बहुत बड़ी घोषणाएं, लोगों को नौकरी देने की घोषणाएं, लंबे-लंबे सब्जबाग, आपका 1 लाख 32 हजार 252 करोड़ प्लान एक्सपैंडिचर। कभी मूल्यांकन करें। आपके जन घोषणा-पत्र में तो 62 परसेंट पूरा कर दिया। उसमें कितना परसेंट किया, सामने आ जाएगा। पर कभी आपने मूल्यांकन किया कि बजटीय घोषणा का क्या हो रहा है।

सभापति महोदय, इस सदन के अन्दर बजट में कहा गया एक-एक वाक्य, ध्येय वाक्य है, पवित्र वाक्य है। प्लान एक्सपैंडिचर से उसमें पैसा वित्त पोषित किया जाता है। यह पहली सरकार है, जिस सरकार के इस खोखलेपन के कारण यह प्लान एक्सपैंडिचर दो साल का पूरा नहीं हुआ। पिछली बार भी पूरा नहीं किया और इस बार तो ये 60 परसेंट पर, यानी 40 परसेंट की कटौती करेंगे। यह क्यों हो रहा है? आपका जो कुल टैक्स रेवेन्यू है, उससे ज्यादा पैसा आप वेतन, पेंशन और ब्याज में दे रहे हैं। मैं आपको आथेंटिक आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूं। पिछली बार 2020-21 में 77 हजार 29 करोड़ रुपये का आपने कर राजस्व का एस्टिमेट रखा। वेतन, पेंशन और ब्याज का भार 1 लाख 11 हजार 474 का था। कैसे घर चलेगा? पल्ले नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। इस बार 2021-22 में 90 हजार 49 करोड़ का एस्टिमेट लेकर आये कि इतना हमारा टोटल कर राजस्व रहेगा और 1 लाख 22 हजार 227 यानी 135 परसेंट ज्यादा तो सिर्फ वेतन, पेंशन और ब्याज में। सभापति महोदय, यही नहीं, इस बार 28 हजार 360 करोड़ रुपये यानी टोटल टैक्स रेवेन्यू 90 हजार करोड़ उसमें से 28 हजार 360 करोड़ तो ब्याज में जा रहा है। मैं समझता हूं कि राजस्थान जिस तरह आर्थिक आपातकाल की ओर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बढ़ रहा है। बिल पारित करवा लो। मेजोरिटी है, निश्चित तौर पर यदि यह बिल आप ढंग से लिखकर सामने लाते तो हम अपना विचार बनाते। जिस प्रकार राजस्थान का वित्त विभाग बेसहारा हो रहा है। इनके पास 28 महीने का शासन और है। 28 महीने के शासन में आज तक, मैं समझता हूं सरकार की आधी से ज्यादा उम्र बीत गयी है, राजस्थान में एक वित्त मंत्री के रूप में यहां मुख्य मंत्री जी को एक बार देखते हैं, जो बजट पढ़ते हैं, मैं समझता हूं कि कभी कोई समीक्षा नहीं, ये आफिसर्स गैलेरी में बैठे वे ही लोग हैं, जो कभी हमें सलाह दिया करते थे और आज आपको सलाह दे रहे हैं। यह गर्त की ओर राजस्थान ले जा रहे हैं।

अभी मंत्री महोदय से आपने मेरा उत्तर दिलवा दिया ऊर्जा मंत्री जी से, पर राजस्थान के जिस गांव में जाएंगे और जब दोनों बिल लेकर के आएंगे, बीजेपी के कार्यकाल का बिल और इस कार्यकाल का बिल तो मैं समझता हूं कि गांव में घुसना मुश्किल हो जाएगा। मैं मेरी बात को समाप्त करूं, मैं मंत्री महोदय आपका ध्यान चूंकि वित्त मंत्री के रूप में विराज रहे हैं, कर राजस्व में एक्साइज जो आपकी है, आबकारी राजस्व है, उसका एक बहुत बड़ा कम्पोनेन्ट है, आपने 13 हजार 500 करोड़ का लक्ष्य रखा, इस बार आपने सारी पालिसी बदली न। हमारे टाइम में तो एक दुकान लाटरी डालो, एकल दुकान की पद्धति थी। इस बार आपने खोल दिया, आओ और लो सब जने और आपने कम्पोजिट कर दिया, हम पर आरोप लगाते थे न आप। मैं आरोप लगा रहा हूं 6 हजार 666 अंग्रेजी शराब की अतिरिक्त दुकानें खोलने का काम आपने किया है। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं और इसके साथ ही आपकी गलत नीतियों के कारण अब 6 महीने में आपके पास 13 हजार 500 करोड़ में से सिर्फ 4 हजार 835 करोड़ रुपये आये हैं। इस के अन्दर भी यह जो ब्राण्ड कर रखा है न, आरएमएल ब्राण्ड होगा बड़े नेताओं के डिस्पले के साथ जुड़ाव, मैन्यूफैक्चरिंग के साथ जुड़ाव, कह रहे हो ठेकेदार को 50 परसेंट लो, जरूरी है, मैं समझता हूं इन सारी बातों को देखते हुए।

(15.00 बजे)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बिल के अन्दर संशोधन आये हैं, मैं समझता हूं सैक्शन 7 के अन्दर जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 7ए जोड़ी है, उसमें निश्चित तौर पर कोई कंपनी अपनी ही किसी सिस्टर कंपनी से, अपने ही किसी सदस्य के साथ व्यवहार करती है तो उस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पर भी जीएसटी लागू की है, 16(2) के अन्दर आपने इनपुट सब्सिडी देने के लिए जो बात है, वह तब तक नहीं होगा जब तक जिसने इनवाइस जारी किया, जिसने इनवाइस और डेबिट नोट जारी किया, वह रिटर्न में नहीं दिखा दे। मैं सबको पढ़ूंगा तो लम्बा समय लगेगा लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था आपातकाल की ओर है, राजस्थान का वित्त मंत्रालय बिलकुल बेसहारा है। जो बिल इन्होंने लिखा, मैंने मेरे संसदीय जीवन में इस प्रकार का इल-ड्राफ्टेड बिल नहीं देखा। इसलिए मंत्री महोदय, आप अगर उठकर क्षमा मांग लेंगे और इसको प्रवर समिति में भी सौंप देंगे तो निश्चित तौर पर बैठकर इस इल-ड्राफ्ट को जो जीएसटी कौंसिल ने पारित किया, भारत सरकार ने पारित किया, उसके उद्देश्य और कारणों के कथन को जरा ठीक लिख देंगे तो हमें भी खुशी होगी और हम खुशी-खुशी कह देंगे कि इस बिल को पारित कीजिए वरना इस प्रकार का काम करने वाले अधिकारियों से निश्चित तौर पर बात करेंगे। मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): साहब, मैं इनका जवाब दूं। इन्होंने बहुत अच्छा ज्ञानवर्द्धन भी किया है, कुछ सुझाव भी दिए हैं और कुछ कमियां भी जो बताई हैं, उनके बाबत निवेदन कर दूं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): +++ बोले हैं जो भी, जो भी बातें +++ बोली है, वह भी क्लीयर कर देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप असंसदीय शब्द बोल रहे हैं।

श्री सभापति: अंकित मत करना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग कीजिए। +++ शब्द को विलोपित कर देना।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मंत्री महोदय, मैं भी बोल दूं तो एक साथ...

श्री सभापति: माननीय विधायक, प्लीज सहयोग कीजिए। कुछ बोल रहे हैं तो शांति से सुनिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं एक तो उपनेता महोदय का धन्यवाद

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

अर्पित करना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए अर्पित करना चाहता हूं कि इन्होंने अपने पूरे भाषण में ये नहीं कहा कि साहब इसको जनमत जानने के लिए भेज दिया जाए। कहीं नहीं कहा इन्होंने। ये मान लिया, इसका मतलब ये है।

दूसरी बात मैं यह करना चाहता हूं कि आपका टोटल भाषण जो था, वह जीएसटी पर नहीं था, आपका राजस्थान की फाइनेंशल कंडीशंस के ऊपर था, टोटल भाषण। जहां तक आपने सबसे पहले सवाल यह उठाया कि आपने यह वादा किया था घोषणा पत्र में पैट्रोल और डीजल के लिए हम जीएसटी में डालने के लिए वहां पर जीएसटी कौंसिल में मीटिंग में कहेंगे। आपको याद है कि जीएसटी कौंसिल के फैसले कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? हम सिर्फ चार लोग हैं पूरे देश में, बाकी आप 26 लोग हो, 26 लोगों के आगे हमारी तूती क्या बोलेगी? ये बताइए आप। अब आप मेरी बात सुनिए। मैं आपके बीच में बिलकुल नहीं बोला। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि आपने जिस तरीके से जीएसटी के बारे में, जिसे कहते हैं कि एकतरफा फैसला करवाया, एकतरफा, बार-बार हमने कई बार, कई बिंदु उठाए जिससे कि राजस्थान का भला हो सकता था, लेकिन उसको नहीं सुना गया। यहां तक कि हमारा जो बकाया पैसा था, आज भी बकाया पैसा है राजस्थान का, करीब-करीब 5 हजार 603 करोड़ और 39 लाख रुपया आज भी जीएसटी का, बकाया है, वह हम मांगते रहे हैं, तब से मांगते रहे हैं लेकिन वहां हमारी सुनवाई नहीं होती। जाते हैं हम और जाएंगे लेकिन कभी नहीं सुनवाई हुई। किसी भी पाइंट पर हमारी सुनवाई नहीं हुई।

दूसरी बात मैं बताता हूं आपको कि हम पैट्रोल और डीजल के लिए क्यों कहते हैं? क्या पिटने के लिए कहते हैं? बेसिक एक्साइज ड्यूटी का जो डिवोल्यूशन होता है, वह आपने नहीं किया। पहली बात ये कि आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी 8 परसेंट, डीजल पर 8 और पैट्रोल पर 11 परसेंट बढ़ा दी। इसके बाद में आपने एक सैस लगा दिया, वह भी डीजल पर 18 और पैट्रोल पर भी 18 परसेंट लगा दिया। फिर उसके बाद में एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डवपलमेंट सैस लगा दिया, 4 रुपया तो आपने लगा दिया डीजल पर और पैट्रोल पर लगा दिया 2.50 रुपया। इस तरीके से 31 रुपया 50 पैसा आपने वह लगा दिया जिसमें राजस्थान का कोई हिस्सा नहीं है। कोई हिस्सा नहीं है। कोई डिवोल्यूशन नहीं है। सारा का सारा पैसा केन्द्र सरकार रखेगी अपने पास तो क्यों करते हम ऐसा काम?

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

दूसरी बात, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरीके से एक्साइज ड्यूटी को ले लें आप, वह बढ़ा दी आपने। केन्द्र सरकार के नवीन उपकरण, ये जो मैंने एग्रीकल्चर वगैरह, सैस वगैरह बताए, इसमें हिस्सा और कम करते गये, करते गये। इसी तरीके से पैट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के प्रतिवर्ष करीब-करीब अगर हम पैट्रोल और डीजल को इन हालातों में, इन कंडीशंस के होते हुए भी कि हमें सैस का कोई डिवोल्यूशन नहीं दिया जा रहा है। इन हालातों में भी अगर हम पैट्रोल और डीजल पर ये मांग कर लेते कि साहब इनको जीएसटी में लगाया जाए तो करीब-करीब हमें 5 हजार 600 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होती। आप वह हानि करवाना चाहते थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने वादा क्यों किया था? मेरे से पूछ कर वादा किया था? जन-घोषणा पत्र में लिखने वाले आप थे, दोषी ये हैं, वादा ये करें फिर हमें कह रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक मिनट, अब आप डेट की बात करते हैं। डेट लिया, ब्याज दे रहे हैं और निश्चित तौर पर लोगों के ऊपर कर्जा भी चढ़ा है। लेकिन हालत क्या है भारत सरकार की? आप जरा मेरी तरफ देखेंगे। भारत सरकार की हालत क्या है? भारत सरकार की हालत ये है कि टोटल डेट 2014 में 53 लाख करोड़ रुपये का था जो कि मार्च, 2022 में 136 लाख करोड़ रुपया हो गया। यानी कि भारत के हर नागरिक के ऊपर एक लाख रुपये का लोन चढ़ गया। जिस तरीके से फाइनेंस का सत्यानाश किया गया है, मैं आपको बता रहा हूं जीडीपी, आप जीडीपी की बात कर रहे हैं, 70 साल में लोएस्ट जीडीपी आई है 23.5 परसेंट बिलो आई है और किसके कारण आई है, बंदी के कारण, नोटबंदी, ये बंदी, वो बंदी। सत्यानाश कर दिया देश की सारी फाइनेंशल कंडीशंस का आपने। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? बताइए कौन जिम्मेदार है? क्या राजस्थान सरकार जिम्मेदार है या केन्द्र सरकार जिम्मेदार है? जहां तक आप उद्देश्य और कारणों की बात करते हैं, बिल पढ़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उद्देश्य एवं कारण पढ़ने में। अगर आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लेते तो बात सारी समझ में आ जाती। इतनी गलत बात आप यहां नहीं कहते क्योंकि कुछ न कुछ आपको तो बोलना है, इधर की बात, उधर की बात, इसकी बात, उसकी बात, मूल बात खतम। इस प्रकार आप उद्देश्य और कारणों पर आ गये। क्या गलत लिख दिया हमने उद्देश्य और कारणों में। क्या चीज गलत लिख दी, जिसके लिए आपको एतराज है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप मुझे क्षमा करना, एक शब्द बता दो किस उद्देश्य से आप इस बिल को लेकर आए हैं। आपने बिल में जो संशोधन है एज इट इज पहले लिख दिए, री-ड्राफ्ट करके फिर लिख दिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं बता देता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अब बता दीजिए। आपने जो कहा कि केन्द्र सरकार ने पारित किया, संसद में पारित किया, जीएसटी कौंसिल में पारित हुआ। एक शब्द बता दो आप। आप हिन्दुस्तान की जीडीपी की बात कर रहे हैं, राजस्थान की जीएसडीपी..

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): साफ-साफ है कि भारत सरकार, लोक सभा के द्वारा जो जीएसटी पारित किया गया है, उस पारित के अनुसार ही सेम बिलकुल वैसा का वैसा हमें यहां पर पारित करने का केन्द्र सरकार का निर्देश है। अब आप एक काम कीजिए...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ये लिखा है आपने। अब आप मुलाहिजा फरमाइए।

श्री सभापति: सुनिए आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ये उद्देश्य, कारणों में नहीं आते। आप एक काम कर लीजिए। पूरा एक्ट पढ़ लो और भारत सरकार ने जो एक्ट पास किया है, वह पढ़ लो। अगर उसकी हूबहू नकल है या नहीं है उसमें एक शब्द भी अगर हमने जोड़ा हो तो आप एतराज कर दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नकल में अक्ल तो लगाते। लिख देते इसमें कि हूबहू नकल कर रहे हैं। (व्यवधान) हमें मालूम है कि हिन्दुस्तान की सरकार में बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। हिन्दुस्तान की सरकार आज नरेन्द्र मोदी की सरकार है ...(व्यवधान) जो देश-विदेश...

श्री सभापति: प्लीज, माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आज तीन बिल हैं और करीब 25 माननीय सदस्यों को बोलना है। यदि इसी तरह से चर्चा चलती रहेगी तो 12 बजे तक भी इस पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बोलना कहां है, वह तो बात समझ गए कि यह प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री को चिट्ठी लिख मानेगा, तो कहां बोले वह, कहां बोले कि जनमत के लिए भेज दिया जाए। अब बाकी लोग क्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे और जो-जो बोलेगा, सबके एक-एक के नाम भेजूंगा। (व्यवधान) याद रखिए सबके एक-एक के नाम भेजूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): और मैं भी भेजूंगा, इतनी बार जीएसटी काउंसिल में गए, जाकर सिर्फ सोए, उन्होंने जनता का वादा पूरा नहीं किया, पैट्रोल डीजल लाने के लिए। मैं भी यह कहूंगा, आपने इस तरह का बिल पेश किया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जीएसटी काउंसिल में अगर मैं सोया तो मेरा सोता हुआ फोटो बताओ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब, वह फोटो जो आपने मुझे दिखाया था इनके खर्राटे भरते हुए दिखाओ।

श्री सभापति: प्लीज गम्भीरता बरतें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं फिर सदन से अपेक्षा करता हूं 50 माननीय सदस्यों को बोलना है और तीन बिल हैं। 2-2, 5-5 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे तब जाकर समय पर यह पूरा कार्यक्रम हो पाएगा, इसलिए कृपया सहयोग करें। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूं। श्री अशोक लाहोटी। संक्षेप में ही अपनी बात कहेंगे।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, जैसा अभी उपनेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा कि इसमें जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं उस अमेंडमेंट में, हर एक्ट में आगे लिखा है Amendment of section 7, Rajasthan Act.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): राठौड़ साहब यह क्या बार-बार उपनेता, उपनेता, उपनेता का कोई पद नहीं होता। बार-बार इंसल्ट कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय ...(व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): हाउस आर्डर में लाएं, सर। Amendment of section 7, Rajasthan Act लिखा है इसमें हर जगह, तो मंत्री महोदय आप इसमें कहीं क्लियर करते कि राजस्थान एक्ट है, वह जीएसटी एक्ट के अन्तर्गत हम इसको लेकर आ रहे हैं, तो शायद जो उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा, किसी को यह जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती और आपकी एक लाइन में ही बिल पास हो जाता। सैक्शन 7 में आपने कहा है, लगभग पूरा रिफोर्म इसमें है। मैं आपसे केवल यह जानना चाहता हूं आपने जीएसटी काउंसिल की तो बात की, पर आप क्या सदन को यह बताएंगे कि जीएसटी काउंसिल में आपने यह-यह सुझाव दिए थे। यह बिल आया है, इसमें जो-जो आपको लगता है वह राजस्थान के हित में आपने क्या-क्या सुझाव दिए थे, उस सुझाव की कापी आप सदन की पटल पर रख दे, तो हम मान लेंगे कि वाकई आपने सुझाव दिए हैं। सभापति महोदय, अभी मंत्री महोदय ने जीडीपी की बात की। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जितने भी सुझाव रखे, उन सबकी कापी आपके पास भेज दूंगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मंत्री जी, बिलकुल भिजवाएं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): फिर क्या होगा?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): बिलकुल भेजें आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): फिर क्या कर लोगे?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): हमें पता तो चले कि आपने सुझाव दिए हैं। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): फिर आप क्या कर लोगे?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): हमें पता तो चले कि आपने सुझाव दिए

(श्री अशोक लाहोटी)

हैं या सदन में ही कह रहे हो। (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं फिर सबसे अपेक्षा करता हूं बिल पर कंफाइन करें। राठौड़ साहब ने क्या, आपने क्या बोला, नहीं बोला, यह बिल में कुछ भी नहीं है। बिल पर अगर आपको नहीं बोलना है तो मैं आवश्यक रूप से आपको दो मिनट में बिठा दूंगा। कृपया सहयोग करें। पूरी तरह से बिल पर कंफाइन करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, आप यह कहते हो कि बैठ जाओ, तो मैं तो वैसे ही बैठ जाऊंगा, मैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य हूं।

श्री सभापति: यदि बिल के संशोधन पर बोलना है तो आप बोलें, वरना समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य हूं वैसे ही बैठ जाऊंगा। आप मुझे कह दो बैठ जा, मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं केवल बिल पर ही बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। किसी का अंकित नहीं होगा। मैं जिसका नाम पुकारू सिर्फ उसी का अंकित होगा, बाकी किसी का अंकित नहीं होगा। प्लीज सहयोग करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, Amendment of section 7, Rajasthan Act. की धारा 7 में संशोधन किया गया है कि कोई भी संस्था यदि अपने सदस्य के साथ कोई ट्रांजेक्शन करती है तो वह जीएसटी इनके दायरे में आएगा। बिलकुल, आज से पहले यह नहीं था, यह बड़ा संशोधन है, मैं इसका समर्थन करता हूं। इसी प्रकार आपने सैक्शन 16 में लिखा है कि यह संशोधन किया गया है खरीददार को इनपुट क्रेडिट लेना है तो जीएसटीआर (वन) में उल्लेखित जीएसटी इनपुट क्रेडिट मिलेगा। आज से पहले होता था इसमें जीएसटीआर (वन) जो खरीददार के हाथ में नहीं है, विक्रेता जीएसटीआर (वन) लेट फाइल करेगा, यदि नहीं फाइल करेगा तो खरीददार को वैधानिक इनपुट क्रेडिट मिलने में बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसमें परिवर्तन किया। यदि आप इसमें सुझाव देते कि इसको जीएसटीआर (वन) के साथ अटैच करके इसमें खरीददार को और दोनों की

(श्री अशोक लाहोटी)

इनपुट चैक करने का देते तो निश्चित रूप से इसमें कोई न कोई सुधार होता, पर आपने सुझाव नहीं दिया। फिर भी, चूंकि आपने एक मार्मिक अपील की है कि केन्द्र सरकार की धाराएं हैं। आज्ञाकारी मंत्री के रूप में आप उसको पास करना चाहते, आपका समर्थन करेंगे।

आपने अमेंडमेंट आफ सैक्शन 35 में कहा कि धारा 35 को अब हटा दिया गया है, जिसमें यह प्रावधान था कि व्यापारी को वार्षिक री-कंसीलिएशन स्टेटमेंट सीए के द्वारा सर्टिफाइड करवाना होता था। आज डिजिटल इंडिया में इसको सर्टिफाइड नहीं करवाना, मैं सैल्फ असेसमेंट कर दूंगा और जीएसटी काउंसिल उसको मानेगी, यह बहुत अच्छा सुझाव है लेकिन यह आपने नहीं दिया, यह वहीं से आया है। इसी प्रकार से इसका जो प्रभाव होगा उसका फायदा भी होगा। अमेंडमेंट आफ सैक्शन 44 में, ...(व्यवधान)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, ...(व्यवधान) आपको रिप्लाई देने के लिए अधिकृत किया किसी ने?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): राजाखेड़ा के माननीय सदस्य, आपने मंत्री जी को लिखकर दे दिया, अब बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान) आपने जीडीपी के डाटा लिखकर दे दिए, मुझे पता है, इसलिए आप बीच में नहीं बोलें।

श्री सभापति: कृपया शांत रहें। आपकी यह अच्छी आदत नहीं है। आप तो स्वयं ज्ञाता हैं वित्त के।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): तभी तो बीच में बोल रहे हैं।

श्री सभापति: जब अवसर रहता है तब तो बोलते नहीं हैं आप।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अब करो विरोध। (व्यवधान) अमेंडमेंट आफ सैक्शन 44 में राजस्थान एक्ट में आपने लिखा है कि एनुअल वार्षिक रिटर्न की अंतिम तिथि जो बढ़ाने का एक्ट में था, यह वाकई गलत था कि तिथि को फिक्स एक्ट में कर देना और समय, काल, परिस्थिति के अनुसार कई बार डेट बढ़ानी पड़ती है, यह बहुत अच्छा संशोधन है। मंत्री महोदय, इसका भी मैं समर्थन करता हूं।

इसके साथ-साथ आपने इसमें अगला लिया कि इस अमेंडमेंट आफ सैक्शन 50 में, जो ब्याज की धारा है, ब्याज को निर्देशित करती है। इसमें

(श्री अशोक लाहोटी)

पहले वहां क्रेडिट लेने जाते थे तो ब्याज की पेनल्टी होती थी उसको जमा कराने के लिए कई महीने निकल जाते थे। इसमें पहले ब्याज जमा कराने के बाद ही आप फाइल कर पाओगे, यह भी बहुत अच्छा किया है। कुछ जगह जहां सुझाव नहीं देने थे वहां तो वहां तो ठीक था।

सैक्शन 74 इसमें फ्राड की धारा है। इसमें फ्राड रोकना। इसमें आप एक सुझाव दे सकते थे, इसमें मुख्य रूप से है कि यदि मैन पर्सन ने कोई गलती की है और उसकी चैन आफ डाक्यूमेंट में कोई पीछे के पर्सन आते हैं तो मैन पर्सन ने यदि सैटलमेंट कर लिया, पूरा टैक्स जमा करा दिया तो पीछे वाले पर्सन पर कार्यवाही बंद हो जाती थी, जो इस सैक्शन में अभी इसके अन्तर्गत धारा 129 व 130 में जो व्यक्ति इसमें शामिल है, उन पर कार्यवाही बंद नहीं होगी। इसका यदि आप सुझाव देते तो निश्चित रूप से जीएसटी काउंसिल मानती, पर आपने शायद सुझाव नहीं दिया होगा और दिया होगा तो आप मुझे कापी भेजेंगे ही।

आपने अमेंडमेंट आफ 75 में सब धारा 12 में सेल्फ असेसमेंट रिकवरी के इसमें कठोर कदम लिखे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसकी सप्लाई का जीएसटीआर वन जब सबमिट होता है, व्यापारी की टैक्स लाइबिलिटी तय नहीं होती, केवल जीएसटीआर थ्री, बी, सी, में ही उसकी टैक्स लाइबिलिटी तय होती है लेकिन अब आपकी थ्री, बी, सी, है इसके साथ-साथ जीएसटीआर वन में भी होगा। इससे व्यापारियों में थोड़ा-सा टैक्स जमा कराने का, जो तुरन्त टैक्स जमा कराएगा उसकी लाइबिलिटी तो बढ़ेगी, पर कम से कम जीएसटी रेगुलाइजेशन इसमें जरूर होगा इस धारा के अन्तर्गत पर यदि सुझाव देते तो आज इसमें जरूर कुछ अमेंडमेंट करवा सकते थे।

इसी प्रकार धारा 83 में, संशोधन से पूर्व इस धारा का उपयोग केवल कुछ परिस्थितियों में किया जाता था, जिसमें धारा 62, 64, 67, 73 और 74 में कवर होने वाले व्यक्ति ही इस धारा के अन्तर्गत आते थे लेकिन अब क्या होगा, आपने वहां सुझाव नहीं दिया, इसलिए यह लागू हो गया। अब क्या होगा, इसके दायरे में जीएसटी के ऊपर डाल दिया गया, ऐसी लाइबिलिटी असेसमेंट के दौरान, वह सारे लोग जिन्होंने जीएसटी चोरी की है, उनका बैंक अकाउण्ट फ्रिज हो जाएगा, यहां तक तो ठीक है। मंत्री महोदय, लेकिन इसमें एक सुझाव आप दे सकते थे कि कई बार चोरी की गणना भी हो जाती है और

(श्री अशोक लाहोटी)

व्यापारी चोर नहीं होता। उस गणना के कारण यदि बैंक खाता फ्रिज हो जाएगा तो उसका व्यापार बंद हो जाएगा। आपको इसका सुझाव देना चाहिए था, पर आपने सुझाव नहीं दिया।

सैक्शन 107 में, यह भी राजस्थान एक्ट, आपने लिखा है, अधिकारी जो भी पेनल्टी लगाएगा उसका 25 परसेंट जमा होने के बाद अपील में जाने का अधिकार होगा अन्यथा नहीं होगा। इससे पहले 10 परसेंट पर था। जीएसटी काउंसिल में राजस्थान, यह जो कर निर्धारण है, यह पूरा जीएसटी काउंसिल का है। आप यहां बार-बार सबको डरा रहे हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने किया है, लोक सभा ने किया है। यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट, लोक सभा ने नहीं किया, यह जीएसटी काउंसिल ने किया है और इस एक्ट को इसी रूप में राजस्थान विधान सभा में भेजा है, जैसे देश की दूसरी विधान सभा और लोक सभा उसमें काम करेगी। इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि कुछ मामलों में आप सुझाव जरूर दें। इस बैठक में नहीं दिए होंगे, अगली बैठक में दें। वापस रिवाइज भी करवा सकते हैं।

इसी तरह धारा 129 गुड्स एंड ट्रांजिट है। इसमें सबसे बड़ा चेंज हुआ है कि इस ट्रांजिट का जो टैक्स बनता था, उसमें 200 परसेंट जमा कराना होगा। यह पहले 100 परसेंट था। बहुत सी बार व्यापारी, जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल भेजता है वह वहां टैक्स तक नहीं पहुंच पाता हर जगह। वह अपने ट्रांसपोर्टर्स को कहता है कि आप माल की वेल्यूएशन करवाकर छुड़वा लें। इसमें माल की वेल्यूएशन में जो कीमत थी, उस माल की कीमत का 50 परसेंट और टैक्स 200 परसेंट, दोनों इसमें शामिल है, इससे पहले टैक्स गुड्स वैल्यू का 50 परसेंट था। ऐसे कुछ सुझाव इसमें थे। यदि भूलवश कोई गलती का खामियाजा बिजनस बंद करवा सकता है, तो उसका सुझाव देना भी जरूरी होता है, जो राजस्थान के हित में, राजस्थान के वित्त मंत्री की हैसियत से, मुख्य मंत्री जी को या आपको देना चाहिए था।

धारा 129 (2) आपने बोंड सिक्योरिटी पर जो पहले माल छुड़ाते थे, वह बोंड सिक्योरिटी बंद कर दी। अब पूरा का पूरा पेनल्टी और टैक्स देने के बाद ही माल छूटेगा।

इस प्रकार धारा 129 (3) में जो संशोधन किया गया है, इसमें गुड्स को जब्त करने पर अधिकारी को 14 दिन में आर्डर पास करना होगा। यह

(श्री अशोक लाहोटी)

इसमें बड़ा अच्छा है कि पहले अधिकारी महीनों तक लटकाकर रखते थे और कई बार निर्णय नहीं करते थे और अंडर-टेबल डील होने के बाद करते थे। यह बड़ा अच्छा प्रावधान किया है।

129 (4) में यह उल्लेखित किया है कि इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी लगाने से पूर्व अधिकारी शो-काज नोटिस इश्यू करेगा। इससे पहले जो था, इसमें इंटरेस्ट का नहीं था, उसमें इंटरेस्ट लगाने के अधिकारियों को शो-काज नोटिस जारी करने के पावर्स नहीं थे। केवल उसमें टैक्स लायबिलिटी पर ही था तो, मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इसी प्रकार का अमेंडमेंट धारा 130 की जो है, उसमें आपने लिया है, जिसको 129(1) से जोड़ा गया और इसमें बड़ा अच्छा किया है कि 200 परसेंट तक हो चुकी, आपकी जो टैक्स लायबिलिटी निकाली है, उसको इन्होंने 100 परसेंट में कवर किया है।

सबसे बड़ी बात जो आपने अभी वैट को जी.एस.टी. के दायरे में, पैट्रोल-डीजल लाने की जो बात कही और उसके बाद आपने जी.डी.पी. की बात कही, पहली बार हुआ है, जब नरेन्द्र मोदीजी की सरकार में आपने यह बात छिपा ली कि इस बार का जी.एस.टी. कलेक्शन जो है, वह एक लाख करोड़ से ज्यादा हुआ है। इस कोरोना के पेन्डेमिक के बाद में भी, उसमें राजस्थान का भी शेयर बढ़ेगा, क्योंकि जब पूरे देश से एक लाख करोड़ से ज्यादा कलेक्शन हुआ है तो राजस्थान में भी ज्यादा हुआ है लेकिन वह राजस्थान में केन्द्र के अधिकारियों ने किया है, आपके अधिकारियों का इसमें कोई लेना-देना नहीं है, न ही कोई योगदान है।

ठीक इसी प्रकार जी.डी.पी. बेस में, सभापति महोदय, यह पहली बार हुआ है, 2019 के इसी महीने की जी.डी.पी. से भी ज्यादा 20.1 परसेंट जी.डी.पी., जो पूरे वर्ल्ड के टाप सेवन कन्ट्रीज हैं, उसमें हाइएस्ट जी.डी.पी. देश की हुई है। यह पहली बार देश के लिये गर्व करने की बात है, जो मंत्रीजी ने नहीं कही।

मेरा आपसे निवेदन है, इन सबके साथ-साथ एक बड़ा रिफार्म जो केन्द्र सरकार ने किया और जिसकी राजस्थान को जरूरत है कि रेवेन्यू इतना बढ़ा है उसके बाद में भी उन्होंने अपने खर्चे में कमी की है जबकि राजस्थान में उलटा हो रहा है कि घी पी रहे हैं, लेकिन उधार लिये जा रहे हैं और घी पीये जा रहे हैं। घी पीना जरूरी है, चाहे कितना ही उधार ले लें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस बिल को बिलकुल पारित किया जाए, लेकिन मंत्रीजी, आज इस सदन में एक कमिटमेंट भी करें कि अगली बार जी.एस.टी. कौंसिल में ये सारे सुझाव देकर आएंगे। इस बिल को परिचालित करने का जो मैंने प्रस्ताव दिया था, मैं वापस लेकर बिल को पारित करने के लिये आपको कहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या। श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापतिजी, माननीय मंत्रीजी ने राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 प्रस्तुत किया है। विधेयक के खण्ड 2 में, अधिनियम, 2017 की धारा 7 में संशोधन प्रस्तावित किया है। सप्लाई की परिभाषा में जो बदलाव प्रस्तावित किये हैं, उनके प्रभाव कुछ हद तक नकारात्मक हो सकते हैं।

संशोधन में, किसी भी संस्था द्वारा अपने सदस्यों या सदस्यों द्वारा संस्था को दिये गये संव्यवहार को विक्रय आपूर्ति की परिभाषा में लाया गया है। इस बात पर गौर करना चाहिए माननीय मंत्रीजी को।

विधेयक के खण्ड 15 द्वारा राजस्थान जी.एस.टी. कर अधिनियम, 2017 की सूची 2 के पैरा 7 को हटा दिया गया है। इससे अब संस्था क्लब द्वारा अपने सदस्यों या घटकों के सदस्यों द्वारा संस्था को दिये गये संव्यवहार सप्लाई की श्रेणी में आने से कर योग्य होगा। इसको भी माननीय मंत्रीजी को और उक्त संशोधन भूतलक्षी प्रभाव में लागू होगा, इस बात की भी चिंता करनी चाहिए।

विधेयक के खण्ड 3 द्वारा राजस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 16 में संशोधन प्रस्तावित करके उप धारा (क) के अंत में यह प्रस्ताव किया है कि कोई भी विक्रेता, अपना बिल या डेबिट नोट जो अपने आउटवर्ड सप्लाई में दर्शाना होगा, यह खरीददार को भी धारा 37 के अनुसार सूचित होना जरूरी होगा। इसका अर्थ है यदि खरीद को खरीद के आगत कर का लाभ प्राप्त करना हो तो यह शर्त पूरी करनी होगी। इस पर भी दुबारा से विचार किया जाना चाहिए।

(श्री बिहारीलाल)

विधेयक के खण्ड 6 और 7 के प्रावधान, यह माननीय मंत्रीजी ने अच्छा किया है कि 2017 के अधिनियम में धारा 50 अनुसार ब्याज और धारा 74 में शास्ति के प्रावधान सद्भावपूर्ण और सकारात्मक हैं। ये प्रदेश के और देश के हित में हैं।

विधेयक के खण्ड 10 द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 107 में प्रस्तावित संशोधन प्रावधान, यह भी अच्छे संशोधन, सुझाव माननीय मंत्रीजी के रहे हैं।

माननीय सभापतिजी, विधेयक का खण्ड 11, इस पर माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि इस पर गौर फरमाएं। राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 129 में प्रस्तावित संशोधन कुछ हद तक कठोर प्रतीत होते हैं। आपको विदित है कि माल का परिवहन व्यापार की रीढ़ है और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बहुत कमजोर स्थिति में है। धारा 129 माल के परिवहन को नियमित करती है। धारा 129(1) (ए) के संशोधन में माल के मालिक द्वारा कर चोरी से किये गये परिवहन में कर को जमा करने की शर्त को हटाकर मात्र शास्ति वसूली का प्रावधान है जो कि पूर्व से दुगुनी है।

साथ ही धारा 129(1) (बी) में संशोधन में ट्रांसपोर्ट कम्पनी पर माल कीमत की आधी शास्ति या कर राशि की दुगुनी शास्ति, जो भी ज्यादा होगा, का प्रावधान किया गया है। यह काफी ज्यादा शास्ति है, जिसमें वस्तु की कुल कीमत से भी ज्यादा शास्ति की सम्भावना होगी, तीन गुना, चार गुना तक।

दूसरा, धारा 129(1) (सी) को हटा देंगे, जिससे अब धारा 67, 5 गुना सिक्योरिटी जमा करवाने तक लम्बित रहेगा, वाहन को नहीं छुड़वाया जा सकेगा। मान लो किसी बस में कोई 10 हजार का भी कार्टून बिना बिल का हो तो 15 दिनों तक बस खड़ी रहे, उसके यात्री भी परेशान हों, इस तरह का कुछ अमेंडमेंट इसमें माननीय मंत्रीजी को लाना चाहिए।

पैट्रोल-डीजल की जो बात कही तो निश्चित रूप से, मंत्रीजी, आप दुबारा जी.एस.टी. कौंसिल में जाएंगे तो अपने पूर्ववर्ती वादे को याद करके उस कौंसिल में चर्चा में लाएंगे कि इसको जी.एस.टी. के दायरे में लाया जाए, क्योंकि राजस्थान के पड़ौसी प्रदेशों में, जो हमारा अंतर है तो डीजल माफिया राजस्थान के सभी जिलों में बहुत तेजी से फैल रहा है। कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। इसलिये, माननीय मंत्रीजी, हमने जो सुझाव दिया जनमत जानने का, वह वापस लेते हैं और जो बिल पास करवाना है, उसके

(श्री बिहारीलाल)

लिये हम सहमति जताते हैं। कुछ संशोधन इसमें लेकर आ रहे हैं, जो बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021, जो माननीय मंत्री महोदय ने रखा है, मैंने इसको जनमत जानने के लिये और 6 माह के लिये वहां परिचालित करने के लिये वहां लिखकर दिया है तो मैं इसको वापस लेता हूं। केन्द्र सरकार के हिसाब से, 2-3 बातों का मेरा निवेदन है। मैंने इसको पढ़ा है। इसमें आयुक्त मजबूत हो रहा है क्योंकि इसमें पैनल्टी जो लगेगी, पार्ट पेनल्टी 25 परसेंट, 50 परसेंट जमा कराने के बाद सुनेंगे, शायद उसमें संशोधन की आवश्यकता हो। आप इसको नये सिरे से दिखाना।

दूसरा निवेदन है कि हमारा जो पैट्रोल-डीजल है, राजस्थान की बिक्री, जहां से आपने हमारा वैट बढ़ाया, 36 और 26 किया, उसके बाद देखिये, हमारी बिक्री घट गई है। जैसा अभी बिहारीजी ने बताया, हमारे माननीय सदस्य ने कि राजस्थान में पैट्रोल-डीजल की बिक्री कम हो गई है, इसलिए राजस्थान सरकार को उसका घाटा हो रहा है और माफिया एक नई गैंग तैयार हो गई राजस्थान में, जो उसको कर रही है। मैं जनमत जानने के अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं। आप बिल को पास कराएं, मेरा बिल को समर्थन है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा। श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): धन्यवाद, सभापति महोदय, राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021, इसको पास करने के लिये माननीय मंत्री महोदय ने पेश किया है।

जैसा कि विदित है, जी.एस.टी. कौंसिल ने जो अमेंडमेंट किया, जो पेश किया, उसी को अन्य राज्यों में भी भेजा गया। उसी तर्ज पर राजस्थान में भी भेजा गया है। बिल तो पास होगा ही होगा, क्योंकि बहुमत के आधार पर सारे बिल ही, जो आप चाहते हैं, वे होते ही हैं।

माननीय सभापति महोदय, मुझे क्षमा करेंगे और एज यूजवल जैसे ही मैं सरकार के खिलाफ कुछ बोलना शुरू करता हूं आप उधर से कहते हैं बैठ जाएं, आज कम से कम ऐसा नहीं करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

(श्री अभिनेश महर्षि)

माननीय मंत्री महोदय, एक ले-मैन की भाषा में मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि सब कुछ जीएस.टी. के दायरे में आ गया। आपने वादा किया था कि जी.एस.टी. के दायरे में पैट्रोल और डीजल लाएंगे। इसी के ऊपर सबसे ज्यादा आप लोग सवाल उठाते हैं। हम क्षेत्र में जाते हैं, जनता भी हम से पूछती है, तब आप केन्द्र के ऊपर इसको ढोल देते हैं। आप जब अपने भाषण में जवाब देंगे तब कहेंगे कि अभिनेश महर्षि ने कुछ बोला ही नहीं, इसलिये इसका तो जवाब क्या दें। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात का जरूर जवाब दें कि हरियाणा के अन्दर और दिल्ली के अन्दर राजस्थान से डीजल और पैट्रोल क्यों सस्ता है? क्या उन राज्यों में कोई अलग कानून बना दिया केन्द्र ने और आपके यहां कोई दूसरा कानून बना दिया? क्या वह राज्य पैट्रोल और डीजल के अन्दर कमी करके 10 रुपये का फर्क ला सकते हैं तो राजस्थान की आपकी सरकार क्या कर रही है, इस बात का जरूर जवाब दें।

यह इस जी.एस.टी. के, यह जो बिल है इससे ही संबंधित है। 26.45 रुपये राजस्थान सरकार ले रही है। अन्य राज्य कितना ले रहे हैं, अलग-अलग डिफरेंस है। सब कुछ केन्द्र के ऊपर छोड़कर हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। जो जनता के साथ में वादे किये, इस देश के अन्दर एक संविधान होगा, एक झंडा होगा तो इस देश के अन्दर एक टैक्स भी होगा, एक संविधान भी होगा। यह परिकल्पना यदि किसी ने की तो देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी ने की इसलिए हम यह कहना चाहते हैं।

आपने इसको पता नहीं बहुत से क्या-क्या नाम दिये? गब्बर सिंह टैक्स और क्या-क्या टैक्स? लेकिन यह देश का एक टैक्स है जिसके अन्दर कई तरह की जो टैक्सेशन की प्रणाली थी, उसके अन्दर सारी खामियों को दूर करते हुए जब इसको लेकर आये तो यह सारा का सारा बहुत अच्छे तरीके से एक व्यवस्थित रूप के अन्दर टैक्स की प्रणाली लागू हुई है।

दूसरी बात, मेरा एतराज इस बात पर है कि जो चेंजेज किये हैं, उसके अन्दर उद्देश्य और कारण देते हैं। आपने भी यह लिखा है पर यह इसके अन्दर स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए, यह भ्रमित करने वाला नहीं होना चाहिए कि केन्द्र की जी.एस.टी. काउंसिल ने जो हमको आदेश दिया है उसके अन्दर हमने एज इट इज इसको पेश कर दिया है तो यह न तो कोई अमेंडमेंट की बात

(श्री अभिनेश महर्षि)

आती और न कोई अन्य किसी तरह की बात आती। आप सर्वोपरि हैं, जो आपको समझ में आये, जनता के हित के कानून बने या चाहे नहीं बने, करना वही है जो आपको करना है। मैंने जो जनमत जानने के लिए कहा, उसके लिए यह जो सुझाव आये हैं, इन सुझावों के ऊपर आगे जब जी.एस.टी. काउंसिल के अन्दर जाएं तो इनके ऊपर विचार करते हुए आप कार्यवाही करेंगे। इसी बात के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री बाबु लाल (झाडोल) ...(व्यवधान)

श्री बाबु लाल (झाडोल): मैं तो समर्थन करने ही वाला हूं। माननीय सभापति महोदय, जो आज राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 सरकार लायी है, इस पर मुझे बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं कहना है लेकिन मुझे कुछ कहना है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जी.एस.टी. आने से पहले राजस्थान का व्यापारी भयभीत था, इंस्पेक्टर राज था कि कब कौन आ जाए, छापा पड़ जाए और हमसे वसूली करके चला जाए। यह तो भला हो हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री का कि एक टैक्स, एक राष्ट्र की नीति लाकर, जी.एस.टी. लाकर सबको उसमें शामिल करके और यह किया है बहुत अच्छा।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि सबने कहा कि हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों में पैट्रोल-डीजल सस्ता है और हमारी सरकार ने 26 परसेंट और 36 परसेंट वैट लगाकर पैट्रोल और डीजल पर किसानों और उपभोक्ताओं पर जो भार डाला है, यह हमारी आपत्ति है। आज पैट्रोल पम्प मालिक अपने पैट्रोल पम्प बंद करने की स्थिति में हैं क्योंकि जहां पर सस्ता मिलेगा वहां पर जाकर उपभोक्ता अपना पैट्रोल-डीजल खरीदेगा, पड़ौस के राज्यों में जाएगा। इसके कारण से माफिया भी पैदा होंगे तो इस पैट्रोल और डीजल पर आपने वैट बढ़ाया इसको आप कम करें तो उन पैट्रोल पम्प मालिकों का भी अच्छा भला होगा और उपभोक्ताओं का भी भला होगा।

दूसरा, मंत्रीजी ने अभी यह कहा था, उस पर मेरी बहुत ज्यादा आपत्ति है कि केन्द्र की सरकार ने, मोदीजी ने नोटबंदी करके मंदी ला दी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, नोटबंदी से पहले जिन लोगों ने हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था को खतम किया था, जितना पैसा था लूट

(श्री बाबु लाल)

-लूटकर अपने घरों में भरा था और एक जगह इकट्ठा कर रखा था और उनको भी पता नहीं था कि हमारे पास कितना पैसा है, वह मार्केट में आ नहीं रहा था, जिसके कारण से देश की अर्थव्यवस्था भी खराब हुई थी और गरीबी भी थी। हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नोटबंदी करके ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी (अनुपस्थित)। आप विराजिये।

श्री बाबु लाल (झाडोल): मैं मेरा जो प्रस्ताव दिया है, इसको वापस लेता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाशचन्द्र मीणा (अनुपस्थित)। डर के मारे भाग गये सबके सब। श्री मदन दिलावर। ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरा प्रस्ताव वापस लेता हूं और इसको पारित किया जाए।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव तो वापस लेता हूं पर एक छोटी-सी बात निवेदन करना चाहता हूं कि जी.एस.टी. के बारे में केन्द्र सरकार पर राजस्थान सरकार के नुमाइंदे बार-बार यह आरोप लगा रहे हैं कि पैट्रोल और डीजल इनके कारण से महंगा हो गया, जबकि यह हकीकत है कि राजस्थान में जी.एस.टी. कर आप लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। केन्द्र सरकार ने जहां भी जी.एस.टी. के अन्दर कोई प्राब्लम आई, चाहे व्यापारियों की हो या चाहे किसी और वर्ग की हो, उनको सुविधा देने का काम किया है, संशोधन करने का काम किया है। आपने तो ब्लैक शुरू करवा दिया पूरे राजस्थान में। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अन्दर बिक्री बिलकुल ही कम है, आप अपना रिकार्ड उठाकर देख लें। पूरा का पूरा पैट्रोल और डीजल हरियाणा और पंजाब से आ रहा है तो आप यह क्या सिद्ध करना चाहते हो? जी.एस.टी. बढ़ाकर आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है, तस्करों को लाभ हो रहा है। हकीकत में ही अगर आपको, एक तो किसानों को और दूसरे जो भी व्यक्ति पैट्रोल और डीजल यूज करेंगे, उनको लाभ होगा और सरकार की बिक्री बढ़ेगी। मेरा यह कहना है कि

(श्री रामप्रताप कासनियां)

आप जी.एस.टी. कम करो, दूसरे घरों पर पत्थर मार रहे हो और खुद कमाल कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री अमृतलाल मीणा। यह बीड़ी के बंडल पर चर्चा थोड़े ही हो रही है यहां पर।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): इतना पता है मेरे को।

श्री सभापति: श्री अमृतलाल मीणा। विराजिये आप।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): वैट किस चीज पर है और नहीं है, इतना भोला भी नहीं हूं, अनपढ़ जरूर हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह हमारा विशेषाधिकार है कि हम किसी पर भी बोलें। (व्यवधान)

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो विधेयक सदन में पेश किया है, राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021, इस पर जनमत जानने के लिए मैंने जो कहा था, उसको मैं वापस लेता हूं और मंत्रीजी से एक बात जरूर कहूंगा कि ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, लगाया ही क्यों इन्होंने। (व्यवधान)

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): यह मंत्रीजी के, अभी आज जोर-शोर से चर्चा जो चल रही है पैट्रोल और डीजल की, मंत्रीजी के कितने पैट्रोल पम्प हैं? यह थोड़ा उत्तर देते समय बताएं ताकि हमें जानकारी पूरी मिले इसकी, यह हमारा निवेदन है। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी। (व्यवधान) जिन्होंने विद्-ड्रा कर लिया उनका नाम मत भेज देना। जिन्होंने विद्-ड्रा कर लिया उनका मत भेजना। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, इस बिल के हर पाइंट पर, सैक्शन-7, 16, 35, धारा-5, 44, 50, 74, 75 में धारा 12, 83, 107, 129 की धाराएं- 1, 2, 3, 4, 6 और सैक्शन 130 इन सबमें आपने हर जगह लिखा है राजस्थान एक्ट तो इस राजस्थान एक्ट में आप कुछ रिफार्म्स भी लेकर आते। In spite of the pandemic it's thanks to the Modi government that we are doing a record

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

collection of one lakh sixteen thousand crore rupees per month....मैं यह सजेस्ट करूंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से यह रिकार्ड कलेक्शन किया है, स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसे रिफार्म्स लाये जिससे हमारे स्टेट का भी यह कलेक्शन बढ़े। आपके अधिकारी जो सिर्फ ट्रक्स को रोकने में लगे रहते हैं उनसे आप कहें कि वह परफोरमेंस दिखाएं और फर्जी बिलिंग से इनपुट लेने का काम बंद करवाएं, धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): इस बिल का क्या करना है?

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बिल को पास करें।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल (अनुपस्थित),

श्री ज्ञानचंद पारख (अनुपस्थित),

श्री छगनसिंह (अनुपस्थित)।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, वह बता दो बिल का क्या करना है, पूछ लो सबसे।

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत (अनुपस्थित), श्री संयम लोढ़ा (अनुपस्थित), श्री बलजीत यादव (अनुपस्थित), श्री जोगेश्वर गर्ग (अनुपस्थित)! मंत्री महोदय।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं, क्या बोलें? लाहोटीजी ने जरूर दो-चार बातें कहीं कि साहब, सारा का सारा कलेक्शन गवर्नमेंट आफ इंडिया के कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। इतनी-सी भी अगर आपकी जानकारी नहीं है तो मेहरबानी करके फाइनेंस पर आगे बोलने की कोशिश मत करो। यह फाइनेंशियल मैटर हैं, इस बात को समझिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें और सुनें अब।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दूसरी बात आपने बोली। (व्यवधान)

श्री सभापति: सुनिये-सुनिये, मंत्री महोदय की बात सुनें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दूसरी बात, आपने कई सुझाव दिये हैं। वह अच्छे-अच्छे सुझाव थे, लेकिन वह सुझाव हमें देने से क्या फायदा है? वहां पर वित्त मंत्रीजी को लिखकर भेजते, उनको देते। देखें वहां पर आपकी कितनी चलती है? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा। जो भी बीच में इंटरवीन करें, उनका अंकित नहीं होगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैंने पहले भी कहा, यह फाइनेंशियल मैटर्स हैं, मेहरबानी करके कोई दूसरे सब्जैक्ट की तैयारी किया करो। दूसरी बात, जोशी साहब ने स्वागत किया, मैं भी उनका स्वागत करता हूं। अभिनेश महर्षि जी ने कहा कि आप मेरी बात को हमेशा भूल जाते हो पर बात तो वही है माननीय सदस्य, आप तो जो उप-नेता बोलते हैं न, उसी को छोटा करके दो-चार लाइन में लिखकर के यहां बोल लेते हो, कोई नई बात तो बोलते नहीं हो।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज विराजिए। यह अच्छी आदतें नहीं हैं। कृपया शांत रहें। कुछ सीखने से छोटे नहीं हो जाएंगे, कुछ सीखिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए आप, विराजिए। कुछ बोलने का है नहीं, क्या जवाब दे रहे हैं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं इस बात के लिये विपक्ष के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कि जनमत जानने के लिये या प्रवर समिति में भेजने के लिये कहा। आज उन्होंने इस बात पर कतई स्ट्रेस नहीं किया, बल्कि बोला भी नहीं और कइयों ने तो समर्थन कर दिया। मदन दिलावर जी जैसे आदमी ने समर्थन कर दिया। कइयों ने समर्थन कर दिया तो मुझे कोई ज्यादा इस विषय पर बोलना नहीं है, सबकी स्वीकृति है। सब जानते हैं अच्छे तरीके से, यह केन्द्र सरकार का बिल है। दो संशोधन जरूर थे। एक तारीख का संशोधन था,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जोकि केन्द्र सरकार के द्वारा जब यह लोक सभा में पास किया गया था, तो लोक सभा में पास करते वक्त उन्होंने कहा था कि नोटिफिकेशन निकालकर हम इसकी तारीख तय करेंगे। तय करेंगे तो तारीख उन्होंने जुलाई में तय की। वह जुलाई की तारीख आज...(व्यवधान)

श्री सभापति: खण्डश: कर रहा हूं माननीय मंत्रीजी। प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2 एवं 3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड-4, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, चार में है अधिनियम की धारा 35 और 44 में ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, हमें संशोधन सर्कुलेट ही नहीं हुआ। ऐसी क्या बात है? सदन की प्रक्रिया और नियम सारे चलते हैं। पहले हमें सर्कुलेट कराओ। हमारी टेबल पर नहीं है। यूं ही मजाक बना दिया पूरी विधान सभा को।

श्री सभापति: यह आप सबको सर्कुलेट हो चुका।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने डाक देखी नहीं है।

श्री सभापति: सूची संख्या-1 में है यह। यह सर्कुलेट हो चुका है। आलरेडी सर्कुलेट हो चुका। यह पृष्ठ नंबर 2 पर है। आप लोगों ने देखा नहीं है। यह पीछे है।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री, खण्ड-4 में संशोधन।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह खण्ड-4 के द्वारा एस.जी.एस.टी.(SGST) अधिनियम की धारा 35 व 44 में यह संशोधन किया गया है कि यह 01 अगस्त, 2021 से लागू होगा। करदाताओं को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अपने खातों की आडिट करवाने के लिये..;(व्यवधान) खण्ड-4 में विद्यमान अभिव्यक्ति हटाई जाएगी और उसके पश्चात् विद्यमान विराम चिह्न ''1'' से पूर्व, अभिव्यक्ति 'और 1 अगस्त, 2021 से हटाई हुई समझी जाएगी' अन्त:स्थापित की जाएगी। खण्ड-5 में भी यही है। खण्ड-5 में भी सेम यही है।

श्री सभापति: प्लीज, विराजिए। एक मिनट विराजिए।

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-4 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री, पांचवां संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): विधेयक के खण्ड-5 में विद्यमान अभिव्यक्ति 'प्रतिस्थापित

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

किया जाएगा' के पश्चात् विद्यमान अभिव्यक्ति ''अर्थात्'' से पूर्व, अभिव्यक्ति ''और 1 अगस्त, 2021 से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जाएगा', अन्त:स्थापित की जाएगी।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड-5 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-5 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-5 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-6 से 15, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-6 से 15 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-6 से 15 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल पारित के लिये प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को संशोधित रूप से पारित किया जाए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं मत विभाजन की मांग करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं मत विभाजन की मांग कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपको कौन पूछता है, आप अकेले हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अकेले हैं या नहीं हैं, यह तो मत विभाजन से मालूम पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, यह हर मैम्बर का राइट है। मालूम तो पड़े, इनका भी असली चेहरा सामने तो आये। इन्होंने इतने संशोधन किये, पता तो चले। आप यहां पर मत विभाजन कराइए।

श्री सभापति: मैं पुकार चुका। मैंने माननीय मंत्री को पुकार लिया। विराजिए। अंकित नहीं होगा। जब मैंने आपका नाम पुकारा, आप थे नहीं मौके पर। अब बीच में मैंने हां पक्ष, ना पक्ष कहा, तब आप बीच में इंटरवीन कर रहे हैं। मैं अलाउ नहीं करूंगा। विराजिए। आप विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: असलियत सबको पता है, विराजिए आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, संयम लोढ़ा साहब ने जो डिवीजन मांगा है, मुझे उस पर ऐतराज है। ऐतराज इसलिए है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: ऐतराज मुझे है, आसन को ऐतराज है। मैंने इनका नाम पुकारा, तब यह थे नहीं। आसन जब आपको पुकार रहा है तब हो नहीं, अब बीच में मैं अलाउ नहीं करता।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप ठीक कह रहे हैं लेकिन मुझे भी ऐतराज है, क्योंकि एक मोदीजी का नाम लेने से इतना असर पड़ गया, वही काफी है हमारे लिये तो।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

श्री लालचन्द जी कटारिया।

विधेयक पर विचार

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, सदन आज ऐसे कृषि विश्वविद्यालय के संशोधन पर विचार कर रहा है जिनके नाम के आगे स्वामी केशवानन्द जी का नाम रखा है। मैं समझता हूं कि ऐसा विरला ही कोई व्यक्तित्व होता होगा जो अपने जीवनकाल में कम शिक्षित होते हुए भी शिक्षा की ऐसी अलख जगा दे। सभापति महोदय, आपने ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया का नाम सुना होगा, उसके संस्थापक और एक ऐसा व्यक्ति मंगलूणा, सीकर के अन्दर उनका जन्म हुआ और मैं समझता हूं कि इस फक्कड़ तबीयत के आदमी ने हिन्दुस्तान के अन्दर लोगों को बता दिया कि जो व्यक्ति मन में ठान ले और एक नेक इरादे से निकले तो उसके साथ जमाना चल निकलता है। मैं समझता हूं कि उनके नाम से निकले हुए इस विश्वविद्यालय में, मंत्री महोदय, यह कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है, शायद पहला विश्वविद्यालय है। इन्हीं महान विभूति पर 15 अगस्त, 1999 को डाक टिकट भी जारी हुई, 1987 को आपका यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया, पहले उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय का अंग था।

अब जो आप इसमें संशोधन लेकर आये हैं, उनके उद्देश्य और कारणों के कथन में आपने स्पष्ट किया कि राजस्थान सरकार ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रेगुलेशन के जो उपबंध थे उस रेगुलेशन को जो 2010 में आया उसको स्वीकार किया। उसमें 2013, 2018 में संशोधन आया और उन संशोधनों के माध्यम से जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किया उसके अन्दर कुलपति की अर्हताएं, कुलपति की नियुक्ति, कुलपतियों के विरुद्ध जांच और इसके साथ-साथ यह एकेडमिक स्टाफ जो अध्यापक और अन्य हैं, यूजीसी ग्रांट कमीशन के 2018 के रेगुलेशन 7(3) के अनुसार उन सारे मानकों को तय कर दिया उन्होंने, उनके अमेंडमेंट के लिए आये। मैंने सोचा, आपने इसमें

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सरकार की तरफ से मूव किया है एक अमेंडमेंट, हमें जो यह मूल बिल वितरित किया गया, उसके बाद आपको राय दी गयी, आपके अधिकारियों ने राय दी, जब कल यह सर्कुलेट हुआ उसके साथ आप एक संशोधन लेकर आये।

सभापति, मैं दोनों पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह है स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2020 के मूल एक्ट में जो इन्होंने 19-क लिखा कुलपति का हटाया जाना, 19-क (1), यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इन्कार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकारक है तो कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकेगा।' और उसके आगे इन्होंने बताया कि जांच लम्बित रहने के समय कुलपति को निलम्बित भी किया जा सकता है।

अब आप संशोधन क्या लेकर आये हैं, मंत्री महोदय, आप 19-क के (1) में संशोधन लाये हैं। बाकी तो आपने एज इट इज, हूबहू एकएक अक्षर को लिख दिया। नेता प्रतिपक्ष महोदय, मैं आपका मुलाहिजा चाहता हूं। इसमें लिखा है, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि किसी कुलाधिपति की राय में कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन में जानबूझकर लोप या इन्कार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो उसको हटाया जा सकता है।

यानी मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई, आप राज्य सरकार की राय पर, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर यानी राज्य सरकार रिपोर्ट करेगी कि इस फलां कुलपति के विरुद्ध में जांच करनी है और जांच के नाम पर आप उस विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला भी कर रहे हैं। आप उस विश्वविद्यालय के कुलपति को, जहां एक ओर अपने घोषणा पत्र में विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की स्वायत्तता की बात की, निष्पक्षता की बात कही, सरकार चाहेगी, सरकार जांच के लिए चाहेगी और आप कुलपति को निलम्बित कर देंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का यह जो संशोधन आप लेकर के आये हैं इस प्रकार का हमला मैंने कभी विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर नहीं देखा और यह कुलपति के निलम्बन का काल, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह जो संशोधन लेकर आये हैं इस संशोधन में 19(2) के अन्दर कुलपति की अर्हताएं लिखी हैं। उसमें लिखा है कि विश्वविद्यालय के अन्दर कृषि शिक्षा में आचार्य पद पर 10 वर्ष का अनुभव हो, और फिर लिखा है सक्षम, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता, उच्च स्तर पर रहा हुआ प्रख्यात शिक्षा विद्वान। अब, सभापति महोदय, मैं सक्षम हूं असक्षम हूं? आपकी नजर में मैं सक्षम हूं क्योंकि आप शेखावाटी के हैं और संसदीय कार्य मंत्री की नजर में मैं हमेशा असक्षम रहा, मैंने कभी रिलेवेंट कोई बात कही ही नहीं तो सक्षमता का क्या मापदंड है? यह सत्यनिष्ठा, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं मैं सत्यनिष्ठा पर बोलने की कोशिश करता हूं पर यातायात मंत्री जी, मैं उनके बारे में बात करूं, यह उछल जाएंगे, इन्होंने कसम खा रखी है कभी बोलना ही नहीं तो यह सत्यनिष्ठा और सक्षमता के आधार पर...

श्री सभापति: हंस करके उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह सक्षमता और सत्यनिष्ठा के आधार पर आप किसी भी कुलपति को, जो आप 19(2) अर्हताएं लेकर आये हैं, कह दें कि यह सक्षम नहीं है, यह सत्यनिष्ठ नहीं है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का संशोधन आप लेकर आये हैं। अब 19(3) के अन्दर खोजबीन कमेटी, अब खोजबीन कमेटी में सदस्य वही होंगे जिनको आपने प्रेस्क्राइब कर रखा है, उनको खोजबीन करने के लिए आप बता दोगे। खोजबीन कमेटी पैनल लेकर जाएगी और पैनल के आधार पर आपके पैनल से इतर महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति किसी को वाइस चांसलर नियुक्त कर नहीं सकते।

मैं समझता हूं कि अगर देखा जाए तो यह सारा का सारा काम है, क्योंकि यह तो जो संशोधन लेकर आये हैं, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर, उसके बाद तो आप निलम्बित भी करोगे और वह भी करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर यह विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर, अब आपको ज्ञान दे देंगे, बड़ा हमला है क्योंकि आपके मन में मूल रूप से, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य के मन में एक अध्यापक जिंदा था। अध्यापक के कई आदर्श होते हैं। अध्यापक अपने आप में वह व्यक्ति होता है जिसको देखकर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दुनिया अपना आचरण बनाती है। मैं समझता हूं कि वह पुराने अध्यापक और आज के शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में जिस प्रकार यह अतिक्रमण करते जा रहे हैं दूसरे विभागों में, दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है, यह लम्बे समय चलने वाली बातें नहीं हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, जो 19-क है, 19-क के अन्दर कहा कि जांच के बाद कुलपति को हटायेंगे। विश्वविद्यालय में कुलपति सर्वोच्च अधिकारी है। एकेडमिक कौंसिल का चेयरमैन है। अब इसकी जांच कौन करेगा? कौन जांच करेगा, कितने समय में करेगा, जांच कब तक चलेगी? क्योंकि आपने आगे कह दिया कि जांच जब तक चलेगी जब तक स्पेसिफाइड व्यक्ति को, जिसका नाम सरकार निर्देशित कर देगी, वह कुलपति का काम करेंगे। मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि आप जो संशोधन लेकर आये हैं इस बात पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए।

आज जिस प्रकार मैंने आपको कहा कि कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं, 'लम्बा जमाना बीत जाए, काल के कपाल पर लिखे उनके वह काम हमेशा याद रहते हैं।' आप केशवानन्द जी के नाम से विश्वविद्यालय के अन्दर यह संशोधन लेकर आये हैं तो आप यह तो देखते कि विश्वविद्यालय की हालत क्या है। सभापति महोदय, प्रोफेसर के 14 पद हैं और एक प्रोफ़ेसर काम कर रहा है। मैं अगर गलत हूं, I may be wrong और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बाकी पद हैं, 119 असिस्टेंट प्रोफेसर में 42 रिक्त, एसोसिएट प्रोफेसर के 45 पद हैं 37 रिक्त, प्रोफेसर के 14 में से 13 रिक्त। मतलब आप विश्वविद्यालय को चला रहे हो, संशोधन के लिए लेकर आ रहे हो। केशवानन्द जी का नाम आगे लगा है। आपने उस संत को देखा नहीं। मंत्री महोदय, आप सही बताना, आपने उस विद्यालय के परिसर को कभी देखा तो आपने वहां उस गंदे पानी को देखा? उस गंदे पानी को देखकर आपके मन में कितनी तड़फन रही होगी, इंडस्ट्रियल एरिया का पूरा पानी उस विश्वविद्यालय परिसर में। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का वातावरण और आज समय कौनसा है। मैं समझता हूं आज diversification of crop की बात करते हैं, कृषि में नवाचार की बात करते हैं, कृषि में अनुसंधान की बात करते हैं, 2022 तक किसान की आमदनी दोगुना करने की कल्पना, देश के प्रधान मंत्री ने एक कांसेप्ट रखा है पहली बार, कैसे पूरा होगा?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(16.00 बजे)

यह विश्वविद्यालयों से निकलने वाला शोध डाइवर्सिफिकेशन आफ क्राप आज की जरूरत है। कौन करेगा वहां? आपको यह भी ध्यान होगा कि हमारी जीडीपी में 2010 में 17.5 परसेंट का योगदान कृषि सैक्टर का था। आज घटकर 15.6 हो गया है। मैं समझता हूं कि आज किस हालात में विश्वविद्यालय हैं और किस प्रकार उसकी स्वायत्तता को आप नष्ट करना चाहते हो। कम से कम और सब ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलता, स्वामी केशवानंद जी का नाम नहीं होता।

मंत्री महोदय, मैं अंतिम एक बात कह रहा हूं, यह जो आप निजी क्षेत्र में, हमारे इलाके में तो कोई कृषि महाविद्यालय है नहीं, निजी क्षेत्र के अन्दर यह जो नित नए कृषि महाविद्यालय और दूसरे महाविद्यालय खुल रहे हैं, आपके इसी विश्वविद्यालय में आप जो संकाय अध्ययन करा रहे हैं, मैं कह रहा था कि यह आपके जो इंडियन कौंसिल फोर एग्रीकल्चर रिसर्च है, जिसको आईसीएआर कहते हैं, कितनों की मान्यता प्राप्त नहीं है? आप बिना मान्यता के कोर्सेज चलाओगे? बिना मान्यता प्राप्त के महाविद्यालय खुलने दोगे? इनकी डिग्री की कोई मान्यता नहीं रहेगी। मेरी इसलिए आपसे प्रार्थना है कि यह जो खोटा बिल लेकर आए हो, मेरे मुंह से निकल रहे हैं शब्द, धारा 19 की उप धारा के अन्दर 19 (4) में, 19 (5) में, 19 (6) में, मैं उन सबकी बात करूंगा।

सभापति महोदय, मैं तो अनुशासन में बंधा हुआ व्यक्ति हूं इसलिए ज्यादा लम्बा जिंदगी में कभी नहीं बोलता। मतलब की बात कहता हूं। मंत्री महोदय, जरा देखें आप, आपने संशोधन मूव किया है। यह एक तरह से विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला है। इस विश्वविद्यालय का लगातार ह्रास होता जा रहा है। सारी फैकल्टी बंद पड़ी है। इंडस्ट्रियल एरिया का पानी उसमें अटा पड़ा है। कृपया इसको जनमत जानने हेतु परिचालित कर दें।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मूल रूप से जो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर (संशोधन) विधेयक है, सरकार एक के बाद एक यूनिवर्सिटीज में जो बिल लेकर के आ रही है, उसमें उद्देश्य और कारण घुमा-फिराकर लिखे गये हैं।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि राजस्थान के सारे विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कैसे हटाया जाए और वहां पर नया कैसे लगाया जाए। इस बिल का नाम ही कुलपति हटाओ और कुलपति नया लगाओ, यदि यह रखते तो सीधा-सीधा उद्देश्य और कारण समझ में आता।

सभापति महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 1950 में जब आदरणीय जवाहरलाल जी नेहरू ने, पहली बार आपकी पार्टी ने शैक्षणिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर सबसे ज्यादा बात की थी। उस समय से ही इन शैक्षणिक संस्थाओं की स्वायत्तता देश भर में चली आई और शैक्षणिक संस्थाओं को राजनीतिकरण से दूर रखा गया। लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि राज्य सरकार ने ढाई साल में आने के बाद लगातार इन विश्वविद्यालयों के एक के बाद एक एक्ट, हर सत्र में केवल विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर कब्जा करना। इसके पीछे किसका दिमाग काम कर रहा है, उसको भी देखना चाहिए।

21वीं सदी के भारत की आधारशिला तैयार करने के लिए जहां एक ओर नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। वहां हम कुलपति हटाओ और कुलपति लगाने की बात कर रहे हैं। इसकी धारा 19 में, यहां लिखा है कि किसी प्रतिष्ठित शोध या प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद को परिभाषित इसमें करना चाहिए था कि कौनसा शोध होगा? मेरा सुझाव है कि इसमें कोई वर्तमान प्रोफेसर ग्रेड के बराबर का, शोध का व्यक्ति होना चाहिए। सीएसआईआर शोध संगठन से या केन्द्र द्वारा स्थापित किसी शोध संगठन का व्यक्ति होना चाहिए या संसद, विधान सभा द्वारा स्थापित किसी शोध संगठन का व्यक्ति होना चाहिए केन्द्र सरकार के किसी शैक्षणिक संस्थान का, तय तो हो। क्या इसी प्रकार से किसी प्राइवेट कालेज का, यूनिवर्सिटी का कोई लेक्चरार आए और उसको हम इस पद पर यदि बैठा दें? किसी प्रतिष्ठित का, प्रतिष्ठित को यहां क्लेरीफाई करना चाहिए। मेरा इस संशोधन में यह सुझाव है।

दूसरा, आपने लिखा है, इसी धारा की अगली धारा में, प्रख्यात शिक्षाविद्, इसमें बड़े-बड़े शब्दों का उपयोग किया गया है। सत्यनिष्ठा, नैतिक आचरण वाला व्यक्ति होगा। वह कौन होगा? इस सत्यनिष्ठा को नापने का पैमाना क्या होगा? इसलिए मेरा मंत्री महोदय आपसे निवेदन है कि आपकी

(श्री अशोक लाहोटी)

बगल में जो भरतपुर से पधारने वाले मंत्री जी बैठे हैं, इसमें जो उनका दिमाग है, उनसे यह पूछें कि इसका पैमाना क्या होगा? इसको केवल जोड़-तोड़कर के, शिक्षा के मंदिरों का राजनीतिकरण करना, जोड़-तोड़ की सरकार में इनको भी जोड़-तोड़कर करना, हर बिल की भांति बड़े-बड़े शब्दों का उपयोग केवल संकीर्ण मानसिकता पर करना है। इसमें कहीं न कही यह डालना चाहिए था कि इनका पैमाना क्या होगा? शिक्षाविद् होगा या निर्धारण करने वाला केवल मनमर्जी से सरकार के द्वारा होगा?

इसी प्रकार से, आपने जो इसकी धाराओं में दिया है, इसकी खामियों की जांच करने का बताया है। इसकी जांच करके हटाया जाएगा। मेरा निवेदन है कि जांच कौन करेगा? जांच समिति क्या होगी, यह इस बिल में खुलासा नहीं है। जांच समिति में रिटायर्ड न्यायाधिपति होगा, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति होंगे, यूजीसी कमीशन के लोग होंगे, यूजीसी कमीशन का सदस्य होगा, आरपीएससी का सदस्य होगा या राजस्थान विधान सभा से कोई नोमिनेट सदस्य होंगे? जांच कमेटी का भी अभी तक इस बिल में कोई उल्लेख नहीं है इसलिए यह बिल ही आधा-अधूरा है।

सभापति महोदय, दूसरा, सबसे बड़ा जो इस बिल में आब्जेक्शनल है, इसमें लिखा है कि विद दी कंसल्टेशन आफ गवर्नमेंट, जबकि आज तक विश्वविद्यालयों के मामले में कभी कंसल्टेशन शब्द का उपयोग नहीं होता था। आन दी एडवाइज आफ गवर्नमेंट होता था। गवर्नमेंट राज्यपाल महोदय को एडवाइज करती थी। इसमें आपने लिखा है कि हमारी सलाह से यह करें। इस कंसल्टेशन शब्द पर मेरा सबसे ज्यादा विरोध है। यह कंसल्टेशन शब्द हटकर के इसकी जगह एडवाइज शब्द उपयोग में होना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया कि इसका आखिर पैमाना क्या है? इन शब्दों को मापने का आधार क्या है? मेरा निवेदन है कि आज के दौर में जहां एग्रीकल्चर रिफोर्म की बात हो रही है, आज तक हमारे यहां से कितने डेलीगेशन इजराइल गए या दूसरी कंट्रीज में गए हैं, उन डेलीगेशंस ने आकर के कितने कोर्स दिए? उन कोर्सेज का भी यदि इस बिल में समावेशन होता तो ठीक रहता। यह यूनिवर्सिटी का बिल है। यह एजुकेशन का बिल है। यह बेरोजगारों का बिल है। यह रोजगार देने का बिल है। यह नई क्राप के लिए बिल है।

सभापति महोदय, राजस्थान में पानी की कमी को देखते हुए प्रति

(श्री अशोक लाहोटी)

लीटर पानी से किन-किन फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। इस तरह के कोर्सेज को लाने का इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए था। अनुसंधान को व्यावसायिक शिक्षा नीति के लिए बात होनी चाहिए थी। कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों एवं वैज्ञानिकों के द्वारा किये गये अनुसंधान को ऑनलाइन करने के लिए इस बिल में कहीं अमेंडमेंट नहीं है। यह यूनिवर्सिटी का बिल है। केवल हम चार लाइन कुलपति हटाने और जोड़ने की लेकर के सदन में आ गए। कुलपति हटाना और जोड़ना सरकार करे, लेकिन इसके साथ-साथ एजुकेशन से रिलेटेड बिल भी इसमें जुड़ने चाहिए थे।

आज राजस्थान के बड़े भू-भाग में खारे पानी का विषय है। खारे पानी से किस प्रकार से वर्ल्ड में क्या बेस्ट प्रेक्टिस हैं, खारे पानी से हम कौन-कौन सी फसल ले सकते हैं? मंत्री महोदय, मैं इसलिए कहूंगा कि थोड़ा-बहुत आप भी इसमें झांकते। केवल भरतपुर से आने वाले माननीय मंत्री जी की सलाह पर आप इसे ले आए, तो यह भी ठीक नहीं है। आप इसको यदि व्यवसाय उपयोगी करते, जैसे हमारे यहां सवाई माधोपुर में अमरूद हो रहा है, सवाई माधोपुर के माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनका कोर्स इसमें जुड़ता। झालावाड़ में संतरा हो रहा है। इस तरह से संभागवाइज कोर्सेज इसमें जुड़ते तो हमारे लिए फायदा होता। पिछली गवर्नमेंट के टाइम में कई नवाचार हुए थे। जैसे ज़ैतून की खेती, खजूर की खेती, ज़ैतून की चाय, खजूर के दूसरे पदार्थ, यह कीर्तिमान स्थापित हुए थे। इन अनुसंधानों का, रिसर्च का इसमें जुड़ता। जो कल-परसों न्यूज आई थी कि 100 टाप यूनिवर्सिटीज में से राजस्थान की केवल 2 यूनिवर्सिटी आई हैं और टाप 10 में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। यदि इस तरह के रिफार्म आते तो हो सकता है कि अगले ही सत्र में स्वामी केशवानंद जी के नाम से यह यूनिवर्सिटी है, इसका गौरव पूरे देश में बढ़ता। निश्चित रूप से इससे काम होता।

मैं आपसे सीधे-सीधे केवल यह कहना चाहता हूं कि जो विदेशों में बेस्ट प्रेक्टिस काम में लेते हैं, आप कोई दल बनाकर के भेजें कि किस प्रकार के वहां एग्रीकल्चर रिफार्म हुए हैं। पूरी दुनिया इस पैंडेमिक में एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ी है। एग्रीकल्चर में बड़े-बड़े कारपोरेट ग्रुप्स आए हैं। एग्रीकल्चर में बहुत बड़े-बड़े साइंटिस्ट आए हैं। एग्रीकल्चर का बहुत रिफार्म हुआ है। आज हमारे पास जगह है। राजस्थान का बहुत बड़ा भूभाग है। यह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमें आगे ले जाकर के राजस्थान के किसानों की दिशा और दशा

(श्री अशोक लाहोटी)

बदलने का काम करती। राजस्थान की दिशा बदलने का काम करती। मंत्री महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि सदन में बार-बार आपको मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जब कोई एक्ट में बदलाव होता है तो बहुत छोटी-छोटी धाराओं को लेकर हम सदन का समय बर्बाद करते हैं। यदि किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बिल आना है तो सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को एक साथ करके, यह बिल एक साथ आता और पूरा दिन सदन में चर्चा होती और सरकार उसके अनुरूप परिणाम लाती।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): यदि बदलाव होता तो निश्चित रूप से सबको फायदा होता। मैं अंत में केवल यही कहूंगा कि माननीय कृषि मंत्री महोदय, सभापति महोदय आप इनको एडवाइज करें कि माननीय भरतपुर से आने वाले मंत्री महोदय से सलाह करके इसको जनमत जानने के लिए भेजें। इसको केवल राजीव गांधी स्टडी सर्किल का पार्ट नहीं बनाकर, इसमें मूल रूप से शिक्षाविदों का काम रखें। यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर (अनुपस्थित), श्री संयम लोढ़ा (अनुपस्थित), श्रीमती अनिता भदेल (अनुपस्थित), श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021, यह नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों का देश है।

स्वामी केशवानन्द, एक संत फकीर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा की अलख जगाते हुए पूरे पश्चिमी भूभाग में एक क्रांति पैदा की। यह विश्वविद्यालय पहले राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के नाम से हुआ करता था और स्वामीजी के व्यक्तित्व के साथ, स्वामीजी का नाम जुड़ा तो इसके मायने और ज्यादा ऊंचे हो गये। माननीय सभापति महोदय, आप और हम सब विश्वविद्यालयों से पढ़ आए हैं और कुलपति, विश्वविद्यालय का मुखिया होता है। माननीय महामहिम राज्यपाल के बाद उनका दूसरा स्थान होता है। उसकी गरिमा कम करने के लिए उसको हटाया कैसे जाए, इस प्रेक्टिस के साथ लाया जाता है तो इस बिल की भावनाएं सही नहीं हैं। विश्वविद्यालय जो हमारा शिक्षा का मंदिर है और कृषि विश्वविद्यालय तो कृषि अनुसंधान का, किसानों

(श्री बिहारीलाल)

का देश, कृषि प्रधान देश, इस देश में इस तरह के बिल इस विधान सभा के माध्यम से आना, यह प्रेक्टिस अच्छी नहीं है, माननीय सभापति महोदय। हमने इसको जनमत के लिए परिचालित करने का आपसे आग्रह किया है। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान, जो खुद एक किसान हैं, इस बात से इतर, इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय में जो कृषि के छात्र पढ़ते हैं जो विश्वविद्यालय के अनुसंधान से सीख कर जाते हैं, आपके विभाग में भी, रिसर्च में भी अपने आप को खपाते हैं, अपना जीवन लगाते हैं ताकि किसान का भला हो सके, देश की खेती-किसानी, कृषि का भला हो सके। इन कृषि विश्वविद्यालयों से पास होकर निकले हुए हमारे जो छात्र हैं, उनको आपने राजस्थान की आरपीएससी में कृषि व्याख्याता भर्ती परीक्षा होती है, आपके कृषि संकाय विद्यालयों में खोलते हैं, तो वहां पर कृषि विषय पढ़ाने के लिए तकनीकी रूप से दक्ष होकर जो छात्र आएगा, उसी को लगाया जाए, उसमें आपने आरपीएससी में बीएड की अनिवार्यता कर रखी है।

माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान की मूलभूत यूनिवर्सिटी है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस पैरेंटल यूनिवर्सिटी के बाद चार-पांच और यूनिवर्सिटीज राजस्थान में कृषि की हो गई हैं, उन सभी विश्वविद्यालयों में और देश के कृषि के सभी विश्वविद्यालयों में कहीं भी बीएड के कोर्सेज की अनिवार्यता नहीं है। इसलिए ये कृषि से निकले हुए स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है कि आरपीएससी में उनके साथ बीएड अनिवार्य की गई है। कृषि तकनीकी विषय है और तकनीकी विषय चार साल की डिग्री के बाद में, इंटर्नशिप के बाद में जो कृषि स्नातक बनता है, फिर एमएससी करता है फिर पीएचडी करता है, इतनी डिग्रियों से तकनीकी रूप से दक्ष होकर जो विद्यार्थी, शोधार्थी निकलता है उसके लिए बीएड की अनिवार्यता किया जाना उनके हितों के साथ कुठाराघात है। इसमें हाई कोर्ट के निर्देश भी हैं और हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश में, सिर्फ राजस्थान को छोड़कर बीएड की अनिवार्यता नहीं है। इस ओर भी माननीय मंत्रीजी ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, पिछले साल टिड्डियों का हमला हुआ, उस समय पूरा सदन, पूरा प्रदेश चिंतित हुआ, माननीय मंत्रीजी, आपने हमारी चिंताओं का संज्ञान लेकर बहुत अच्छा काम किया। उस समय साढ़े अठारह सौ

(श्री बिहारीलाल)

सुपरवाइजरों की जो भर्तियां अटकी पड़ी थीं, तीन-तीन केसेज जो कोर्ट में अटके पड़े थे, आपने मुख्य मंत्रीजी से बात करके सदन की भावना का, किसानों का ध्यान रखते हुए, एजी साहब को खड़ा करके उन अवरोधों को दूर करने का काम किया, अठारह सौ नौजवानों को नियुक्तियां मिलीं।

माननीय सभापति महोदय, कृषि विभाग की भर्तियों में साक्षात्कार के अंक चालीस प्रतिशत रखे गये हैं जो पूरे देश में कहीं नहीं है, पूरे प्रदेश भर के छात्रों की यह मांग है कि इसको चालीस प्रतिशत से घटाकर साढ़े बारह प्रतिशत कर दिया जाए तो यह उनके साथ न्याय होगा। इसी विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए जोइंट एंट्रेंस टेस्ट, जेट परीक्षा देते हैं। पूरे देश में यह परीक्षा होती है। आईसीआर भी करवाती है, हमारी यूनिवर्सिटी भी करवाती है, उसके फार्म की फीस है 2800 रुपये। हिंदुस्तान के किसी भी विश्वविद्यालय में इतनी महंगी फीस उस फार्म की नहीं है जो इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए भरते हैं। 500-700-1000 रुपये से ज्यादा फीस नहीं ली जानी चाहिए, यह छात्रों की बड़ी मांग है। इसको 500 रुपये तक ही किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अभी उपनेता प्रतिपक्ष ने जो विषय लिया कि इस विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर जो कुलपति बैठते हैं, शिक्षा का मंदिर है, वहां हमारा जो महिला हास्टल है, होम साइंस कालेज, गर्ल्स कालेज है, उनका हास्टल है और पास में जो कालोनी है वह इतनी दुरावस्था में है कि पूरे औद्योगिक क्षेत्र का गंदा पानी उस क्षेत्र को पूरा घेरे रहता है। उससे उनको निजात दिलाने के लिए भी इसमें कोई चीज लाते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती।

माननीय सभापति महोदय, यह पैरेंटल विश्वविद्यालय है, इससे अलग होकर बहुत से विश्वविद्यालय राजस्थान में बने हैं लेकिन पेंशन का बोझ इस अकेले विश्वविद्यालय पर डाल दिया गया। अपने यहां मारवाड़ी में कहावत है कि बुजुर्ग का तो ध्यान रखा जाता है, घर का मुखिया होता है, नौजवान बेटे दूर हो जाते हैं तो उन पर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो यहां तो उलटा हो रहा है इस विश्वविद्यालय की तरफ इस बात का भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, एक और निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मंत्रीजी, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि

(श्री बिहारीलाल)

श्रीगंगानगर में एग्री बिजनस मैनेजमेंट कालेज खोला गया है। इसकी सरकार से मंजूरी अभी मांगी गई है, सरकार ने अभी मंजूरी दी ही नहीं है, उससे पहले वहां पर मैनेजमेंट एडमिशन देने शुरू कर दिए और दो-दो लाख रुपये एक छात्र की फीस लेना शुरू कर दिया जबकि सरकार ने इस कोर्स की मंजूरी ही नहीं दी है। माननीय मंत्रीजी, आपको इसको दिखवाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, कृषि विश्वविद्यालय में किसान का बेटा पढ़ने आता है, आप स्वयं खुद किसान हैं। 15 हजार रुपये प्रति सेमेस्टर फीस है। उसमें मेरिट के आधार पर हम पेमेंट फीस का भरेंगे तो बीएससी में 65 हजार रुपये प्रति सेमेस्टर फीस, एमएससी में 75 हजार रुपये प्रति सेमेस्टर फीस, पीएचडी में 90 हजार रुपये प्रति सेमेस्टर फीस, पीएचडी के दस सेमेस्टर करेगा और 10 लाख रुपये में पीएचडी करेगा तो विश्वविद्यालय शिक्षा दे रहा है या शिक्षा की डिग्रियां बेच रहा है? माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी हमेशा किसान के सरोकारों से जुड़े रहते हैं, चिंतित रहते हैं। इतनी देर मैं भी चिंता कर रहा था कि मंत्रीजी से हमारी भावनाओं को समझते हुए कुलपति के अधिकारों का अतिक्रमण करने का काम नहीं करेंगे, इस बिल को वापस लेंगे लेकिन गर्ग साहब बैठे थे तो शंका हो गई कि वे भटक गए हैं। माननीय मंत्रीजी, आप हमारी भावनाओं को ध्यान रखते हुए इस पर विचार करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, दो बातें और कहना चाहता हूं। आज माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी आपसे और पूरी सरकार से आग्रह है कि अकाल की विभीषिका है, बरसात बहुत देर बाद हुई है "का वर्षा जब कृषि सुखाने", उस बरसात का क्या फायदा जब कृषि सूख जाए। हमारे बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग के अलावा पूरे राजस्थान में यही स्थिति है माननीय सभापति महोदय, वर्षा न होने से अकाल है और कोटा संभाग में अतिवृष्टि से अकाल की स्थिति है। सरकार और मंत्रीजी तुरन्त इस ओर ध्यान दें, अकाल घोषित करवाएं, स्पेशल गिरदावरी करवाएं, किसानों ने खेत बेल दिए हैं, उजड़े और वीरान खेतों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर आंखें भर आती हैं।

देखा बीकानेर का खेत,

यह धरती कितना देती है, यह पंत ने बोला था,

(श्री बिहारीलाल)

पढ़कर मैं मस्त हुआ जब पहला पन्ना खोला था,
इस कविता को सच्ची माना, मैं भी कितना भोला था,
देखा जब हाल इस मरुधरा का, दिल में एक फफोला था,
आंखें मली और हुआ जब चेतन, देखा बीकानेर का खेत,
तेरे जयपुर, भरतपुर बोये बीज उगे थे, फलियां तक लहलहाये थे,
मेरे बीकानेर में बोये बीज उगे पर उगते ही मुरझाये थे,
गया समय जब मुरझाये, अब तो पूरे झुलसे हैं,
खेती वाले घर में मातम, व्यापारी सारे हुलसे हैं,
जैसे गला दिया हो रेत, देखा मेरा बीकानेर का खेत।

माननीय सभापति महोदय, यह बीकानेर के खेत की स्थिति है, किसान की स्थिति है। माननीय मंत्रीजी, आप जो बिल लेकर आए हैं उनको जनमत के लिए परिचालित करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल (अनुपस्थित)। श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2020 ये बिल जो लाया गया है, न कोई किसानों का भला होने वाला है, न कोई इससे कोई नई प्रोग्रेस होने वाली है। यह सिर्फ एक कुलपति को हटाने की कार्यवाही है। माननीय सभापति महोदय, कुलपति को हटाने के लिए पूर्व में भी व्यवस्था थी, सरकार इसमें इंटरफियर नहीं करे तो ज्यादा उचित है।

श्री सभापति: आप ही हटा सकते हैं, कुलपति को हटाने का तो आपको ही कह देते तो आप ही हटा देते।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं नहीं, राज्यपाल महोदय हटा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं, इतना मैं भी जानता हूं। अगर कोई संशोधन करना था तो किसानों के भले के लिए करते, हजारों-हजार बीघा सेम से नष्ट हुई भूमि के अन्दर खेती नहीं हो रही है, इसके लिए कोई नई व्यवस्था करते ताकि बरसों से उजड़े हुए किसान अपनी खेती को वापस फसल के लायक बना सकते, इस तरह का कोई प्रावधान लेकर आते तो हम आपका सहयोग करते। इस तरह का कोई प्रावधान लेकर आते तो हम

(श्री रामप्रताप कासनियां)

आपका सहयोग करते। सभापति महोदय, पूरे कृषि विभाग के अन्दर बहुत ही दयनीय स्थिति है। कहने को कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी और बड़े-बड़े कई पद हैं, पर आज तक गांवों में कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी की बदौलत मैंने कहीं भी खेती के बारे में कोई प्रचार-प्रसार होते हुए इस विभाग में नहीं देखा। इनसे तो किसान ही आगे हैं। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में अकाल से किसान मरे पड़े हैं। कोई नयी विधि खोजते, कोई नयी विधि लाते, यह जो लेट बरसात हुई है, इसके सम्बन्ध में। किसान खेती कर ही नहीं पाया। कोढ़ में खाज वाला काम, बिजली भी नहीं मिल रही है। नहरों में पानी नहीं है। इस तरह की कोई व्यवस्था अगर कृषि विभाग करता कि लेट बारिश होगी तो हम उससे यह फसल पैदा करेंगे, इस नयी तकनीकी के अन्दर आप जाते...

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। केशवानन्द विश्वविद्यालय पर है चर्चा।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, विश्वविद्यालय एक कृषि विश्वविद्यालय है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि मंत्री जी...

श्री सभापति: केशवानन्द विश्वविद्यालय का नाम तो ले दें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय। शिक्षा की अलख जगाने वाले केशवानन्द जी ने संगरिया से शिक्षा स्टार्ट की थी।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा (अनुपस्थित)। श्री अभिनेश महर्षि।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): गांव-गांव में शिक्षा का दीप जलाने का काम केशवानन्द जी ने किया था।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): विराज जाणा हैं साहब। म्हाने तो कदै बोलण ही कोन द्यो।

श्री सभापति: थांको सब्जैक्ट आवै, वी पै बोलो न, कुण मना करै थानै।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, स्वामी केशवानन्द

(श्री अभिनेश महर्षि)

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2020 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। स्वामी केशवानन्द जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगायी। किसान के बेटे थे और उनके नाम पर विश्वविद्यालय है। राजस्थान के कृषि मंत्री बहुत काबिल किसान भी हैं, यह हम सब लोग जानते हैं, लेकिन स्वामी केशवानन्द जी जहां कहीं भी हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें माफ कर देंगे। आज उनके नाम पर जो विश्वविद्यालय है, उसकी जितनी दुर्गति है, यह किसानों के लिए अभिशाप बन गयी है।

यह देश किसान और कृषि पर आधारित देश है। हम सब लोग किसान की बात करते हैं, लेकिन किसान की बहबूदी के लिए हममें से कोई भी नहीं सोचना चाहते। मेरे से जो पूर्व वक्ता थे, वे सही बात कह रहे थे कि विश्वविद्यालय में किस तरह से हम कब्जा कर सकें, किस तरह से कुलपति को हटाने के सारे अधिकार हमारे अन्दर समाहित हो जाएं, यह तो हम सब करना चाहते हैं, लेकिन किसान के बारे में कोई नहीं सोचना चाह रहा है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत-सी बातें कहीं कि भरतपुर से आने वाले सदस्य ज्ञान दे रहे होंगे, लेकिन मैं यह मानता हूं कि कृषि मंत्री जी स्वयं काबिल हैं इन्हें किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।

दो-तीन प्रार्थना मैं जरूर करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बिल में संशोधन करके निरंकुश होना चाहती है। वह किसी के अंकुश में नहीं आना चाहती है। अपनी मन-मर्जी से सारे फैसले करना चाहती है, इसीलिए यह बिल लेकर आ रही है। इस बिल में किसान के भले की मंशा आप जरूर डालें। कौन-से ऐसे अनुसंधानों का हम प्रयोग कर सकते हैं, किसान की खेती के लिए नये कोर्स चालू कर सकते हैं, किसान किस तरह से आगे बढ़े। हमारा देश आत्म-निर्भर हो गया, लेकिन आज भी किसान बहुत बुरी स्थिति में है। इस बात पर विचार करके इस कानून बनाने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अन्दर सबसे बड़ा जो हमारा किसान वर्ग है, हम सब लोग किसान वर्ग से आते हैं, मैं भी गांव में ही पैदा हुआ, किसान कोई जाति से नहीं होता है। किसान खेती करने वाला, किसानी का काम करने वाला आदमी होता है, जो खेतों में हल चलाना जानता है। किसान के दर्द को हम सब लोगों को समझना चाहिए।

(श्री अभिनेश महर्षि)

आटोनोमस बाडीज, ये जो स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं, जब हम सारे के सारे अधिकार हमारी सरकार के अन्दर निहित कर देंगे तो यह आटोनोमी की बात का निश्चित रूप से कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। कृषि मंत्री महोदय, सबसे ज्यादा यदि आप किसी बात पर ध्यान दें तो यह इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, इसमें पद तो बहुत हैं, लेकिन पदों की रिक्तता इतनी है कि आपकी भावना के अनुसार इसके अन्दर राजस्थान के किसान की बहबूदी के लिए, उसके अनुसंधान के लिए, हमारे कृषि वैज्ञानिक तैयार करने की दिशा में जो हम काम करना चाहते हैं, उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। सारे काम छोड़ दीजिए, लेकिन इन पदों के लिए यदि आपको भर्ती करनी पड़े तो आप सारे कानून बदल डालें, लेकिन सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय में जितने पद रिक्त हैं, उन पदों पर भर्ती करके किसान के भले की तरफ आपको सोचने की आवश्यकता है।

मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय कृषि मंत्री महोदय, आप अभी छह महीने तक इसे जनमत जानने के लिए परिचालित करेंगे और जनमत के लिए मैं यह और कहता हूं कि आप किसानों को उसमें शामिल करें। बड़ेबड़े किसान आपके सम्पर्क में हैं। उन किसानों से पूछें कि आपके यहां किस तरह इस कृषि विश्वविद्यालय को उन्नत करने के लिए आपकी भलाई के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी बहबूदी के लिए हम काम करना चाहते हैं। हमारी मंशा में कोई खोट नहीं है तो आप हमें राय दीजिए, इसलिए इसे छह महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करें।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2020, इस बात के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि मेरे बहुत सारे साथी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान की सरकार निरंकुश होना चाहती है और कुलपति को हटाने के लिए यह विधेयक लेकर आयी है। मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि यह विश्वविद्यालय, जो 1987 में स्थापित हो गया था, इसके बढ़ते कदमों के चलते राजस्थान में उन्नत खेती को बढ़ावे के चलते नयी-नयी किस्मों की, नयी-नयी वैरायटी फल में, सब्जी में और दूसरे अन्न में नयी-नयी वैरायटी लेकर राजस्थान का कृषि विश्वविद्यालय आया और कई जो

(श्री बलवान पूनियां)

कृषि महाविद्यालय हुए जिनसे जो लोग पढ़े-लिखे और जिन्होंने एग्रीकल्चर में बीएससी किया, उन्होंने राजस्थान की खेती बढ़ाने और हिन्दुस्तान की हरित क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया।

मैं उस बात को सिरे से खारिज करना चाहता हूं, जो मेरे एक साथी ने कही कि राजस्थान में कृषि विभाग के कोई कर्मचारी, वहां के लोग भी गांवों में, खेतों में नहीं जाते। मैं कहता हूं, आज मैं आपके सामने उदाहरण खड़ा हूं, भादरा में अगर सबसे ज्यादा कोई फसल बीमा आता है तो कृषि विभाग के उन कृषि पर्यवेक्षकों की वजह से आता है जो समय पर क्राप कटिंग का काम करते हैं और जो टिड्डी पर नियंत्रण पाया गया, वह इसी वजह से पाया गया।

मैं असली सवाल पर आना चाहता हूं, राजस्थान में जो स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बना, जिसका विधेयक 1987 में आया था, इसमें कुलपति को कौन नियुक्त करेगा, यह पावर दी गयी थी कि कुलपति को नियुक्त करने वाला बोर्ड द्वारा निर्देशित एक व्यक्ति होगा। कौन-कौन निर्देशित करेगा, महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या उसका नाम निर्देशिती या कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति या सरकार द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति।

सभापति महोदय, स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय में दो साल पहले अलग ही स्थिति हुई। यहां मुझे बार-बार ज्ञापन प्राप्त हुए, क्योंकि बीकानेर और उससे जुड़े हुए कालेज हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। मैंने सदन में इस बात को उठाया भी। पिछली बार जब सदन चल रहा था, उच्च शिक्षा पर जिस दिन डिबेट थी, जो कुलपति राजस्थान के स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, जिसका बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जा रहा है, वहां जो कुलपति हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनकी शिकायत है कि जिस दिन उनकी नियुक्ति हुई, 23.08.2019 को पद ग्रहण किया, डा. आर.पी. सिंह, उनकी नियुक्ति नियमों को ताक पर रखकर हुई, क्योंकि महोदय अपने सेवाकाल में दो वर्षों के लिए जो बी.एल. जोशी कुलाधिपति, राजभवन, उत्तर प्रदेश द्वारा निलम्बित किये हुए थे। सबसे बड़ी बात यह कि किसी भी निलम्बित व्यक्ति को स्वामी केशवानन्द विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया गया। उसके बाद एक-एक करके शिकायतों का अम्बार लग गया। मेरे पास जो ज्ञापन प्राप्त हुए, कई बार, एक बार नहीं, 17 शिकायतें प्राप्त हुईं।

(श्री बलवान पूनियां)

ज्ञापन देने वाले लोगों ने लिखित में शिकायत की। न सिर्फ यह कि निलम्बन होने के बाद इन्हें लगा दिया गया, इनकी बहाली नहीं हुई थी नियुक्ति के समय, फिर भी इनको राजस्थान में स्वामी केशवानन्द विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में लगा दिया गया। इन्होंने यहां जो आईसीएआर की 5 करोड़ रुपये की राशि थी जिससे विभिन्न फैकल्टियों को बढ़ाना था, जिसमें विद्यार्थियों के विकास की, उनके ज्ञान के विकास पर खर्च करना चाहिए था पर, सभापति महोदय, हवाई यात्राओं पर वह राशि उड़ाई।

मैं सदन का ध्यान इस बात पर खींचना चाहूंगा कि जो शोध के काम करने चाहिए थे, कुलपति का यह काम होना चाहिए था कि यहां से जुड़े हुए महाविद्यालयों में लेक्चरर कैसे हों, विश्वविद्यालय में लेक्चरर कैसे हों, उसके बजाय उन्होंने अपना पूरा का पूरा ध्यान अय्याशियों और ऐशोआराम पर दिया। सभापति महोदय, यहां तक ही नहीं, जिस बात की इन्होंने चर्चा की कि आप इसको राजीव गांधी ज्ञान केन्द्र बनाना चाहते हो, मैं समझता हूं कि कोई भी संस्था स्पेशल किसी ज्ञान की नहीं हो तो हमारे इन कुलपति महोदय पर भी आरोप हैं कि ये एक संगठन विशेष का एजेण्डा विश्वविद्यालय से लेकर दिल्ली तक चलाते हैं। जो पैसा और सरकारी गाड़ी इनको विश्वविद्यालय के विकास और इलाके तथा कृषि के विकास के लिए है, जिस विकास की हमारे साथी चिन्ता कर रहे हैं, उस पर खर्च करना चाहिए बल्कि वे किसी संगठन विशेष की मीटिंग में जाकर खर्च कर रहे हैं।

इन पर यह भी आरोप है कि जो सहायक आचार्य लगाने चाहिए थे उनकी वरीयता तोड़कर अपने हिसाब से किसी व्यक्ति विशेष को सहायक आचार्य के रूप में बिठाया है। इन पर यह भी आरोप है कि वे विश्वविद्यालय के विकास के बजाय विनाश पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप देर आए दुरुस्त आए, यह विधेयक लेकर आए कि विश्वविद्यालय में अगर कुलपति गलत तरीके से नोमिनेट हो भी जाए चाहे सरकार की गलती हो या चाहे पूरे के पूरे पैनल की गलती हो, लेकिन उसको शिकायतों पर बदलने का पावर राजस्थान की सरकार को भी हो। जो सरकार जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाई जाती है और वह सरकार अगर दो साल तक किसी कुलपति को न हटा पाये तो मैं समझता हूं कि उस सरकार को जनता के सामने जवाब देने में बहुत जोर आता है। इसलिए मैं

(श्री बलवान पूनियां)

मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव लेकर आया था यह वापस लेता हूं और कहता हूं कि तुरन्त प्रभाव से इस बिल को पास किया जाए तथा ऐसे कुलपति को तुरन्त प्रभाव से वहां से हटाया जाए जिसकी सैंकड़ों शिकायतें हैं।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव। माननीय मंत्री महोदय।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2020 की चर्चा अभी सदन में हाल ही हमारे माननीय सदस्यों ने की।

सभापति महोदय, सदन के प्रतिपक्ष के उप नेता राठौड़ साहब ने राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर की स्थापना की बात की। 8 नवम्बर, 1987 को इसकी स्थापना हुई। यह बात सही है कि 2009 में उस समय की तत्कालीन सरकार ने देश के स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक, प्रणेता स्वामी केशवानन्द जी के नाम पर स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का नामकरण किया। आप और हम सब जानते हैं कि शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में स्वामी केशवानन्द जी का सम्पूर्ण प्रदेश और देश में अपना एक स्थान है और आज उसी विश्वविद्यालय के संशोधन विधेयक पर यहां चर्चा की गई। राठौड़ साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए माननीय अशोक लाहोटी जी, बिहारीलालजी नोखा, कासनियां जी, अभिनेश महर्षि जी, बलवान पूनियां जी ने अपने विचार व्यक्त किये और अच्छे सुझाव भी दिये। विश्वविद्यालय के साथ-साथ आपने अकाल की भी चर्चा की, कृषि के क्षेत्र में जो नवाचार होने चाहिए उनकी भी चर्चा की। राठौड़ साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि मुझे एक बार वहां जाने का मौका मिला है और जिस पानी की चर्चा इन्होंने की, मुझे वह दिन याद है जब मैंने भी वह जगह देखी थी। मेरे साथ में भाटी साहब भी थे, गोविन्द मेघवाल जी भी थे और उस समय जो वी.सी. थे उनके पास में अतिरिक्त चार्ज था। यह बात सही है कि यदि उस पानी की उपयोगिता आज हम नवाचार के माध्यम से एसटीपी लगाकर करना चाहें तो मैं यह मानकर चलता हूं कि समस्या का समाधान हो सकता है और मैंने उस पर उस समय भी चर्चा की थी। मुझे अभी बिहारीलाल जी ने बताया कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो निश्चित तौर पर ऐसे जो काम हैं, वे समय पर होने चाहिए।

यह जो हम संशोधन बिल लाये हैं, इसी प्रकार के संशोधन इस विधान सभा के पिछले सत्रों में लगभग 13 विश्वविद्यालयों के इस सदन द्वारा

(श्री लालचन्द कटारिया)

पारित किए जा चुके हैं। सभापति महोदय, इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में स्पष्ट अंकित किया गया है, राजस्थान के पांचों राजकीय कृषि विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में कुलपति को उन परिस्थितियों में हटाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है जहां वह उक्त अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इन्कार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि उसका पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए हानिकारक है।

सभापति महोदय, इस बिल को लाने की मन्शा सरकार के साथ-साथ में राजस्थान के राज्यपाल, कुलाधिपति द्वारा भी निर्देशित किया गया। उनके पत्राचार के बाद में, ऐसी परिस्थितियों में कुलाधिपति को राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति हटाये जाने के लिए सशक्त किया जाना प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 13 जून, 2013 के नोटिफिकेशन के तहत सारे विश्वविद्यालयों में एकरूपता के लिए माडल एक्ट का प्रावधान है। कृषि विश्वविद्यालयों में जो संशोधन प्रस्तावित हैं, ऐसे ही संशोधन राजस्थान विधान सभा के द्वितीय सत्र में एक साथ राजस्थान के 11 अन्य विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी विश्वविद्यालयों के अन्दर कुलपति की योग्यता क्या होगी, इसको लेकर संशोधन पारित किया गया। कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कोई व्यक्ति पात्र नहीं होगा जब तक वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और शैक्षणिक, प्रशासनिक संगठन के किसी समकक्ष पद पर अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा और नैतिक आधार तथा संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्च स्तर वाला प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं होगा।

यह विधेयक अनावश्यक रूप से कुलपति को नहीं हटा रहा है। इसके लिए नियमानुसार जांच होगी, बाकायदा प्रक्रिया तय होगी। कोई अनियमितता सामने आती है तो निलम्बन किये जाने का प्रावधान है। माननीय सभापति महोदय, सरकार विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की पूर्ण पक्षधर है, परन्तु निरंकुशता, अनियमितता, पक्षपात जैसी स्थितियां अगर उत्पन्न हो जाती हैं, कुलपति द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है, कुलपति विश्वविद्यालय के नियमों के तहत एक्ट नहीं करे तब जाकर कुलपति को हटाने की बात आती है।

(श्री लालचन्द कटारिया)

सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों के विचार जानने के बाद में माननीय सदस्यों ने जो जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव पेश किया है उसे अस्वीकार किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे। संशोधन प्रस्तुत करें आप।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, विधेयक के खण्ड 3 में, धारा 19-क की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

''(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि किसी भी समय, कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इंकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, राज्य

(श्री लालचन्द कटारिया)

सरकार के परामर्श से, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकेगा:

परन्तु, कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान, कुलपति को किसी भी समय निलम्बित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कुलपति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो''।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड-3 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री लालचन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2020 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2020...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट, थर्ड रीडिंग है। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। वैसे हमने अब तक सारे विश्वविद्यालयों के अमेंडमेंट किये और वे अमेंडमेंट लगभग हम सबने स्वीकार किये। इसमें आप पहली बार इस प्रकार का अमेंडमेंट ला रहे हो, ला सकते हो, आप कर भी सकते हो, लेकिन इसमें भविष्य का भी ध्यान करें। अब तक यह था कि कुलाधिपति की, जब करेगा तो राज्य सरकार से सहमति लेकर के उसको सस्पेंड करेगा या उसको हटायेगा। आप पहली बार इसमें नया चेंज कर रहे हो।

मैं सोचता हूं, मैं अपने फर्ज के आधार पर अब तक भी प्रोविजन यह था। आपने सभी विश्वविद्यालयों में डाला हुआ है कि कुलाधिपति राज्य सरकार की सहमति से उसे हटा सकेंगे। अब इसमें आप परिवर्तन यह कर रहे हो कि राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति उसको हटायेंगे। इसका मतलब एक तरह से पूर्णत: विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को समाप्त करके, केवल और केवल सरकार की मनमर्जी से कोई कुलपति रहेगा या कोई कुलपति नहीं रहेगा, ये खतरनाक काम करने जा रहे हो। मैं सोचता हूं यह ठीक नहीं है, इसको आप थोड़ा ठीक करें, एक।

दूसरा, क्या है कि जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है एग्रीकल्चर की दृष्टि से केशवानन्द, लेकिन आज भी उस विश्वविद्यालय में जो फैकल्टीज होनी चाहिए वह फैकल्टीज आज भी नहीं है। आपके पास वहां पशु फार्म नहीं है। आज भी वहां पशु फार्म नहीं है, आज भी वहां कुक्कुट फार्म नहीं है और आज भी वहां मछली घर की दृष्टि से, ये तीनों फैकल्टी इम्पोर्टेंट होती हैं कृषि विश्वविद्यालय के लिए, वह आज भी नहीं है, एक बात।

राजस्थान के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं। हम राजनीतिक दृष्टि से जरूर खोलते जा रहे हैं, लेकिन उनको स्ट्रेंथन करने के बारे में कभी भी विचार नहीं किया। हरियाणा और पंजाब के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनके पास 10-10 हजार हैक्टेयर के फार्म हैं। हमारे पास विश्वविद्यालय का नाम तो जरूर है, विश्वविद्यालय भी है, लेकिन विश्वविद्यालय के फार्म के नाम पर जीरो, कुछ भी नहीं। जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय मेरा था, जो आगे चलकर के केशवानन्द के नाम से हुआ, वह उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय था। उस कृषि विश्वविद्यालय के पास आज की तारीख में जो फार्म होना चाहिए, वह आज भी नहीं है, 200 हैक्टेयर मुश्किल से होगा, जिसमें ये जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सारा रिसर्च वर्क है, वह रिसर्च वर्क नहीं के बराबर है। केवल पढ़े-लिखे लोग तैयार करो, नौकरी के लिए भेजो तो जिस एग्रीकल्चर को डवलप करने की दृष्टि से जो विचार पैदा हुआ था, इस पर आप विचार करिए। उन विश्वविद्यालयों को इन फार्म हाउस से भी जोड़िए।

मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं आप विश्वविद्यालय भले ही खोल रहे हों, लेकिन विश्वविद्यालय में अनुसंधान की दृष्टि से आप चैक कर लेना, अनुसंधान ही विश्वविद्यालय की जान है, लेकिन अनुसंधान की दृष्टि से राजस्थान की सरकार का बजट नहीं के बराबर है। कई जगह तो पचास हजार रुपया साल का भी अनुसंधान के लिए उपलब्ध नहीं हो रहा है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम अगर राजस्थान के विश्वविद्यालय के द्वारा राजस्थान के एग्रीकल्चर को एक नया विकास का रास्ता देना चाहते हैं तो आपको अनुसंधान से इन लोगों को जोड़ना होगा। अब आपने संशोधन कर दिया, यह तो कर दिया कि खोजबीन कमेटी होगी, खोजबीन कमेटी कब तक निर्णय करेगी, इसके बारे में कहीं प्रावधान नहीं है। अगर आप किसी भी संस्था की खोजबीन कमेटी बनाते हो तो टाइम बाउंड तो करो कि चार महीने में खोजबीन कमेटी अपना पैनल बना देगी या दो महीने में बना देगी या छह महीने में बना देगी, पैनल बनने के बाद भी कई समय तक, वर्षों तक निर्णय नहीं हो पाता विश्वविद्यालयों का। आज भी राजस्थान में आपने देखा होगा कि विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है, कई बार आपने और मैंने देखा है कि एक कुलपति को तीन-तीन विश्वविद्यालयों का चार्ज दे रखा है। मैं सोचता हूं कि इस संस्था को आप गिराने का काम मत करो। इन संस्थाओं के द्वारा राजस्थान का शिक्षा का स्तर उठाने का प्रयत्न करो।

मैं सोचता हूं कि इस बारे में आप निश्चित रूप से विचार करके, इसके बारे में जरूर करो। जब आपने अमेंडमेंट किया ही है, खोजबीन कमेटी तो उसमें एक लाइन यह भी डाल देते कि खोजबीन कमेटी बनने के 6 महीने के अन्दर-अन्दर जो पैनल बनेगा, वह पैनल निश्चित रूप से चला जाएगा और उसके आधार पर विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय हो जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय नहीं होने से विश्वविद्यालय एक तरह से बिलकुल गिरावट की स्थिति में आ गया और राजस्थान में यह एक बार नहीं, आपके समय ही नहीं, हमारे समय में भी था, दो-दो विश्वविद्यालयों का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चार्ज दे रखा है एक कुलपति को। मैं सोचता हूं इस परिपाटी को समाप्त करने का प्रयास करें और जो मैं समझा हूं, जो अमेंडमेंट हैं, पहले कुलाधिपति राज्य सरकार की सहमति से एक्शन कर सकता था। अब आपने राज्य सरकार के द्वारा कुलाधिपति को पाबन्द कर रहे हैं कि वह कुलपति को हटाये।

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने जो भी सुझाव दिये हैं, बातें कही हैं, वे सब ठीक हैं, उन पर गौर करेंगे। पर, कुलाधिपति के कार्य में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यह बात सही है कि जो आपने बातें कही हैं, उसका निश्चित तौर पर विभाग और हम ध्यान रखेंगे और जो बातें आपने सदन में रखी हैं, निश्चित तौर पर उन पर विचार किया जाएगा।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2020 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2020 संशोधित रूप में पारित किया गया।

श्री लालचन्द जी कटारिया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची के पूर्ण होने और आज के विधेयक पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 पर सदन चर्चा कर रहा है। सभापति महोदय, पूरे देश के अन्दर पशुधन की गणना की दृष्टि से राजस्थान आज दूसरे पायदान पर खड़ा है। अभी जो ताजा पशु गणना हुई थी, उसके अनुसार 543 लाख 48 हजार पशुधन था और उसमें से लगभग 56 परसेंट भेड़-बकरी और छोटा पशुधन था।

मंत्री महोदय, मैं मुलाहिजा चाहूंगा, यह मंत्रिमंडल की उपसमिति की बैठक आप अगर सदन में नहीं करें तो उचित रहेगा। हम भी अपनी बात कह दें। आपकी व्यस्तता को हम समझते हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान की अगर कुल जीडीपी के अन्दर देखें तो पशुधन, पशुपालक और इनसे जुड़ी हुई गतिविधियों में इनका योगदान 12.50 परसेंट है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं मंत्री महोदय, जब किसी भी विश्वविद्यालय का बिल रखा जाता है तो उसके साथ उस विश्वविद्यालय की समग्र स्थितियां भी सामने आ जाती हैं और आज के युग में जिस प्रकार का नवाचार चल रहा है, नेता प्रतिपक्ष ने सही कहा, यह विश्वविद्यालय न तो शैक्षणिक गतिविधियों के केन्द्र रहे। अभी आप यूजीसी के उस रेगुलेशन के आधार पर जिसको राजस्थान की सरकार ने अंगीकार किया 2010 में, जिसके अन्दर 2013 और 2018 में अमेंडमेंट आए। आप उस आधार पर संशोधन लेकर आए हैं मूल रूप से इसके सैक्शन-24 के अन्दर विद्यमान उप धारा-24 के पश्चात् 2ए, 2बी और 24 (3) में आप नये सिरे से इसको पुरःस्थापित कर रहे हैं नई धारा को और जब मैं अपनी बात कहूंगा तो सही है कि वो ही बातें निकलकर आएंगी जो अभी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय के बारे में यहां हुई। मूल रूप से इस विश्वविद्यालय में जो अमेंडमेंट आप लेकर आये हैं वह संबंधित हैं कुलपति की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अर्हताओं के बारे में, कुलपति के अधिकारों के बारे में, कुलपति के कार्य समय के बारे में और कुलपति पर सरकार का अंकुश क्या रहेगा उसके बारे में। मैं समझता हूं मंत्री महोदय, यह जो 24 (3) के अन्दर आप संशोधन लेकर आये हैं यह इसलिए लेकर आये हैं, कि पूर्व में कुलपति की जो अर्हताएं थीं 2010 के विधेयक में, वो उन अर्हताओं में किसी विश्वविद्यालय अनुसंधान केन्द्र में पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान के अध्यापन और अनुसंधान व विस्तार प्रणाली में प्राचार्य के समतुल्य 6 वर्ष का अनुभव और 3 वर्ष विश्वविद्यालय संकाय के अध्यक्ष या महाविद्यालय के संकाय अध्यक्ष या प्राचार्य के रूप में 3 वर्ष का अनुभव मूल रूप से यह था। अब आप यूजीसी की गाइड लाइन के अनुसार यूजीसी के रेगुलेशन के अनुसार इसको कुलपति की अर्हताओं में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यायल में प्रोफेसर का 6 की जगह 10 वर्ष के अनुभव का संशोधन लेकर आये हैं।

मंत्री महोदय, इससे पहले भी अपन ने चर्चा की। जितने भी बिल आये हैं किसी भी बिल में यह साथ में नहीं लिखा जो इस बिल के अन्दर ये लेकर आये हैं कि कुलपति के पद के लिये उसको दस वर्ष के प्रोफेसर के अनुभव की आवश्यकता तो होगी परन्तु किसी विश्वविद्यालय के एक्ट में जितने भी सदन में आये, उनमें यह नहीं लिखा कि डीन आफ फैकल्टी के रूप में उस संकाय के अध्यक्ष के रूप में भी उसको तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मतलब यह एक तरह से इतर है और एक्स्ट्रा है। यह किस उद्देश्य से लाया गया है। आपने अभी ड्राफ्ट कर दिया, मैं उस पर लम्बा समय लूंगा जिसके बारे में नेता प्रतिपक्ष ने अपनी राय जाहिर की।

सभापति महोदय, सरकार के चंगुल में विश्वविद्यालय इस प्रकार जकड़े और पकड़े जाएंगे यह विश्वविद्यालय के अन्दर मंत्री महोदय, होगा क्या, विश्वविद्यालय के कुलपति का एक अच्छा कार्यालय है, निवास है। अब आपका हमेशा यह रहता है बहुत से लोग जिनको आप और कहीं प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। आप राजनीतिक रूप से अपने लोगों को वहां लगाने के लिए जो वास्तव में अर्हताएं रखते हैं, कोई भी विद्वान नहीं आयेगा। सरकार कह दे कि हम आज जांच करवा रहे हैं, मतलब या शब्द इस्तेमाल किया है। इस अधिनियम में राज्य सरकार की रिपोर्ट पर, रिपोर्ट रख लेते तो कोई बात नहीं थी, फिर आगे या मतलब कुलाधिपति की राय की भी जरूरत नहीं है इनको। मंत्री महोदय ने बड़ी सरलता से और सहजता से कह दिया। मैं समझता हूं कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महामहिम राज्यपाल जो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, आप उनके अधिकारों को छोटा कर रहे हैं और अधिकारों को छोटा भी कर रहे हैं और अपने अधिकारों को खोटा कर रहे हैं। ये जो आप तीन साल की एक्स्ट्रा इसके अन्दर क्वालिफिकेशन लेकर आये हैं, इसके पीछे मुझे कुछ न कुछ और हेतु नजर आता है।

मंत्री महोदय, यूजीसी के मापदंड यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के मापदंड, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के रेगुलेशन मानना आवश्यक हो गया पर मापदंड ये सिर्फ कुलपति के लिए नहीं है, पशु चिकित्सा विश्वद्यालय के अन्दर कितनी फैकल्टी होनी चाहिए, कितने शोध के विद्यार्थी होने चाहिए, किस प्रकार की लाइब्रेरी होनी चाहिए, मैं समझता हूं कि उन पर भी निगाह डालते तो अच्छा होता। आपको मालूम है कि अभी कुछ ही दिन पहले ये जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फ्रैमवर्क हिन्दुस्तान में पूरे हिन्दुस्तान के सारे शिक्षण संस्थान उच्चतर शिक्षण संस्थान उनकी रैंकिंग का एक फार्मूला हर वर्ष जारी होता है, रैंकिंग जारी होती है। मुझे बतायेंगे मंत्री महोदय, आज राजस्थान के अन्दर कोई ऐसा विश्वविद्यालय है जो पहले सौ की श्रेणी में खड़ा है और जिस विश्वविद्यालय पर मैं चर्चा कर रहा हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस समय की तत्कालीन सरकार को 2016 में आपके अधिकारी बता देंगे, यह विश्वविद्यालय 47.65 अंक लेकर हिन्दुस्तान के पहले सौ विश्वविद्यालयों में था और इस बार का अगर आप नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फ्रैमवर्क के आंकड़े, मापदंड, मूल्यांकन उठाकर देखेंगे तो यह दो सौ में भी नहीं मिलेगा और इसका कारण क्या है, मैं उन सारी बातों पर जो सारी बातें पहले आ गयीं, उन पर नहीं जाना चाहता। समय जाया होगा पर, मंत्री महोदय, जब कभी कोई संशोधन आये तो उस विश्वविद्यालय के अन्दर यह भी मालूम कर लो कि यह यूज़ीसी जो मापदंड तय करती है वह फैकल्टी के बारे में भी तय करती है। आज 54 प्रोफेसर के पद हैं उसमें 41 खाली हैं आपके और मैं समझता हूं कि बड़े सोच-समझकर बजट के अन्दर 2021-22 में आपने सिफारिश की होगी क्योंकि मुख्य मंत्री जी के आप नजदीक हो, आपने डेयरी विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय इसी विश्वविद्यालय में खुले, घोषणा करवा दी। अब समय कितना बचा है, आज मैंने जीएसटी के बिल पर बोलते हुए आपके सारे हालात को बयां किया है। टोटल टैक्स रेवेन्यू से 135% अधिक तो आपको वेतन, ब्याज और पेंशन में देना पड़ता है। कहां से लाओगे पैसा? आज यही कारण है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं बताऊं, सभापति महोदय, इस सदन की सैंक्टिटी खतम हो जाएगी। बजट की सैंक्टिटी पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह घोषणा आपके सामने हुई और उसके बाद हुआ क्या, यह कागजों से बाहर क्यों नहीं निकला, आज हालात क्या हैं।

सभापति महोदय, आज सुबह एक सवाल आया। मैं उस सवाल को जो आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा था, उस सवाल को देख रहा था। कुल राजपत्रित जो पूरे डिपार्टमेंट को चलाने वाले हैं इनके पास डाइरेक्टर नहीं है आजकल। मतलब न डाइरेक्टर और आपके ये जो ज्वाइंट डाइरेक्टर के 46 में से 40 खाली। डाइरेक्टर 2 साल से रिक्त। क्या मंत्री जी, केन्द्र में मंत्री रह लिये, थोड़ा रीढ़खम्भ को मजबूत करो न। लोग क्या कहेंगे, आपके काल खण्ड को काला काल खण्ड कोई कहेगा तो मैं आपका पुराना मित्र हूं, मेरे हृदय में वेदना उठेगी क्योंकि हालात क्या हैं, अब कुछ लोग तो चाहते ही यह है। मैं समझता हूं कि उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप इस को गम्भीरता से देखेंगे कि 3482 पदों में से 1509 पद राजपत्रित पद खाली हैं, सभापति महोदय। हालात देखो विश्वविद्यालय में अनुसंधान करके डाक्टर पैदा करेंगे और आपके डाक्टरों की हालत क्या है, आपके 1936 पद हैं, 1100 खाली हैं, मंत्री जी। हद हो गई। हद ही नहीं, हदों के पार चली गई और अभी ये जब यह देखता हूं कि कुल मिलाकर जो अराजपत्रित में 24,922 पदों में 11,711 पद रिक्त हैं और उसके बाद आप कह रहे हो कि हम उस प्रदेश के अन्दर जहां जीडीपी में पशुधन का योगदान 12.5% है और जहां कुल मिला कर जो मैंने आपको कहा कि 543 लाख 48 हजार पशुधन हैं, वहां इनका भला करेंगे।

(17.00 बजे)

मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आज जवाब देंगे तो इस बात पर तो बताएं, आपने इसमें सैक्शन 24 में जो अलग से क्वालिफिकेशन रख दी, आप संशोधन ले आये 6 वर्ष से 10 वर्ष करने का, यूजीसी के रेगुलेशंस कह रहे हैं, यूजीसी का रेगुलेशन 70, 2018 का कह रहा है पर यह एक्स्ट्रा डीन की कहां से ले आये, इसके बारे में निश्चित तौर पर आप बतायेंगे।

सभापति महोदय, मैं क्या बात करूं, यह जो जांच का दायरा है, 2010 का 25 (3) का मूल अधिनियम मैंने देखा, इसमें तो नहीं आया वह,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उसमें कुलपति का कार्यकाल तीन साल है। आपकी जांच का कार्यकाल क्या होगा, कोई समयावधि है? मुझे आप बताओ कि जांच कौन करेगा, किससे जांच कराओगे, कितने समय में कराओगे? जांच के नाम पर आप इन कुलपतियों को, एक तरफ तो कहते हो मर्मज्ञ विद्वान होना चाहिये। 10 साल का प्रोफेसर होना चाहिये। तीन साल का डीन आफ फैकल्टी के रूप में उसके पास अनुभव होना चाहिये। सभापति महोदय, जिस तरह अपन बकरी का कान पकड़कर करते हैं, कुलपति को ऐसे निकालने की योजना, मैं समझता हूं कि इसके बारे में कुछ तो सोचना चाहिये।

सभापति महोदय, चूंकि आप मुझे देख रहे हैं, साक्षरता, सत्यनिष्ठा और संस्थानिक प्रतिबद्धता जो इस बार यह लेकर आये हैं, उनके बारे में मैं क्या बात कहूं। उसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं। चलो आप बता दो सत्यनिष्ठा की क्या परिभाषा है। मैं आपकी एक बात पर कायल हूं, आप स्पष्टवादी हो। आप बताओ कौन सत्यनिष्ठ है? आपके पीछे बैठे भाटी साहब सत्यनिष्ठ हैं या नहीं? आप प्रूव करो यह सत्यनिष्ठ हैं, मैं प्रूव कर दूंगा सत्यनिष्ठ नहीं हैं। आप संस्थानिक प्रतिबद्धता की बात कर रहे हैं। संस्थानिक प्रतिबद्धता के नाम पर, आप ममता जी को कह दो, यह संस्थानिक प्रतिबद्धता रखती हैं, मैं कह दूं वह नहीं रखती हैं। मतलब शब्दों का आप कैसे कर रहे हैं और उसमें सोच नहीं रहे हैं। मैं समझता हूं इस पर सोचना चाहिये।

मंत्री महोदय, मैं लंबी बात नहीं कहूंगा। यह पशुधन है पशुधन कितना कालकवलित होता है। जन घोषणा पत्र के पृष्ठ 5 के बिन्दु संख्या 3 पर आपने वादा किया था लघु और सीमांत किसानों के पशुओं का मुफ्त में बीमा करायेंगे। आपका अब कितना समय रह गया? आप तो उस कमेटी में भी हो जो इसका मूल्यांकन करती है कि कितनी घोषणा पूरी हुई, कितनी नहीं हुई। सभापति महोदय, खुर पका, मुंह पका बीमारी, यह इस प्रकार की बीमारी है, सभापति महोदय, मैं तो खुद भेड़ पालक रहा हूं। रेवड़ के बीच में साधारण गरीब के घर से निकलकर टक, टक, टक, आपने कभी टक, टक की है, मैंने की है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस समय वसुन्धरा जी के समय में जो कवच बीमा योजना थी जिसमें प्रीमियम का 80 परसेंट सरकार देती थी, आपने बंद कर दिया। मतलब आपको उस कंपनी से कोई बैर था, एमओयू नहीं हुआ। आप फिर कहोगे इसमें केन्द्र सरकार का जो योगदान था। केन्द्र सरकार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ने जो लिमिट कर रखी थी, उस लिमिट का प्रीमियम नहीं आया तो आपने घोषणा क्यों की थी? आप उसमें नीचे छोटे से अक्षरों में लिख देते केन्द्र सरकार की योजना के अनुसार। फिर हम मान लेते, जन घोषणा पत्र में कहीं तो इंद्राज करते, इसलिए सोचें आप।

इसी प्रकार नंदीशाला का क्या हुआ? हर पंचायत समिति में डेढ़ करोड़ की लागत से आवारा पशुओं की पूरी समस्या का निदान नंदीशाला, आ गई नंदीशाला, अब समय कहां है आपका। 108 एंबुलेंस का क्या हुआ? 108 की तर्ज पर 102 एंबुलेंस आ गई वेटरिनरी एंबुलेंस?

सभापति महोदय, अंत में एक बात कह रहा हूं आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मंत्री महोदय, मैं आपसे विथ फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ... (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं कह रहा था खुर पका, मुंह पका यह आईएनडी है, इसकी वैक्सीनेशन का तो प्रबंध करो। पिछली बार जो ब्रिलियंट बायो फर्म हैदराबाद की थी जिसने आपके 5 करोड़ 21 लाख का गबन कर लिया, आपने जांच बैठा दी, उस पर कार्यवाही करने की आपकी हिम्मत नहीं है तो मत करो। यह आरोप आप पर सदैव लगा रहेगा। मैं अगर असत्य बोल रहा हूं तो जब आप उत्तर दो तो बता देना। खुर पका मुंह पका इतना फैल रहा है। इन सारी बातों को कहते हुए मैं निवेदन करूंगा कम से कम उन मूक पशुओं की आवाज बनो। उनकी तरह बोलकर नहीं, आत्मा से बोलकर और यह जो खोटा बिल लेकर आये हो इसको प्रवर समिति को सौंप दो। बैठकर बात कर लेंगे, आप कहोगे वैसा कर लेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020, माननीय सभापति महोदय, इसमें भी वही बात है, विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है और उसमें जो कुलपति का गरिमामय पद होता है, उसको किस तरह हटाना है, यह सरकार जैसा चाहे जिसको लगाये, जिसको चाहे रखे, उन बातों पर चर्चा माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब जी ने कर ली।

इसका जो बिन्दु संख्या 3 है, उसमें वर्णित योग्यता में विसंगति है और इसमें सबको समान अवसर नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री जी इस पर गौर करें, इसके अनुसार व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के

(श्री बिहारीलाल)

आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर, शैक्षणिक उत्कृष्टता और नेतृत्व के गुण प्रदर्शित करने के सबूत सहित दस वर्ष का अनुभव रखने वाला, इस बात पर मंत्री जी गौर फर्माएं, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव देश में के किसी विश्वविद्यालय के संकाय के अध्यक्ष या संकायाध्यक्ष अथवा किसी महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष या प्राचार्य के रूप में होना चाहिए। माननीय, यह समानता के अवसर को कम करता है। आप यूजीसी के आधार पर 6 वर्ष से 10 वर्ष तो करने जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ व्यक्ति ही अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर पायेंगे। उदाहरण के तौर पर किसी विश्वविद्यालय में कई विभाग हैं। जैसे इस विश्वविद्यालय में भी 17 डिपार्टमेंट हैं और अभी राजेन्द्र जी ने बताया कि 53 प्रोफेसर के पद खाली हैं। 17 डिपार्टमेंट में प्रत्येक डिपार्टमेंट में कम से कम 3-4 प्रोफेसर होंगे तो यह संख्या 50 से ऊपर जाती है। इनमें से यदि आधे भी 10 वर्ष की योग्यता रखते हों तो यह संख्या 25 होती है, परन्तु संकाय के अध्यक्ष एक विश्वविद्यालय में एक समय में एक ही होगा। डीन, डाइरेक्टर, प्राचार्य एक समय में एक ही होगा, इसलिए इन सब प्रोफेसरों में से सारे डीन, डाइरेक्टर नहीं होंगे लेकिन सारे लोग 10 साल तो पूरा करते हैं। इसलिए इनमें से बहुत कम लोगों को अवसर मिल पायेगा। यह जो आपने इसमें जोड़ा है, योग्यता का आधार दस वर्ष का न्यूनतम प्रोफेसर का अनुभव ही होना चाहिये जो एक अतिरिक्त योग्यता आपने जोड़ी है, डीन, डाइरेक्टर की होनी चाहिये, इस बात को आप इसमें से हटायें तो समानता के अवसर पर सभी प्रोफेसर जो 10 साल का अनुभव रखते हैं, वह भी अपनी क्वालिफिकेशन वीसी के लिये पूरी कर पायेंगे।

(17.09 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

दूसरी बात, पशुपालन हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। पूरे राजस्थान से अधिकांश लोग पशुपालन और किसान समुदाय से आये हुए हैं। माननीय मंत्री जी आप विराजमान हैं, आपके पड़ौस में रघु शर्मा जी बैठते हैं। वो मेडिकल के डाक्टरों के मंत्री, आप पशु डाक्टरों के मंत्री। हम 200 लोग जो 8 करोड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपमें और रघु जी में कोई फर्क नहीं करते। दोनों माननीय मंत्री हैं। रघु जी के डाक्टर को तो इंटर्नशिप में आप 14

(श्री बिहारीलाल)

हजार दे रहे हो और वेटरिनरी डाक्टर को 3500 रुपये दे रहे हो। 3500 रुपये का मतलब दिन का 115 रुपये भी आप वेटरिनरी के इंटर्नशिप छात्र को नहीं देते। वह भी वही क्वालिफिकेशन लेकर डाक्टर बनता है, वह भी वही एग्जाम देता है, वह भी वही चार साल की डिग्री करता है, 6 महीने की इंटर्नशिप करता है, उसी तकनीकी दक्षता को वह हासिल करता है। सभापति महोदय, उनकी संख्या तो राजस्थान में 240 प्रतिवर्ष है, मेडिकल के स्टूडेंट तो हजारों की संख्या में हैं लेकिन यह तो मात्र 240 ही लोग हैं जिनको हम 3500 रुपया भत्ता देते हैं। आपने इस बार मेडिकल स्टूडेंट की इंटर्नशिप का भत्ता बढ़ाकर 7000 से 14000 कर दिया, इनका तो 10 वर्षो से बढ़ाया ही नहीं है। यह जो अन्याय इनके साथ हो रहा है, इस विसंगति को भी दूर करना चाहिये। अर्ध कुशल श्रमिक की मजदूरी भी 234 रुपये होती है और हम डाक्टर को 115 रुपये प्रतिदिन दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी, हाई कोर्ट दिल्ली ने भी कहा है wages are not different from the other medical officers. वेटरिनरी का डाक्टर मेडिकल डाक्टर से किसी मायने में अलग नहीं है, किसी मायने में कम नहीं है। वीसीआई ने भी कहा है, इंडियन वेटरिनरी एसोसिएशन ने भी कहा है, आयुष के डाक्टर को तो 23500 रुपये का इंटर्नशिप भत्ता मिलता है। हरियाणा में वेटरिनरी के डाक्टर को 12000 से 17000 कर दिया गया है। कर्नाटक में 11000 से 14000 कर दिया गया है। केरल में 20000 कर दिया गया है। जिनकी संख्या कम है, इन डाक्टरों को भी वो ही अनुभव हासिल है। यह पशुपालन की रीढ़ है। जो हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार है, उनकी मदद में हमारा डाक्टर लगा रहता है। अभी जो स्थिति राजेन्द्र जी ने बताई कि डाक्टरों के कितने पद खाली हैं। आपने जिस तरह सुपरवाइजर की भर्ती में इनिशिएटिव लेते हुए कृषि विभाग को स्ट्रेंथन किया है। उसी तरह माननीय मंत्री जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आर.पी.एस.सी. में कितने वेटरिनरी डाक्टरों की भर्ती अटकी पड़ी हुई है, कितने समय से अटकी पड़ी है? जब इतने पद रिक्त हैं तो आप आरपीएससी की वेटरिनरी डाक्टर्स की भर्ती है, उसमें जितनी भी अड़चनें हैं, उन्हें दूर करवाइये। इस भर्ती को कमप्लीट करवाइये। हमारे पशुपालकों को डाक्टर मिले और अस्पताल खाली नहीं रहे।

माननीय मंत्री जी, एनिमल हसबैंड्री डिपार्टमेंट की स्थिति तो यह है, मेरे नोखा विधान सभा क्षेत्र का छोटा-सा उदाहरण ले लीजिए। वहां 14-15

(श्री बिहारीलाल)

वेटरिनरी हास्पिटल हैं, उनमें तीन फर्स्ट ग्रेड है। वहां भी स्थिति यह है कि आधे से ज्यादा पद खाली हैं और किसी भी अस्पताल में जलधारी से लेकर महिला डाक्टर तक एक ही काम है, एक ही पोस्ट है। वह अस्पताल कैसे चलायेगी। अभी एफएमडी का जिक्र राजेन्द्र जी ने किया। पिछले साल वैक्सीनेशन का अभियान कितने जोरशोर से चला। देश की सरकार ने वैक्सीनेशन फ्री किया और दूसरे प्रदेशों में तो साल में दो-दो बार एफएमडी होती है। हम तो एक बार भी पूरा नहीं कर पाते हैं। जब इतना महत्वपूर्ण अभियान था। जब हमने वीओ और एसवीओ की बैठक वहां ली तो पहली बार उन्होंने कहा कि किसी विधायक ने हमारे डिपार्टमेंट को भी पूछा है। मैंने कहा कि एफएमडी का वैक्सीनेशन का अभियान शुरू होने वाला है तो उसमें आप कोल्ड चैन कैसे मैंटेन करेंगे? क्या आपके पास डीप फ्रीज की व्यवस्था है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, साहब, बीकानेर से वैक्सीन लाएंगे और गांव में फलां के घर में फ्रीज है, उसमें रखेंगे। हमारा अस्पताल फर्स्ट ग्रेड का है और उसमें भी डीप फ्रीज नहीं है। हमारे अस्पतालों में फ्रीज नहीं है। मैंने कहा कि मैं विधायक कोटे से फ्रीज दूंगा, किस-किस को फ्रीज चाहिए। आप बताइये। एक भी डाक्टर ने हाथ खड़ा नहीं किया। मैंने पूछा कि क्या फ्रीज नहीं रखना है तो कहा साहब, लाइट नहीं है, विद्युत का कनेक्शन हमारे अस्पताल में नहीं है, फ्रीज का क्या करेंगे। यह स्थिति एनिमल हसबैंड्री डिपार्टमेंट की है। यह बात आपके सामने भी रखी है और जिला प्रशासन के सामने रखी है कि इनको स्ट्रेन्थन करना है, इनको मजबूत करना है और अस्पताल की स्थिति सुधारनी है।

जिस तरह कोरोना काल में देश के प्रधान मंत्री जी ने कहा कि आपदा को अवसर में लें और हमारे रघु जी ने एवं राजस्थान की सरकार ने भी कदम से कदम मिलाते हुए स्वास्थ्य सैक्टर को जितना मजबूत किया है। माननीय मंत्री जी, आप पड़ौस में बैठे हैं। हम आप और रघु जी में कोई फर्क नहीं करते हैं। रघु जी आप अपने डाक्टर को इंटर्न में 14 हजार रुपये देते हैं और आपके पड़ौसी कटारिया जी अपने डाक्टर को 3500 रुपये देते हैं। यह भेदभाव भी खतम होना चाहिए और हमारे वेटरिनरी के इंटर्न डाक्टरों को पूरा पैसा मिलना चाहिए, बीस हजार रुपये। मात्र 240 लोग साल में निकलते हैं, रघु जी के तो हजारों लोग साल में निकलते हैं। इस भेदभाव को खतम करना चाहिए। वेटरिनरी की जो भर्ती आरपीएससी में अटकी पड़ी है, उसको लाइये, कमप्लीट कीजिए। उसके सारे आब्सटेकल हटाइये ताकि अस्पतालों में डाक्टर मिल सके।

(श्री बिहारीलाल)

कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को पाबंद कीजिए। आपके एक भी एनिमल हसबैंड्री के अस्पताल को, सब-सेंटर को, फर्स्ट ग्रेड हास्पिटल को खुद का स्वामित्व नहीं है। वहां कोई पैसा लगाना चाहे, केन्द्र सरकार पैसा लगाना चाहे या फिर विधायक या सांसद निधि से कोई पैसा लगाना चाहे तो मिल्कियत एनिमल हसबैंड्री की खुद की नहीं है, इसलिए वहां पैसा भी नहीं लग सकता है। इसलिए प्रशासन में रेवेन्यू के अधिकारी को बिठाइये। पानी एवं बिजली के अधिकारियों को बिठाइये। एक मीटिंग में सबको उनका पट्टा मिल जाए, उनका खुद का स्वामित्व हो जाए और एनिमल हसबैंड्री भी सुधरे। हमारा पशुपालक स्ट्रेन्थन हो, यही बात मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और कुलपति के मामले में आप जो करना चाह रहे हैं, उसकी हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। मैं इसे जनमत जानने हेतु परिचालित करने का आग्रह करता हूं।

श्री सभापति: माननीय श्री वासुदेव देवनानी जी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, यह जो आज राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में माननीय मंत्री जी संशोधन लाये हैं। यह संशोधन देखकर लगता है कि न तो इसको पूरा पढ़ा गया है। केवल अधिकारियों ने लिखकर दे दिया कि इसमें यूजीसी के नार्म्स होने चाहिए। अब यूजीसी के नार्म्स रख दिये। विश्वविद्यालय के अधिनियम में, मैं शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। इसलिए आपको कह सकता हूं कि किसी भी विश्वविद्यालय के लिए केवल वाइस चांसलर की क्वालीफिकेशन ही निर्माण करना नहीं होता है। वहां लेबोरेट्रीज कैसी होनी चाहिए? वहां पर लाइब्रेरी कैसी होनी चाहिए। वहां पर फोर्म कितने होने चाहिए? वहां पर बाकी की सुविधाएं क्या होनी चाहिए? इन सबका इसमें किसी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है। आज उस विश्वविद्यालय को देखेंगे तो न तो वहां पर इस प्रकार की लेबोरेट्रीज हैं, न इस प्रकार की लाइब्रेरी है, न इस प्रकार की पुस्तकें हैं। आपने वाइस-चांसलर की नियुक्ति की बात की। वाइस चांसलर की नियुक्ति में आपने जिस प्रकार का उसमें प्रोविजन रखा है। उससे लगता है कि कहीं न कहीं उसको सीमित करके अपने ही कुछ लोगों को लाभ देने का प्रोविजन करना चाह रहे हैं।

साथ में, दूसरा जो संशोधन आपने रखा है। जिसमें लिखा है खण्ड 3

(श्री वासुदेव देवनानी)

में धारा 24-क में 'इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए राज्य सरकार की रिपोर्ट पर, साथ में राज्य सरकार के परामर्श पर'। यानी पूरी तरह वाइस चांसलर को एक पपेट बनाने की सारी योजना इसमें दिखायी देती है। वाइस चांसलर एकेडमिक व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है। इसमें फिर कौनसे अच्छे व्यक्ति आपके पास आएंगे? कोई अच्छा व्यक्ति वीसी बनने के लिए नहीं आयेगा। विश्वविद्यालयों की स्थिति कभी नहीं सुधरेगी। वीसी को केवल इस रूप में बनाना चाह रहे हैं कि वीसी आपके कहने पर हां में हां भरे और न से न करे। उसी प्रकार का वीसी आप बनाना चाह रहे हैं। जब चाहो तब कान पकड़कर उसे हटा दो। जब चाहो तब आप कान पकड़कर उसे रख लो। न करे तो कल से नौकरी पर नहीं आयेगी। यानी रिपोर्ट भी इनकी, परामर्श भी इनका और निर्णय कुलाधिपति से करवायेंगे। कम से कम आप इस पर तो सोचें। राज्य सरकार की रिपोर्ट पर कुलाधिपति की राय में, यदि इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको लगता है कि केवल यह राज्य सरकार के हाथ में जाना चाह रहा है।

मेरा आपसे दूसरा आग्रह है कि यह विश्वविद्यालय के वीसी तो आप तय कर लेंगे, लेकिन वहां की आर्थिक स्थिति क्या है? क्या उसका पता लगाया? आय की दृष्टि से ये सारी यूनिवर्सिटियां कमजोर हैं। इनके पास पेंशन देने तक के भी पैसे नहीं हैं। वेतन देने के भी पैसे नहीं हैं। वहां के लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। वहां के प्रोफेसर रोज आकर मिलते हैं। पुराने लोग कह रहे हैं कि हमको पेंशन नहीं मिल रही है। नये लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। इनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने को इसमें कोई प्रावधान रखते तो हमें लगता कि शायद आज कुछ गम्भीर विषय है।

दूसरा, इसमें मुझे कहना है कि आप निरंकुश तो बना रहे हैं। जिस प्रकार से अभी हमारे उप नेता ने कहा कि यहां पर प्रोफेसरों के लगभग 80 परसेंट पद खाली हैं। जहां पर प्रोफेसरों के 80 परसेंट पद खाली होंगे, वहां पर किस प्रकार की रिसर्च होगी? वहां पर किस प्रकार का अनुसंधान होगा? विश्वविद्यालय तो अनुसंधान के केन्द्र माने जाते हैं। मूल आधार ही वही है, बाकी तो डिग्री कालेज हैं, वे डिग्री भी देते हैं, पीजी भी दे देंगे, लेकिन इस प्रकार का अनुसंधान नहीं होगा और 80 परसेंट पद खाली होंगे तो किस प्रकार से विश्वविद्यालय चलेंगे, इसमें निश्चित रूप से आपको सोचना चाहिए।

(श्री वासुदेव देवनानी)

इसमें आपने एड कर दिया, अभी इन्होंने कहा सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार, संस्थानिक प्रतिबद्धता। क्या इसके कोई मापदंड भी तय किये हैं? संस्थानिक प्रतिबद्धता क्या होती है? आपकी प्रतिबद्धता अपनी पार्टी के प्रति होगी, उसके प्रति है या नहीं? क्या इसके कोई मापदंड होंगे कि इन मापदंडों के आधार पर संस्थानिक प्रतिबद्ध होंगे। इस प्रकार के शब्द जोड़कर आप शब्दों के मायाजाल के आधार पर आप इसको कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। साथ में, यदि जोड़ना है। जिस प्रकार से उच्च शिक्षा में इस बार इन्होंने किया कि यदि वीसी को आप हटा देते हैं, उसका कामचलाऊ चार्ज किसी को देते हैं। कामचलाऊ किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो वीसी की सारी क्वालीफिकेशन रखता हो। जैसे अजमेर में उच्च शिक्षा में पत्रकारिता वाले वाइस चांसलर को जोड़ दिया। जो खुद एमए पास है, वह पीएचडी वालों के ऊपर किस प्रकार से काम निर्धारित करेगा। लास्ट में जब चांसलर ने कहा, तब जाकर उसको हटाना पड़ा। कामचलाऊ वीसी कौन होगा, इसका भी इसमें यदि कोई प्रोविजन रखेंगे तो शायद इसमें न्याय हो पायेगा नहीं तो, कामचलाऊ रास्ते चलते किसी को दे दिया, जो न तो पशुपालन को समझता है, न पशु चिकित्सा को समझता है। ऐसे को यदि आपने दे दिया तो मैं समझता हूं कि आपकी जो सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके हाल बुरे होंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन सब की स्थिति ठीक करें और सारी समग्र स्थिति में लायें। चूंकि जीडीपी का जैसे 12 परसेंट आपको इसमें मिलता है। मैं समझता हूं कि इम्पोर्टेंट मानें, इसको कामचलाऊ मत मानें। पशुधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखते हुए इस संशोधन को तुरन्त जल्दबाजी में न लाएं। इसको छह महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करें, ताकि मिल बैठकर ठंडे दिमाग से सोचकर इसमें सारे संशोधन लाये जा सकें, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल (अनुपस्थित), माननीय श्री बलजीत यादव (अनुपस्थित), माननीय श्री जोगेश्वर गर्ग (अनुपस्थित), माननीय श्री अविनाश (अनुपस्थित), माननीय श्री संयम लोढ़ा (अनुपस्थित), श्रीमती संतोष (अनुपस्थित), माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, जितने भी विश्वविद्यालयों के यहां पर संशोधन रखे जा रहे हैं, सभी लगभग एक ही लाइन में हैं। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 के अधिनियम 10 में आप चार संशोधन लेकर आये

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हैं। पहला संशोधन धारा 24 में, धारा-2 के पश्चात् आप दो नयी धाराएं जोड़ रहे हैं, 2-क एवं 2-ख। इसी तरह से धारा 3 को जो पहले थी, उसमें आप परिवर्तन कर रहे हैं। तीसरा, यह कि जो धारा 24 और 25 के बीच में एक नई धारा 24-क और जोड़ रहे हैं। ये चार संशोधन लेकर के आप आए हैं। मैं सोचता हूं कि बहुत कुछ बातें तो हमारे सभी लोगों ने कही हैं। मैं उस पर नहीं जाता हूं। ये जो राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020, ये हमको दिया और अभी इसमें एक संशोधन हमको दिया है। आज की जो सूची आई उसमें एक संशोधन आया, पहले जो था धारा 24-क पहले से संशोधित कर रहे हैं, उसमें कुलपति को हटाये जाने के बारे में था। पहले आपका था 'यदि कुलपति की राय में कुलपति इस अधिनियम के उपबंध का क्रियान्वयन करने में जान-बूझकर लोप या इंकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसी जांच करने के पश्चात्, अब आप संशोधन लेकर के आए हैं, मैंने आपको पहले वाले में भी कहा है कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय के पीछे हमारी भावना यह थी कि यह स्वतंत्र रूप से एकेडेमिक काम को अच्छी प्रकार से करें। इसमें राज्य सरकार की या किसी की भी कोई दखलंदाजी नहीं हो। अब विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति में आप जो परिवर्तन ला रहे हैं, 2-क व 2-ख में उसमें तो उसकी योग्यता के बारे में हैं और उसकी सर्च कमेटी बन रही है, उसके द्वारा आप उसमें चयन करेंगे। लेकिन इसमें जो आप ला रहे हैं विधेयक के खण्ड 3 में धारा 24-क के विद्यमान उपधारा 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए। क्या प्रतिस्थापित कर रहे हैं आप? पहले है जो मैंने पढ़कर सुनाया, इस अधिनियम के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार की रिपोर्ट, पहले राज्य सरकार की रिपोर्ट नहीं थी, राज्य सरकार की सहमति से कुलाधिपति करता था। अब आज पहली बार आप विश्वविद्यालय में जो सवेरे वाला था, उसमें भी आपने यह किया। इसमें भी आप यह करने जा रहे हैं। आप भले ही खुश हो जाना। इस पद पर लोग बदलते रहते हैं, आते रहते हैं और जाते रहेंगे। आज कौन पार्टी है? कल कौन पार्टी आएगी? अगर वास्तव में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इस संस्था को केवल राजनेताओं का पिछलग्गू बनाकर काम करने की मंशा है तो आपको धन्यवाद और आप वास्तव में एजुकेशन एकेडेमिक स्तर के आधार पर आने वाली पीढ़ी का अगर निर्माण करने की मंशा हो तो ये राजनैतिक स्वार्थ छोड़िए। इसकी क्वालिटी को बनने दो।

मैं सोचता हूं कि आज के पहले मुझे अच्छी तरह से याद है मैं जब पढ़ता था तो मेरे यहां महाजनी साहब कुलपति थे उस समय। मैं सोचता हूं कि सुखाड़िया जी जैसा व्यक्ति भी, अगर कोई बात होती तो कुलपति को उससे भी ज्यादा सम्मान देते थे। मोहन सिंह जी मेहता इस राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। मैं सोचता हूं कि हमने इन विश्वविद्यालयों के इन कुलपतियों के चयन के साथ-साथ इसका इतना स्तर गिरा दिया है कि उसके कारण से ये जो शिक्षा के केन्द्र हैं, ये केवल राजनैतिक अखाड़े बनने की स्थिति में धीरे-धीरे जा रहे हैं। चाहे इसमें दोष आपका हो, चाहे मेरा हो, चाहे किसी का भी हो। मेरी प्रार्थना है ये जो पहले आपने हमको दिया था, उसमें राज्यपाल अर्थात् कुलाधिपति वीसी को हटा सकता था, कुलपति को हटा सकता था लेकिन वह आपकी राय के आधार पर हटा सकता था। यह कानून में पहले से प्रावधान है, लेकिन अबकी बार आपने एक नया परिवर्तन लाया। मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, पास तो हो जाएगा जो भी आप करना चाहेंगे लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, वह आने वाला समय आपको और मुझे इस बारे में बताएगा कि जो भी वाइस चांसलर है, वह सरकर की कठपुतली बनकर अपने दिल और दिमाग का काम नहीं करेगा, केवल हाजिरी भरने का काम करेगा। उसके कारण से यूनिवर्सिटी का स्तर गिरेगा। इसकी सारी की सारी एकेडेमिक, जो हम सोचते हैं, वह एकेडेमिक नहीं होगी। आज आप हो, कल कोई तीसरा होगा, परसों कोई चौथी सरकार आएगी, कोई भी व्यक्ति बनेगा, अगर इन संस्थाओं को इतना कमजोर कर दिया जाएगा तो मैं सोचता हूं कि यह इस प्रदेश के हित में नहीं होगा।

मैं जहां तक समझता हूं आप और मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। हमारी ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा कोई आधार था तो पशुपालन ही आधार था। मैं जब बचपन में था तो मैं कोई खेती से जुड़ा हुआ परिवार नहीं हूं लेकिन मेरे गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति वह माना जाता था जिसके घर में सबसे ज्यादा पशुधन होता था। वही गांव का मुखिया माना जाता था। धीरे-धीरे इसमें गिरावट आने के साथ-साथ अब बचा हुआ जो भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पशुधन है, उस पशुधन को भी ठीक प्रकार से संवारने के लिए आपने ये विश्वविद्यालय तो जरूर बना रखा है लेकिन इस विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है, इसके बारे में तो कभी विचार कीजिए।

पशु विश्वविद्यालय की जो स्थिति है, आपको लगता है जब वहां कोई स्टाफ ही नहीं है, वहां पढ़ने वाले बच्चे ऐसे ही डिग्रियां ले-लेकर जा रहे हैं, इन डिग्रियों को लेकर के वह आगे क्या कल्याण करेंगे? मतलब बिना स्टाफ के, बिना प्रोफेसर के, बिना रीडर के जो भी बच्चे वहां से डिग्री लेकर के जाएंगे, वह किस प्रकार की डिग्री लेकर के जाएंगे। आज भी मैं कह सकता हूं कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में किसान को मजबूत किया जाए तो उसका एक यह भी मजबूत पांव है। अगर इसको हमने ठीक प्रकार से देखा तो निश्चित रूप से हमारी आर्थिक स्थिति में गांव में बहुत अधिक बदलाव आ सकता है। लेकिन हम इसको भी कचरा करने की कोशिश कर रहे हैं। शब्द थोड़ा बुरा लगा होगा लेकिन बहुत दुःखी मन से कह रहा हूं कि अगर भगवान ने दसबीस साल जिंदा रखा तो आप और मैं इस बात को देखेंगे कि इसका परिणाम राजस्थान की ये संस्थाएं क्या भुगतेंगी? हमारे अहंकार की तुष्टि हो सकती है। हम प्रसन्न हो सकते हैं लेकिन इन संस्थाओं का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं समझता हूं वह जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो थर्ड ग्रेड का मास्टर होता है, वह तो और भी सम्मान से नौकरी करेगा, परन्तु ये वाइस चांसलर तो केवल सलामी ठोकने के अलावा और कुछ नहीं या तो आएगा नहीं, या तो अच्छे व्यक्ति इस सलेक्शन में ही नहीं आएंगे, जहां इस प्रकार की तलवार लटकी रहेगी कि कब कान पकड़कर निकाल दिया जाए तो कोई भी अच्छा टेलेंटेड व्यक्ति, समर्पित व्यक्ति, शिक्षा के लिए काम करने वाला व्यक्ति आपकी इस जगह नहीं आएगा। वह कोई तुकमा लेकर के अपना नाम छपाने के लिए नहीं आता है। जो शिक्षा को समर्पित लोग होते हैं, वे मन और भावना के आधार पर शिक्षा का काम करते हैं। हमने शिक्षा के पवित्र मंदिर को घटिया बनाने का यह प्रयोग किया है। मेरी आपसे फिर प्रार्थना है कि ये जो अमेंडमेंट लाए हैं, जिद्द मत कीजिए, अगर आपको पूछना हो तो एक बार मुख्य मंत्री जी से फिर पूछ लीजिए। इस प्रकार का अमेंडमेंट करके आने वाले राजस्थान के भविष्य को मत बिगाड़िये-मत बिगाड़िये, यही आपसे मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020, अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रख रहे थे। मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि आप कह रहे थे कि मेरी बात बुरी लगे, हम तो आपको सुनना चाहते हैं। आपसे सीखने का मौका मिलता है। जितना अनुभव आपका है और जिस ग्रामीण परिवेश की बात आपने कही है, यह बात सही है कि किसी जमाने में पशुधन जिस व्यक्ति के घर में ज्यादा होता था तो वहां रिश्तेदारी करने में लोग आसानी समझते थे, इज्जतदार परिवार माना जाता था। वर्तमान परिस्थिति में बदलाव आया है। आज पशुधन और कृषि दोनों क्षेत्र ऐसे हो चुके हैं, इस कोरोना काल में जरूर लोगों का रुझान बढ़ा है, परन्तु इससे पहले ये दोनों क्षेत्र बिलकुल नर्वस हो चुके थे। कोई भी व्यक्ति अपने घर में पशु नहीं पालना चाहता था। खेती की तरफ भी रुझान कम हो गया था।

माननीय राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ साहब ने सतीश पूनियां जी के प्रश्न की चर्चा की। वह आया नहीं, दो ही मिनट बाकी रह गये वरना वह सुबह प्रश्न आने वाला था। यह बात भी सही है कि जितनी आवश्यकता आज ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टरों की है, पशु चिकित्सकों की है, एलएसए की है, वह निश्चित तौर पर कम ही है। सरकार उस तरफ पूरा ध्यान रख रही है। हमने 900 डाक्टरों की भर्ती की है। न्यायालय में विचाराधीन है। लिखित परीक्षा हो चुकी है। 300 डाक्टर हम यूटीबी के माध्यम से ले रहे हैं। एलएसए की हमने भर्ती की है और भी आगे हम करने जा रहे हैं।

ज्यादातर सभी सदस्य ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और इस बात को भी जानते हैं कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उसमें खेती का व पशुधन का अपना महत्व है। बिहारीलाल जी बीकानेर से आते हैं। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थापित है। मुझे एक बार जाने का मौका मिला। जिस प्रकार का गोवंश आपके इलाक़े में है, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर में, मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में मुझे जब यह विभाग मिला, उसके बाद में जानकारी मिली है कि आज हरियाणा, पंजाब केरल में हमारा अच्छा गोवंश उन प्रदेशों के किसान लेकर जाते हैं। थारपारकर गाय, गिर गाय है, इन गायों की कीमत डेढ़-डेढ़ लाख रुपये हो चुकी है। ऑनलाइन भी बिक रही है। जो अच्छे किसान हैं, अच्छे गोपालक हैं, वह अपनी साइट बनाकर रखते हैं। सांगानेर के पास मेरे मिलने वाले एक किसान हैं। पिछले

(श्री लालचन्द कटारिया)

साल उन्होंने केरल में 56 लाख रुपये का व्यापार ऑनलाइन गायों का किया था अपनी साइट बनाकर। भारत सरकार भी इसके बारे में बार-बार अन्य स्टेट्स को प्रोत्साहित करती है कि ऑनलाइन बिक्री पशुधन की होनी चाहिए। आज जो चर्चा है वह ऐसे बिल पर है, जो बिल लगातार 12-13 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के लिए लाए गए हैं।

सभापति महोदय, जैसाकि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में स्पष्ट अंकित किया गया है, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 में कुलपति को उन परिस्थितियों में हटाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, जहां वह उक्त अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन करने में जान बूझकर लोप या इंकार करता है या उसमे निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या जहां कुलाधिपति का यह प्रतीत होता है कि उसका पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकारक है। ऐसी परिस्थितियों में कुलाधिपति को राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति से हटाये जाने के लिए सशक्त किया जाना प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 13 जून, 2013 के नोटिफिकेशन के तहत भी सारे विश्वविद्यालयों में एकरूपता के लिए माडल एक्ट का प्रावधान है। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 में जो संशोधन प्रस्तावित है, ऐसे ही संशोधन राजस्थान विधान सभा के द्वितीय सत्र में एक साथ राजस्थान के 11 अन्य विश्वविद्यालयों एवं एक तकनीकी विश्वविद्यालय के अन्दर कुलपति की योग्यता क्या होगी, उसको लेकर यह संशोधन पारित किया गया कि कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति जब तक पात्र नहीं होगा, जब तक वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी शैक्षणिक, प्रशासनिक संगठन के किसी समकक्ष पद पर अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा और नैतिक आधार तथा संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्च स्तर वाला प्रख्यात शिक्षाविद नहीं होगा। ठीक इस तरह का संशोधन राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 में प्रस्तावित है। यह विधेयक अनावश्यक रूप से कुलपति को नहीं हटा रहा। इसके लिए नियमानुसार जांच होगी, बाकायदा प्रक्रिया तय होगी, कोई अनियमितता सामने आती है तो निलम्बित किए जाने का प्रावधान है।

(श्री लालचन्द कटारिया)

माननीय सभापति महोदय, सरकार विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की पूर्ण पक्षधर है परन्तु निरंकुशता, अनियमितता, पक्षपात, ऐसी स्थितियां अगर उत्पन्न हो जाती हैं, कुलपति द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है, कुलपति विश्वविद्यालय के नियमों के तहत एक्ट नहीं करे, तब जाकर कुलपति को हटाने की बात आती है।

सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जो जनमत जानने हेतु परिचालित करने के प्रस्ताव पेश किए हैं उन्हें अस्वीकार किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु चिकत्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार क्या गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्ड-2, प्रभारी मंत्री जी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): सभापति महोदय,...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, जो इन्होंने लिखा हुआ पढ़ा वह तो जो इन्होंने पहले हमको दिया वह है। अभी जो संशोधन ला रहे हैं ...(व्यवधान) बात और कहिए, संशोधन अब लाकर, दुबारा इसको बताना, क्यों लाए आप।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, खण्ड-2 के उपखण्ड (ii) विद्यमान अभिव्यक्ति जिसमें कम से कम तीन वर्ष का अनुभव देश में किसी विश्वविद्यालय के संकाय के अध्यक्ष या संकाय अध्यक्ष अथवा किसी महाविद्यालय के संकाय अध्यक्ष या प्राचार्य के रूप में होना चाहिए, को हटाया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपसे फिर प्रार्थना कर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रहा हूं। सभापति महोदय, यह जो नया संशोधन लेकर आए हैं, जो इन्होंने पहले हमको पेश किया उसमें और इसमें अंतर किया है। विधेयक के खण्ड-3 में धारा 24-क की विद्यमान उप धारा एक के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्तावित किया जाए, इस अधिनियम के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार की रिपोर्ट, पहले राज्य सरकार की रिपोर्ट नहीं थी, पहले सिर्फ कुलाधिपति राज्य सरकार से या सरकार से परामर्श करके हटाने की बात थी, अब इन्होंने नया जो जोड़ा है वह यह है कि पहले राज्य सरकार, जिसके बारे में एक्शन लेने को कहेगी उसको कुलाधिपति पालन करे, यह है संशोधन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, अभी जो संशोधन प्रभारी मंत्री जी ने मूव किया है, इसके अलावा, बिलकुल आकर दिया। जो तीन साल वाली कंडीशन थी वह तीन साल की, डीन आफ फैकल्टी की कंडीशन को हटाया, जिसकी मैंने भी मांग की थी।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): वो ही लेकर आए हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप इसको सर्कुलेट तो करते। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): नियमों में शिथिलन लाकर कभी भी संशोधन ला सकते हैं। (व्यवधान) अभी आपने पहले जो प्रस्ताव किया, पारित किया, एग्रीकल्चर वाला, वैसा का वैसा यह प्रस्ताव बन गया। (व्यवधान) आपकी मांग को हमने स्वीकार किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरी मांग आपने आज ही स्वीकार की या हमेशा करोगे? यह बताओ मुझे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय लीडर आफ अपोजिशन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरी मांग को हमेशा स्वीकार करोगे? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अब तो पहली बार के एमएलए मुख्यमंत्री बनने लग गए, एक्सपीरियंस की बात मत किया करो आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

खण्ड-3, प्रभारी मंत्री जी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह कह रहा हूं 2 में आपने अभी अमेंडमेंट की बात की, हमारे पास इसका नहीं है। तीन का अमेंडमेंट का कागज, जो सर्कुलेट किया उसमें था लेकिन 2 का अमेंडमेंट जो अभी आप बोले हो, हमारे पास तो कहीं उपलब्ध नहीं है कि क्या करना चाह रहे हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, उसको स्वीकार करके, शिथिलता लेते हुए प्रस्ताव दे सकते हैं अपन।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): लिखकर दोगे तो सही भाई। आप जो करना चाह रहे हो, गवर्नमेंट की तरफ से संशोधन ला सकते हो, कोई रोक नहीं है। आप ऐन समय पर भी ला सकते हो लेकिन कम से कम सर्कुलेट करके हमारी टेबल पर रखो कि ला क्या रहे हो, इतना तो कष्ट करो। कानून बना रहे हो भाई, क्या कर रहे हो?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आपके संज्ञान में आ गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): संज्ञान में आ गया तो फिर यह कागज काहे को लाते हैं। इन पोथो को भी वहीं रख आओ ...(व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं होता है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आप जानते हैं कि नियमों में शिथिलता, यह काम आपने भी किए हैं और हमने भी किए हैं ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप लास्ट मूवमेंट पर भी संशोधन ला सकते हैं, सरकार को पूरा अधिकार है लेकिन उसको सर्कुलेट करना पड़ेगा। बिना सर्कुलेट किए आप हमसे सीधे ही हां और ना कराकर कर रहे हो, यह क्या तरीका है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, यह बात बिलकुल सही है। यह बात सही है कि मेरे प्रभाव में आप आए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): उप नेता मांग कर रहे हैं, उसको नेता, प्रतिपक्ष नहीं मान रहे हैं। यह झगड़ा हम क्यों सुनें। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं सदन का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, सभापति महोदय, यह बात नेता, प्रतिपक्ष ...(व्यवधान)

श्री सभापति: Stage second has already been passed.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, नहीं, मेरी बात सुनें। मैं मानता हूं। (व्यवधान) मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, सभापति महोदय। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। I have a point of order.

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, ऐसा नजारा इस सदन में कभी नहीं देखा कि नेता, प्रतिपक्ष और उप नेता दोनों झगड़ा कर रहे हैं। एक-दूसरे की बात को मानने को तैयार नहीं हैं। कमाल कर दिया आपने।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): अब तक तो मैडम के खिलाफ थे, अब ये आपस में ही लड़ने लग गये। इतने दिन तो दोनों मैडम के खिलाफ थे, आज ये आपस में लड़ने लग गये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपको और कुछ नहीं दिखता है। झगड़ा ही झगड़ा रोज दिमाग में घुसा रहता है, इसलिए यहां भी घुसा रह गया।

श्री सभापति: खण्ड 3, प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, विधेयक के खण्ड 3 में, धारा 24-क की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह विधान सभा नियम और प्रक्रियाओं से चलेगी। संशोधन जो लेकर आये हैं, उस संशोधन में एतराज नहीं है, पर जिस तरह संशोधन लेकर आये हैं, विधान सभा के जो नियम और प्रक्रियाएं हैं, उनको धता बता रहे हैं। यह विधान सभा की कार्यवाही को कलंकित करने का काम है। हम इसके विरोध में बहिर्गमन करते हैं।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): ''(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि किसी भी समय, कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इंकार करता है ......

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): +++

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): ....या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकेगा:

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान, कुलपति को किसी भी समय निलम्बित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।''

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): +++

श्री सभापति: डिलीट कर दें इसको। डिलीट कर दें। माननीय नेता...

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किये हैं, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

श्री लालचन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 संशोधित रूप में पारित किया गया।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 15 सितम्बर 2021 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.44 बजे बुधवार, दिनांक 15 सितम्बर 2021 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु बजट का आबंटन

435. श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (बागीदौरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु प्रयासों के लिए कुल कितना बजट आबंटन हुआ तथा कितना व्यय किया गया? उक्त व्यय का विगत तीन वर्षों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य हेतु किये गये व्यय के अनुरूप वांछित परिणाम प्राप्त हो सके एवं उर्वरकों का संतुलित उपयोग हो सके, इस हेतु किसी प्रकार का निगरानी तंत्र विकसित किया गया है? यदि हां, तो क्या व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नेशनल मिशन फोर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के तहत मृदा स्वास्थ्य प्रबंध एवं सॉयल हैल्थ कार्ड प्रमुख कम्पोनेंट हैं, जिनके अन्तर्गत मृदा नमूनों का संग्रहण, विश्लेषण एवं सॉयल हैल्थ कार्ड वितरण तथा मृदा व उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, सुदृढ़ीकरण, कृषक प्रशिक्षण, सॉयल हैल्थ कार्ड के आधार पर पोषक तत्व प्रदर्शन इत्यादि प्रमुख गतिविधियां सम्मिलित हैं।

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की सूचना निम्नानुसार है-

क्र.सं.	वर्ष	आबंटित राशि	व्यय राशि
1	2018-19	3480.93 लाख रु.	2830.14 लाख रु.
2	2019-20	1023.89 लाख रु.	962.53 लाख रु.
3	2020-21	1679.22 लाख रु.	1460.05 लाख रु.

जिलेवार एवं वर्षवार आबंटित बजट एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) सॉयल हैल्थ कार्ड में प्राप्त परिणामों के आधार पर खाद एवं उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने तथा ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसे अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए किसानों के खेतों पर पोषक तत्व

(कृषि मंत्री)

प्रदर्शन व किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि किसान स्वयं देख कर एवं अपनाकर इसके महत्व एवं लाभ को जानकर प्रोत्साहित हो सके।

विगत तीन वर्षों में राज्य में आयोजित पोषक तत्व प्रदर्शन एवं कृषक गोष्ठी/प्रशिक्षण का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष 2018-19 में सन्तुलित पोषक तत्व उपयोग हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड में सिफारिश के आधार पर पोषक तत्व प्रदर्शन-1771 एवं 8364 कृषक गोष्ठियां आयोजित कर सॉयल हैल्थ कार्ड की उपयोगिता की जानकारी दी गई।

वर्ष 2019-20 में वन ब्लाक-वन विलेज पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित 295 गांवों में पोषक तत्व प्रदर्शन-7032 एवं कृषक गोष्ठियां-422 आयोजित की गई।

वर्ष 2020-21 में चयनित 6940 गांवों में पूर्व में किसानों को उपलब्ध कराये गये सॉयल हैल्थ कार्ड में सिफारिश के आधार पर पोषक तत्व प्रदर्शन-6041 एवं कृषक प्रशिक्षण-5311 आयोजित किये गये।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा संभाग के अभावग्रस्त एवं डार्क जोन घोषित ग्राम

439. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा संभाग में कितने गांव और जिले डार्क जोन घोषित किये जा चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में भू-जल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है? यदि हां, तो कोटा संभाग का ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा जल स्वावलम्बन अभियान को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में भूजल स्तर को बढ़ाने और फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या के लिए क्या प्रयास किये गये हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में डार्क जोन शब्द प्रचलन में नहीं है। नवीनतम भूजल आंकलन रिपोर्ट, 2020 के अनुसार कोटा संभाग की अतिदोहित एवं संवेदनशील श्रेणियों के 2812 गांवों व 4 जिलों की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(भू-जल मंत्री)

(2) जी हां। प्रदेश में वर्ष 2011-2021 के मध्य भूजल स्तर की औसत गिरावट दर 1.57 मीटर (परिशिष्ट-2) दर्ज की गयी है। कोटा संभाग में विगत पांच वर्षों में आधारभूत चिन्हित कूप व पीजोमीटर्स के भूजल स्तर में गिरावट या आधिक्य की जिलेवार एवं ग्रामवार सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। किसी भी क्षेत्र में भूजल स्तर की गिरावट/वृद्धि उस क्षेत्र में भूजल निकासी एवं वर्षा जल पुनर्भरण पर निर्भर होती हैं।

(3) मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान वर्ष 2015-16 में प्रारम्भ किया गया था एवं अभियान के क्रियान्वयन हेतु जारी आदेश के अनुसार अभियान की अवधि 4 वर्ष निर्धारित थी, जो कि वर्ष 2018-19 में पूर्ण हो चुकी है। वर्ष 2019-20 में राज्य के सभी जिलों के सभी ब्लाक्स के चयनित क्षेत्रों में राजीव गांधी जल संचय योजना का सूत्रपात किया गया है, जिसका प्रथम चरण प्रगतिरत है।

(4) भूजल स्तर को बढ़ाने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा जल संरक्षण एवं भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण (यथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना, फार्म पौण्ड, रिचार्ज शाफ्ट) किया जाता है। वर्तमान में सरकार द्वारा राजीव गांधी जल संचयन योजना एवं अटल भूजल योजना के तहत भूजल स्तर बढ़ाने की कार्यवाही की जाती है।

भूजल गुणवत्ता एवं पेयजल की कमी से प्रभावित विभिन्न हेबीटेशन से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु तात्कालिक उपायों के अन्तर्गत स्थानीय भूजल में एक से अधिक अशुद्धियों वाले क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश के 28 जिलों में विभिन्न चरणों के अन्तर्गत 4148 आर.ओ. संयंत्र के निर्माण एवं स्थापना कार्य की स्वीकृति जारी की जाकर, इसके विरुद्ध माह अगस्त, 2021 तक 3820 संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं। (संलग्न परिशिष्ट-4)

भू-जल में केवल फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा से अधिक होने की अवस्था में प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2015-16 से अब तक विभिन्न चरणों में सौर ऊर्जा आधारित बोरवैल पम्पिंग सिस्टम मय डी-फ्लोराइडेशन संयंत्र स्वीकृत किये जाकर स्थापित किये गये/जा रहे हैं तथा माह अगस्त, 2021 तक कुल स्वीकृत 3624 संयंत्रों के विरुद्ध 3322 संयंत्र स्थापित कर चालू किये गये हैं। (संलग्न परिशिष्ट-5)

(भू-जल मंत्री)

पेयजल आपूर्ति के दीर्घकालिक उपायों के अन्तर्गत सतही जल स्रोतों पर आधारित वृहद् पेयजल परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा विगत 5 वर्षो की अवधि में कुल 32 परियोजनाओं में से 04 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं तथा 28 परियोजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। पूर्ण की गई एवं प्रगतिरत पेयजल परियोजनाओं से 35 शहर/कस्बे, 5698 ग्राम एवं 3383 ढाणियों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से अब तक लाभान्वित किया गया है। इन परियोजनाओं से लाभान्वित क्षेत्रों मे फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या से ग्रस्त ग्राम एवं ढाणियां भी सम्मिलित हैं। (संलग्न परिशिष्ट-6)

(सूचना व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

441. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के पशुपालन विभाग में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों में से कौन-कौन से पद कब से रिक्त रहे हैं एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पशु रोग निदान केन्द्रों में पदों के रिक्त होने के कारण हाल ही में बर्ड फ्लू के मामलों में त्वरित कार्यवाही करने में असुविधाओं का सामना करना पड़ा है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने एवं पशु चिकित्सा विशेषज्ञों की तैनाती फील्ड में ही हो, ऐसी पुख्ता व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में पशुपालन विभाग में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

विभाग में स्वीकृत रिक्त पद समय-समय पर पदोन्नति, सेवानिवृत्ति एवं नव पदों के सृजन की दिनांक से रिक्त रहते हैं, जिन्हें कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। प्रदेश में वर्तमान में 900 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्तर पर तथा अर्जेन्ट टेम्परेरी आधार पर पशु चिकित्सा अधिकारियों के 300 पदों पर अस्थायी भर्ती की कार्यवाही पशुपालन विभाग में प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

तृतीय श्रेणी शिक्षकों का स्थानान्तरण

442. श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोपीचंद मीणा)

क्या सरकार प्रदेश के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानान्तरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की आज्ञा दिनांक 06.07.2021 के द्वारा राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर लगाये गये पूर्ण प्रतिबन्ध में दिनांक 14.07.2021 से 15.09.2021 तक छूट प्रदान की गई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट- "क" पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

स्टेट हाईवे सुकेत से डग के मध्य लगाये गये पौधों पर व्यय राशि

443. श्री कालूराम (डग): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डग में स्टेट हाईवे सुकेत से डग में विगत पांच वर्षों में लगाए गए पौधे कितने जीवित हैं व कितने पौधे नष्ट हो गए तथा उक्त पर सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 2015 से 31 अगस्त, 2021 तक विभाग द्वारा कितने कार्य करवाए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़ द्वारा विगत 5 वर्षों में स्टेट हाईवे सुकेत से डग पर कराये गये रोड साइट प्लान्टेशन, उनमें रोपित पौधे एवं उनकी जीवितता प्रतिशत तथा व्यय राशि संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट-ए अनुसार है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डग में कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़ द्वारा मनरेगा, कैम्पा एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-बी अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

पंचायत समितियों में प्रधानों हेतु आवासों का निर्माण

444. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सुमित गोदारा)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश की प्रत्येक पंचायत समिति के प्रधान हेतु सरकारी आवास आबंटित है? यदि हां, तो कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जहां प्रधान हेतु सरकारी आवास आबंटित नहीं है, वहां पर सरकारी आवास आबंटन अथवा निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में केवल डूंगरपुर पंचायत समिति में प्रधान को पंचायत समिति का आवास आबंटित है।

(2) जिस स्थान पर प्रधान हेतु सरकारी आवास आबंटित नहीं है, वहां पर सरकारी आवास आबंटन अथवा निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और किसी पंचायत समिति से कोई प्रस्ताव भी प्राप्त नहीं हुआ है।

मुण्डावर में कृषि व घरेलू कनेक्शन

445. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में आगामी पांच वर्ष में कृषि व घरेलू उपभोक्ता से ली जाने वाली विद्युत दरों में बढ़ोतरी नहीं करने का नीतिगत निर्णय लिया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने जून, 2019 तक एक लाख कृषि कनेक्शन जारी करने का नीतिगत निर्णय लिया था? यदि हां, तो क्या उक्त कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं? विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में जून, 2019 से 1 जनवरी, 2021 तक कितने कनेक्शन जारी किए गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किसानों को VCR में छूट दी जाती थी? यदि हां, तो कितनी-कितनी? क्या वर्तमान सरकार में भी उक्त छूट लागू है? यदि हां, तो कितने किसानों को इसका लाभ दिया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जन घोषणा पत्र में यह घोषणा सम्मिलित नहीं थी। 9 जनवरी, 2019 को माननीय मुख्य मंत्री ने सार्वजनिक सभा में यह घोषणा की थी।

(2) जी हां। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण 2019 के अनुसार जून, 2019 तक 1 लाख कृषि विद्युत कनेक्शन जारी करने की घोषणा की गई थी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा परिवर्तित बजट 2019-20 दिनांक 10 जुलाई, 2019 में यह घोषणा की गई कि "सरकार द्वारा पूर्व में 1 लाख नवीन कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य घोषित किया था, जिसे वर्ष के अंत तक पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं"। दिसम्बर, 2018 से 31 मार्च, 2020 तक कुल 139890 कृषि कनेक्शन जारी किए हैं।

मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में जून, 2019 से 1 जनवरी, 2021 तक 505 कृषि कनेक्शन जारी किये गये, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में लम्बित वीसीआर निस्तारण योजना के अन्तर्गत वीसीआर में निर्धारित राशि का 50% (निर्धारण राशि रु. 50,000/- तक) जमा करवाकर एवं निर्धारण राशि रु. 50,000/- से अधिक होने पर रु. 25,000/- प्लस रु. 50,000/- से ऊपर की राशि का 10% जमा करवाकर वीसीआर के निस्तारण की योजना लागू की गई थी।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 135 के तहत चोरी की वीसीआर के मामलों में की जाने वाली कार्यवाही एवं राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति के गठन के संबंध में 22.12.2020 को आदेश जारी किया गया। आदेश की अनुपालना में तीनों डिस्कामों द्वारा धारा 135 के तहत दर्ज मामलों को राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति के समक्ष प्रोविजनल राजस्व निर्धारण के नोटिस की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर वैधानिक दायित्व राशि का 10 प्रतिशत अथवा 5 लाख रुपये, जो भी कम हो व सम्पूर्ण प्रशमन राशि (compounding charges) जमा करवाकर अपील दायर किये जाने का प्रावधान किया गया है।

उपभोक्ता द्वारा अपना कनेक्शन पुनर्स्थापित करवाने के लिए वैधानिक दायित्व राशि का 50 प्रतिशत एवं सम्पूर्ण प्रशमन राशि जमा करवाना आवश्यक है।

किसानों के प्रकरणों की जिलेवार सूची परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

बहुमंजिलीय इमारतों के निर्माण की स्वीकृति

446. श्री बाबु लाल (झाडोल) व **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता प्रतिपक्ष): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बहुमंजिलीय इमारतों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ने परिपत्र जारी किया है? यदि हां, तो संबंधित परिपत्र, बाईलाज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि 32 मीटर से अधिक ऊंचे बहुमंजिलीय इमारतों के निर्माण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिये थे? यदि हां, तो निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि विभाग ने एक परिपत्र जारी कर सभी नगरीय निकायों को यह निर्देश दिये हैं कि 32 मीटर तक ऊंचाई के निर्माण एरियल हाइड्रोलिक प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी किये जा सकते हैं, बशर्ते संबंधित निकाय द्वारा इसका क्रय आदेश जारी कर दिया गया हो? यदि हां, तो उक्त परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त परिपत्र के अनुसार भवन निर्माण की स्वीकृति देने का प्रावधान होते हुए भी नगर निगम, उदयपुर द्वारा 32 मीटर से ऊंचे भवनों के निर्माण स्वीकृति नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो राज्य की विभिन्न नगरीय निकायों में 32 मीटर से ऊंचे भवन निर्माण के कितने प्रकरण किन-किन कारणों से लम्बित हैं? क्या सरकार ऐसे लम्बित निर्माण स्वीकृति प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। परिपत्र दिनांक 26.11.2020 की प्रति परिशिष्ट-A तथा बाईलाज की प्रति परिशिष्ट-B पर संलग्न है।

(2) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2019 की प्रति परिशिष्ट-C पर संलग्न है।

(3) जी हां। परिपत्र दिनांक 26.11.2020 की प्रति परिशिष्ट-A पर संलग्न है।

(4) वर्तमान में नगर निगम, उदयपुर में 32 मीटर से ऊंचे भवनों के निर्माण की स्वीकृति का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

विभिन्न नगरीय निकायों में 32 मीटर से ऊंचे भवन निर्माण के 16 प्रकरण लम्बित हैं। कारण सहित सूची परिशिष्ट-D पर संलग्न है।

लम्बित प्रकरणों में कमियों की पूर्ति होने के उपरान्त नियमानुसार निस्तारण कर दिया जायेगा।

(प्रतियां एवं सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

जैसलमेर में सेवण घास का रोपण

447. श्री रूपाराम (जैसलमेर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के काफी अधिक भू-भाग में सेवण घास हुआ करती थी तथा सेवण घास पशुधन के लिए विशेष करके गौवंश के लिए बहुत ही पौष्टिक होती है?

(2) क्या यह भी सही है कि कई वर्षों से लगातार अकाल पड़ने एवं सिंचित खेती की बढ़ोतरी होने के कारण उक्त जिले में सेवण घास लगभग लुप्त हो गई है?

(3) क्या यह भी सही है कि सेवण घास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर गौवंश एवं अन्य पशुधन को विशेष करके अकाल में बचाना काफी आसान हो जाता है तथा सेवण घास की प्रचुर उपलब्धता होने पर सरकार का व्यय-भार भी अकाल के दौरान पशु शिविर, गौशालाएं, चारा डिपो इत्यादि पर कम हो जाता है?

(4) क्या यह भी सही है कि सेवण घास को पुनः उगाना, रोपण करके विकसित करना पशुधन एवं पशुपालकों के लिए हितकर रहेगा? यदि हां, तो जिला जैसलमेर में भू-भाग की उपलब्धता को देखते हुए क्या सरकार पुनः सेवण घास का रोपण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जैसलमेर जिले के काफी अधिक भू-भाग में सेवण घास थी तथा यह घास पशुधन विशेषकर गौवंश के लिए बहुत पौष्टिक होती है।

(2) जी नहीं। सेवण घास लुप्त नहीं हुई है। कम वर्षा, अकाल की स्थिति तथा सिंचित खेती में बढ़ोतरी के कारण क्षेत्र में कमी हो गयी है।

(पशुपालन मंत्री)

(3) जी हां।

(4) जी हां। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा वैश्विक पर्यावरण सुविधा अन्तर्गत हरित कृषि परियोजना का क्रियान्वयन जैसलमेर जिले के राष्ट्रीय उद्यान एवं इसके सीमावर्ती क्षेत्र में प्रारम्भ किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय वनस्पति व सेवण घास सम्मिलित है, का संवर्धन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में चरागाह विकास का कार्य आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार करवाया जाता है।

प्रतापगढ़ आदिवासी क्षेत्र में छात्र-शिक्षक अनुपात में शिक्षकों के पदों का सृजन

448. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ आदिवासी क्षेत्र में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र-शिक्षक के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो कितने विद्यालयों में? यदि नहीं तो क्या सरकार छात्र शिक्षक अनुपात से नये पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रतापगढ़ जिले के 683 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात अनुसार शिक्षकों की भर्ती की गई है। शिक्षा विभागान्तर्गत विद्यालयों में आर.टी.ई. के अनुसार निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप शैक्षिक पदों के पुन: निर्धारण की कार्यवाही आदेश दिनांक 21.04.2016 के क्रम में शाला दर्पण के माध्यम से पूर्ण की गई है तथा पुन: निर्धारण के उपरान्त उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर ही प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा रिक्तियों का निर्धारण करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति की कार्यवाही की गई है।

आदेश दिनांक 28.05.2019 के द्वारा आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर कम विशिष्ट शासन सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिक एवं उच्च

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

प्राथमिक विद्यालयों में छात्र नामांकन के आधार पर शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार, श्रेणीवार एवं लेवलवार पदों के आबंटन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार प्रति 02 वर्ष के अन्तराल पर शैक्षणिक सत्र के अन्तिम कार्य दिवस अथवा निर्दिष्ट दिवस छात्र नामांकन के आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नवीन पद आबंटन कर तदनुसार रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है।

राष्ट्रीय वन अभयारण्यों में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु स्थापित वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस एवं एन्टी पोचिंग सिस्टम

449. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा प्रदेश के राष्ट्रीय वन अभयारण्य तथा टाइगर-लेपर्ड रिजर्व फोरेस्ट में वन्यजीवों की सुरक्षा एवं ट्रेकिंग के लिए "वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस एवं एन्टी पोचिंग सिस्टम" लगाये गये थे? यदि हां, तो उक्त सिस्टम कहां-कहां पर किस लागत से लगाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सिस्टम में टावर पर लगाये गये थर्मल एवं नाइट विजन कैमरे वर्तमान में अव्यवस्थाओं का शिकार होने के कारण खराब अथवा क्षतिग्रस्त हो गये हैं? यदि हां, तो वन्यजीवों की सुरक्षा एवं ट्रेकिंग के लिए लगाये गये "वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस एवं एन्टी पोचिंग सिस्टम" की वर्तमान स्थिति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त "वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस एवं एन्टी पोचिंग सिस्टम" की दुर्दशा को गंभीरता से लेते तथा वन एवं वन्यजीवों से जुड़े हुए अपराधों पर नियंत्रण हेतु इन्हें दुरुस्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से कुल 05 साइटों पर वन्यजीवों की सुरक्षा एवं ट्रेकिंग के लिए वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस एवं एन्टी पोचिंग सिस्टम लगाये गये हैं। उक्त

(राज्य मंत्री, वन)

05 जगहों पर कुल 56 आनसाइट सेटअप (Towers with Cameras), 05 लोकल कमाण्ड सेन्टर एवं 05 ड्रोन लगाये गये हैं। परियोजना के संबंध में विवरण सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग अनुलग्नक 1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सभी टावरों से वन्यजीव निगरानी हेतु लाइव वीडियो फीड (Feed) हो रही हैं।

(3) जी हां। वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस एंड पोचिंग सिस्टम के सभी टावरों के अनुरक्षरण एवं मरम्मत हेतु वन विभाग निरन्तर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से सम्पर्क में रहकर कार्यवाही करवाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मावली में राशन की दुकानों का आबंटन

456. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली में कितनी राशन की दुकानें स्वीकृत हैं? उक्त में से वर्तमान में कितनी दुकानें रिक्त या अस्थायी व्यवस्था के तौर पर दूसरे राशन डीलर को चार्ज दिया हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त दुकानों या अनुज्ञा पुनः आवेदन लेकर आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली में कुल 115 राशन की दुकानें स्वीकृत हैं। वर्तमान में मृत्यु, त्याग पत्र, निरस्त एवं निलम्बित कुल 23 उचित मूल्य दुकानों पर नजदीकी राशन डीलर से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। रिक्त उचित मूल्य दुकानों को शीघ्र आबंटन किये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

देवली-उनियारा में श्मशान एवं कब्रिस्तान की भूमि पर चारदीवारी का निर्माण

457. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में ऐसे कितने श्मशान और कब्रिस्तान हैं जिनकी चारदीवारी नहीं है अथवा अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त श्मशान और कब्रिस्तानों की चारदीवारी निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में कुल 351 श्मशान एवं कब्रिस्तान हैं, जिनकी चारदीवारी नहीं है अथवा अपूर्ण अवस्था में हैं।

(2) राज्य में संचालित महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजनान्तर्गत 10 प्रतिशत जन सहयोग राशि से एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में स्थानीय माननीय विधायक की अनुशंसा पर श्मशान/ कब्रिस्तान की चारदीवारी निर्माण कार्य करवाए जा सकते हैं।

महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना एवं अन्य योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों अथवा राज्य सरकार द्वारा बजट उपलब्ध करवाने के उपरांत उक्त कार्य करवाये जा सकेंगे।

हनुमानगढ़ में हथियार लाइसेन्स के लम्बित प्रकरण

458. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में वृद्ध व्यक्तियों के उत्तराधिकारी को उनके हथियार लाइसेन्स देने का प्रावधान है? यदि हां, तो जिला हनुमानगढ़ में कितने व्यक्तियों द्वारा आवेदन किया गया है? विगत तीन वर्षों में किये गये आवेदनों का पुलिस थानावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त आवेदनों में से कितने प्रकरणों में पुलिस रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं तथा कितने प्रकरणों में रिपोर्ट लम्बित हैं?

(3) जिन प्रकरणों में पुलिस रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं उनमें से कितने लाइसेंस बना दिये गये व कितने लम्बित हैं? पुलिस थानावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आयुध नियम 2016 के नियम 25 में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या पच्चीस वर्ष तक अग्न्यायुध (फायर आर्म) धारण करने पर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी विधिक उतराधिकारी को अनुज्ञापत्र प्रदान करने का प्रावधान है। गत 3 वर्षों में वृद्ध व्यक्तियों के 158 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनका थानावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वृद्ध प्रकरणों में कुल प्राप्त आवेदन 158 में से 140 आवेदनों में पुलिस रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा 18 आवेदनों में रिपोर्ट आना शेष है।

(गृह मंत्री)

(3) गत 3 वर्षों में वृद्ध व्यक्तियों के 140 आवेदनों में पुलिस रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिनमें से 47 का निस्तारण किया जा चुका है तथा 93 आवेदन लम्बित हैं, जिनका थानावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर व जयपुर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण-पत्र

459. श्री राकेश पारीक (मसूदा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर तथा जयपुर जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र हेतु, वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कितने आवेदन किये गये? यदि हां, तो इनमें से कितने आवेदन आय संबंधी आपत्ति पर अस्वीकार किये गये? उपखण्ड वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गैर सरकारी अकुशल श्रमिक श्रेणी का आवेदक, जिसका परिवार से भी पृथक अस्तित्व हो, की आय में माता-पिता की आय भी जोड़ने का प्रावधान अनिवार्य किया गया है? यदि हां, तो यह किस प्रकार विधि सम्मत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा SC, ST एवं OBC वर्ग में आवेदकों हेतु आय प्रमाण पत्र के क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं? पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर जिले तथा जयपुर जिले में आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) आय संबंधी आपत्ति पर अस्वीकार आवेदन का उपखण्डवार विवरण परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(2) इस संबध में तथ्य यह है कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली, भारत सरकार के मेमोरेन्डम संख्या 36039/1/2019-ESTT(RES) दिनांक 31.01.2019 के बिन्दु संख्या 4.3 द्वारा एवं राजस्थान राज्य में कार्मिक विभाग, राज. सरकार, जयपुर द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 7/1/DOP/A-II/2019 जयपुर दिनांक 19.02.2019 के बिन्दु संख्या 2 के Explanation पार्ट में परिवार को निम्न

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

प्रकार से परिभाषित किया गया हैः- "The term "Family" for this purpose will include the person who seeks benefits of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years."

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वर्णित परिवार की परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में ही आर्थिक कमजोर वर्गो (EWS) के आवेदकों को Income & Assest Certificate जारी किया जा सकता है।

(3) इस संबध में तथ्य यह है कि राज्य में आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदक/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की स्वयं द्वारा अपनी आय का उद्घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसके समर्थन में आवेदक को प्रमाणित शपथ पत्र व दो उत्तरदायी व्यक्तियों का साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रावधान है। यह व्यवस्था सभी वर्ग के लिये है। इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 09.08.2012 परिशिष्ट-ब संलग्न है।

(विवरण व परिपत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

चित्तौड़गढ़ में मिसिंग लिंक सड़कों का नवीनीकरण

460. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में विधायकों की अनुशंषा पर 5 करोड़ रुपये की मिसिंग लिंक सड़कें या नोन पेचेबल सड़कों के नवीनीकरण करने का प्रावधान रखा गया है? यदि हां, तो अब तक जिला चित्तौड़गढ़ में कितनी स्वीकृति जारी की गई तथा कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में विधायकों की अनुशंषा पर 5 करोड़ रुपये की मिसिंग लिंक सड़कें या नोन पेचेबल सड़कों के नवीनीकरण करने का प्रावधान रखा गया है।

अब तक चित्तौड़गढ़ जिले में जारी की गई स्वीकृतियों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गोगुन्दा में दीनदयाल ग्राम ज्योति एवं सौभाग्य योजना के लाभार्थी

461. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में दीनदयाल ग्राम ज्योति एवं सौभाग्य योजना में सभी गांव व सभी परिवारों को विद्युतीकरण से जोड़ दिया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कोटड़ा उप खण्ड के गांव गुर्रा, बोरती पिपरमाल में विगत दो वर्षो में कितने परिवारों को विद्युतीकरण से जोड़ा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं सौभाग्य योजनान्तर्गत योजना में सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं सौभाग्य योजनान्तर्गत योजनानुसार सभी पात्र इच्छुक आवेदकों को विद्युत कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	3825
सौभाग्य योजना	10762

तथापि भविष्य में कोई विद्युत कनेक्शन के लिये आवेदन करता है, तो आवेदक को नियमानुसार (विद्युत आपूर्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें-2021 के उपबन्धों 4, 6 एवं 7 के अनुसार) कनेक्शन जारी किये जाने का प्रावधान है।

(2) विगत दो वर्षों में कोटड़ा उपखण्ड के गांव गुर्रा में 545, बोरती में 203 तथा पिपरमाल में 145 परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किये गये हैं।

नागौर में विद्युत करन्ट से मृत व्यक्तियों को मुआवजा

462. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती मंजु देवी)

(1) जिला नागौर में विगत पांच वर्षों में हाईटेंशन लाइनों के कारण कितने लोगों की मृत्यु हई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त घटनाओं में मृतक आश्रितों को कोई मुआवजा दिया गया? यदि हां, तो कब-कब व कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र जायल में कृषि कनेक्शन से कृषि कार्यों के दौरान हाईटेंशन लाइनों तथा 11 हजार केवी विद्युत लाइनों में विद्युत करंट से विगत तीन वर्षों में कितने लोगों की मृत्यु हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में विगत 5 वर्षों में (01.04.2016 से 31.08.2021 तक) हाईटेंशन लाइनों के कारण कुल 86 लोगों की मृत्यु हुई, जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त घटनाओं में से कुल 27 प्रकरणों में मृतक के आश्रितों को कुल 1,32,39,950 रुपये मुआवजा दिया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र जायल में कृषि कनेक्शन से कृषि कार्यों के दौरान हाईटेंशन लाइनों तथा 11 केवी विद्युत लाइनों में विद्युत करंट से विगत 3 वर्षों (01.04.2018 से 31.08.2021 तक) में लोगों की मृत्यु होने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मकराना में नवीन विद्युत सब-स्टेशन

463. श्री रूपा राम (मकराना): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में 11 के.वी. व 33 के.वी. की कितनी लाइनें ऐसी हैं जिन पर क्षमता से अधिक विद्युत भार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त लाइनों की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रयास कर रही है? यदि हां, तो कौन-कौनसी लाइनों की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रूपा राम)

(3) विधान सभा क्षेत्र मकराना में नये सब-स्टेशन बनाने की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मकराना विधान सभा क्षेत्र में किसी भी 33 केवी लाइन पर क्षमता से अधिक विद्युत भार नहीं है।

उपखण्ड मकराना (पवस) के अधीन 11 केवी फीडर नम्बर 05 तथा उपखण्ड दम्बोई (पवस), गच्छीपुरा के अधीन 11 केवी मंगलपुरा फीडर पर क्षमता से अधिक विद्युत भार है।

(2) उपखण्ड मकराना (पवस) के अधीन 11 केवी फीडर नम्बर 05 तथा उपखण्ड दम्बोई (पवस), गच्छीपुरा के अधीन 11 केवी मंगलपुरा फीडर पर क्षमता से अधिक विद्युत भार को कम करने के लिये उक्त फीडरों को दो भागों में विभाजित करने हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा यथाशीघ्र उक्त फीडरों को दो भागों में विभक्त कर विद्युत भार को कम किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी नहीं। मकराना विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में स्थापित विद्युत तंत्र आवश्यक विद्युत भार अनुरूप होने के कारण तकनीकी रूप से नवीन सब-स्टेशन की आवश्यकता नहीं है। अत: वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र में नये सब-स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव/योजना विचाराधीन नहीं है।

विद्याधर नगर की कालोनियों का नियमन

464. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विद्याधर नगर में जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन सं. 2, 6, 7, 12, 13 के अन्तर्गत विभिन्न आवासीय कालोनी की 90ए व 90बी की कार्यवाही हो चुकी है? यदि हां, तो उक्त आवासीय कालोनियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आवासीय कालोनियों की भूमि का नामांतरण जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुका है?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिन

(श्री नरपत सिंह राजवी)

आवासीय कालोनी में 90ए व 90बी की कार्यवाही की गई है, इन आवासीय कालोनियों का नियमन कैम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जविप्रा के क्षेत्राधिकार में विधान सभा क्षेत्र विद्याधर नगर में आवासीय योजनाएं जिनकी 90-अ/90-बी की कार्यवाही हो चुकी है, की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। आवासीय कालोनियों की भूमि जिनका नामान्तरण जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम हो चुका है एवं नामान्तरण से शेष रहे खसरा भूमि की सूचना परिशिष्ट "अ" में समाहित है।

(3) जी हां। विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र में जिन आवासीय कालोनी/योजनाओं की 90ए/90बी की कार्यवाही की जा चुकी है, उन योजनाओं का निर्धारित मापदण्ड/राज्य सरकार के जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कैम्प लगाया जाना प्रक्रियाधीन है, जो एक सतत प्रक्रिया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

मोरीजा ग्राम (जयपुर) में गौशाला हेतु भूमि का आबंटन

465. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मोरीजा में जेडीए द्वारा नगर निगम को गौशाला के लिए भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो कितनी भूमि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर चारदीवारी के लिए नगर निगम द्वारा बजट भी आबंटित किया गया है? यदि हां, तो कितना?

(3) क्या यह भी सही है कि निगम द्वारा चारदीवारी का कार्य पूर्ण कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या यूसी व सीसी दे दी गई है? यदि नहीं तो क्यों? यूसी सीसी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 12.09.2018 ग्राम-मोरीजा के खसरा नम्बर 2298, 2299, 2303, 2430, 2431 में से नगर निगम, जयपुर को गौशाला हेतु 9.63 हैक्टेयर भूमि आरक्षित करने व इसके संचालन व रखरखाव हेतु भूमि नगर निगम को

(स्वायत्त शासन मंत्री)

हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया है। निर्णयानुसार जविप्रा के पत्र दिनांक 20.06.19 के द्वारा नगर निगम, जयपुर को भूमि हस्तान्तरित की जा चुकी है। निर्णय की प्रति एवं पत्र दिनांक 20.06.2019 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

नगर निगम, जयपुर हैरिटेज की बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पारित करने पर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा उक्त से संबंधित पत्रावली नगर निगम, जयपुर हैरिटेज को हस्तान्तरित की गई है।

(2) नगर निगम हैरिटेज में उक्त कार्य के पेटे बजट आबंटन नहीं हुआ है। तत्कालीन नगर निगम, जयपुर द्वारा ग्राम-मोरीजा तहसील चौमूं में गौशाला को आबंटित भूमि का बाउण्ड्रीवाल कराये जाने बाबत दिनांक 13.02.2020 को राशि रु. 1,01,79,666/- आबंटित किये गये थे। इसके पश्चात् दिनांक 31.08.2020 को राशि रु. 92.00 लाख आबंटित किये गये थे।

(3) जी नहीं। खसरा नम्बर 2430 एवं 2431 पर विवाद होने पर एवं कोर्ट स्टे के कारण चारदीवारी निर्माण कार्य बंद है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शाहपुरा-बनेड़ा में सीवरेज प्लांट की स्थापना

466. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा में सीवरेज लाइन का कार्य प्रगति पर है? यदि हां तो उक्त कार्य में अब तक कितना व्यय किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सीवरेज के वेस्ट मैटेरियल के निस्तारण हेतु सीवरेज प्लांट लगाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

उत्तराधिकारी (वारिस) प्रमाण पत्र नगरपालिका स्तर पर जारी करने के अधिकार

467. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बलबीर सिंह लूथरा)

(1) क्या यह सही है कि उत्तराधिकारी (वारिस) प्रमाण पत्र पूर्व में ग्राम पंचायत, नगरपालिका स्तर पर ही जारी किये जाते थे, जो अब बन्द कर दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जनहित में पुन: उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र का अधिकार ग्राम पंचायतों व नगरपालिकाओं को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में जिला न्यायालय को उत्तराधिकार (वारिस) प्रमाण पत्र जारी करने का नियमानुसार अधिकार है। आमजन द्वारा संबंधित जिला न्यायाधीश के सक्षम पिटिशन प्रस्तुत कर उत्तराधिकारी (वारिस) प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। नगरपालिकाओं के अध्यक्ष/उपाध्यक्षों के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर विभागीय पत्रांक प.8द्(क)(या)()डीएलबी/16/1515-1705 दिनांक 27.04.2016 के द्वारा राज्य की समस्त नगरीय निकायों के अध्यक्ष/मुख्य नगरपालिका अधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया है।

पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में ग्राम पंचायतों द्वारा उत्तराधिकार (वारिस) प्रमाण पत्र जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं।

सवाई माधोपुर में फार्म पौण्ड योजना के अन्तर्गत लाभान्वित परिवार

468. श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में फार्म पौण्ड योजना क्या है? उक्त के क्रियान्वयन हेतु कौनसी एजेन्सी कार्य कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना से जिला सवाई माधोपुर में विगत पांच वर्षों में लाभान्वितों का पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फार्म पौण्ड योजना वर्षा जल संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग हेतु

(कृषि मंत्री)

निर्मित्त इकाई है, जिसमें वर्षा जल का संग्रहण कर पानी को सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। राज्य में उक्त योजना के क्रियान्वयन एजेन्सी कृषि विभाग है, जिसमें फार्म पौण्ड का निर्माण कृषक द्वारा स्वयं किया जाता है तथा भौतिक सत्यापन उपरान्त अनुदान कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। फार्म पौण्ड योजनान्तर्गत कृषकों द्वारा कच्चे फार्म पौण्ड निर्माण करने पर लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रुपये 63 हजार तथा प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौण्ड निर्माण करने पर लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रुपये 90 हजार, जो भी कम हो, अनुदान कृषि विभाग द्वारा देय है।

(2) फार्म पौण्ड योजना अन्तर्गत सवाई माधोपुर जिले में विगत पांच वर्षों में लाभान्वितों का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

थारपारकर गायों के संवर्धन की योजना

469. श्री अमीन खां (शिव): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में थारपारकर गायों की संख्या कितनी है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि थारपारकर गाय की संख्या घटती जा रही है? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा जारी 20वीं पशु गणना (वर्ष 2019) के अनुसार प्रदेश में थारपारकर गायों की कुल संख्या 3,80,998 (शुद्ध थारपारकर गाय 96,614 एवं ग्रेडेड थारपारकर गाय 2,84,384) है। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) 20वीं पशु गणना से पूर्व नस्लवार पशु गणना का कार्य नहीं किया गया था।

प्रदेश में थारपारकर गाय के संवर्द्धन हेतु वर्तमान में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार, सैक्स्ड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान, बांझपन निवारण शिविर, भ्रूण प्रत्यारोपण योजना व कामधेनु डेयरी योजना तथा गायों

(पशुपालन मंत्री)

के संरक्षण हेतु पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजनान्तर्गत पशु चिकित्सा का कार्य संचालित किया जा रहा है।

राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत थारपारकर वंशावली चयन योजना, जोधपुर जिले में संचालित हैं, जिससे अब तक 17 उच्च गुणवत्ता युक्त थारपारकर नस्ल के नर बछड़ों का चयन कर सीमन बैंक में भिजवाया जा चुका है। इन चयनित सांडों के सीमन से नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करवाया जा रहा है।

राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधीन संचालित पशुधन अनुसंधान केन्द्र, चांदन (जैसलमेर) तथा बीछवाल (बीकानेर) में थारपारकर गायों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु परियोजनाएं भी संचालित की जा रही हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

पाली में पशुधन आरोग्य नि:शुल्क दवा योजना में लाभान्वित चिकित्सालय

470. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पशुधन सहायक का प्रारम्भिक वेतनमान समकक्ष पदभार पर कार्यरत चिकित्सा विभाग के मेल नर्स-II व आयुर्वेदिक विभाग से कम्पाउंडर से कम है? यदि हां, तो कितना व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पशु चिकित्सक, मेडिकल, आयुर्वेदिक चिकित्सकों का वेतनमान समान है? यदि हां, तो उनके अधीनस्थ समान रूप में कार्य सहयोग करने वाले समान योग्यता व समान धारित पदों पर वेतनमान समान नहीं होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उक्त वेतनमान एक समान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पशुधन आरोग्य नि:शुल्क दवा योजनान्तर्गत जिला पाली में किन-किन चिकित्सालय में कौन-कौनसी दवाइयां कितनी-कितनी राशि की उपलब्ध करवाई गयीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पशुपालन विभाग के पशुधन सहायकों का ग्रेड पे मेल नर्स-।। के समान करने का प्रकरण वित्त विभाग के स्तर पर विचाराधीन है।

(2) जी हां। पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारियों का प्रारम्भिक वेतनमान दिनांक 01.04.1998 से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी के समान है।

प्रकरण वित्त विभाग स्तर पर विचाराधीन है।

(3) पशुधन आरोग्य नि:शुल्क दवा योजनान्तर्गत जिला पाली के पशु चिकित्सालयों में उपलब्ध कराई गई दवाइयों व उनकी राशि का विवरण परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीडूंगरगढ़ पंचायत समिति मुख्यालय पर नन्दीशाला की स्थापना

471. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजट वर्ष 2019-20 में आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नन्दी शालाएं स्थापित किये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो प्रदेश में अब तक कितनी नंदी शाला खोली गई हैं?

(2) क्या सरकार श्रीडूंगरगढ़ पंचायत समिति मुख्यालय पर नन्दी शाला स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(स्थगित)

मनोहर थाना में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल

472. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में कितने अंग्रेजी माध्यम स्कूल स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने के क्या नियम हैं? उक्त विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय, ठिकरिया, मनोहर थाना संचालित है।

(2) प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के राजकीय विद्यालय खोले जाने हेतु पृथक से कोई नियम निर्धारित नहीं है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 2019-20 में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) खोले जाने की घोषणा की गई थी जिसकी पालना में प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक, इस प्रकार कुल 33 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) स्थापित कर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन किया जायेगा तथा बजट घोषणा 2021-22 के बिंदु संख्या 37 द्वारा 5 हजार से अधिक आबादी वाले समस्त गाँवों एवं कस्बों में अगले दो वर्षों में अंग्रेजी माध्यम के लगभग एक हजार 200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारम्भ किये जायेंगे।

चित्रकला संगीत शिक्षकों की योग्यता

473. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि अनिवार्य कला शिक्षा (चित्रकला, संगीत) विषय के द्वितीय व तृतीय श्रेणी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कला शिक्षकों को बी.एड. व बी.एस.टी.सी. (D.L. एड) प्रशिक्षण डिग्री करना अनिवार्य है? यदि हां, तो राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 व N.C.E.T. के नियम अथवा गाइडलाइन की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के प्रावधानानुसार अनिवार्य कला शिक्षा विषय के द्वितीय श्रेणी अध्यापक (चित्रकला व संगीत) पद हेतु योग्यता निम्नानुसार निर्धारित थी:-

(1) चित्रकला-अध्यापक ग्रेड-द्वितीय

चित्रकला सहित बी.ए. या राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समतुल्य परीक्षा।

(2) संगीत-अध्यापक ग्रेड-द्वितीय

संगीत में बी.ए. या राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समतुल्य परीक्षा।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

1. नई शिक्षा नीति लागू होने के कारण निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के कार्यालय आदेश क्रमांक शिविरा/संस्था/एफ-1/12240/07/73 दिनांक 04.11.1992 के द्वारा चित्रकला व संगीत अध्यापक के पदों पर नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं।

2. शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग के पत्रांक प.15(4)शिक्षा-2/2000 पार्ट दिनांक 04.11.2006 के द्वारा चित्रकला व संगीत अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक को सामान्य शिक्षक वर्ग में समायोजित किया गया है। उक्त आदेशों के उपरान्त वर्तमान में यह पद अस्तित्व में नहीं होने के कारण इन पदों हेतु उक्त सेवा नियम प्रभावी नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि चित्रकला व संगीत के तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद समाप्त होने पर इनका समायोजन सामान्य शिक्षकों में किया गया था। समायोजन के पश्चात् यदि कोई तृतीय श्रेणी अध्यापक उच्चतर पद पर पदोन्नति चाहता है, तो उस स्थिति में उसे नियमानुसार बीएड योग्यता अर्जित करना अनिवार्य है।

राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 संबंधी पुस्तक/नियमावली के तत्संबंधी पृष्ठ संख्या 58 व 59 तथा एन.सी.ई.टी. के नियम की छाया प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

नसीराबाद के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

474. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में प्राथमिक व माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल कितने शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में प्राथमिक विद्यालयों में कुल 209 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं तथा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट घोषणा संख्या 201 के तहत शिक्षा विभाग में 41000 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर उक्त रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित पात्र आशार्थी उपलब्ध कराये जाने पर माध्यमिक शिक्षा के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीसलपुर कन्जर्वेशन रिजर्व हेतु बजट का आबंटन

475. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि "बीसलपुर कन्जर्वेशन रिजर्व" की घोषणा होने के पश्चात् से अब तक किसी भी प्रकार का बजट आबंटित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कन्जर्वेशन रिजर्व के संवर्धन एवं समुचित विकास हेतु शीघ्र बजट आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। बीसलपुर कन्जर्वेशन रिजर्व के संवर्धन एवं समुचित विकास हेतु कार्यालय उप वन संरक्षक टोंक को आबंटित बजट राशि संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट-ए अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगंज को सैंक्चुअरी घोषित करने की कार्ययोजना

476. श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती निर्मला सहरिया)

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहाबाद) में किन-किन वन क्षेत्रों को सैंक्चुअरी घोषित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के सम्पूर्ण वन क्षेत्र को सैंक्चुअरी घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के किसी भी वन क्षेत्र को सैंक्चुअरी घोषित नही किया गया है।

(2) जी नहीं। सैंक्चुअरी बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जैतारण में भूमिगत जल प्रदूषण को रोकने की कार्ययोजना

477. श्री अविनाश (जैतारण): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जैतारण में विभिन्न स्थानों पर प्रदूषण निम्न स्तर का होने के कारण विभिन्न बीमारियों का कारण बन गया है? यदि हां, तो इसके लिए मुख्य रूप से कौन-कौन से उद्योग जिम्मेदार हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भूमिगत जलस्तर भी उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्रदूषित हो गया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है तथा सरकार उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्रदूषण को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में मुख्यत 03 सीमेन्ट उद्योग यथा मैसर्स श्रीसीमेंट लिमिटेड, मैसर्स अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड एवं नुवोको सीमेंट लिमिटेड कार्यरत हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा इन उद्योगों की चिमनियों से उत्सर्जित मुख्य प्रदूषक पदार्थ एवं जनित उच्छिष्ठ को नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त नियंत्रण उपकरण की स्थापना व संचालन करने तथा उत्सर्जित प्रदूषक पदार्थ को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों की सीमा के

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

भीतर रखने की शर्त पर उद्योग संचालन हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 व वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत सम्मति जारी की गई है। प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पाई गई खामियों अथवा निर्धारित मानकों की पालना न करने वाली फैक्ट्रियों एवं उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 व वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र जैतारण में प्रदूषण से होने वाली बीमारियों सम्बन्धित कोई अधिकृत सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में विभिन्न स्थानों से भूजल के नमूने लिये गये, जिनका विश्लेषण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भोपाल की प्रयोगशाला में किया गया एवं प्राय: सभी मापदंड मानक सीमा में पाये गये। संलग्नक 'अ'

रिकार्ड के अनुसार भूमिगत जलस्तर के प्रदूषण की अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के द्वारा प्रदूषण को रोकने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों की सीमा के भीतर रखने की शर्त पर उद्योग संचालन हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 व वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत सम्मति की जाती है तथा पालना नहीं होने पर सख्त कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)